C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol.XVII, Eighth Session, 2016/1938 (Saka)
No.9, Thursday, May 05, 2016/Vaisakha 15, 1938 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
OBITUARY REFERENCES	9-10
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 161 to 165	11-77
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.166 to 180	78-151
Unstarred Question Nos.1841 to 2070	152-615

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 617-624

STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE 625
Statements

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 9th Report of the Standing Committee on Labour on `Review of Urban Haats', pertaining to the Ministry of Textiles
Shri Santosh Kumar Gangwar 626

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 49th Report of the Standing Committee on Coal and Steel on 'Coal pricing and issues relating to coal royalty', pertaining to the Ministry of Coal 626
Shri Piyush Goyal

MATTERS UNDER RULE 377 627-646

(i) Need to renovate Pandit Deendayal Upadhyaya Sports Stadium in Unnao parliamentary constituency, Uttar Pradesh
Dr. Swami Sakshiji Maharaj 628

(ii) Need to increase green cover in the country particularly in Kerala
Prof. Richard Hay 629

(iii) Need to make river Aami in Eastern Uttar Pradesh pollution-free
Yogi Adityanath 630

(iv) Regarding updating the National Register of Citizenship in Assam
Shri Ramen Deka 631

(v) Need to provide water to Sone canal in Bihar from Rihand dam as per the norms fixed by Joint Operation Committee set up for the purpose

Shri Sushil Kumar Singh 632

(vi) Need to construct a new bridge on river Parvan in Jhalawar-Baran Parliamentary Constituency of Rajasthan

Shri Dushyant Singh 633

(vii) Need to construct an over bridge or underpass at level crossing no. 298 between Amali and Rawanjna Dungar railway stations in Tonk-Sawai Madhopur parliamentary constituency, Rajasthan

Shri Sukhbir Singh Jaunapuria 634

(viii) Need to relax the population norm fixed under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana for Ladakh region of Jammu & Kashmir

Shri Thupstan Chhewang 635

(ix) Need to ensure payment of arrears of sugarcane to farmers by mills in Baghpat parliamentary constituency, Uttar Pradesh

Dr. Satya Pal Singh 636

(x) Need to set up a Centre for Excellence of Cotton in Gujarat

Dr. Kirit P. Solanki 637

(xi) Need to provide clean drinking water in all the villages in the country

Shri Daddan Mishra 638

(xii) Need to ensure construction of earthquake-resistant building structures in Delhi

Shri Ramesh Bidhuri 639

(xiii) Need to address the problem of acute shortage of drinking water in Bhilwara parliamentary constituency, Rajasthan

Shri Subhash Chandra Baheria 640

(xiv) Need to set up three Kendriya Vidyalas in Santhal Pargana region of Jharkhand

Shri Nishikant Dubey 641

(xv) Need to start work on Belwai Reservoir Project in Sasaram parliamentary constituency, Bihar

Shri Chhedi Paswan 642

(xvi) Need to extend the benefits of Dairy Entrepreneurship Development Scheme (DEDS) to all the farmers of Chamarajnagar district of Karnataka

Shri R. Dhruvanarayana 643

(xvii) Regarding problems faced by students of Kendriya Vidyalaya at Debgarh in Odisha

Shri Nagendra Kumar Pradhan 644

(xviii) Need to take measures for the welfare of pensioners under EPS-95

Shri Dhananjay Mahadik 645-646

FINANCE BILL, 2016 649-699
Shri Arun Jaitley 649-669
Clauses 2 to 238 and 1 671-697
Motion to pass 698-699

RULING BY THE SPEAKER 698

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016 701-788
Motion to Consider 701
Kumari Sushmita Dev 703-710
Shri P.P. Chaudhary 716-724
Prof. Saugata Roy 725-731
Shri Tathagata Satpathy 732-736
Shri Anandrao Adsul 737-740
Shri Jayadev Galla 741-745
Shrimati Kavitha Kalvakuntla 746-750
Shri Md. Badaruddoza Khan 751-752
Shrimati Butta Renuka 753-756
Dr. Udit Raj 757-758
Shri Gaurav Gogoi 759-762
Shri Jai Prakash Narayan Yadav 763-764
Shri Ajay Misra Teni 765-767
Shri Rajesh Ranjan 768-771
Shri Ram Prasad Sarmah 772-773
Shri Jayant Sinha 774-788
Clauses 2 to 225 and 1 788
Motion to Pass 788

DISCUSSION UNDER RULE 193 789-815
Situation arising out of drought and drinking water crisis in many states

Shri Jagdambika Pal 789-802

Shri Ashok Shankarrao Chavan 803-815

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 876

Member-wise Index to Unstarred Questions 877-882

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 883

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 884-885

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, May 05, 2016/Vaisakha 15, 1938 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

OBITUARY REFERENCES

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को तीन पूर्व सदस्यों श्री राणा बहादुर सिंह, डॉ. अमृतलाल भारती और श्रीमती चन्द्रप्रभा उर्स के दुःखद निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री राणा बहादुर सिंह मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे। वे पांचवीं लोक सभा के दौरान याचिका समिति के सदस्य रहे। श्री राणा बहादुर सिंह ने कृषक समुदाय के वऋल्याण के लिए कार्य किया। श्री राणा बहादुर सिंह का निधन 87 वर्ष की आयु में 4 अप्रैल, 2016 को मध्य प्रदेश के रीवा में हुआ।

डॉ. अमृतलाल भारती उत्तर प्रदेश के चैल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य थे। वे खाद्य, नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति के सदस्य रहे। डॉ. भारती ने समाज के गरीब और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया। डॉ. अमृतलाल भारती का निधन 73 वर्ष की आयु में 15 अप्रैल, 2016 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ।

श्रीमती चन्द्रप्रभा उर्स कर्नाटक के मैसूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए दसवीं लोक सभा की सदस्य थीं। वह श्रम और कल्याण संबंधी समिति की अध्यक्ष और सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति की सदस्य रहीं। इससे पूर्व श्रीमती चन्द्रप्रभा वर्ष 1983 से 1985 और वर्ष 1989 से 1991 तक दो बार कर्नाटक विधान सभा की सदस्य थीं। वह वर्ष 1983 से 1985 तक कर्नाटक सरकार में समाज कल्याण, रेशम कीट पालन और उत्पाद शुल्क की केबिनेट मंत्री भी रहीं। श्रीमती चन्द्रप्रभा उर्स का निधन 69 वर्ष की आयु में 3 मई, 2016 को कर्नाटक के मैसूर में हुआ।

हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मैं अपनी ओर से तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर के लिए मौन खड़ी रहेगी।

11.03 hours

(The Members then stood in silence for short while)

11.04 hours

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न नम्बर 161। श्री पी. करूणाकरन - उपस्थित नहीं।

श्रीमती रीती पाठक।

(Q.161)

श्रीमती रीती पाठक : अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि हथकरघा हमारे देश का बहुत ही बड़ा और पुश्तैनी काम है, जो लगातार बंद होता जा रहा है और आज बंद होने की कगार पर आ गया है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने हथकरघा से जुड़े हुए बुनकरों के लिए चिंता व्यक्त करके नई-नई योजनाएं निकालकर उन्हें स्थापित रखने का प्रयास किया है।

मैं बताना चाहती हूं कि हथकरघा की दृष्टि से आज जो चिंता बनी हुई है, वह हमारे देश के कई राज्यों की चिंता है, चाहे वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु हो या अन्य प्रदेश हों। यहां एक बहुत छोटी सी बात है, जो एक गंभीर बात के रूप में सामने आती है। अगर हम बुनकरों की बात करें तो जब बुनकर हथकरघा जैसा कोई काम करता है तो उसके पास जो आवास होता है, उसी आवास में वह रहता है, उसी में वह अपना यंत्र स्थापित करता है, उसी में खाना खाता है और उसी में बच्चों को पढ़ाता है। मुझे लगता है कि शायद हम इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिससे वह उन्मुक्त और स्वस्थ वातावरण में काम नहीं कर पा रहा है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि उनके पास जो मंत्रालय है, क्या उन्होंने उसके माध्यम से इस बारे में कोई चिंता जताई है तथा हथकरघा से जुड़े हुए बुनकरों या कामगारों के लिए कोई ऐसी योजना बनाई है, जिससे हमारे देश की आय भी बढ़ सके और उन्हें काम करने का एक स्वस्थ वातावरण मिल सके?

श्री संतोष कुमार गंगवार : माननीय अध्यक्ष जी, वास्तव में माननीय सदस्या ने महत्वपूर्ण प्रश्न सदन के सामने प्रस्तुत किया है। अगर हम विगत वर्षों का हिसाब-किताब देखें तो हमें लगेगा कि हथकरघा में काम करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बल्कि इनकी संख्या कम हुई है। इसके साथ-साथ हमें यह भी समझ में आ रहा है कि जो काम करने वाले लोग हैं, उनके परिवार के लोग भी इस काम में रुचि

नहीं ले रहे हैं। क्योंकि उन्हें उतनी आमदनी नहीं हो रही है, जितनी होनी चाहिए। देश में राजनीतिक परिवर्तन के बाद प्रधान मंत्री जी ने इसमें व्यक्तिगत रुचि ली और इस दिशा में हम कैसे अच्छे प्रयास करें, इसकी चिंता की। अब हम लोगों ने इसका एक विजन तैयार किया है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बुनकरों की आय में वृद्धि हो और कम से कम पांच सौ रुपये प्रतिदिन बुनकर प्राप्त करें और हथकरघा बुनकर को सम्मान मिले। इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने चिंता प्रकट की और 7 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया। इससे उनकी पहचान बनी, उन्होंने इस काम को चेन्नई में शुरू किया। इसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई और लोगों ने इसे पसंद किया। इसके साथ ही प्रधान मंत्री जी ने उसी दिन इंडिया हैंडलूम ब्रांड का भी शुभारंभ किया, जिससे कि हम इसकी क्वालिटी के प्रति आश्वस्त हो सकें। इसके अलावा हथकरघा क्लस्टरों के विकास के लिए भी हम लोगों ने वित्त की व्यवस्था की और उसके हिसाब से काम शुरू किया। ये प्रारम्भिक कदम हैं और इनके हमें अच्छे लाभ मिल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले एक क्लस्टर के लिए हम साठ लाख रुपये देते थे, अब हमने इसे बढ़ाकर दो करोड़ रुपये कर दिया है। मुद्रा योजना के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों को ऋण मिले, इसकी सीमा हम लोगों ने 23 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी है। हमारा लक्ष्य है कि तीन वर्षों में कम से कम पांच लाख बुनकरों को हम इसमें शामिल करके उन्हें लाभ दिलाने की दिशा में काम करें। हम लोग इस हिसाब से आगे काम कर रहे हैं। माननीय सदस्या इस संबंध में जो भी सुझाव देंगी, उसे हम स्वीकार करते हुए आगे काम करने का प्रयास करेंगे।

श्रीमती रीती पाठक : अध्यक्ष महोदया, मैं एक चीज और पूछना चाहती हूं कि हथकरघा और विद्युतकरघा, विद्युतकरघा के विषय में भी आज देश में एक बड़ी चिंता बनी हुई है। हमारे मध्य प्रदेश का उज्जैन, महाराट्र का मुम्बई, ठाणे, अंधेरी, गुजरात में सूरत में जो मिलें बंद हो रही हैं या बंद होने की कगार पर हैं...

माननीय अध्यक्ष : अब आप हथकरघा और टैक्सटाइल मिल्स पर आ गईं।

श्रीमती रीती पाठक : मैं माननीय मंत्री जी को और केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिन्होंने हमारे देश के पारम्परिक वस्त्र चाहे वह चंदेरी, महेश्वरी, कांजीवरम या बनारसी हो, इन बुनकरों की चिंता करते हुए इनकी परम्परा को जीवित रखने का प्रयास किया है। मैं यह कहना चाहती हूं कि चिंता तो चिंता ही है, इस मामले में मैं भी चिंता व्यक्त करूंगी कि जो बुनकर अपने काम से हट गये हैं, जिन्होंने अपना कुटीर उद्योग स्थापित किया है या जो नहीं कर पाये हैं। इनके बारे में केन्द्र सरकार की जो आईएसपीएसडी योजना है, क्या वह इन पर भी लागू होती है, यदि होती है तो आप किस तरह से लागू कर रहे हैं, मुझे यह बताने की कृपा करें?

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदया, मैं इसका उत्तर माननीय सदस्य को बाद में लिख कर भेज दूंगा, परंतु इनकी चिंता सही है। पॉवर लूम में भी हमको एक लंबा काम करना है। पॉवर लूम के अंदर जितने बुनकर काम कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे ढंग से हम कैसे नई विधा के साथ जोड़ कर लाने का काम करें, वह भी हमें देखना है। पिछले कुछ दिनों में इसमें कुछ देरी हुई है। परंतु आने वाले वर्षों में हम इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उन सारी योजानाओं पर हम काम कर रहे हैं, जिससे हमें आउटपुट अच्छा मिले। आउटपुट मिले तो उसके लिए चाहे फिर पॉवरलूम हो या हैण्डलूम हो दोनों में हमने क्लस्टर्स की घोषणा की है। हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। परंतु बीते कुछ वर्षों में काम की गति में कुछ ज्यादा तेज़ी नहीं देखी गई है। हम गति में तेजी लाने का काम कर रहे हैं। इस विषय में कहीं पर भी किसी सदस्य को कोई जानकारी लेनी है, अगर हमको बताएंगे तो हम उससे अवगत कराने का काम करेंगे।

SHRI ASHOK SHANKARRAO CHAVAN: Madam Speaker, today, the situation of the powerloom and handloom sector is definitely very precarious. As you are aware that Maharashtra is the hub of the powerloom and handloom sector. Especially Malegaon in Nasik, Bhiwandi and Ichalkaranji are some of the hubs in Maharashtra, which are concerned, specially with the powerloom sector.

As you are aware, due to uncertainty in various policies framed by the Government of India, this sector is in a very critical situation. I have personally visited the units in Malegaon, Ichalkaranji and other areas, and I find that due to the policy issues, their situation is very bad. So, today the powerlooms are closing down gradually as this sector has become highly economic to run it.

Madam, a lot of accounts of the powerlooms are resulting ultimately into Non-Performing Assets (NPAs); and banks are also reluctant to extend facilities to these powerlooms.

I have talked to the powerloom sector people, and one of the major reasons cited by them is that they do not have processing houses and when they are manufacturing gray cloth, that cloth is being sent to the processing houses, which are located in other States, due to which they are bearing huge transportation costs. They are closed down because of the pollution problems. They have been served notices that they have to close down. So, all these have ultimately resulted into

huge transportation costs. They are not able to cope up with these costs. So, because of these reasons, this sector has become highly unviable.

My question to the hon. Minister would be – is the Government considering setting up of processing houses or rather subsiding the cost of setting up of a processin house? In the areas like Malegaon, Ichalkaranji, if a processing house is set up and the cost is subsidized, as the cost is huge, by the Government of India through some schemes, I think, it would give the powerloom sector a very big relief. So, is the hon. Minister considering setting up of such processing houses? If it cannot be done by the Government alone, it may done by giving subsidies.

Secondly, I would urge upon the hon. Minister to call a meeting of all concerned MPs from these areas and sort out this problem as early as possible because the situation is very critical of this sector. I would like the Minister to respond to this.

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदया, मैं सदस्य की भावना से सहमत हूँ। हम इसके लिए मीटिंग भी बुला लेंगे। परंतु इस दिशा में हमारी सरकार ने चिंता की है। आईपीडीएस योजना के अंतर्गत छह प्रस्ताव हमने स्वीकृत किए हैं, जिसमें अकेले चार राजस्थान के हैं। पॉवर लूम के अंदर भी हमको कुछ समस्या आती है। इस पर हमने ध्यान दिया है। महाराष्ट्र के शोलापुर और भिवंडी में भी हमने जो घोषणा की थी, लेकिन उसके लिए हमको स्थान मिलने में दिक्कत हुई। इस समय इच्छलकरंजी, जो कि महाराट्र के कोल्हापुर में है, वहां हमारा काम जारी है। हम इसके हिसाब से काम कर रहे हैं। जो भी आपका सुझाव मिलेगा, हम इस कोशिश में हैं कि इस काम को कैसे अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जाए।

SHRI ANIL SHIROLE: Thank you, Madam Speaker. Since sales depend, a lot depend on fresh designs. So, has the Government taken any steps to ensure a continuous flow of designs? If so, the details and results thereof?

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदया, इसमें हम प्रयास कर रहे हैं और डिजाइंस के बारे में हम सभी का सहयोग और सबकी मदद ले रहे हैं। जो भी हैंडलूम के अन्दर डिजाइंस की आवश्यकता रहती है, हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं और जितने भी डिजाइनर्स हैं, सब हमारे सम्पर्क में हैं। उनके साथ प्रयास करके इस काम को हम आगे बढ़ाने की दिशा में आगे चल रहे हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि जितने हमने ब्लॉक कलस्टर्स बनाए हैं, उनमें डिजाइंस की भी व्यवस्था की गई है और उसके हिसाब से इस चीज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : जय प्रकाश नारायण जी, शॉर्ट क्वेश्चन पूछिए, भाषण नहीं करना है।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : महोदया, आपने प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं और माननीय मंत्री जी से जब भी हम पत्राचार करते हैं तो ये जवाब भी समय पर देते हैं, मैं खुश हूँ और प्रसन्न हूँ। हम खुश भी हैं, लेकिन जब काम नहीं होता है तो हम सुस्त हो जाते हैं।

महोदया, बिहार में और खासकर भागलपुर, बाँका जो हमारा और बुलो मंडल जी का क्षेत्र है, हमारे बगल में कौशलेन्द्र जी बैठे हैं और वहाँ रमा देवी जी बैठी हैं, उस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बुनकर हैं। इन्होंने कहा था कि बुनकरों के लिए, हथकरघा उद्योग के लिए भागलपुर और बाँका को हम कलस्टर योजना के तहत लेंगे। लाखों परिवार इसमें लगे हुए हैं। भागलपुर को रेशमी शहर कहा जाता है और बाँका को बुनकरों का हब कहा जाता है। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि रील की व्यवस्था, बाजार की व्यवस्था और विशेा सुविधा राशि देकर के कब भागलपुर, बाँका और बिहार के अन्य इलाकों में जो बुनकर हैं, उनके लिए विशेा आप कार्य करना चाहते हैं और उन्हें कार्ड देना चाहते हैं।

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि हमारा पहले से ही हैंडलूम का एक कलस्टर भागलपुर में स्वीकृत है और 40 करोड़ रूपया इस काम में हम खर्च कर रहे हैं। इसके बाद भी और जहाँ की वह माँग रखेंगे, बुनकरों की संख्या पर यह निर्भर करता है, उसके हिसाब से हम जो भी प्रयास कर सकते हैं, वह काम करके हम आपको सहयोग देने का काम करेंगे।

श्री आनंदराव अडसुल: महोदया, आपने प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। यह प्रश्न हैंडलूम और पावरलूम वीवर्स की मॉर्डन फैसेलिटीज के साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ पारम्परिक काम करने वाले जो बुनकर हैं और हमारे प्रधान मंत्री ने स्किल डेवलपमेंट नाम से नया मंत्रालय खोला है। अगर हमारा वस्त्र मंत्रालय इसका इस्तेमाल करेगा और पारम्परिक काम करने वाले हमारे बुनकर अच्छी स्किल की ट्रेनिंग लेकर, जो भी वे वस्त्र बनाते हैं, वह मार्केट में काम्पटिशन में कैसे आए, उसका उन्हें अच्छा दाम कैसे मिले, इस बारे में मंत्री जी की क्या सोच है और क्या प्रोग्राम उन्होंने तय किया हैi

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदया, जब से माननीय प्रधान मंत्री जी की रूचि रही, टेक्स्टाइल मंत्रालय ने सक्रियता के साथ काम शुरू किया। उसका परिणाम यह है कि अब लोगों की रूचि लग रही है कि वास्तव में यह मंत्रालय एक अच्छी दिशा में अच्छे ढ़ंग से काम कर रहा है। मैं सदस्य महोदय को यह बताना चाहूँगा कि हम ब्लॉक कलस्टर्स में प्रशिक्षण देते हैं। बुनाई, रंगाई, डिजाइन के हिसाब से काम करते हैं और आईएसडीएस स्कीम के तहत भी हम काम करते हैं। इसके अलावा जो भी सुझाव आपके द्वारा दिया जाएगा, हम उस काम में रूचि लेंगे और समय-सीमा के अन्दर इस काम को पूरा करने का काम करेंगे।

(Q.162)

श्री अश्विनी कुमार : महोदया, एयर इन्डिया में अपग्रेडेशन यानी साधारण किराए पर उच्च श्रेणी में सफर करने की सुविधाएं केवल कुछ व्यक्ति विशेष या उनके रिश्तेदारों को ही प्राप्त होती हैं। वह भी उच्च अधिकारियों या कहीं और से आई सिफारिशों पर ही। ऐसे यात्री निर्धारित मापदण्ड पूरा नहीं करते हैं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या यह प्रावधान बीमार यात्री, सीनियर सिटिजन और हैंडीकैप्ड यात्रियों के लिए भी, जिनको उसकी सख्त जरूरत है, क्या सरकार इस बारे में कोई दिशा-निर्देश एयर इन्डिया क्रू को जारी करने पर विचार कर रही है ताकि उड़ते विमान में इन वर्ग-विशेष को अपग्रेडेशन की सुविधा (सब्जेक्ट टू अवलेबिलिटी ऑफ सीट्स) मिल सके।

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: As of now, upgradation is basically done on commercial considerations. If you look at the period from November, 2014 to October, 2015, about 22261 upgrades were done and Rs.46 crore revenue was realized. So, basically, they are done under commercial considerations. All airlines are doing it. No airline has a scheme where they will be very liberal to the effect of not being commercial in such cases. Humanitarian angle of transportation is there but there is a commercial angle also.

HON. SPEAKER: Is there any second supplementary?

श्री अश्विनी कुमार : मैडम स्पीकर, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न मेरे अपने लोक सभा क्षेत्र हरियाणा के करनाल में एयरपोर्ट बनाने से संबंधित है। करनाल क्षेत्र जिसमें पानीपत भी आता है, उस मेन लाइन पर औद्योगिक दृष्टि से ये दो महत्वपूर्ण शहर हैं। करनाल राइस एक्सपोर्ट के लिए और पानीपत टैक्सटाइल हब है। दोनों शहर एक्सपोर्ट के ज़रिये बहुमूल्य फॉरैन एक्सचेंज अर्जित करते हैं, लेकिन अभी तक एयरपोर्ट की सुविधाएँ प्राप्त न होने से उपर्युक्त करनाल, पानीपत और साथ लगते हुए कितने ही शहर तथा अन्य डिस्ट्रिक्ट भी परेशानी का सामना कर रहे हैं। सरकार ने करनाल में एयरपोर्ट की मंज़ूरी दे रखी है, ज़मीन की निशानदेही भी हो चुकी है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि करनाल एयरपोर्ट का स्टेटस क्या हैi

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: I will find out the status and reach it out to the Member. But generally, aviation is the Government of India's subject. Land is the State Government's subject, and we work together to make more airports happen in our country.

HON. SPEAKER: Shri M. Udhayakumar – not present.

माननीय अध्यक्ष : डॉ. यशवंत सिंह। यह प्रश्न सीट अपग्रेड करने के संदर्भ में है, उस संबंध में पूछिये।

डॉ. यशवंत सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, कई बार हम सांसद लोग एयरपोर्ट पर जाते हैं और एयर इंडिया की फ्लाइट के बजाय किसी दूसरी फ्लाइट से जाते हैं। वहाँ पर जो दूसरी फ्लाइट्स होती हैं, उनका जो ग्राउंड स्टाफ होता है, उनके द्वारा माननीय सांसदों को न तो पहचाना जाता है और आई.डी. कार्ड दिखाने के बाद भी उनको किसी तरह का सहयोग नहीं मिलता। अगर फ्लाइट छूट जाती है तो भी दूसरी फ्लाइट में उनको एडजस्ट करने के लिए कोई सहयोग नहीं मिल पाता। मैं माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि चूँकि सांसदगण के साथ कोई सहयोगी भी नहीं होता, साथ में लगेज भी होता है, इसलिए सांसदगण को कोई न् कोई ऐसी सुविधा मिले कि वे एक छोटी सी प्रायॉरिटी ले सकें।

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: In most airports, the hon. Members of Parliament are the Chairmen of the Airports Local Committee, and they are recognizable people there. They are treated with respect but they are not super citizens. That angle is not there. But they are treated with respect. To keep up the respect of our Parliament Members, we will do everything which is practically possible.

माननीय अध्यक्ष : श्री ए.पी.जितेन्द्र रेड्डी। शॉर्ट क्वैश्चन पूछें। बहुत ज्यादा मांगना भी अच्छा नहीं है।

SHRI A.P. JITHENDER REDDY : During the last NDA Government, we had Shri Rajiv Pratap Rudy and our other Minister who was there. Shri Shahnawaz Hussain and Shri Rajiv Pratap Rudy were the Civil Aviation Ministers. We, all MPs, had gone and met them. I was also in the Consultative Committee. We had requested the Minister that whenever there is a vacancy in the flight, if an MP shows the ID card, with that ID card, the Member of Parliament should be accommodated in those seats because what is happening is, the bureaucrats, who are there, are trying to take advantage. They go and sit in those seats but the MPs are being refused. So, at that particular time, the Minister had instructed all the Area Managers in the places that when an MP comes to you and shows the ID card, automatically, his seat should be upgraded. I request that instead of those seats being going vacant, the Minister should also follow the same system and give instruction to the Area Managers so that upgradation should be taken up.

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी इस सजैशन को नोट करें।

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: I have noted the suggestion but we will see how it can fit into the commercial pattern of things.

(Q.163)

श्री राजन विचारे: अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र के 36 जिलों में से 21 जिले सूखे से प्रभावित हैं। जैसा सभी जानते हैं कि पानी की समस्या एक ज्वलन्त समस्या है, जिसकी वजह से सभी परेशान हैं। महाराष्ट्र का लातूर एवं मराठवाड़ा जिला भी सूखे की चपेट में है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में पानी की समस्या है। चारों ओर हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जिस तरह केन्द्र सरकार ने एल.ई.डी. आधारित घर और स्ट्रीट लाइट के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत एल.ई.डी. लाइटों को बांटा था एवं हाल ही में उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को भी गैस के चूल्हे दिये थे, ठीक उसी प्रकार क्या केन्द्र सरकार महाराष्ट्र के बी.पी.एल. परिवारों को वाटर प्यूरीफायर बांटने की योजना पर विचार कर रही है, ताकि गरीबों एवं आम नागरिकों को भी साफ पानी मिले?

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदया, यह बात सही है कि देश में पानी की कमी की वजह से लगभग 13 राज्यों में सूखे की स्थिति है। वैसे तो लगभग 11 राज्यों ने इस बात को स्वीकारा है कि हमारे यहां सूखा है।

माननीय अध्यक्ष : अभी इस पर चर्चा भी होनी है।

श्री राम कृपाल यादव: परन्तु हरियाणा और बिहार 13 राज्यों में हैं, जिनको हम मानते हैं कि वहां भी सूखे की वजह से पानी का संकट है, लेकिन उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकारों ने जो विशेष अभियान चलाया है, उसके तहत मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को कुछ बता देना चाहता हूं कि जो राज्यों ने प्रयास किये हैं, सूखे से लगभग कुल प्रभावित जिले 306 हैं और गांवों की संख्या 1,97,315 है। बसावट 4,42,560 है। इन राज्यों में जो व्यवस्था की गई है, हैण्ड पम्प की व्यवस्था की गई है, प्राइवेट बोरवैल्स का अधिग्रहण किया गया है, मीटर राइज़र का पाइप लाइन के माध्यम से प्रयोग किया गया है, जिसमें कि हैण्ड पम्प और गहराई में पानी दिया जा सके। नये बोरवैल की व्यवस्था की गई है, टैम्पोरेरी पाइपलाइन के माध्यम से स्त्रोतों से पानी की उपलब्धता की गई है और टैंकरों के माध्यम से भी लगभग 93,000 ट्रिप्स के माध्यम से सूखी जगहों पर पानी की व्यवस्था की गई है। वैसे मेरे पास डिटेल्स हैं कि किन राज्यों में कहां-कहां पर कितने-कितने बोरवैल लगाये गये हैं और हैण्ड पम्प लगाये हैं, इन सब की व्यवस्था है। आप अगर इजाजत देंगी तो मैं उसको पढ़कर बता दूंगा।

माननीय अध्यक्ष : नहीं, अभी तो इस पर विस्तृत रूप से चर्चा होनी है।

श्री राम कृपाल यादव: चूंकि अभी जो राशि उपलब्ध कराई गई है, वह राशि भी राज्यों के पास है। 13 राज्यों में लगभग 1937 करोड़ रुपये की राशि हमने दे रखी है। 1937 करोड़ प्लस जो राज्यों को जो 50 परसेंट पैसा लगाना है, लगभग 3870 करोड़ रुपया उनके पास उपलब्ध है, जिसमें फ्रीडम है कि 25 परसेंट राशि सूखे से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए वे दे सकते हैं। मैं समझता हूं, जहां तक इन्होंने महाराष्ट्र

की बात की है और जहां के सन्दर्भ में इन्होंने चिन्ता जताई है कि डीसैलीनेशन प्लाण्ट्स लगाने की बात है तो पूरे देश के पैमाने पर दो ही ऐसे राज्य हैं, जहां पर इस तरह के प्लाण्ट्स लगाये गये हैं। तमिलनाडू और लक्षद्वीप, तमिलनाडू में 17 ऐसे संयंत्र लगाये गये हैं और लक्षद्वीप में तीन संयंत्र लगाये गये हैं, जहां पानी साफ करके लोगों को पिलाया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार से इस तरह का कोई प्रपोजल नहीं आया है और यह राज्य का विषय है। जब तक राज्य सरकार प्रस्ताव नहीं देगी, तब तक उस पर विचार नहीं कर सकते हैं।

मैडम, चूंकि यह संयंत्र बहुत ही कॉस्टली है, इसमें बहुतसी राशि लगती है, इसलिए मैं समझता हूं कि राज्य अपने आर्थिक क्षमता के हिसाब से इस संयंत्र को लगाने का काम करते हैं।

माननीय अध्यक्ष : दूसरा सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछें। यह डि-सैलिनेशन से संबंधित प्रश्न है।

श्री राजन विचारे: अध्यक्ष महोदया, आज सबसे अधिक कोई राज्य सूखे की चपेट में है, तो वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पाता है। क्या केन्द्र सरकार समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने की किसी योजना पर कार्य कर रही है, ताकि समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाकर पाईपलान के द्वारा लातूर, मराठवाड़ा तथा ऐसी जगहों पर भेजा जा सकेi जहॉ पर सूखे की स्थिति है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा एवं पानी की कमी के कारण खेती बर्बाद हो रही है।

माननीय अध्यक्ष : उसी का उत्तर उन्होंने दिया है कि महाराष्ट्र से प्रोपोजल नहीं आया है।

श्री राम कृपाल यादव : मैडम, अगर महाराष्ट्र सरकार इस तरह का कोई प्रोपोजल देती है तो निश्चित तौर पर हम उस पर विचार करेंगे। चूंकि जैसा कि मैंने बताया, यह संयंत्र बहुत ही कॉस्टली अफेयर्स है। इसके रख-रखाव में भी लगातार काफी पैसा लगता है। एक बड़ा संयंत्र लगाने में लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत लगती है।

माननीय अध्यक्ष : लेकिन क्या इसके लिए केन्द्र भी कुछ कर रहा है, यह उनका प्रश्न है।

श्री राम कृपाल यादव : मैडम, उस संयंत्र में जो कॉस्ट लगेगी, जब उससे पानी को लोग पीने के लायक बनाएंगे, तो उसमें लगभग 20 से 30 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पानी उपलब्ध होगी, जो कि एक कॉस्टली अफेयर्स है। अगर राज्य सरकार इसका कोई प्रोपोजल भेजेगी तो निश्चित तौर पर हम उस पर विचार करेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण: अध्यक्ष महोदया, देश के कई राज्यों में सूखे की समस्या है। मेरे क्षेत्र दिंडोरी, जो कि महाराष्ट्र में नासिक जिले में है, उसमें भी सूखे की बहुत समस्या है। मेरे क्षेत्र मनमाड में तो एक-एक महीने के बाद पीने का पानी आता है।

माननीय अध्यक्ष : यह प्रश्न अलग है। पर, आप पूछिए।

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण : महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं। नासिक जिले से वैतरणा, तांसा, भंडारदारा का पानी मुम्बई के लिए जाता है। जैसे तमिलनाडु और लक्षद्वीप में डि-सैलिनेशन का प्लांट है, वैसे ही मुम्बई के तटरक्षक एरियाज के समुद्र के पानी को शुद्ध करने के बाद यदि आधी मुम्बई में भी पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो हमारे यहां का पानी, चाहे वह भादसा का हो या वैतरणा का हो, ये सब का सब पानी नासिक, मराठवाड़ा में पीने के लिए, खेती के लिए और उद्योग के लिए उपलब्ध हो जाएगा।

महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अभी महाराष्ट्र के विधानमंडल ष का अधिवेशन हो गया। वहां महाराष्ट्र के सी.एम. ने डि-सैलिनेशन के बारे में कमेटी फॉरमेशन की घोषणा की है। क्या इसके बारे में आपको पता हैi क्या ऐसा डि-सैलिनेशन का प्लांट मुम्बई में करने का आपका कोई इरादा हैi

श्री राम कृपाल यादव : मैडम, मुझे इसके बारे में जानकारी राज्यों से मिलती है। राज्यों से जो जानकारी हमें प्राप्त है, उसमें सिर्फ दो ही राज्यों के संबंध में जानकारी है, जहां इस तरह के प्लांट स्थापित किए गए हैं। तमिलनाडु में 17 और लक्षद्वीप में 3 हैं। महाराष्ट्र के संदर्भ में हमें कोई जानकारी नहीं है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं है।

मैडम, जैसा कि मैंने बताया, पूरे देश के पैमाने पर सुखाड़ की स्थिति है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्य में पानी की दिक्कत है। जो बारिश होनी चाहिए, वह बारिश नहीं हुई। हैंडपम्प इत्यादि के द्वारा जो पानी की व्यवस्था की गयी थी, तो जल स्तर नीचे जाने की वज़ह से हैंड पम्प और पानी की जो अन्य उपलब्धता है, वे सूख गयी हैं। इसकी वज़ह से गंभीर संकट है। मैं समझता हूं कि यह प्राकृतिक प्रकोप है। मगर, निश्चित तौर पर हमारे विभाग, पूरा मंत्रालय और हमारे माननीय प्रधानमंत्री इसकी चिंता कर रहे हैं कि किस तरह से पानी की उपलब्धता हो। उसके लिए हम हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। राशि की कोई कमी नहीं होने देंगे। राज्य सरकार निश्चित तौर पर उन सभी ज़गहों को चिह्नित करके प्रस्ताव भेज रही है। हम उस पर विचार करने का काम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : मुझे मालूम आप सभी इस पर कुछ न कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि पूरा देश चिंतित है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठिए। हम नियम 193 में इस विषय पर पूरी चर्चा करने वाले हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, हम यह कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य इस पर अपने विचार भी रखें और जितने भी उससे संदर्भित मंत्री हैं, वे भी सविस्तार, विस्तृत रूप से इन बातों का रिप्लाई दें। इसलिए मेरा निवेदन है, मैं

अभी इस पर पूरक प्रश्न नहीं दे रही हूं। यह महत्व की बात है। वैसे नियम 193 आज ही लिखा हुआ है, अगर आज पूरा विषय हो जाता है और हम इसे लेते हैं तो आज ही चर्चा शुरू हो जाएगी। हम इसको दो दिन भी चला सकते हैं। विस्तृत समय सबको मिलेगा।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am sorry.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : क्वैश्चन नंबर 164, श्रीमती सुप्रिया सुले।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सबको समय मिलेगा। आपको भी समय मिलेगा, बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मिस्टर मिनिस्टर।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठिए, आप नहीं समझ रहे हैं। आई डोंट अंडर स्टैंड दि थिंग। प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, प्लीज। जब मैं यहां से कुछ बात बता रही हूं, आदिवासी क्षेत्र भी हम समझ रहे हैं। बैठिए न।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठिए भूरिया जी, जब मैं खड़ी हूं। प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पहली बात तो आप समझ रहे हैं, यह पूरा प्रश्न जो है खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के संयत्रों के संदर्भ में है। यह पूरा प्रश्न आप पढ़िए। फिर भी मैं समझ रही हूं, जिस तरीके से सूखे की समस्या है, पानी की समस्या है, आदिवासी क्षेत्र में समस्या है, शहरी क्षेत्र में समस्या है, पूरे हिंदुस्तान में समस्या है, इसीलिए हमने सूखे पर, पानी पर सब क्लब-अप करके एक चर्चा रखी हुई है। आप इससे सहमत होंगे और ज्यादा से ज्यादा समय, मैं आपको बोल रही हूं कि यह कोशिश करेंगे कि सभी सदस्यों को इस पर विचार रखने के लिए भी समय मिले और मंत्री भी विस्तृत रूप से इसका उत्तर दें। यह हम करेंगे।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am sorry.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपको मौका मिलेगा।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Bhuria, this is not fair.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : बैठिए रमेश बिधूड़ी जी। डी-सेलीनेशन से आपका दिल्ली का कोई सम्बन्ध नहीं है, बैठिए।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing is going on record.

… (*Interruptions*)... *

माननीय अध्यक्ष : सुप्रिया सुले जी, प्रश्न पूछिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, अपने सदस्य को कुछ समझाइए।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am sorry. This is not the way.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मुझ पर चिल्लाने से पानी आएगा क्याi बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर मुझ पर चिल्लाने से पानी आ रहा है तो जरूर खूब चिल्ला सकते हैं। मगर ऐसा तो होना नहीं है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, बैठिए न। भूरिया जी, मैं आपकी पड़ोसन हूं, जानती हूं आपसे ज्यादा।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record like this.

… (*Interruptions*)... *

माननीय अध्यक्ष : यह पद्धति नहीं है, नई-नई पद्धति मत शुरू करिए।

---

* Not recorded.

* Not recorded.

(Q. 164)

SHRIMATI SUPRIYA SULE: Hon. Madam, as we are all aware of the drought situation that you mentioned, and I take this opportunity to mention that the hon. Speaker's Research Centre also had a detailed discussion on water and drought.

As we are aware about thermal power with the water situation in this country right now, I would like to ask this from the hon. Minister. We have made a suggestion in 2012 wherein in a thermal power project in Koradi in Nagpur in Maharashtra they used sewage water as an option for it. Given the situation like drought that we have had this year and may be in the future if it ever happens, how do you see yourself to keep the energy pool balance with this water situation? Could sewage water or any alternate use of this kind of water be an option in the power plants in the future given that so many of them are shut because of drought?

SHRI PIYUSH GOYAL : Madam, first of all, I would just like to inform the hon. Members, through you, that not so many of them are shut. In fact, I have given all the details in this answer.

As we speak, the five units of Parli station in Maharashtra are shut of which three are more than 25 years old. In any case, we should try and quickly shut them up. Two of them have just been decommissioned very recently. So, we may all kindly note that there is no problem of water as far as the areas where the power plants are situated.

I have given a detailed statement as to where all the power plants had to shut for three days, five days or ten days. As of now, in Karnataka in Udupi there is a 600 MW two units, which are currently not working and in Maharashtra there are three units of a private company of 300 MW each. They have shortfall of water because of which power is not generated. I would like to place on record and inform the entire country through you and the hon. Members that there is no shortage of electricity in the country and sufficient electricity is available across the country. We have a mobile app by name *Vidyutpravah.in* in which we give

information every fifteen minutes about the power availability across the country and the price at which it is available. We also give the data of the States.

माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि राज्य में हर वक्त की, किस कीमत पर बिजली मिल सकती है, वह बिजली राज्य सरकार खरीद रही है या नहीं खरीद रही है और राज्य सरकार कितना शॉर्टफॉल बता रही है। उदाहरण के लिए कोई राज्य सरकार बताती है कि मेरा शॉर्टफॉल जीरो है, एक्सेजेंस से कोई बिजली खरीदता नहीं है, वह पूरा डेटा उसमें है, लेकिन साथ ही साथ माननीय सदस्य यह बता रहे हैं कि हमारे यहां बिजली नहीं मिल रही है, हमारे यहां बिजल छः घंटे आ रही है, आठ घंटे आ रही है। हमने आपको इस जानकारी से मजबूत बनाया है ताकि आप इस जानकारी को लेकर अपने राज्य सरकार से आग्रह कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में पूरी बिजली मिले। जहां तक वेस्ट वाटर के बारे में माननीय सदस्या ने कहा, उनको जानकर खुशी होगी कि हम ने पार्ट डी सिक्स में माननीय सदस्यों को अवगत किया है कि आगे चल कर थर्मल पावर प्लांट्स को यह कम्पलसरी, मैनडेट्री कर दिया है कि 50 किलोमीटर की रेडियस में जितने भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स से, वेस्ट वाटर ट्रीट होकर अवेलेबल होगा, उसको कम्पलसरिली थर्मल पावर जैनरेशन में इस्तेमाल किया जायेगा और उसका खर्चा पास-थ्रू के रूप में थर्मल पावर प्लांट को एलाऊ किया जायेगा। उससे उनके मेरिट ऑर्डर में भी कोई नुकसान नहीं होगा। सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए और 'स्वच्छता अभियान' जो इस सरकार की प्राथमिकता है, उसको ध्यान में रख कर यह प्रावधान, माननीय वैंकैय्या जी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवेलपमेंट के आग्रह पर इसको टैरिफ पॉलिसी में लाकर मैनडेटरी किया है।

SHRIMATI SUPRIYA SULE: Madam, in his reply in part 'd', he has extensively talked about fly ash which is the biggest challenge of a thermal power and that is where maximum water gets used. He has taken a lot of good initiatives in this to make sure that less water is used in fly ash. But we tried this in Thane, Maharashtra. The fly ash which came out of the thermal power plant was used in construction of storage for power. Is that an option that he is looking at instead of soil? This ash is really no good for environmental hazards and causes a lot of pollution. Can we use more of this fly ash in construction of roads in future so that it helps the plants and saves more water?

श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष महोदया, वास्तव में, जब यह सरकार वर्ष 2014 में आई तो एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या मिली, बाकी और भी बहुत सारी समस्यायें हमें विरासत में मिली, लेकिन एक बड़ी गंभीर समस्या थी कि लगभग 100 करोड़ टन फ्लाई ऐश देश में अलग-अलग जगहों पर फैली हुई थी। यह फ्लाई

ऐश प्रदूषण करती है, जब हवा का झोंका आता है तो उड़ कर लोगों की तबियत खराब करती है, इसे लंग्स में जाने से लोगों को टी.बी. वगैरह की बीमारियां होती हैं, लंग कैंसर हो सकता है। इन सब को मद्देनजर रखते हुए, अब हमने ऐसी स्थिति की है कि जहां-जहां पर फ्लाई ऐश का निर्माण होता है, वहां हम प्रोत्साहन दे रहे हैं कि कंपनियां उस फ्लाई ऐश को लेकर ब्रिकेटिंग करें, ब्रिक्स बनायें और फ्लाई ऐश को लेकर कन्सट्रक्शन मैटेरियल्स बनायें। अब लगभग जितना नया फ्लाई ऐश का उत्पादन होता है, उतना ही कन्जम्पशन होता है, साथ ही साथ हमारा डिपार्टमेंट इसको स्टडी कर रहा है, खास तौर पर कोल में यह विषय आता है। कैसे इस फ्लाई ऐश को, हमें पुराना जो 100 करोड़ टन यह मिला है, उसको कैसे डिसपोज करें, कैसे यूज करेंi मैं एक और जानकारी दे दूं कि हम विदेशी सरकारों और विदेशी यूनिवर्सिटीज के साथ भी चर्चा करके, इसके ऊपर कोई न कोई अल्टरनेट मैकेनिज्म इस्तेमाल करने के लिए काम कर रहे हैं।

श्री राजीव सातव: अध्यक्ष महोदया, अप्रैल, 2015 में मैट्रोलॉजिकल डिपार्टमैंट ने प्रैडिक्ट किया था कि रेन का शार्टफॉल पिछले साल होगा। इसके बावजूद करीब छ: महीने बाद मंत्री जी के विभाग ने स्टैन्डर्ड बदले। The Government issued revised standards for coal-based thermal power plants in the country to reduce use of water. करीब छ: महीने सरकार ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मराठवाड़ा और विदर्भ अकाल से पूरी तरह पीड़ित है। क्या मंत्री जी आने वाले समय में हिंगोली, नांदेड़, यवतमाल आदि डिस्ट्रिक्ट्स में थर्मल पावर प्लांट्स की जगह रिन्युवेबल एनर्जी की तरफ ध्यान देंगेi क्या उसके प्रोजैक्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी या प्रोत्साहन इन अकाल पीड़ित क्षेत्रों को देंगेi उसकी डिपैंडैंसी गारंटी कितनी होगी। क्या आने वाले समय में उससे हमें सचमुच एनर्जी मिलेगीi

श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष महोदया, बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं सिर्फ उसके प्रीएम्बल को थोड़ा ठीक कर दूं। अगर छ: महीने की चर्चा करनी है तो पहले 60 वर्ष की चर्चा से शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि देश में सूखा पहली बार पड़ा है। लेकिन इस सरकार के सामने जैसे ही कोई समस्या आती है, हम उस पर काम करते हैं। ये टैक्नीकल विषय होते हैं। मई-जून में मैट्रोलॉजिकल रिपोर्ट आई। कोई पहली रिपोर्ट नहीं आई है, सौ सालों से रिपोर्ट आ रही है। लेकिन पहली बार है कि जब यह रिपोर्ट आई तो सरकार ने तुरंत इस पर काम करना शुरू कर दिया। इस बारे में विस्तृत जानकारी निकाली। किस प्रकार की नई टैक्नोलॉजी है। देश में ढाई लाख मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट्स हैं और 40-50 हजार के लग रहे हैं। हम रिट्रॉसपैक्टिवली हरेक को आर्डर दे दें कि एक महीने में फटाफट सब कर दीजिए, ऐसा विषय नहीं है। बड़े गंभीर टैक्नोलॉजी रिलेटेड विषय होते हैं। फिर भी मुझे बहुत खुशी है कि इनवायरमैंट मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर उसी राज्य से आते हैं जहां से राजीव जी आते हैं। उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से लिया। दोनों विभागों ने मिलकर इसमें

आगे के लिए एक रोड मैप बनाया है। बहुत एग्रैसिव रोड मैप है। यह भी टैक्नोलॉजिकली फीज़ेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को चैलेंज करते रहते हैं और नई चीजों में और एग्रैसिव रहना चाहते हैं। इसलिए रोड मैप बनाया गया।

जहां तक नवीकरण ऊर्जा का सवाल है, पूरी दुनिया जानती है कि भारत नवीकरण ऊर्जा को प्रोत्साहन देने में आज सबसे आगे है। जब हम सरकार में आए तो सौर ऊर्जा का 20 हजार मेगावाट का लक्ष्य था। हमने उसे एक लाख मेगावाट कर दिया। विंड एनर्जी, हाइड्रो, स्मॉल मिलाकर एक लाख 75 हजार मेगावाट की नवीकरण ऊर्जा 2022 तक बनाने का हमारा लक्ष्य है जो विश्व में सबसे बड़ा लक्ष्य है।

प्रधान मंत्री मोदी जी ने कहा कि यह भारत की विरासत है, भारत का ट्रेडिशन है कि हम नेचर का रिस्पैक्ट करते हैं, इसलिए यह करने जा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नवीकरण ऊर्जा के लिए जो भी माननीय सदस्य अपने इलाके में कोई भी प्रपोजल लाना चाहें, उसके लिए हम पूरी तरह मदद करेंगे। कई सब्सिडी की स्कीम्स हैं, कई जगह सोलर पार्क लग रहे हैं, कई जगह हम प्रमोट कर रहे हैं। अभी मैनुफैक्चरिंग की एक नई पॉलिसी आने वाली है। नवीकरण ऊर्जा के लिए मैं सभी माननीय सदस्यों से दरखास्त करूंगा कि जहां बंजर जमीन है, जिसमें खेती नहीं होती, लोगों को कोई कमाई नहीं होती, उसे नवीकरण ऊर्जा में इस्तेमाल कीजिए।

श्री अनूप मिश्रा : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूं। लेकिन उसमें दो बातें हैं - आपने ऐश के बारे में जितनी चीजें लिखीं कि यह-यह हो रही हैं, उनकी प्रॉपर मौनीटरिंग होनी चाहिए। आसपास के नगरों के सीवेज के लिए पानी वहां लाया जाए। मैं मध्य प्रदेश के बारे में कह सकता हूं कि ऐसा कोई उपाय सारणी से खंडवा तक नहीं किया गया है। सभी जगह ऐश की स्थिति खराब है। दूसरा, जो थर्मल पावर का प्रोडक्शन घटता है, उसमें अमानक स्तर, जिसे मैं ग्रेड सी का कोल कहूं, हमारे बॉयलर उससे बैटर हैं, वह और परिवहन व्यवस्था के कारण जो प्रोडक्शन निकलना चाहिए, उसकी कमी का लॉस हमारी कम्पनीज को मिलता है। क्या कोल डिपार्टमैंट और आपका विभाग मिलकर किसी ऐसी नीति के बारे में सोचेगा ताकि जिस बॉयलर, थर्मल पावर को जिस स्तर का कोयला चाहिए, उस स्तर का कोयला मिले और परिवहन की व्यवस्था समय पर हो। क्या हमने इसकी कोई चिन्ता की हैi

श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक फ्लाईएश फ्लैश का सवाल है, मैंने अभी विस्तृत जानकारी दी है, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, मोनिटरिंग की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए इसे मैं पसर्नली देखूंगा। जहां तक कोल क्वालिटी के बारे में सुझाव है, पिछले दो महीने में हर माननीय सदस्य ने अपने राज्य में या कोई भी सेन्ट्रल या लोकल यूटिलिटी से चेक करेंगे तो पता चलेगा कि कोल क्वालिटी में कितना इम्प्रवूमेंट हुआ है। मैंने थर्ड पार्टी सैंपल शुरू किया, 15 नई वाशरिज लग रही है जो अक्तूबर, 2017 तक लग जाएंगी, इससे

कोल क्वालिटी सुधरेगी, कोल क्रशिंग कम्पलसरी हो गई है, 100 एमएम से नीचे हरेक जगह कोल जाता है, पहले पुराने पत्थर और बोल्डर आते थे वह खत्म हो गया है। अभी कोल कंट्रोलर ने रिक्लासिफाई करना शुरू किया है। सभी सम्मानीय सदस्य जानते हैं कि सदियों से चली आ रही ग्रिड चलती जाती जाती थी और राज्य सरकारों की बड़ी कम्पलेंट रहती थी कि उनको ग्रिड एक्स मिलेगा, तीन ग्रेड, चार ग्रेड की शिपेज होती है। देश भर के हर खनन से निकलने वाला कोयला क्लासिफाई करके एक्चुअल ग्रेड दिया जाएगा।

महोदया, मैं दो मिनट का समय लेकर एक जानकारी देना चाहता हूं जिससे सभी को आनंद आएगा क्योंकि यह ड्राउट से भी रेलेटेड है। कल ही माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया जिसकी जानकारी दे दूं। पहले कोयले कि लिंकेज एक खनन से एक थर्मल प्लांट तक होती थी जिसकी वजह से कई बार दूर-दूर तक कोयला लेकर जाना पड़ता था, कोल शिपेज हो जाती थी, फ्रेट में हजारों करोड़ रुपये लगते थे और प्रदूषण भी होता था। इसको सरल और कम करने के लिए कल एक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक पॉलिसी एप्रूव किया है जिससे स्टेट को जितना कोल लिंकेज स्टेट को होगा जैसे वेस्ट बंगाल में अगर 10 प्लांट है तो 10 लिंकेज को मिलाकर टोटल कोयला दे दिया जाएगा, अब वेस्ट बंगाल उस कोयले को मोस्ट इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकता है। इस कोयले को यहां यूज करने से सस्ती बिजली मिलेगी, इसे यूज करने से फ्रेट कम होता है और हम उससे ज्यादा आऊटपुट निकाल सकते हैं। पुराने प्लांट्स में यूज नहीं करके नए प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही कोई दूर का स्टेट जैसे तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या गुजरात है वहां बिजली बनाने के बदले उसको बिजली बनाने के लिए इतनी दूर कोयला लेकर न जाना पड़े बल्कि प्लांट के नजदीक ही वह कोयला इस्तेमाल करके बिजली बनाए और ट्रांसमिट करके ले जाए। इससे पूरे टाइम सस्ती बिजली मिल सकेगी, इसकी व्यवस्था बने। जहां भी सूखा है वहां सूखा के प्लांट बंद करके दूसरी जगह बिजली बनाई जा सकती है। सूखे का भी इसमें ध्यान रखा जा सकता है।

श्री मुलायम सिंह यादव : कमलापति त्रिपाठी, सुचेता कृपलानी के जमाने में 18 सवाल होता था और हां या ना में जवाब दिया जाता था।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी युवा हैं उत्तर थोड़े संक्षिप्त में दिए जाएं। आपने जो जानकारी दी वह सभी के लिए अच्छी है। स्टेट इसकी डिमांड कर रहे थे। I can understand.

(Q.165)

श्रीमती रमा देवी : अध्यक्ष महोदय, हम समझ रहे थे कि समय खत्म हो जाएगा लेकिन समय मिल गया। बिजली मंत्री से अच्छी चीज सुनने का मौका मिला है। मैं प्रसन्न हूं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है उसका प्रतिशत बढ़ रहा है। हमारे लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी नरेन्द्र मोदी जी ग्रामीण बेरोजगार को रोजगार दिलाने हेतु दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना, मेक इन इंडिया और डिजिटल योजना, मुद्रा योजना आदि यदि इन योजना को सही ढंग से लागू किए जाने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, अशिक्षित लोगों को मनरेगा ने कुछ हद तक रोजगार के अवसर दिए हैं, परन्तु मनरेगा में जो काम किए जा रहे हैं, उनमें कई कारणों से ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार काम नहीं करना चाहते हैं। ये बेरोजगार खेती-बाड़ी में रुचि नहीं ले रहे हैं। इस शिक्षित ग्रामीण बेरोजगारी के चलते देश में युवा श्रम शक्ति का समुचित उपयोग करने के लिए यशस्वी प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी का गहनता से प्रयास जारी है। इसका असर भी देखा जा रहा है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार की वैसे ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारों को, जो मनरेगा और खेती में बहुत रुचि नहीं ले रहे हैं, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्य-योजना है?

श्री सुदर्शन भगत: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या का आज जन्मदिन है, इसलिए मैं उन्हें बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

माननीय अध्यक्ष : क्या ऐसा है?

श्री सुदर्शन भगत: जी हां।

माननीय अध्यक्ष : मैं अपनी ओर से भी श्रीमती रमा देवी, माननीय सांसद को बधाई देती हूं।

श्री सुदर्शन भगत: महोदया, माननीय सदस्या ने काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और खासकर रोजगार के माध्यम से देश के युवा साथियों की चिन्ता की है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या के ध्यान लाना चाहता हूं कि हमारे मंत्रालय द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार या संघ राज्य के प्रशासनों के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), दीनदयाल अन्त्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधान मंत्री आवास योजना और प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना आदि ऐसे कई सामाजिक सहायता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ही रोजगार सृजन करना है।

महोदया, गरीब परिवारों को लोकप्रद स्वरोजगार उपलब्ध करा कर, गरीबी से उबारना, सामाजिक सुरक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के लिए ऐसे निम्नतम राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करके ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को कैसे सुधारा जा सके, इस प्रकार के प्रयास चल रहे हैं।ष

श्रीमती रमा देवी: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहती हूं कि हमारे देश में प्रति वर्ष, लाखों ग्रामीण शिक्षित जॉब मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन उन्हें स्थाई रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसलिए संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार के अवसरों की अनुपलब्धता भारत सरकार के लिए गम्भीर चुनौती है। प्राकृतिक आपदा के समय ग्रामीण परिवार विशेषकर बच्चे, महिलाएं एवं वृद्धजन पीड़ित होते हैं। उनके रहन-सहन एवं भोजन की व्यवस्था के लिए गैर-सरकारी संगठनों को आगे आना चाहिए एवं इसके साथ ही साथ इस समस्या के समाधान के लिए विशेषरूप से ग्रामीण रोजगार कौशल विकास प्रशिक्षण संस्था चलाने जा रहे हैं। यह अच्छी बात है और यह संस्था प्रत्येक जिले में चल रही है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के अन्तर्गत शिवहर, सीतामढ़ी और पूर्वी चम्पारण जिलों में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं, यदि हां, तो इन संस्थानों द्वारा इस संसदीय क्षेत्र में किए गए कार्यों के परिणाम क्या निकले हैं?

श्री सुदर्शन भगत: अध्यक्ष महोदया, अभी माननीय सदस्या ने जो जानकारी चाही है, मैं बताना चाहता हूं कि हमने अपने युवा साथियों के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के माध्यम से कई प्रकार के रोजगार सृजित करने का प्रयास किया है। वर्ष 2012, जब से हमारा यह कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ है, तब से अब तक लगभग 7,75, 598 लोगों को हमने प्रशिक्षित किया है। इसी प्रकार, खासकर, रूरल मिशन के माध्यम से हम इस प्रकार के ग्रामीण क्लस्टरों में रोजगार सृजित करने के प्रयास कर रहे हैं। इसके माध्यम से वहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही साथ खास कर के मनरेगा के तहत जो कौशल विकास है, इसमें जहां सूखा एवं अन्य प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं, उनमें हमने प्रयास किया है, विशेषरूप से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कि प्रत्येक परिवार को 100 दिनों के रोजगार के अलावा हमने 50 दिन और बढ़ाने का काम किया है।

माननीय अध्यक्ष : श्री डी.एस. राठौड़ - उपस्थित नहीं।

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from Prof. Saugata Roy, Shri Jitendra Chaudhury and Dr. M. Veerappa Moily on different issues.

The matters though important do not warrant interruption of business of the day. The matters can be raised through other opportunities

I have, therefore, disallowed all the notices of Adjournment Motion.

12.01 hours

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: The House will take up Papers to be laid on the Table.

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) राष्ट्रीय जूट बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जूट बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4719/16/16]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) बड्र्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) बड्र्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 4720/16/16]

(ख) (एक) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन, कोलकाता का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की

टिप्पणियां ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4721/16/16]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PIYUSH GOYAL): Madam, I rise to lay on the Table -

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 182 of the Electricity Act, 2003:-

(i) The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & Union Territories (Constitution and Manner of Application of Fund, Form and Time for Preparation of Budget) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.315(E) in Gazette of India dated 17th March, 2016.

(ii) The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & Union Territories (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.316(E) in Gazette of India dated 17th March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 4722/16/16]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 179 of the Electricity Act, 2003:-

(i) The Central Electricity Regulatory Commission (Recruit-ment, Control and Service Conditions of Staff) (Third Amendment) Regulations, 2016 published in Notifica-tion No. 2/2(2)/2011-Estt./CERC in Gazette of India dated 28th March, 2016.

(ii) The Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation (Fourth Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. L-1/12/2010/CERC in Gazette of In-dia dated 30th March, 2016.

(iii) The Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) (Fifth Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. L-1/94/CERC/2011 in Gazette of India dated 31st March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 4723/16/16]

(3) A copy of the Bureau of Energy Efficiency, Energy Conservation Fund (Form and Time for Preparation of Budget) Rules, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 980(E) in Gazette of India dated 17th December, 2015 under sub-section (1) of Section 59 of the Energy Conservation Act, 2001.

[Placed in Library, See No. LT 4724/16/16]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (DR. MAHESH SHARMA): Madam, I rise to lay on the Table a copy of the Rajiv Gandhi National Aviation University First Statutes Rules, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.683(E) in Gazette of India dated 7th March, 2016 under sub-section (2) of Section 45 of the Rajiv Gandhi National Aviation University Act, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 4725/16/16]

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): अध्यक्ष महोदया, मैं श्री पी. राधाकृणन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ. 356(अ) और का.आ. 357(अ) जो 5 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थो तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 ग (बहराइच-रूपाइडीहा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(दो) का.आ. 413(अ) जो 6 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 (नया एनएच सं. 30 (छमतारी-जगदलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(तीन) का.आ. 626(अ) जो 27 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (नागौर-जोधपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(चार) का.आ. 796(अ) और का.आ. 797(अ) जो 19 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 (इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(पाँच) का.आ. 1225(अ) और का.आ. 1226(अ) जो 7 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 216 (नया एनएच 153) (रायगढ़, सारणगढ़, सरायपली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(छह) का.आ. 1404(अ) से का.आ. 1408 (अ) जो 26 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 ड. (सिधी-सिंगरौली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(सात) का.आ. 1520(अ) जो 10 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 78 (नया एनएच 43) (पथलगांव से सीजी/जेएच सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(आठ) का.आ. 1521(अ) से का.आ. 1523 (अ) जो 10 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (बिलासपुर-उरदावल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(नौ) का.आ. 1554 (अ) और का.आ. 1555 (अ) जो 11 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 365 (मंगलवरीपेट से मल्लमपल्ली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(दस) का.आ. 1625(अ) और का.आ. 1626 (अ) जो 17 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12

क (नया एनएच 30) (एमपी बोर्डर चिपली से सिमगा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(ग्यारह) का.आ. 1624(अ) जो 17 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (गोरखपुर बाईपास) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(बारह) का.आ. 1621(अ) से का.आ. 1623 (अ) जो 17 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 222 (कल्याण-आंध्र प्रदेश सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(तेरह) का.आ. 1647(अ) जो 22 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 (धमतारी-जगदलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(चौदह) का.आ. 1696(अ) और का.आ. 1697 (अ) जो 25 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 64 (पटियाला-भटिंडा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(पंद्रह) का.आ. 1681(अ) और का.आ. 1682 (अ) जो 24 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 (नया एनएच संख्या 216) (परिवर्तित काकीनाड़ा बाईपास) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(सोलह) का.आ. 1752(अ) जो 30 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 780(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(सत्रह) का.आ. 1753(अ) जो 30 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 (नया एन.एच. 216) (पश्चिम गोदावरी) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(अठारह) का.आ. 1825(अ) जो 06 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 (नया एन.एच. 216) (पश्चिम गोदावरी) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(उन्नीस) का.आ. 1926(अ) जो 16 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 (चित्रदुर्ग-शिमोगा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(बीस) का.आ. 2011(अ) जो 22 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 (इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(इक्कीस) का.आ. 2069(अ) जो 29 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 365 (नकरेकल-थनमचेरला खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(बाईस) का.आ. 2033(अ) जो 24 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 656 (नकरेकल से नागार्जुन सागर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(तेईस) का.आ. 2108(अ) जो 03 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 221 (विजयवाड़ा-भद्राचलम खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(चौबीस) का.आ. 2103(अ) से का.आ. 2106 (अ) जो 03 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 क (नया एन.एच. सं. 30) (एमपी सीमा चिल्पी से शिमगा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(पच्चीस) का.आ. 2109(अ) से का.आ. 2110 (अ) जो 03 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 ड. (नया एन.एच. 24) (गोरखपुर से सोनौली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(छब्बीस) का.आ. 2146(अ) जो 07 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 (अजमेर-नागौर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(सत्ताईस) का.आ. 2143(अ) जो 07 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 365 (मंगलवरीपेट से मल्लमपल्ली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(अट्ठाईस) का.आ. 2190(अ) से का.आ. 2191 (अ) जो 11 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 (नया एन.एच. 216) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(उनतीस) का.आ. 2234(अ) जो 14 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (बघाना-गोमती खंड) के

निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(तीस) का.आ. 2268(अ) जो 20 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 (पेंचलाकोना से इरपेडू खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(इकतीस) का.आ. 2267(अ) जो 20 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (जबलपुर-भोपाल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(बत्तीस) का.आ. 2332(अ) जो 25 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43(धमतारी-जगदलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(तैंतीस) का.आ. 2464(अ) जो 10 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (नागौर-जोधपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(चौंतीस) का.आ. 2482(अ) जो 14 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 (नया एनएच 216) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(पैंतीस) का.आ. 2481अ) जो 14 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28ग (नया एनएच 927) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(छत्तीस) का.आ. 2477(अ) जो 14 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 जुलाई, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2307(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(सैंतीस) का.आ. 2517(अ) जो 17 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (नागौर-जोधपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(अड़तीस) का.आ. 2514(अ) जो 17 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (बयावर से बघाना खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(उनतालीस) का.आ. 2592(अ) जो 22 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 149 (पल्लाहरा से पित्री खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(चालीस) का.आ. 2480(अ) जो 14 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (अटमकुर से नेल्लोर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(इकतालीस) का.आ. 2142(अ) जो 07 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(बयालीस) का.आ. 1627(अ) जो 07 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया एनए. 130 (बिलासपुर-अंबिकापुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4726/16/16]

(3) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उप-धारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (सागरगामियों के बायोमेट्रिक अभिज्ञान दस्तावेज) नियम, 2016 जो 11 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. (415) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4727/16/16]

(4) (एक) नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4728/16/16]

12.02 ½ hours

STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE
Statements

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा की गई आगे कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और कृषाक कल्याण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा में) अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 13वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

(3) कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 20वां प्रतिवेदन।

12.02 ¾ hours

STATEMENTS BY MINISTERS

(i)Status of implementation of the recommendations contained in the 9th Report of the Standing Committee on Labour on `Review of Urban Haats', pertaining to the Ministry of Textiles*

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदया, मैं वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'अर्बन हाटों की समीक्षा' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

12.03 hours

(ii)Status of implementation of the recommendations contained in the 49th Report of the Standing Committee on Coal and Steel on 'Coal pricing and issues relating to coal royalty', pertaining to the Ministry of Coal*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PIYUSH GOYAL): Madam, Speaker, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 49th Report of the Standing Committee on Coal and Steel on `Coal pricing and issues relating to coal royalty', pertaining to the Ministry of Coal.

माननीय अध्यक्ष : हम आज शून्य काल शाम को ले लेंगे।

...(व्यवधान)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4729/16/16 and 4730/16/16 respectively.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अध्यक्ष महोदया, आप कम से कम इम्पोर्टेंट इश्यू को उठाने की इजाजत दीजिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह मैंने डिसएलाऊ कर दिया है।

...(व्यवधान)

12.03 ½ hours

MATTERS UNDER RULE 377*

HON. SPEAKER: Hon. Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to renovate Pandit Deendayal Upadhyaya Sports Stadium in Unnao Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज (उन्नाव): कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है और स्वस्थ शरीर राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। जहां एक ओर सरकार खेल संसाधनों के अभाव में राष्ट्र निर्माण की भूमिका पर जोर दे रही है वहीं दूसरी और मेरे संसदीय क्षेत्र का युवा खेल संसाधनों के अभाव में राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान करने में अक्षम है। आज देश का युवा खेल के माध्यम से पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहा है। मगर मेरे संसदीय क्षेत्र उन्नाव (उत्तर प्रदेश) में खेलों और खेल संसाधनों का सर्वथा अभाव है। इसी क्रम में मेरे संसदीय क्षेत्र उन्नाव (उत्तर प्रदेश) स्थित **पं. दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम** आज उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। इस स्टेडियम का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया था कि यहां का युवा वर्ग खेल के माध्यम से अपना, अपने परिवार, अपने प्रदेश और भारत का नाम रौशन कर सकेगा। मगर इस स्टेडियम की ऐसी दुर्गति हो गयी है कि यहां लोग आना तक पंसद नहीं करते।

अतः मैं माननीय खेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि पं. दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम का पुनर्निर्माण जल्द से जल्द किया जाए और इसकी बिगड़ती स्थिति को सुधारा जाए ताकि हमारे जिले का नौजवान खेल के माध्यम से हमारे देश का नाम रोशन कर सके और राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का सही तरीके से निर्वाह कर सके।

(ii) Need to increase green cover in the country particularly in Kerala

PROF. RICHARD HAY (NOMINAT ED): Kerala, a green State has been reeling under the scorching sun, temperature rising to peak levels.

The major reason is deforestation and is having devastating consequences. Green belt has been destroyed over the years due to which the people of Kerala are facing water crisis and temperature above 40 degree Celsius. This is a matter of grave concern for everyone in the country.

Therefore, I urge the Central Government to take suitable remedial steps to increse green cover in the country, particularly in Kerala.

(iii) Need to make river Aami in Eastern Uttar Pradesh pollution-free

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): जल जीवन का आधार है। भौतिक विकास के अन्धानुकरण ने आज के प्रमुख आधार ''जल प्रदूषण'' की भीषण समस्या पैदा की है। भीषण जल प्रदूषण के कारण जीव और जगत दोनों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। देश की मां तुल्य प्रमुख पवित्र नदियों गंगा, यमुना आदि बड़ी नदियां हो अथवा उनसे जुड़ी सहायक नदियां सभी को अनियोजित एवं अवैज्ञानिक विकास की सोच ने पूरी तरह प्रदूषित कर दिया है। गोरखपुर जनपद के बीच से बहने वाली और राप्ती नदी की सहायक नदी आमी पिछले कई वर्षों से इस अभिशाप से अभिशप्त है। राप्ती नदी सरयू नदी की सहायक नदी है तथा सरयू नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। कभी आमी नदी के तटवर्ती गांवों में पूर्वी उ.प्र. की प्रमुख खेती के साथ-साथ पशुधन पलता था। मछुआरों की आय का भी प्रमुख साधन आमी नदी थी, लेकिन पहले खलीलाबाद की कथित औद्योगिक ईकाईयों द्वारा इस नदी को प्रदूषित किया गया जो अब भी जारी है। इसके साथ ही वर्तमान में गीडा और रूथौली में स्थित औद्योगिक ईकाईयों का कचरा भी इसी नदी में गिराए जाने के कारण इस नदी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इस नदी के तटवर्ती गांवों में पशुधन, खेती, मछली पालन सब जल प्रदूषण की भेंट चढ़ गए हैं। यह नदी वर्तमान में भयंकर प्रदूषण के कारण पूरी तरह बदबू कर रही है। राप्ती नदी में मिलने पर कई कि.मी. तक इस नदी के कारण बड़ी संख्या में मछलियां मर रही है। स्थानीय स्तर पर इस भयंकर प्रदूषण के कारण जनता में भारी आक्रोश है।

कृपया ''नमामि गंगे'' योजनान्तर्गत राप्ती और आमी नदी को लेकर व्यापक जनहित आमी नदी को प्रदूषण से मुक्त किया जाए।

(iv) Regarding updating the National Register of Citizenship in Assam

SHRI RAMEN DEKA (MANGALDAI): Infiltration is a major issue in Assam. Due to infiltration from the then East Pakistan and now Bangladesh, the very existence of indigenous people is being threatened. Infiltration will change the demography of Assam. All kinds of misdeeds happen due to infiltrators i.e. drug smuggling creating law and order problem above all arm smuggling. I would like to request the Central Government to take immediate step to stop smuggling.

If infiltration is not stopped forthwith and the foreigners are not detected and deported , the political power will be snatched from indigenous people by the foreigners.

National Register of Citizenship was prepared in special circumstances to keep away foreigners from enrolment in the voters list so that they can be detected and deported. I would like to know from the Central Government the progress of updating the National Register of Citizenship in Assam including the status of Hindi refugees in the context of registration.

(v) Need to provide water to Sone canal in Bihar from Rihand dam as per the norms fixed by Joint Operation Committee set up for the purpose

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): इन्द्रपुरी बैराज (बिहार), सोन नदी से सोन नहर के लिए पानी निकलता है, जिससे बिहार के कई जिलों के किसानों यथा रोहतास, कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, गया, अरवल, जहानाबाद और पटना आदि के किसानों को खेती के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, जिससे लाखों किसान लाभान्वित होते हैं। कुछ माह पूर्व उत्तर प्रदेश की सरकार ने रिहंद डैम से बिहार के सोन नहर को मिलने वाले पानी के संबंध में ज्वाइंट ऑपरेशन कमेटी के तहत जो करार है, उसकी अवहेलना कर उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जनवरी 2016 तक सोन नहर के लिए 30 हजार क्यूसेक कम पानी छोड़ा। कटौती लगातार जारी है। बिहार सरकार ने मामले को उत्तर-प्रदेश सरकार के संज्ञान में लाया है। परन्तु परिणाम शून्य है। अब यह मामला केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष उठाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश के संबंधित अधिकारियों ने इस संबंध में बिहार के अधिकारियों को आरम्भ में बताया कि उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन ने रिहंद के पानी के कई हाईडल पॉवर प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रखा है। इस वजह से सोन में करार के अनुसार पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। इसके बाद कहा गया कि बारिश कम होने के वजह से रिहंद में पानी कम है और इस कारण कोटे का पानी देने में परेशानी है।

समझौते के अनुसार रबी फसल के लिए सोन नहर को 15 जनवरी तक 1.20 लाख क्यूसेक पानी रिहंद से मिलना चाहिए था, परन्तु मात्र 90 हजार क्यूसेक पानी ही मिला।

केन्द्रीय जल आयोग और सरकार से मेरा आग्रह है कि ज्वाइंट ऑपरेशन कमेटी द्वारा तय मानक के अनुसार सोन नहर के लिए रिहंद से पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को आवश्यक निर्देश जारी किया जाए ताकि इस क्षेत्र में किसानों को रबी फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में नियमित पानी की आपूर्ति करने की व्यवस्था की जाए।

(vi) Need to construct a new bridge on river Parvan in Jhalawar-Baran Parliamentary Constituency of Rajasthan

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): I represent Jhalawar-Baran constituency of Rajasthan. Aklera and Sarthal are two district locations in my constituency where there is a low level bridge built over the river Parvan that flows between Sarthal and Aklera. During monsoon, the bridge almost gets submerged in the river and the road connectivity between these two locations remains completely blocked for two months. The condition of the bridge has also become very bad. Hence there is a need to build a new strong and high level bridge over the river. This bridge will ensure that road connectivity of Tehsils Chhabra, Cheepabarod and Atru with Aklera (District Jhalawar) exist throughout the year without disturbances during monsoon. It will benefit around 4-5 lakh villagers belonging to 350 villages/kasbas of nearby areas. Therefore, I request the Hon'ble Minister of Road Transport and Highways to look into this issue and expedite the construction of the new bridge by sanctioning the project worth 90 crores.

(vii) Need to construct an over bridge or underpass at level crossing no. 298 between Amali and Rawanjna Dungar railway stations in Tonk-Sawai Madhopur parliamentary constituency, Rajasthan

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र टोंक-सवाई माधोपुर (राजस्थान) के जिला व तहसील सवाई माधोपुर की ग्राम पंचायत पांचोलास के आमली स्टेशन से रवाजंना डूंगर स्टेशन के बीच गेट नम्बर 298 खम्बा नं. 1009/26,26,27,28 के बीच में आता है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि ग्राम पंचायत पांचोलास के उपरोक्त खम्बों के बीच में पुलिया या अंडरपास बन जाता है तो यहां के लगभग 60 गांवो की जनता को इससे आने-जाने में फायदा मिलेगा और अंडरपास या पुलिया बनने से इसका लिंक टोंक से खण्डार होते हुए श्योपुर आने-जाने वालों को इसका विशेष फायदा मिलेगा और इसके साथ-साथ राजस्थान के अन्य शहरों में भी आने वाले लोगों को इसका लाभ होगा।

(viii) Need to relax the population norm fixed under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana for Ladakh region of Jammu & Kashmir

SHRI THUPSTAN CHHEWANG (LADAKH): Ladakh region of Jammu and Kashmir State is the remotest and the most difficult Hilly region which remains cut off from rest of the country for six months during winter. The living condition in Ladakh during winter months is extremely harsh. Ladakh is a huge area comprising of 2/3rd of Jammu& Kashmir state and is sparsely populated with 3 persons to a square kilometer. We are grateful to Government of India and especially the Ministry of Rural Development for providing funds under PMGSY for road connectivity to remote areas. There are a number of villages in Ladakh with population of more than 100 but less than 150 as required under norms, to qualify for the population criterion as laid down under the norms of PMGSY. The Ministry of Rural Development has relaxed population norm for Naxalites infested areas, North Eastern States by reducing the population criterion to 100. The Nodal Agency for implementation of PMGSY Schemes in Ladakh Region is still insisting on population norm based on 2001 Census Report. Thus, denying many villages of road connectivity under PMGSY.

I request the Government of India and the Ministry of Rural Development to extend the relaxation of population norm in favour of entire Ladakh Region so that the remote villages could also be provided with road connectivity.

(ix) Need to ensure payment of arrears of sugarcane to farmers by mills in Baghpat parliamentary constituency, Uttar Pradesh

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): लगभग सभी लोग यह कहते व मानते आए हैं कि ''किसान दुनिया का अन्नदाता है।'' परन्तु पिछले कई दशकों की उपेक्षा के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में आज किसान की हालत अत्यंत दयनीय है। डॉ. राममनोहर लोहिया कहा करते थे-जब तक इंसान भूखा रहेगा, तब तक धरती पर शैतान रहेगा।

मेरे लोक सभा क्षेत्र बागपत में गन्ना किसानों की हालत अत्यंत गंभीर है। दो चीनी मिलों-मलकपुर चीनी मिल को 267 करोड़ देना बकाया है। मोदी नगर चीनी मिल को 143 करोड़ रुपये किसानों को देना है। इस तरह से लगभग 410 करोड़ रुपये किसानों का केवल मेरे क्षेत्र का बकाया है। गन्ने का वर्तमान पेराई का समय लगभग खत्म हो रहा है लेकिन लोगों को इस वर्ष का एक भी पैसा नहीं मिला है। इन दोनों चीनी मिलों के मालिक शुरूआत से ही गन्ने का भुगतान लगभग एक से डेढ़ वर्षों के बाद करते हैं। भुगतान के अभाव में किसानों की हालत अत्यंत दयनीय है। वे बच्चों की पढ़ाई की फीस देने में असमर्थ हैं, बीमारों का इलाज करवाने में असमर्थ है। सैंकड़ों किसानों को अपनी बेटियों की शादी निरस्त करनी पड़ी है। जब किसान की हालत इतनी खराब है तो क्षेत्र के मजदूर और व्यापारियों की स्थिति भी अच्छी नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी इस विषय के समाधान हेतु कोई कदम नही उठाए गए हैं। बेचारा किसान केंद्र और राज्य सरकारों के फर्क को नहीं समझता। वर्तमान केन्द्र सरकार ने इस वर्ष का जो बजट प्रस्तुत किया है वह निश्चित रूप से किसान कल्याण व गरीबों की भलाई का बजट है।

मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द खुदकुशी के कगार पर पहुंचे किसानों को बचाया जाये तथा उनके गन्ने का भुगतान किसी भी तरह शीघ्र से शीघ्र करवाया जाये।

(x)Need to set up a Centre for Excellence of Cotton in Gujarat

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि गुजरात प्रतिवर्ष 104 लाख कॉटन की गॉठों का उत्पादन करता है जो कि भारत के कुल कपास उत्पादन का 30 प्रतिशत है। वर्ष 2013-14 में गुजरात में 26.91 लाख हैक्टेयर भूमि पर कपास का उत्पादन किया गया, जोकि भारत के कुल कपास उत्पादक भूमि का 24 प्रतिशत है। इसके साथ ही साथ गुजरात उत्तम कपास बीज के उत्पादन में भारत में नम्बर एक पर है। भारत के साथ-साथ गुजरात राज्य में कपास की उत्पादन क्षमता और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की असीम संभावनायें हैं। इसलिए गुजरात में सैंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ कॉटन को स्थापित करने की अति आवश्यकता है। इस सैंटर के स्थापित हो जाने से कपास के बीजों की गुणवत्ता और कपास के उत्पादन में बहुत अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना है। मोटे तौर पर 5-6 वर्षों में 200 लाख कॉटन की गॉठों का उत्पादन आसानी से हो सकता है। इसके लिए अतिरिक्त भूमि की जरूरत भी नहीं होगी और दूसरी श्वेत क्रांति आ जायेगी। भारत में आज भी लगभग 11 से 15 प्रतिशत ग्रामीण लोग कपास और इससे संबंधित कार्यों में लगे हुए है। इसलिए गुजरात में सैंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ कॉटन केन्द्र को स्थापित करने की अति आवश्यकता है। वर्तमान में गुजरात में नवसारी और जूनागढ़ के कृषि विश्वविद्यालयों में आईसीआरए के सहयोग से रिसर्च किया जा रहा है, जिसकी क्षमता आवश्यकता के अनुरूप नहीं है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि कपास की फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए सैंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ कॉटन को गुजरात राज्य में स्थापित किया जाए।

(xi) Need to provide clean drinking water in all the villages in the country

श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती): मैं सरकार का ध्यान जीवन के लिए सबसे जरूरी पेयजल की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ। लगातार भूगर्भ में पेयजल की जांच से यह साबित हो चुका है कि भूगर्भ से पेयजल का उपयोग करने वाले लोग पानी में आर्सेनिक और फ्लोराईड जैसे खतरनाक तत्वों को भी निरंतर ग्रहण कर रहे हैं जिनकी वजह से प्राणघातक बीमारियों के चलते अमूल्य जीवन असमय काल के गाल में समाता जा रहा है। अशुद्ध पानी पीने के कारण एनीमिया, मुंह में जलन, लकवा, याददाश्त की कमी, लीवर फेल होना, किडनी और फेफड़ों का कैंसर जन जीवन पर कहर ढाता जा रहा है।

गांव हो या शहर, हर जगह गहराई से पीने का पानी प्राप्त करने वाले लोग लगातार बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। मंहगी चिकित्सा के कारण समय से इलाज न हो पाने पर मौत से जीतना मुश्किल होता जा रहा है। पेयजल के इस भारी संकट पर भारत सरकार को गंभीरता से चिंतन कर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। पहले इंडिया मार्का 2 हैंड पम्प की स्थापना सांसद विकास निधि से की जाती थी। उक्त हैंडपंप अधिक गहराई से पानी उठाते थे तो उसमें शुद्ध पेयजल की संभावना बनी रहती थी। उक्त व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है। अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि प्रत्येक गांवों में पीने के पानी के लिए टैंक का निर्माण करवाकर उसमें आधुनिक मशीनों द्वारा शुद्ध पेयजल का संग्रह कर लोगों को पीने का पानी मुहैया करवाया जाए। जब तक हर घर में शौचालय और घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक स्वस्थ, सुंदर और साक्षर भारत का सपना साकार नहीं हो सकता है।

(xii) Need to ensure construction of earthquake-resistant building structures in Delhi

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): मैं सरकार का ध्यान दिल्ली की जनता को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए की जा रही कार्यवाही और व्यवस्था की तरफ दिलाना चाहता हूँ। दिल्ली में भूकंप के झटकों की संख्या बीते वर्षों में बढ़ी है और स्टडीज के मुताबिक 1983-2033 के 50 इयर विंडो में 7 रिक्टर स्केल तक दिल्ली में भूकंप आने की संभावना है जिससे एक बहुत बड़ी मात्रा में जान-माल की हानि की आशंका है।

दिल्ली में पिछली राज्य सरकारों ने दिल्ली को आधुनिक सुविधाएं देने के प्रयास में भूकंप के लिए अति संवेदनशील जगहों पर निर्माण किया जिसमें यमुना नदी के फ्लड प्लेन्स को भी शामिल किया गया, यहाँ तक कि दिल्ली सचिवालय और दिल्ली पुलिस कमिश्नर आफिस भी अति संवेदनशील बिल्डिंग्स में आते हैं।

दिल्ली में अभी भी बिल्डर्स द्वारा अनाधिकृत और अति संवदेनशील जोन में बिल्डिंग्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें भूकंप रोधी डिजाईन और स्टैण्डर्ड को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। यहाँ तक कि सिविक बॉडीज भी इसके लिए लापरवाही बरतती हैं। सम्पूर्ण पश्चिम दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा सहित यमुना और हिंडन नदियों के फ्लड प्लेन भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं। मगर इन जगहों में चल रहे बिल्डिंग निर्माण में पूरी तरह लापरवाही दिखाई दे रही है और जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर की जनता को उठाना पड़ सकता है।

मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि दिल्ली के लिए प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रख कर हाउसिंग कानून का निर्माण करे जिससे आने वाले समय में आपदाओं से होने वाली बड़ी क्षति को रोका जा सके।

(xiii) Need to address the problem of acute shortage of drinking water in Bhilwara parliamentary constituency, Rajasthan

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): राजस्थान में गंभीर पेयजल संकट है, विशेष रूप से भीलवाड़ा जिले में छः दिन के अन्तराल में मात्र आधे घण्टे पानी उपलब्ध हो पा रहा है। भीलवाड़ा जिले की 25 लाख जनता के सामने पेयजल का गंभीर संकट खड़ा है। जिला मुख्यालय पर तो वाटर ट्रेन के माध्यम से पानी की सप्लाई संभव हो पा रही है। समस्या के समाधान के लिए 2012 में चम्बल पेयजल परियोजना स्वीकृत हुई थी, जो भारत सरकार एवं राज्य सरकार की आर्थिक सहभागिता से पूरी की जानी थी। करोड़ों रूपये खर्च करने के बाद भी भीलवाड़ा जिले को पानी उपलब्ध नहीं हो पाया है। 6 बार डेडलाईन दी जा चुकी है परन्तु स्थिति जस की तस है। 90 प्रतिशत से ज्यादा काम इस योजना का पूरा किया जा चुका है। 141 किमी पाईपलाईन डाली जानी थी इसमें 135 किमी पाईपलाईन डाली जा चुकी है। बून्दी जिले में पाईपलाईन का काम वन विभाग की स्वीकृति नहीं होने से अटका हुआ है। वन विभाग द्वारा सही प्रपोजल नहीं भेजे जाने से भारत सरकार के स्तर पर स्वीकृति अटक रही है। पेयजल के गंभीर संकट को देखते हुये यह आवश्यक है कि इसको इमरजेंसी मानते हुये इस परियोजना को तत्काल पूरा किया जाए ताकि भीलवाड़ा जिले की प्यासी जनता को पानी उपलब्ध हो सके।

(xiv) Need to set up three Kendriya Vidyalas in Santhal Pargana region of Jharkhand

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): Jharkhand's Santhal Pargana districts Deoghar, Godda, Jamtara, Pakur, Sahibganj and Dumka count amongst the socially, educationally and economically backward districts of the country. A look at the statistics of health, literacy, education, income, etc. gives an appalling picture of the poor state of the people. Poverty and ignorance are still causes for low literacy rate, poor school attendance and large-scale drop outs.

I, therefore, draw attention toward the need to set up three Kendriya Vidyalayas for which an ideal location would be Jarmundi (Dumka), Deoghar and Mahagama (Godda) in the Santhal Pargana region of Jharkhand.

India lives in its villages. It is there that our producers live, voters live, the poor and illiterate live. It is the villages that hold key to the country's problems. The second vision statement is contained in Article 45 of the Constitution of India. The State shall endeavor to provide within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years.

(xv) Need to start work on Belwai Reservoir Project in Sasaram parliamentary constituency, Bihar

श्री छेदी पासवान (सासाराम): माननीय प्रधान मंत्री ग्राम सिंचाई योजना से किसानों के जीवन में जिस आशा एवं उत्साह का संचार हुआ है, वह अकल्पनीय है और किसान इससे जल्द से जल्द लाभान्वित होना चाहते हैं। इसी संदर्भ में, मैं अपने संसदीय सासाराम (बिहार) क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण 'बेलवई जलाशय योजना' को शीघ्र चालू कराने हेतु सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ।

ज्ञातव्य हो कि 'बेलवई जलाशय योजना' का निर्माण कार्य लगभग 35 वर्ष पूर्व शुरू किया गया था, परन्तु पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार द्वारा वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के तहत इस परियोजना के कार्य को स्थगित कर दिया गया तथा इसके चलते लगभग 35 हजार हैक्टेयर भूमि सिंचाई से वंचित है। अब भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में इस तरह स्थगित की गयी योजनाओं को पुनःशुरू किया जाना है।

अतः सरकार से विशेष आग्रह है, कि जनहित को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त 'बेलवई जलाशय योजना' के निर्माण कार्य पर पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार द्वारा लगाई गयी रोक को हटाने हेतु शीघ्र संबंधित मंत्रालय को निर्देशित किया जाए, ताकि इस योजना का निर्माण कर किसानों की लगभग 35 हजार हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सके।

(xvi) Need to extend the benefits of Dairy Entrepreneurship Development Scheme (DEDS) to all the farmers of Chamarajnagar district of Karnataka

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGR): I would like to draw the attention of the Government towards the fact that there is a Dairy Entrepreneurship Development Scheme (DEDS)- a Centrally sponsored subsidy scheme (Subsidy 25% for General and 33.33% for SC/ST) with a total financil outlay of Rs.6.00 Lakhs for a unit of 10 animals. This scheme is routed through NABARD with bank loan.

Chamarajanagar district of my Constituency is drought prone and DEDS is the best scheme under income generation for the small and marginal farmers and poor people. But presently the above scheme is open only for SC category of farmers. Farmers in General and ST category are not covered due to budgetary constraints. Chamarajanagar District has a vast population of ST category (11.76% of the total population) and most are poor, small and marginal farmers. There has been a lot of enquiries about the scheme by these beneficiaries who feel that they are being deprived of the benefits. Further, the discontinuation of the scheme has also affected the General and ST category of people.

Hence, I hereby urge the Union Government for reintroduction of the above scheme for the benefit of ST and the General Category of farmers of Chamarajanagar District.

(xvii) Regarding problems faced by students of Kendriya Vidyalaya at Debgarh in Odisha

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN (SAMBALPUR): One Kendriya Vidyalaya is at Headquarters Debgarh District of Odisha, which is providing education up to class 10th. This year 10th class students have appeared in Board for the first time. Till today no permission has been rceived to start class xi in the same Kendriya Vidyalaya as a result of whih after passing class X the future of the student is uncertain. For the kind information of the Government, the nearest Kendriya Vidyalaya is situated nearly 82 kilometers and the name of the School is Kendriya Vidyalaya Sambalpur. This District is affected by LWE (Left Wing Extremism) and people are very poor. Most people are tribal and OBCs. In this situation, HR Department, Government of India is requested tostart Class XI in the existing Kedriya Vidyalaya so that the students could continue their studies.

This school has been running in the premises of District Government Girls High School, Debgarh. The Government of Odisha has allocated a land for the Kendriya Vidyalaya at Debgarh, so necessary action may please be taken to address the problem of the students of Kendriya Vidyalaya.

(xviii) Need to take measures for the welfare of pensioners under EPS-95

SHRI DHANANJAY MAHADIK (KOLHAPUR): I would like to draw the attention of the Government to various issues pertaining to EPS-95. Millions of pensioners throughout the country , from Government, Public and/or Cooperative setups having unestablished production or services, are receiving petty pension funds. Further, many of them are receiving less than Rs.1000/- per month, whereas none of them receive more than Rs.2,200/- per month. Under such circumstances, from past 7-8 years, pensioners in their respective departments have formed different unions in order to lead a movement. In this regard, the pensioners have, many times either independently or by coming together, been leading such movements.

The demands of pensioners with regard to EPS-95 are as follows:

1. Withdrawal of entire investments made into government funds and cancellation of privatization policy. Also, government to reimburse the loss suffered due to the investments made in government funds.
2. The minimum pension level of Rs.1,000 per month declared by the government effective 1st April, 2014 to be given without any further deductions.
3. As per the circular dated 06.09.2006, the benefits which were cancelled need to be reinstated.
4. From the year 2000 onwards, revaluation of pension fund to be done for the past 16 years and the resulting differential amount to be paid off along with the accumulated interest amount.
5. Employees who have completed 20 years of service need to be given 2 years of weightage.
6. Pension Schemes to be revised after every 5 years and accordingly, immediate revision for improvements to be undertaken in the present pension scheme.

7. The rate for compensating dearness to be given once in every 3 months. Dearness allowance also needs to be given.

8. The minimum pension level to be fixed at Rs.6,500 per month. Also, maximum pension need not be defined.

9. Effective September 1,2014, the Pension Scheme applies only to those persons who become a member of the EPF Scheme and whose pay on such date is less than or equal to Rs.15,000 for both government as well as employer's contribution. This coverage of monetary limitation to be cancelled. Also, in order to determine whether the wages fall under pensionable wage requires 60 months as per the new method should be struck down and the previous method of 12 months needs to be reinstated.

10. The computed portion of pension that was cut to be increased and given after completion of 100 months.

11. The income gained after return of capital need to be given to the legal heirs of pensioner.

12. The rate of interest to be given on pension fund to be same as that of the provident fund. Also, the same needs to be calculated for 16 years and differential amount to be paid off.

13. Those who have not opted for EPS pension to be given minimum level of pension without payment of any amounts.

14. Medical benefits available prior to retirement need to be continued after retirement as well. Also, all the medical expenses to be borne by the government. All medical facilities should be considered.

15. the benefit of Food security be provided to pensioners.

16. State Travel as well as national travel during retirement to be given at concessional rates.

I, therefore, urge the Union Government to do justice to these pensioners.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अध्यक्ष महोदया, चंद चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें कहना जरूरी हैं। ...(व्यवधान) गुजरात का इश्यू बहुत इम्पोर्टेट है। ...(व्यवधान) 20 हजार करोड़ रुपये का घोटाला है। ...(व्यवधान) यहां ऐसी चीजें उठायी जाती हैं, जिनका कोई तर्क नहीं होता। ...(व्यवधान) यह अन्याय है। ...(व्यवधान) यह अच्छी बात नहीं है। ...(व्यवधान) आप हमें पांच मिनट बोलने का समय दे दीजिए। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The House shall now take up Item No. 11.

Hon. Minister

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : इस पर सभी मैम्बर्स ने अपनी बात रखी दी है इसलिए the Minister has to reply.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I have disallowed it.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अध्यक्ष महोदया, यह अच्छी बात नहीं है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कई बातें अच्छी नहीं होती हैं। Yes, Mr. Minister.

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अध्यक्ष महोदया, आप हमेशा जीरो ऑवर पहले लेती हैं। ...(व्यवधान) जीरो ऑवर के बाद मंत्री जी का रिप्लाई होने दीजिए। ...(व्यवधान) आप रोज जीरो ऑवर पहले लेती हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आज फाइनेंस बिल पहले पास करना है। शाम को जीरो ऑवर होगा।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अध्यक्ष महोदया, हर चीज गवर्नमैंट के फेवर में नहीं होती है। ...(व्यवधान) अगर कोरम नहीं होता तब भी बैठते हैं। ...(व्यवधान) अगर मंत्री जी सदन में नहीं होते तब भी सुनते हैं और हाउस को चलाते हैं।...(व्यवधान) लेकिन हमें अपनी बात रखने के लिए समय नहीं मिलता। ...(व्यवधान) यह क्या हो रहा हैi ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आज अगर जीरो ऑवर लेना भी हो तो भी मैं उन्हें एलाऊ नहीं करने वाली हूं, क्योंकि वह मैटर कुछ नहीं है।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: ऐसा क्यों हैi ...(व्यवधान) क्योंकि यह घोटाला गुजरात का हैi ...(व्यवधान) This is not good Madam. You follow one procedure.

12.05 hours

FINANCE BILL, 2016 .... Contd.

HON. SPEAKER: Now we will take up Item No. 11. Mr. Minister.

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली) : माननीय अध्यक्ष जी, कल वित्त विधेयक की चर्चा का आरंभ मोइली जी ने किया और सदन के कई माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया। मैं किसी सरकारी कामकाज की वजह से बाहर था इसलिए मेरे सहयोगी जयंत जी यहां थे। एक-एक माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उन सबकी चर्चा मेरे साथ हुई है।

वैसे तो बजट के तुरंत बाद बजट की चर्चा में देश और विश्व की आर्थिक स्थिति और कई विषयों पर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज भी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चिंताजनक बनी हुई है। पहले अंदाजा था कि विश्व 3.4 परसेंट से बढ़ेगा और अब 3.1 परसेंट, ऐसा मानते हैं, शायद उससे भी कम हो जाए। एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था बाकी विश्व की तुलना में थोड़ी बेहतर हैं क्योंकि उसमें चीन और भारत के योगदान की वजह से औसत थोड़ी बढ़ती है। इसकी भी अपेक्षा थी कि 5.9 परसेंट पर बढ़ेगी, अब 5.7 परसेंट का अंदाजा है। 5.7 परसेंट में चीन की ग्रोथ, इस वर्ष 6.5 परसेंट से थोड़ा आगे, फर्स्ट क्वार्टर उनका 6.7 परसेंट का रहा। भारत का पिछले वर्ष का योगदान 7.6 परसेंट था। इसका वजन थोड़ा एशियाई ग्रोथ को अपने आप में बढ़ाता है।

अक्सर कहा जाता था कि आने वाले वर्ष इन देशों के होंगे, आज लगभग 40 फीसदी विश्व की अर्थव्यवस्था का बोझ एशियाई देश उठा रहे हैं। गंभीर स्थिति इसलिए भी है कि अभी तक पूरे विश्व में कोई यह अंदाजा नहीं लगा पा रहा है कि विश्व की मंदी की स्थिति, स्लो डाउन की स्थिति कितनी लंबी चलेगी और किस दिशा में जाएगी। ऑयल प्राइसिस, कमोडिटी प्राइसिस, कब तक इस स्तर पर रहेंगे, इसका भी अंदाजा नहीं है। ऐसा पहले इतिहास में नहीं हुआ, हमें एक बात का गर्व होता है कि दो वर्ष लगातार 2014-15 में 7.2 परसेंट और 2015-16 में अंदाजा 7.6 परसेंट। भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। विश्व की तुलना में हम सबसे आगे हैं लेकिन हम स्वयं मानते हैं कि हमारी क्षमता इससे भी ज्यादा तेज विकास करने की है। इसमें कई ऐसे कारण हैं जिनका असर पड़ सकता है। पिछले दो वर्ष 7.2 परसेंट और 7.6 परसेंट ग्रोथ हुई, इसमें विश्व की अर्थव्यवस्था अपने आप में एक रुकावट थी। Global headwinds were against us. There was no tailwind supporting us. As a result of which our exports were shrinking. क्योंकि विश्व का व्यापार अपने आप में चार-पांच परसेंट तक श्रिंक कर चुका है। इसके साथ-साथ दोनों वर्ष बरसात की कमी रही। जब बरसात की कमी रहती है तो केवल कृषि पर प्रभाव पड़े, ऐसा नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों

की अर्थव्यवस्था पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इस देश में कम से कम 55 फीसदी लोगों की खरीदारी करने की क्षमता पर असर पड़ता है।

इस वर्ष का जो अंदाजा है कि शायद बरसात की स्थिति पिछले दो वर्षों की तुलना में बेहतर हो तो शायद इस वर्ष कृषि में सुधार आएगा और रूरल इनकम में कुछ बढ़ोतरी होगी। आज जो हमारी अर्थव्यवस्था है वह सरकारी खर्चा बढ़ा शायद उसके आधार पर चल रही है या हाइएस्ट एवर एफडीआई आ रहा है उसकी वजह से चल रही है, थोड़ा अर्बन डिमांड में वृद्धि हुई है उसके आधार पर चल रही है और इसमें कहीं ग्रामीण डिमांड भी जुड़ जाए तो उसका अपने आप अर्थव्यवस्था को और तीव्रता से बढ़ाने में काफी सहयोग रहेगा।

महोदया, इसमें एक बड़ी चुनौती जिसका बार-बार जिक्र करते हैं वह यह है कि हमारे देश में बैंक्स की स्थिति क्या है। बैंक्स की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि देश के विकास के लिए पूरी अर्थव्यवस्था का सहयोग बैंकों के माध्यम से होता है। Bank landing is essential for growth. Banks have to support growth. बैंक्स में एनपीए की स्थिति चिंता का विषय निश्चित रूप से है और सरकार का दृढ़ संकल्प है कि बैंकों को इस परिस्थिति से बाहर निकालना है और उसके लिए यह सरकार पूर्ण रूप से बैंकों का समर्थन भी करेगी। बैंक्स में केपिटल और डाला जाना चाहिए, बैंक्स में पिछले वर्ष भी हमने कैपिटल डाला था और इस वर्ष भी डाल रहे हैं। बैंक्स की मैनेजमेंट को प्रोफेशनलाइज किया जाए। तरह-तरह के ऐसे कानून जो बैंक्स को ताकत दें कि इस परिस्थिति से जूझने के लिए उनके लिए भी हम विचार कर रहे हैं, एक कानून पर आज सदन में चर्चा भी होनी है। इसमें हमें समझना चाहिए कि एनपीएज़ की जो स्थिति है, इसमें कुछ मात्रा में ऐसे लोन भी हैं जो शायद गलत आधार पर दिए गए होंगे, उसकी अपने आप जांच होगी। इसके लिए कौन जिम्मेदार था, मैं इसके दोषारोपण में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन इसका एक बड़ा कारण है और हम सभी को राजनीतिक क्षेत्र में जिम्मेदारी से समझ लेना चाहिए कि जब विश्व में मंदी का दौर था और बिजनेस साइकिल्स कुछ क्षेत्रों के कमजोर होते हैं तो केवल वे क्षेत्र या सैक्टर ही कमजोर नहीं होते बल्कि उसकी कमजोरी का बैंकों की बैलेंसशीट के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। इसे हम ट्वीन बैलेंसशीट प्रोब्लम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे स्टील के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी चुनौती थी और यह पूरे विश्व में है कि चाइना में जो सरप्लस कैपेसिटी स्टील की है, कम दाम पर, सस्ते दाम पर बाकी दुनिया के बाजारों में चाइना अपना स्टील बेचता है और वहां की स्थानीय कम्पनियां उस दाम को मैच नहीं कर पातीं क्योंकि वह शायद कॉस्ट से भी कम दाम पर बेचता है।

हमने जैसा अभी पढ़ा कि टाटा स्टील ने कहा कि हम ब्रिटेन में से बाहर करेंगे, यह वही समस्या है। अमरीका ने तो लगभग 266 और 275 फीसदी एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइना की स्टील पर लगा दी और यूरोप नहीं लगा पाया तो वहां यह स्थिति थी। हम लोगों ने भी कई कदम इस बारे में उठाए और सबसे बड़ा

योगदान इन एनपीए में स्टील सैक्टर का है क्योंकि अगर हमारी कम्पनियों का स्टील नहीं बिकेगा तो स्वाभाविक है कि उन कम्पनियों में तकलीफ आएगी, उनकी बैलेंसशीट में तकलीफ आएगी और वे बैंकों का ऋण नहीं दे पाएंगीं और ऋण पर जो ब्याज देना है वह भी नहीं दे पाएंगीं। इस समस्या के हल के लिए हमने कस्टम ड्यूटी बढ़ाई, थोड़ी अन्य कार्रवाई की और उसके बाद हमने मिनिमम इम्पोर्ट प्राइज फिक्स कर दिया कि इससे कम दाम पर कोई स्टील भारत के अंदर नहीं आ सकता। इसका अच्छा असर हुआ कि हमारी स्टील मिलों का पिछले तीन-चार महीनों से दोबारा रिवाइवल शुरू हो गया और यह क्षेत्र टर्न-अराउंड करने लग पड़ेगा। इसी प्रकार से हाईवे सैक्टर के हाईवे प्रोजेक्ट बिलकुल स्थायी स्थिति में थी। जब दो साल पहले सरकार सत्ता में आई तो हमने पहले 17 टेंडर जो निकाले थे, उसमें एक व्यक्ति भी हाईवे का ठेका लेने को तैयार नहीं था। यह सिक सैक्टर बन चुका था। हाईवे आथोरिटी के साथ डिस्प्यूट्स थे और इसलिए नेशनल हाईवे आथोरिटी में जो पब्लिक फंड्स थे, सरकारी बजट के माध्यम से हमने खूब डाले और पिछले दो वर्षों में हाईवे सैक्टर बहुत बड़े तरीके से रिवाइव हुआ है, उसके कांट्रेक्टर्स के एनपीएज़ हैं, अब बेहतर स्थिति में उनके आने की संभावना बन रही है।

चीनी का दाम दुनिया के बाज़ारों में 18 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया था, इसलिए भारत की चीनी मिलों के ऊपर एक असर था। यह आज थोड़ा बढ़ा है। उससे सूगर सेक्टर में भी थोड़ी राहत मिली है। उनके जो एनपीएज़ हैं, वे धीरे-धीरे करेक्ट होने शुरू होंगे।

इसी प्रकार से, राज्यों की जो बिजली डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियाँ (डिस्कॉम्स) हैं, उनके संबंध में हम लोग "उदय " योजना लाए हैं। इसलिए एनपीए की स्थिति को हम लोग अड्रेस कर रहे हैं और आने वाले महीनों में प्रोविजनिंग करके जो एनपीए कागज़ पर बड़े दिखते हैं, एक तो सरकार की नीति है और आरबीआई ने भी यह नीति बनायी है कि एनपीए छिपाने से इस समस्या का हल नहीं होगा। ईमानदारी से वे बैलेंसशीट में रिफ्लेक्टेड हों और फिर उस समस्या को हल करने का प्रयास करें। कैपिटलाइजेशन करके, बैंक्स को प्रोफेशनलाइज करके इसे किया जाए और जो सेक्टोरल तकलीफ है, उनका हल ढूंढने से इसका हल निकलेगा।

कल चर्चा के दौरान, चूँकि यह राजस्व का प्रश्न है, तो डायरेक्ट-इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर कई प्रश्न आये थे। पिछले दो वर्ष, जो मंदी के वर्ष रहे। वर्ष 2014-15 में हमारा जो टोटल रिवेन्यू था, वह 9.4 पर्सेंट इंक्रीज़ हुआ। पिछले वर्ष यह लगभग 17 फीसदी बढ़ा। 17 फीसदी बढ़ने से पहली बार इस देश में हम जो बजट एस्टीमेट्स देते हैं, उस दिन तो हम कह देते हैं कि फलां क्षेत्र में इतना खर्च होगा, लेकिन आखिरी तीन-चार महीनों में उसे काटना शुरू कर देते हैं। यह पहला वर्ष है, जिसमें जितना वास्तविक खर्च हुआ है, वह बजट एस्टीमेट से ज्यादा है, वह कटा नहीं है, where we exceeded the budget

estimates. इस साल भी बढ़ते हुए राजस्व की वजह से विकास कार्यों के लिए जिन सरकारी योजनाओं में पैसा जाना है, उसे हम लोग रिकार्ड हाइएस्ट एवर डाल रहे हैं।

सरकार की टैक्सेशन नीति के पीछे जो उद्देश्य रहता है, उसमें एक स्वाभाविक उद्देश्य यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो "मेक इन इंडिया " का संकल्प है, वह अपने आप में पूरा हो। इसलिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए हम बार-बार कुछ चेंजेज लाते हैं। उन चेंजेज में हम लोग कस्टम ड्यूटी में कुछ क्षेत्रों में एग्जेम्पशन दे देते थे, काउंटरवेलिंग ड्यूटी में एग्जेम्पशन दे देते थे, जिससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री डिसएडवांटेज पर रह जाती थी, उसको अपने बजट प्रोविजन्स में इनडायरेक्ट टैक्सेशन में हम लोग रैशनलाइज़ करने का प्रयास करते हैं।

एक उद्देश्य यह रहता है कि देश में रोज़गार बढ़े। रोज़गार बढ़ाने के लिए हम लोग जिन क्षेत्रों में प्रयास कर सकते हैं, जैसे हाऊसिंग सेक्टर में इस बार हम लोगों ने बहुत रीबेट दी है। रॉयल्टी के ऊपर टैक्स 25 फीसदी से 10 फीसदी कर दिया गया। "स्टार्ट अप " के क्षेत्र में राहत देने की कोशिश की। धीरे-धीरे कारपोरेट टैक्स को भी रैशनलाइज़ करके ग्लोबली कंपीटिटिव इकोनॉमीज़ के स्तर पर लाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं।

एक विषय बार-बार आता है। कई बार टैक्स विभाग की छवि ऐसी रहती है जैसे वह बहुत-से लोगों को परेशान करता है। इसलिए टैक्स विभाग का और आम जनता का, टैक्स पेयर्स का आपस में एक-दूसरे से जो इंटरैक्शन है, वह मिनिमाइज़ हो जाए, सबसे कम हो जाए, हमारा यह प्रयास रहता है। जो डिस्प्युट्स हैं, वे अधिक से अधिक कम हो जाएं, हमारा यह प्रयास रहता है। पिछले वर्ष जो टैक्स रिटर्न्स गयी हैं, वे ई-मेल के माध्यम से जाती हैं और 94 पर्सेंट का एसेसमेंट भी इलैक्ट्रोनिक मोड से होता है। करीब चार करोड़ 14 लाख रिटर्न्स इलैक्ट्रोनिक मोड से एसेस होकर लोगों तक पहुंच जाती हैं। एक व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं कि जैसे पहले टैक्स रिफण्ड्स लेकर व्यक्ति घर आता था, फिर उसमें विचित्र प्रकार की शिकायतें मिलती थीं, पिछले वर्ष दो करोड़ दस लाख रिफण्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली कम्यूनिकेट हुए है, जिससे इंटरएक्शन धीरे-धीरे समाप्त हो जाए। इसमें छोटा एमाउण्ट नहीं, करीब एक लाख 22 हजार करोड़ रुपये की रिफण्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड से कम्यूनिकेट करके, स्पीड पोस्ट के माध्यम से 24 या 48 घण्टे में पैसा सीधे पहुंच जाता है। विभाग की ओर से हम लोग जो अपील्स दायर करते हैं, जिनसे लिटिगेशन बढ़ती है, एक टारगेट है कि उनको आधा कर दिया जाए। पिछले वर्ष आईटीएटी के सामने, सीएसटीएट के सामने और हाईकोर्ट के सामने हमने एक बड़ी संख्या में, जब मैं बड़ी संख्या कह रहा हूं तो आईटीएटी के सामने 5743 अपील्स, सीएसटीएटी में 5261, हाईकोर्ट में 5700 अपील्स को हमने वापस लेने का निर्णय कर लिया, क्योंकि विभाग अनावश्यक लिटिगेशन करे, इसका भी कोई उद्देश्य नहीं रहता है।

एक प्रश्न पूछा गया, दादा सौगत राय जी ने कहा कि छोटे और मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर को आप किस प्रकार रिलीफ देते हैं, क्या रिलीफ दिया हैi Shri Veerappa Moily said that our tax-GDP ratio is still a matter of worry and that it is inadequate. The third question is: How do we increase the tax base? Now, you have to address all the three questions. If you keep raising the exemption limit, you reduce the tax base. So, there is an apparent contradiction also in the points which were raised. How do we do the balancing act? इस सरकार के तीनों बजट्स जो अभी तक आए हैं, हमारा प्रयास रहता है कि छोटे टैक्स पेयर के हाथ में अधिक से अधिक पैसा रहे, ताकि वह अधिक से अधिक व्यय कर पाए और उसके खर्च करने से भी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। पहली बार हम लोगों ने इनवेस्टमेंट्स पर जो सेक्शन 80सी के तहत एग्जम्पशन लिमिट थी, उसे एक लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये कर दी, ताकि लोग जितनी बचत करेंगे, उतना कम टैक्स देना पड़ेगा और वह बचत देश के विकास में लगती है। उसके बाद मैंने यह कहा, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि धीरे-धीरे इस देश को हमें पेंशन्ड सोसाइटी बनाना है, केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बाकी लोगों के लिए भी, इसलिए जो नेशनल पेंशन स्कीम में इनवेस्ट करेगा, उसे 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। यह चीज केवल छोटे-मध्यम टैक्सपेयर्स के लिए थी। जो हाउस प्रॉपर्टी में इनवेस्ट करता है, उसके लिए पहले एक लाख रुपये की छूट थी, उसे हमने डेढ़ लाख रुपये कर दिया। इस बार मैंने कहा कि अगर पहला घर बना रहे हो तो 50,000 रुपये की छूट और मिलेगी। इसके अतिरिक्त, हर टैक्सपेयर जिसकी आमदनी पांच लाख रुपये तक है, उसको 2,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है, उसे बढ़ाकर हमने 5,000 रुपये कर दिया। पिछली बार हमने हेल्थकेयर इंश्योरेंस पॉलिसीज और सीनियर सिटिजन हेल्थकेयर के लिए जो खर्च होता है, उसकी लिमिट बढ़ा दी। जो कर्मचारी हैं, जो ट्रांसपोर्ट पर पैसा खर्च करते हैं, वह उनके व्यवसाय के साथ सम्बंधित है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन की एग्जम्पशन बढ़ा दी। जो लोग किराए के घरों मे रहते हैं, उनको वर्ष में 60,000 रुपये तक किराए में छूट में दे दी। ये अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ताकि टैक्स बेस बरकरार रहे और छोटे टैक्सपेयर को उसकी सहायता मिलती रहे।

इसमें मैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह मानता हूं कि हमने इस साल के बजट में प्रिजम्प्टिव इनकम का एक प्रकार से नया अध्याय बनाया है। इस देश में जितने प्रोफेशनल्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, डाक्टर्स हैं, सेल्फ-इम्प्लायड लोग हैं, बड़ी संख्या में हैं। एक शिकायत यह रहती है कि वे लोग बड़ी संख्या में टैक्स भरते हैं या नहीं, किताबें मेंटेन कर पाते हैं या नहीं, तो हमने कहा कि जिसकी 50 लाख रुपये तक सालाना इनकम है, ढाई लाख रुपये तक इनकम एग्जम्प्टेड हैं, ढाई लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक, इसमें मुझे लगता है कि कुछ दो-तीन प्रतिशत लोगों को छोड़कर सारे प्रोफेशनल्स आ जाते हैं। उनको कोई किताब

मैंटेन करने की जरूरत नहीं है, सिम्पल एक पेज की रिटर्न फाइल कीजिए, अपनी इनकम डिक्लेयर कीजिए और जितनी भी आपकी आमदनी हुई है, उसका पचास प्रतिशत आपकी इनकम मानी जाएगी, पचास परसेंट आपका खर्च माना जाएगा। It is a presumptive income. इससे लाखों की संख्या में प्रोफेशनल्स के लिए केवल सरलता ही नहीं आती है, डिस्प्यूट भी कम होता है, भ्रष्टाचार की टैक्स विभाग में सम्भावना भी कम होती है और उस वर्ग के हाथ में खर्च करने के लिए और आमदनी आ जाती है।

इसी प्रकार से देश के जितने कारोबारी हैं, ट्रेडर्स हैं, छोटी वर्कशॉप्स चलाने वाले हैं, जिनकी दो करोड़ रुपये तक की सालाना टर्नओवर है और दो करोड़ की टर्नओवर में शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स बड़ी मात्रा में आते हैं। यही सुविधा उसको दे दी गयी है कि कोई किताब मैंटेन करने की जरूरत नहीं है, केवल एक पेज की रिटर्न फाइल कीजिए। आपकी आठ परसेंट रिटर्न को प्रज्युम्ड इनकम माना जाएगा। उसमें आपको जो स्टेट्युटरी रिडक्शन 80सी वगैरह का मिलता है, वह लीजिए और जितना टैक्स बनता है, उसको भरिए। जिस प्रकार से सेलरिड इम्पलाइज की रिटर्न सरल होती है, प्रोफेशनल्स की, छोटे मध्यम वर्गीय ट्रेडर्स की, इन सभी को इस प्रकार से रिलीफ देना कि उनके हाथ में एक प्रकार से आमदनी आ जाए। These are all relief to the small and middle level taxpayer, both procedural and substantive itself.

एक प्रश्न उठा कि ब्लैक मनी के संबंध में आपकी क्या नीति हैi क्यों सरकार कदम नहीं उठा रही हैi मोइली साहब ने कहा कि एक बार जब हम लोगों की सरकार थी, लेकिन उस वक्त वित्त मंत्री आपके थे, सरकार आपकी नहीं थी, सरकार यूनाइटेड फ्रंट की थी। वह वर्ष 1997 था, जब हम लोग एक स्कीम लेकर आए थे, जिसमें 33 हजार करोड़ रुपये की ब्लैकमनी आ गयी, जबकि आपकी बहुत कम आयी है। अध्यक्ष जी, पहली बार हम लोग कानून लेकर आए हैं कि विदेश में जो पैसा है, जिस किसी का कोई असैट है, आप डिक्लेयर कीजिए। एचएसबीसी के अकाउंट में साढ़े छः हजार करोड़ रुपये असैस हुए, लिंचस्टाइन के अकाउंट्स में हुआ। उनके खिलाफ प्रोसीक्युशन्स फाइल किए गए। ब्लैक मनी कानून के तहत बहुत संख्या में लोगों ने डेक्लरेशन्स दिए। उसमें टैक्स आया। चार-सवा चार हजार करोड़ रुपये उसमें डिसक्लोज किया गया। उसके अतिरिक्त भी पिछले वर्ष में हमने असैसमेंट के माध्यम से 71 हजार करोड़ रुपये की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में फर्दर ब्लैक मनी नॉर्मल प्रोसीजर में अनर्थ की।

पनामा में भी जो केस आए हैं। हर व्यक्ति जिसका नाम आया है, उसको नोटिस जा चुका है। उनसे जवाब मांगा गया है कि बताइए किस वजह से आपका यह असैट बाहर था। किस के पास आरबीआई की परमीशन थी और किसने उसे टैक्स रिटर्न में दिखाया है या नहींi यह सब वैरीफाई होगा और जिस-जिस का गैर-कानूनी माना जाएगा, उस पर हमने जो कानून पारित किया है, उसके तहत एक्शन लिया जाएगा।

इस बारे में हम लोग यह समझ लें कि केवल आंकड़ा देने से तुलना नहीं होती है। The Congress Party in the 1980s brought the Bearer Bond Scheme, which was called the Black Bonds. The total amount that you could unearth. उसमें यह था कि जो व्यक्ति दस हजार रुपये का बॉण्ड खरीदेगा, उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वह अपने कैश पैसे से दस हजार रुपये का बॉण्ड खरीद ले। दस हजार रुपये के उसको इतने वर्ष बाद 12 हजार रुपये मिल जाएंगे और वह 12 हजार रुपये एकदम लेजिटिमेट व्हाइट हो जाएंगे। How much was the success? It was Rs.964 crore. What happened in 1997 when the United Front Government supported by the Congress was in power? That is the scheme which Mr. Moily referred. They came out with the most ill-advised VDIS – Voluntary Disclosure of Income Scheme. I will tell you why it was most ill-advised. Declare your black money and pay 30 per cent tax. It was an amnesty scheme. They said that if you are declaring gold and jewellery in 1997, that gold and jewellery would be valued at the prices of 1987 and that is why I called it ill-advised. An amount of Rs. 33,000 crore was declared and about Rs. 9,700 crore of tax was paid.

और उसकी विशेषता क्या हुई, सिस्टम में कोई पैसा नहीं आया। No new money came into the system, no cash came into the system and most of the declarants were women and minors.

लोगों ने अपने माइनर बच्चों के नाम पर या पत्नियों के नाम पर ज्यूलरी या थोड़ी सी प्रोपर्टी दिखानी शुरू कर दी और 1997 में कहा कि 1987 की वैल्यू पर यह मेरी ज्यूलरी है और मैं उस ज्यूलरी पर टैक्स दे रहा हूं। केवल जो उनके पास गोल्ड स्टोर्ड था या थोड़ी सी प्रोपर्टी थी, उसे व्हाइट कर दिया और उसके ऊपर 9700 करोड़ रुपये टैक्स दे दिया और वह डोमैस्टिक ब्लैक मनी थी, उसमें फॉरेन ब्लैक मनी नहीं थी। किसी ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया।

That Scheme was challenged in the Supreme Court and *prima facie* the challenge was a strong challenge. जिस आदमी ने 1987 में ईमानदारी से टैक्स दिया he paid tax at the 1987 value of the rupee. So the honest tax payer paid his tax at the 1987 value of the rupee, the tax evader in 1997 is being given the facility of paying it at the value of 1987 and there is no penalty and no interest on top of it.

So, that scheme was completely discriminatory against the honest tax payer. If you honestly pay your taxes, you will pay at the current value, but here you will pay your tax at the value of the rupee 10 years earlier and without any penalty and interest and I am surprised Mr. Moily said that this was a highly successful scheme. This scheme could have been struck down as discrimination against the honest tax payer, but for the Government assuring the Court that henceforth they would not come out with such schemes.

What we have done in the Black Money case and in the present Budget is not to have offered any amnesty scheme. In the Black Money Act, you pay 30 per cent tax and 30 per cent penalty. So 100 per cent penalty is not amnesty and this time even to settle disputes, what we have said in the Budget is, if any income has escaped assessment, you can now declare it, but you will have to pay 45 per cent tax as against the 30 per cent tax. अगर आपकी कोई फर्स्ट अपील लैवल पर है तो हमने डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्रिएट कर दिया और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में कहा कि जिस दिन असैसमैन्ट आर्डर हुआ, वह सारा अमाउंट दीजिए और ब्याज दीजिए। जो अपील में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स केसिज पैंडिंग हैं, so that we can settle that. जो रिट्रोस्पैक्टिव टैक्सेशन के विक्टिम्स हैं, उनके लिए हमने स्कीम दी कि प्रिंसिपल अमाउंट दीजिए, क्योंकि आपको यह अंदाजा नहीं था कि आने वाली फ्यूचर डेट पर टैक्स लग सकता है।

इसके अतिरिक्त इस वर्ष हमने 33 टैक्सेशन आफिशियल्स को, जिसमें ग्रुप 'ए' के भी सात लोग थे, उन्हें कंपलसरिली रिटायर किया, जिन पर आरोप थे। 72 लोगों को सर्विस से डिसमिस किया, जिसमें ग्रुप 'ए' के 6 लोग थे। इसलिए एक प्रकार से ईमानदार टैक्स पेयर के लिए एक रीजनेबल रेट्स हो जाएं और वह टैक्स देता रहे। चाहे अधिकारी करप्ट बेइमान हो, तो उसकी डिस्क्रिशन भी कम करो और उस पर कार्रवाई भी करो। लोगों ने इस बार यह कार्रवाई कई प्रकार से करने का प्रयास किया है। इंडिविजुअल टैक्सेशन के प्रपोज़ल के संबंध में महताब जी का कहना था कि जो पैनल्टी है, 50 पर्सेंट से 200 पर्सेंट तक होगी, it is a wide range. What is the discretion? In the earlier law, Mahtab *ji*, the range was wider, 100 to 300 per cent. We have narrowed it down from 50 to 200 per cent. We have put guidelines that if there is unreporting, it will be 50 per cent and if it is deliberate misreporting, it can go up to 200 per cent. So, we have

created a distinction. So, there are guidelines now as to how the discretion has to be exercised.

When you said, your tax-GDP ratio is low, it is low because we have to get people into the culture of paying taxes. For the Central taxes, you are right, the tax-GDP ratio is 10.8 per cent. But if you take the country as a whole, that is the Centre and the States together, the tax-GDP ratio is 16.6 per cent.

Mahtab *ji* also raised the question of remission that जो रैमिशन नहीं करता, उस वक्त ऑफर नहीं करता, उसके खिलाफ अपील नहीं है। उस स्टेज पर नहीं है, लेकिन फाइनल असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ अपील है। He can take that ground at that stage. So, some remedy is there. You cannot have multiple remedies which will only increase litigation.

Mr. Saugata Roy wanted to know what steps you are taking to live up to what you have said to bring down corporate tax rate to 25 per cent. If I abruptly bring it down, I had linked it to the phasing out of the exemptions. So, as I will phase out exemptions, because exemptions are to be phased out with effect from dates which were notified in those exemptions, this year nothing has phased out. So I would suffer a hit and not be able to maintain the fiscal deficit. But to show my honest intention, दादा हमने दो चीज़ें इस बार की हैं कि जो नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस देश में लगाता है और कोई एग्ज़ैम्पशन क्लेम नहीं करता तो प्रॉफिट पर उसको सीधा 25 पर्सेंट टैक्स लगेगा और जो पांच करोड़ रूपये से कम वाले हैं, इस साल उनका एक पर्सेंट कम कर रहे हैं और एक-एक पर्सेंट कम करते हुए, उसको 25 पर्सेंट तक लाएंगे। इस बार हमने उसका भी एक पर्सेंट कम कर दिया है।

कुछ लोगों ने कृषि की टेक्सेशन के बारे में कहा था। संविधान में स्पष्ट प्रावधान है और इस दिशा में इसको लगाने का केंद्र का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि कृषि क्षेत्र वैसे भी दबाव की परिस्थिति में है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Even those companies, who are earning more than crores of rupees.

SHRI ARUN JAITLEY: In any case, Mahtab *ji*, you are a veteran in this House. This category of people earning from agriculture in crores is very little. In any case, please remember, under the Constitution of India, the Centre has no power.

It is a State subject. I would advise you not to advise your Chief Minister to levy it in Odisha. मैं आपको कहूंगा यह आपके अधिकार में है, परंतु ओडीशा में मत लगाइए।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: A case is pending in Patna High Court concerning a number of people who are indulging in this type of activity, showing more than Rs. 200 crore profit.

SHRI ARUN JAITLEY: I am aware of it. महताब जी, दो अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं। One is honest agricultural income. You may have a large income which is a separate case. That is a rare case. वे औसतन ऐसे केसेज़ नहीं हैं। कुछ केसेज़ ऐसे हैं कि लोग अन्य साधनों से कमाए हुए धन को कृषि इनकम में पास ऑफ कर देते हैं। That is a case of evasion. That will be dealt with under the law. That the assessing officer can deal with. लेकिन इस बहाने कृषि पर लगाया जाए, ऐसा इरादा न केंद्र सरकार का है और न ही केंद्र के पास इसका अधिकार है और हम राज्यों को भी राय देंगे कि अभी इस देश की कृषि की जो स्थिति है, उसको लगाने का कोई औचित्य नहीं है।

एक प्रश्न श्री जितेन्द्र रेड्डी ने उठाया है और वह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह सचमुच बहुत लोगों की नजर में नहीं आया है। I will compliment Shri Jithender Reddy for raising that issue. Under the new Land Acquisition Law, there is no tax or TDS on acquisition of land and on land compensation. Even though there is no tax but there is a TDS provision of the Income Tax which applies. So, obviously, there is a conflict between the provision of the Income Tax Act and the subsequently enacted Land Acquisition Law. I would compliment the hon. Member for having noticed this contradiction. This dispute has also come up in the Kerala High Court and they have given some judgement to this effect. I am seized of this problem and I am going to take a view on this because obviously the intention of the Parliament is expressed by the subsequent law which is the 2013 law. So, in view of this, we will try and resolve the anomaly which you have pointed out. That is all I want to tell the hon. Member while complimenting him for raising this particular issue.

कई लोगों ने सदन में भी, सदन के बाहर भी टैक्स ऑन गोल्ड के ऊपर एक विषय उठाया है। मैंने पहले भी कहा कि देश को जीएसटी की दिशा में बढ़ना है और जीएसटी की दिशा में बढ़ने की दृष्टि से

कोई औचित्य नहीं होगा कि हम लोग कुछ आइटम्स ऐसे हैं, जिन्हें जीएसटी से बाहर रख पाएं और बाहर रखते हैं तो जो स्टैंडर्ड रेट ऑफ टैक्सेशन है या रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है, उसे 18 परसेंट से नीचे मैन्टेन करना अपने आप में कठिन होगा। विशेष रूप से लग्जरी गुड्स के ऊपर टैक्सेशन न लगे इसका औचित्य नहीं है। मैंने पहले भी इस सदन को आश्वासन दिया था कि इस ट्रेड में किसी का हैरास्मेंट हो, यह हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए स्पष्ट गाइड लाइन्स दे दी गई हैं और जिसके तहत सेल्फ असेस्मेंट, हर राज्य वैट लगाता है, जो वैट की उनकी रिटर्न है, वही टैक्स के लिए रिटर्न होगी। अधिकतर राज्य एक परसेंट लगाते हैं, केवल केरल पाँच परसेंट लगाता है। जो उनकी वैट की रिटर्न होगी, उसी क्वांटम पर उनको वन परसेंट देना पड़ेगा। कोई फिजिकल वेरीफिकेशन, इंस्पेक्शन नहीं होगा। इसमें गाइड लाइन्स स्पष्ट रूप से दिए जा चुके हैं। इसको और सरल करने के लिए हम लोगों ने डॉ0 अशोक लाहिरी, जो पहले सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, उसमें ट्रेड रेप्रिजेन्टेटिव्स भी हैं और जो भी इसको इनफोर्स करने और सरल करने के लिए उनके सुझाव होंगे, उनके ऊपर हम विचार करेंगे। टैक्सेशन तो देना पड़ेगा, लेकिन उस बहाने किसी का हैरास्मेंट हो, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसके लिए आपके जो भी सुझाव हों, उन्हें आप दीजिए, हम निश्चित रूप से उन सुझावों को भी कंसीडर करेंगे।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): सर, टैक्स लगाने के लिए हमारी तरफ से मना नहीं है। जब कभी कोई ओनर गोल्ड स्मिथ के पास में जाता है और उससे बोलता है कि हमें यह हार बनाकर दीजिए। हमारे हैदराबाद के चारमीनार की गलियों के अन्दर में कारीगर रहते हैं। Lot of Bengali people have come and settled there as *karigars*. अब इन कारीगर्स के पास में वह जो काम करा लेता है, काम कराने के बाद में अगर वह शॉप पर जाएगा तो शॉप के अन्दर आप टैक्स कीजिए, लेकिन अगर कारीगर के पास में जाकर वह कराता है तो वहाँ टैक्स नहीं होना चाहिए।

श्री अरुण जेटली : आपका सुझाव बिल्कुल सही है। इसलिए इस दुष्प्रचार का हिस्सा न बनें। जो प्राइमरी मैन्यूफैक्चरर है, उस पर लगता है। जिसकी पिछले वर्ष 12 करोड़ रूपए की टर्न ओवर थी और इस वर्ष 6 करोड़ रूपए की टर्न ओवर है, वह कारीगर नहीं होता। यह मेन रिटेल बिग शोरूम्स के ऊपर है। यह मिनिमम थ्रेशोल्ड है। यह उसी पर है। जॉब वर्क पर नहीं है। मैं केवल इतना कहूँगा कि इस चीज को इंश्योर करने के लिए जो भी डॉ0 लाहिरी कमेटी सुझाव देगी, जिसमें ट्रेड रेप्रिजेन्टेटिव्स भी हैं, उसको हम लोग निश्चित रूप से कंसीडर करेंगे।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : ग्रामीण एरिया में जो स्वर्णकार हैं, उन्हें इससे एग्जम्प्ट रखा जाए।...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : आपने वही महताब जी वाली बात कर दी कि किसान 200 करोड़ रूपए कमाता है, ग्रामीण क्षेत्र वाला 12 करोड़ रूपए की टर्न ओवर तो नहीं करता। दीपेन्द्र जी, आपने चूँकि इस पर रेज़ किया है, This back of the envelope economy will not work. I will give you the reason. आज आपको बहुत हमदर्दी है। आप याद रखिए कि 2013 में जब करंट अकाउंट डैफिसिट 4.5 परसेंट को क्रास कर चुका था, तो आप लोगों की सरकार 80:20 स्कीम लाई थी। इस देश के अंदर सोना नहीं निकलता, सोने की खानें नहीं हैं। सारा विदेश से आता है। लगभग ढाई लाख करोड़ रुपया केवल गोल्ड इंपोर्ट में यह देश खर्चता है फॉरैन एक्सचेंज में। आपकी सरकार ने यह कानून बना दिया था कि केवल वह व्यक्ति इस देश में सोना ला सकता है जो उसमें से 20 परसेंट बाद में एक्सपोर्ट करेगा। उस वक्त तो गाँव वाले की चिन्ता आपको नहीं थीx ... (व्यवधान) गाँव वाला तो एक्सपोर्ट नहीं करताx यह हमारी सरकार की उदारदिली है कि हम लोगों ने इस चीज़ को नज़रंदाज़ किया। 16 मई, 2014 को लोक सभा चुनाव के परिणाम आए। सरकार ने 26 मई को शपथ ली। 16 और 26 के बीच में एक आदेश पारित हो गया कि केवल 6 या 7 स्टार एक्सपोर्ट हाउसेज़ इस देश में सोना ला सकते हैं। ...(व्यवधान) उस वक्त तो इस गाँव वाले स्वर्णकार की चिन्ता आपको नहीं थी। वह तारीख है 16 मई और 26 मई 2014 के बीच में, और हम लोगों की यह उदारदिली थी कि यह जो विषय था कि यह 16 मई और 26 मई के बीच में कैसे आदेश पास हो गया, हम इसकी चिन्ता न करें।

तीसरा जो था कस्टम्स ड्यूटी, आप गोल्ड इकोनॉमी को समझ लीजिए। The higher the Customs Duty, the more is the smuggling. आज देश का जो कस्टम विभाग है, आप ट्रैवल करते हैं, एयरपोर्ट पर रेगुलरली जाते हैं, किसी कस्टम्स अधिकारी से पूछ लीजिए कि What are the smuggled items? उनकी अधिकतर एनर्जी गोल्ड स्मगलिंग को रोकने में लगती है। रोज़ किसी न किसी कस्टम्स काउंटर पर वे पकड़े जाते हैं, समुद्र के हों या एयरपोर्ट के हों। इस देश की जो सोने की एपेटाइट है, वह लगभग 1100 टन सालाना है। उस एपेटाइट को भरने के लिए ढाई लाख करोड़ रुपये फॉरैन एक्सचेंज का सोना हर साल आता है। शायद जब आपकी सरकार ने करंट डैफिसिट अकाउंट 4.7 पर था, तो इस ढाई लाख करोड़ को बचाने के लिए, ताकि रुपया जो 69 पर था, नीचे आए, इसीलिए कदम उठाया होगा। मैं उस कदम के संबंध में नहीं कह रहा हूँ। जितनी कस्टम्स ड्यूटी आप बढ़ाते हैं, उतना स्मगल्ड रूट्स से आता है, जितनी रीज़नेबल रखते हैं, उतना ऑफिशियल रूट से आता है। इसलिए यह जो सुझाव आता है कि कस्टम्स ड्यूटी बढ़ा दो, इसको सरल शब्दों में कहा जाए तो कांग्रेस की सरकारें पहल करें और सोने पर राज्यों में जो वैट लगाया हुआ है, उसको समाप्त कर दें। केरल में चुनाव हो रहा है, वहाँ पाँच परसेंट वैट है। आपको एक परसेंट एक्साइज़ पर तकलीफ है, उस पाँच परसेंट वैट पर तकलीफ नहीं

हैंi ...(व्यवधान) मुझे आज तक यह राजनीति, यह अर्थव्यवस्था समझ नहीं आई कि सूट से तो आपको घृणा है, लेकिन सोने से बहुत लगाव है। ...(व्यवधान) आप देखिए, कि कोई सर्दी में गरम कपड़ा पहन ले तो हमें तकलीफ है लेकिन सोने के साथ हमारा बड़ा लगाव है। ...(व्यवधान)

अध्यक्षा जी, इस वित्त विधेयक में आर.बी.आई. एक्ट में भी तब्दीली की गई है और देश की अर्थव्यवस्था के संचालन में आर.बी.आई. से भी चर्चा हुई । आर.बी.आई. के साथ कंसल्टेशन में ये एमेंडेमेंट्स हम लोगों ने ड्राफ्ट किये हैं कि देश में मुद्रास्फीति कम हो, इन्फ्लेशन कम हो, ग्रोथ टार्गेट्स उसकी वजह से कम हों, इन्फ्लेशन टार्गेटिंग हर पांच साल बाद उसके टार्गेट तय हो और एक मोनेटरी पॉलिसी कमेटी हो, जिसमें तीन नुमाइन्दे सरकार के, तीन आर.बी.आई. के हों और उसमें एक कॉस्टिंग वोट गवर्नर की हो।

इसके अतिरिक्त कई विषय और माननीय सदस्यों ने इसमें जोड़े हैं। मैं केवल दो विषयों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कई विषय ऐसे होते हैं, बजट और फाइनेंस बिल पेश करने के बाद हमारे समक्ष आते हैं। समक्ष आने के बाद उस पर हम सुनवाई करते हैं और चार-पांच ऐसे प्रपोजल्स हैं, जो मैंने एमेंडमेंट्स दे दिये हैं, जिनमें छोटी-छोटी तब्दीलियां की हैं। अगर उस पर कोई स्पष्टीकरण चाहेगा तो मैं दे सकता हूं।

एक अन्तिम विषय, जो माननीय मेरे मित्र हर बार चर्चा होती है। मैं उसका इस बार थोड़ा आंकड़ों के साथ जवाब देना चाहूंगा। देश के जितने राज्य हैं, आज 14वें फाइनेंस कमीशन के बाद वे राज्य अपना टैक्सेशन इकट्ठा करते हैं और उनको सैण्ट्रल टैक्सेशन पूल से 42 परसेंट हम सहायता करते हैं। इस 42 परसेंट के अतिरिक्त कुछ फाइनेंस कमीशन की स्पेशल ग्राण्ट्स होती हैं, जो उन्होंने तय की हैं। कुछ उसके अलावा सैण्ट्रल स्कीम्स हैं, कुछ में 100 परसेंट फंडेड है, कुछ 60:40 फंडेड हैं और कुछ ऐसे राज्य हैं, जो रैवेन्यू डैफीसिट हैं। नोर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, हिल स्टेट्स हैं, वे डिसएडवांटेज स्टेट्स हैं। इसके अतिरिक्त वैस्ट बंगाल और केरल रेवेन्यू डैफीसिट रहते हैं तो उनका पूरा रैवेन्यू करने के लिए सुझाव दिये गये हैं।

आन्ध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद हैदराबाद तेलंगाना में जाने से आन्ध्र प्रदेश की एक स्वाभाविक कठिनाई है। इसमें जो कठिन एरियाज़ हैं, मैं केवल आन्ध्र प्रदेश के माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में कह दूं कि इसमें न केवल मैं उनको बार-बार आश्वासन देता रहा हूं और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश को किसी प्रकार से भी साधनों की कोई तकलीफ हम लोग आने नहीं देंगे।

I will speak in English because some of you understand English better. Under the 13th Finance Commission, the undivided State, that is, both Telangana and Andhra taken together, had got Rs. 98,820 crore, in all, all grants taken

together from the Centre over a period of five years. Andhra Pradesh has about 52 per cent of the share and Telangana has about 48 per cent of the share.

Now, if the State was notionally divided five years earlier, Andhra's share comes to about Rs. 52,000 crore for the entire five year period. Now, Andhra has to start afresh; it has not got Hyderabad; it has to build a Capital; it has to complete Polavaram Project; it has some Central Institutions. We have provided to Andhra Pradesh, Central Institutions to compensate them because a large number of Central Institutions have gone to Telangana. I am not counting most of them.

So, you got about Rs. 50,000 crore in the 13th Finance Commission, which is approximately about Rs. 10,000 crore on an average every year. These are the approximate figures and I may be slightly inaccurate. In the first year, that is, 2014-15, which was a part year and so, we paid the amounts. The amount of revenue that we gave, the taxation share for Andhra, shot up to Rs. 14,100 crore.

In 2015-16, we have given Rs. 21,900 crore which is the right of Andhra Pradesh. It is not a favour to Andhra Pradesh because under the Re-organisation Act, something has to be given. For revenue deficit under the Re-organization Act over and above this Rs. 21,900 crore, we have given Rs. 6,609 crore. We have given another Rs. 1,259 crore under the Commission. Then, SDRs have been given. Additionally some more amounts are to be given under the Re-organisation Act. We have now already given that. For the first year, Andhra Pradesh has calculated the revenue deficit at about Rs. 13,000 crore. We are verifying that. We are an account payee of Andhra Pradesh till the final amount is settled. This is one amount on which what we have given is less than what Andhra Pradesh has claimed. This was for the first year, that is, 2014-15, we have given Rs. 2,800 crore so far because this will have to be given in instalments annually.

For all subsequent years, the revenue deficit is being paid each year. This year also, it will be paid and last year also, it has been paid. But first year, some amount will have to be settled. For capital, we have already given Rs. 2,050 crore.

NITI Aayog has assessed a certain amount. Andhra Pradesh wants a little more than that. We can settle that amount. Some amount has been given for Polavaram.

So, totally, under the Re-organization Act, we have given over and above the Fourteenth Finance Commission Rs. 6,403 crore. Some more has to be given towards capital, some more has to be given for first year's revenue deficit, and for Polavaram, we are trying to organise from the special fund which we have created under NABARD so that a substantial part of the polavaram will be funded. All I want to assure you is that as a State which has lost a lot of revenue after the partition, every rupee that Andhra Pradesh is entitled to and which it requires is being given.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Do you not think that we should wait for the Supreme Court judgement? … (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: It is not a problem. Andhra has a few districts which are severe drought districts. You also have that problem.

The second problem is that under the Andhra Pradesh Re-organisation Act, there is a Central commitment on Polavaram. I cannot go back on that commitment. … (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: There was a statement that we will form a committee. … (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: We will settle it. We can look at Odisha's grievances independently but I cannot go back on the Andhra Act. … (*Interruptions*) It is an Act passed by both Houses of Parliament. … (*Interruptions*) I am conscious of Odisha's concerns.

माननीय अध्यक्ष : अभी उस विषय पर चर्चा नहीं हो रही है। प्लीज़, आप लोग बैठिए। Mr. Minister, you can continue.

… (*Interruptions*)

12.59 hours

(At this stage, Shri Tathagata Satpathy and some other hon. Members left the House.)

SHRI ARUN JAITLEY: All that I will say is after all, it was the UPA Government which had proposed the Re-organisation Act and if there is a provision in the Re-organisation Act, I cannot disregard it and I have to honour that provision and therefore, I want to assure the hon. Members that we will take it into consideration.

Madam, with these few words, I commend that the Finance Bill, 2016-17 be accepted.

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, बैठिए। आपकी बात उन्होंने बोल दी है।

13.00 hours

HON. SPEAKER: Please do not talk about Polavaram project or anything. Jithender Reddy Ji, whatever he wanted to say he has said it.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The question is:

> "That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2016-17, be taken into consideration. "

The motion was adopted.

… (*Interruptions*)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : मैडम, मैंने प्वाइंट ऑफ आर्डर उठाया था। ...(व्यवधान) पास होने के बाद ...(व्यवधान) रूलिंग देने का वादा किया था। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस विषय पर अभी नहीं होगा। आई ऐम सॉरी।

…(व्यवधान)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Madam, yesterday I had raised a point of order stating that under article 110 sub-section (1).… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I know it. कंसीडे्रशन जब करती हूं, तब बताती हूं।

The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Madam, you are passing the Bill. Madam, before that, you give the ruling.

HON. SPEAKER: Before passing, I will tell you.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Yes, I know.

Clause 2 Income Tax

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 Amendment of Section 2

Amendment made

"Page 6, *after* line 9, *insert—*

'(*e)* in clause (*42A)*, after the second proviso and before *Explanation* 1, the following proviso shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2017, namely:--

'Provided also that in the case of a share of a company (not being a share listed in a recognized stock exchange in India), the provisions of this clause shall have effect as if for the words "thirty-six months", the words "twenty-four months" had been substituted.'.'." (1)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 3, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

Clauses 4 to 6 were added to the Bill.

Clause 7 Amendment of Section 10

Amendments made:

"Page 6, *omit* line 32 to 39." (2)

"Page 6, *omit* line 46 to 51." (3)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 7, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clause 7, as amended, was added to the Bill.

Clauses 8 to 15 were added to the Bill.

Clause 16 Insertion of new section 35 ABA

Amendments made:

"Page 9, *after* line 43, *insert*—

"(*3*) Where, in a previous year, any deduction has been claimed and granted to the assessee under sub-section (l), and, subsequently, there is failure to comply with any of the provisions of this section, then,--

(a) the deduction shall be deemed to have been wrongly allowed;

(b) the Assessing Officer may, notwithstanding anything contained in this Act, re-compute the total income of the assessee for the said previous year and make the necessary rectification;

(c) the provisions of section 154 shall, so far as may be, apply and the period of four years specified in sub-section (7) of that section being reckoned from the end of the previous year in which the failure to comply with the provisions of this section takes place."." (4)

"Page 10, line 7, *after* "employed by the assessee", *insert* "or payable in such manner as may be prescribed."." (5)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 16, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clause16, as amended, was added to the Bill.

Clauses 17 and 18 were added to the Bill.

Clause 19 Amendment of Section 35CCC

Amendment made:

"Page 10, *for* lines 42 and 43, *substitute*—

Amendment of section 35CCC.

'19. In section 35CCC of the Income-tax Act, in sub-section (l), the following proviso shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2017, namely:--

'Provided that for the assessment year beginning on or after the 1st day of April, 2021, the provisions of this sub-section shall have effect as if for the words, "a sum equal to one and one-half times of", the words "a sum equal to" had been substituted.'.'." (6)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 19, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clause19, as amended, was added to the Bill.

Clauses 20 to 29 were added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.7 to the Finance Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved."

HON. SPEAKER: The question is:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its

application to Government amendment No.7 to the Finance Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved."

The motion was adopted.

New Clause 29 A

Amendment made:

Page 13, *after* line 14, *insert-*

Amendment of section 49.	29A. In section 49 of the Income-tax Act, after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2017, namely:- "(*5*) Where the capital gain arises from the transfer of an asset declared under the Income Declaration Scheme, 2016, and the tax, surcharge and penalty have been paid in accordance with the provisions of the Scheme on the fair market value of the asset as on the date of commencement of the Scheme, the cost of acquisition of the asset shall be deemed to be the fair market value of the asset which has been taken into account for the purposes of the said Scheme.".'. (7)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That new clause 29(A) be added to the Bill."

The motion was adopted.

New clause 29 (A) was added to the Bill.

Clauses 30 to 40 were added to the Bill.

Clause 41 Amendment of Section 80-1AB

Amendments made:

Page 16, line 18, *after* "company", *insert* "or a limited liability partnership". (8)

Page 16, *after* line 26, *insert-*

6 of 2009	'(iii) "limited liability partnership" means a partnership

	referred to in clause (*n*) of sub-section (*l*) of section (*2*) of the Limited Liability Partnership Act, 2008.'. (9)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 41, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 41, as amended, was added to the Bill.

Clause 42 was added to the Bill.

Clause 43 Insertion of new section 80-1BA

Amendments made:

Page 16, line 44, *omit* "in accordance with such guidelines as may be prescribed". (10)

Page 16, line 49, *for* "on which the project", *substitute* "on which the building plan of such housing project". (11)

Page 17, *for* lines 3 and 11, *substitute-*

	"(*d*) the project is on a plot of land measuring not less than- (*i*) one thousand square metres, where the project is located with in the cities of Chennai, Delhi, Kolkata or Mumbai or within the distance, measured aerially, of twenty-five kilometres from the municipal limits of these cities; or (*ii*) two thousand square metres, where the project is located in any other place; (*da*) the project is the only housing project on the plot of land as specified in clause (*d*); (*e*) the built-up area of the residential unit comprised in the housing project does not exceed-

	(*i*) thirty square metres, where the project is located within the cities of Chennai, Delhi, Kolkata or Mumbai or within the distance, measured aerially, of twenty-five kilometres from the municipal limits of these cities; or (*ii*) sixty square metres, where the project is located in any other place;". (12)

Page 17, line 19, *for* "within the area", *substitute* "within the distance, measured aerially,". (13)

Page 17, line 22, *for* "area other than the areas", *substitute* "place other, than the place". (14)

Page 17, line 24, *for* "undertaking which", *substitute* "accessee who". (15)

Page 17, line 33, *omit* "under any scheme for the housing". (16)

Page 17, line 41, *for* "by the Central Government", *substitute* "to approve the building plan by or under any law for the time being in force". (17)

Page 17, line 44, *for* "dwelling", *substitute* "residential". (18)

Page 17, line 45, *for* "specify", *substitute* "approve". (19)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 43, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 43, as amended, was added to the Bill.

Clauses 44 and 45 were added to the Bill.

Clause 46 Amendment of Section 92D

Amendment made:

Page 19, line 3, *for* "clause (*viii*)", *substitute* "clause (*x*)". (20)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 46, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 46, as amended, was added to the Bill.

Clause 47 was added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80(i)

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, I beg to move:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 21 to the Finance Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved."

HON. SPEAKER: The question is:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 21 to the Finance Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved."

The motion was adopted.

New Clause 47A

Amendment made:

Page 19, *after* line 21, *insert* —

Amendment of section 111A	47 A. In section 111A of the Income-tax Act with effect from the 1st day of April 2017,--

(i) in sub-section *(I),* after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:--

"Provided further that nothing contained in clause *(b)* shall apply to a transaction undertaken on a recognised stock exchange located in any International Financial Services Centre and where the consideration for such transaction is paid or payable in foreign currency." ;

(ii) for the *Explanation* below sub-section (3), the following shall be substituted, namely:-

'Explanation.-For the purposes of this section,-
(a) "equity oriented fund" shall have the meaning assigned to it in the *Explanation* to clause (38) of section 10;

(b) "International Financial Services Centre" shall have the same meaning as assigned to it in clause *(q)* of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005;	28 of 2005

(c) "recognised stock exchange" shall have the meaning assigned to it in clause (ii) of the *Explanation* I to sub-section (5) of section 43.'.'. (21)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That New Clause 47A be added to the Bill."

The motion was adopted.

New Clause 47A was added to the Bill.

Clause 48 was added to the Bill.

Clause 49 Insertion of new section 115BA

Amendments made:

Page *19 for* lines 35 and 36, *substitute-*

"(b) the company is not engaged in any business other than the business of manufacture or production of any article or thing and research in relation to, or distribution of, such article or thing manufactured or produced by it; and". (22)

Page 19, for lines 51 to 53, *substitute-*

"(4) Nothing contained in this section shall apply unless the option is exercised by the person in the prescribed manner on or before the due date specified under sub-section *(l)* of section 139 for furnishing the first of the returns of income which the person is required to furnish under the provisions of this Act:

Provided that once the option has been exercised for any previous year, it cannot be subsequently withdrawn for the same or any other previous year.". (23)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 49, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 49 was added to the Bill.

Clause 50 Insertion of new section 115 BBDA

Amendment made:-

Page 20, for lines 5 to 7, *substitute,--*

"income in aggregate exceeding ten lakh rupees, by way of dividends declared, distributed or paid by a domestic company or companies, the income-tax payable shall be the aggregate of-

(a) the amount of income-tax calculated on the income by way of such dividends in aggregate exceeding ten lakh rupees, at the rate of". (24)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 50, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 50 was added to the Bill.

Clause 51 was added to the Bill.

Clause 52 Insertion of new section 115 BBF

Amendments made:

Page 20, *after* line 29, *insert,-*

"(3) The eligible assessee may exercise the option for taxation of income by way of royalty in respect of a patent developed and registered in India in accordance with the provisions of this section, in the prescribed manner, on or before the due date specified under sub-section (I) of section 139 for furnishing the return of income for the relevant previous year.

(4) Where an eligible assessee opts for taxation of income by way of royalty in respect of a patent developed and registered in India for any previous year in accordance with the provisions of this section and the assessee offers the income for taxation for any of the five assessment years relevant to the previous year succeeding the previous year not in accordance with the provisions of sub-section (I), then, the assessee shall not be eligible to claim the benefit of the

provisions of this section for five assessment years subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which such income has not been offered to tax in accordance with the provisions of sub-section (I).". (25)

Page 20, line 31, *for* "the expenditure incurred by the assessee", *substitute* "at least seventy-five per cent of the expenditure incurred in India by the eligible assessee". (26)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 52, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 52 was added to the Bill.

Clause 53 Amendment of section 115 JB

Amendment made:

Page 21, lines 42 and 43, *omit,* "on or after the 1st day of April, 2016". (27)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 53, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 53 was added to the Bill.

Clauses 54 to 59 were added to the Bill.

Clause 60 Insertion of new Chapter XII-EB

Amendments made:

Page 24*, after* line 30, *insert--*

"Provided that so much of the accreted income as is attributable to the following assets and liability, if any related to such asset shall be ignored for the purposes of sub-section (I), namely:-

(i) any asset which is established to have been directly acquired by the trust or institution out of its income of the nature referred to in clause (I) of section 10;

(ii) any asset acquired by the trust or institution during the period beginning from the date of its creation or establishment and ending on the date from which the registration under section 12AA became effective, if the trust or institution has not been allowed any benefit of sections 11 and 12 during the said period:

Provided further that where due to the first proviso to sub-section (2) of section 12A, the benefit of sections 11 and 12 have been allowed to the trust or the institution in respect of any previous year or years beginning prior to the date from which the registration under section 12AA is effective, then for the purposes of clause (ii) of the first proviso, the registration shall be deemed to have become effective from the first day of the earliest previous year:".

(28)

Page 24, line 31, *for* "Provided that", *substitute* "Provided also that".

(29)

Page 24, *for* lines 51 and 52, *substitute*—

"(i) the date on which,-

(a) the period for filing appeal under section 253 against the order cancelling the registration expires and no appeal has been filed by the trust or the institution; or

(b) the order in any appeal, confirming the cancellation of the registration, is received by the trust or institution,

in a case referred to in clause (i) of sub-section (3);". (30)

Page 25, *for* lines 1 and 2, *substitute*—

"(iii) the date on which,--

(a) the period for filing appeal under section 253 against the order rejecting the application expires and no appeal has been filed by the trust or the institution; or

(b) the order in any appeal, confirming the cancellation of the application, is received by the trust or institution,

in a case referred to in sub-clause *(b)* of clause (ii) of sub-section (3);". (31)

Page 25, *after* line 21, *insert*—

"(iii) registration under section 12AA shall include any registration obtained under section 12A as it stood before its amendment by the Finance (No.2) Act, 1996.". (32)	33 of 1996

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 60, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 60 was added to the Bill.

Clauses 61 to 65 were added to the Bill.

Clause 66 Amendment of section 143

Amendment made:

Page 26, *for* lines 41 to 43, *substitute*—

'(II) for sub-section (ID), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(ID) Notwithstanding anything contained in sub-section (I), the processing of a return shall not be necessary before the expiry of the period specified in the second proviso to sub-section (I), where a notice has been issued to the assessee under sub-section (2):

Provided that such return shall be processed before the issuance of an order under sub-section (3). ";'. (33)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 66, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 66 was added to the Bill.

Clauses 67 to 80 were added to the Bill.

Clause 81 Amendment of new section 194 LBC

Amendment made:

Page 31, *after* line 38, *insert* –

"Provided that where the payee is a non-resident (not being a company) or a foreign company, no deduction shall be made in respect of any income that is not chargeable to tax under the provisions of the Act.". (34)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 81, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 81, as amended, was added to the Bill.

Clauses 82 to 85 were added to the Bill.

Clause 86 Amendment of Section 206C

Amendments made:

Page 32, *omit* lines 24 to 28. (35)

Page 32, *after* line 41, *insert* –

"(1F) Every person, being a seller, who receives any amount as consideration for sale of a motor vehicle of the value exceeding ten lakh rupees, shall, at the time of receipt of such amount, collect from the buyer, a sum equal to one per cent of the sale consideration as income-tax.". (36)

Page 32*, for* lines 42 and 43, *substitute,—*

'(iv) after sub-section (11), in the Explanation,—

(A) in clause *(aa),* in sub-clause (ii), after the word, brackets, figure and letter "sub-section (1D)", the words, brackets, figure and letter "or sub-section (1F)" shall be inserted;

(B)in clause (c), after the word "sold", the words, brackets, figure and letter "or services referred to in sub-section (1D) are provided" shall be inserted.'. (37)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 86, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 86, as amended, was added to the Bill.

Clauses 87 to 95 were added to the Bill.

Clause 96 Insertion of new section 270A

Amendments made:

Page 35, line 34, *for* "may direct", *substitute* "may, during the course of any proceedings under this Act, direct". (38)

Page 35, *for* lines 49 and 50, *substitute*,—

"(f) the amount of deemed total income reassessed as per the provisions of section 115JB or section 115JC, as the case may be, is greater than the deemed total income assessed or reassessed immediately before such reassessment;

(g) the income assessed or reassessed has the effect of reducing the loss or converting such loss into income.".
(39)

Page 36, line 48, *for* "Commissioner or the Commissioner (Appeals)", *substitute* "Commissioner (Appeals) or the Commissioner or the Principle Commissioner". (40)

Page 37, *for* lines 25 to 28, *substitute* —

"(10) The tax payable in respect of the under-reported income shall be—

(a) where no return of income has been furnished and the income has been assessed for the first time, the amount of tax calculated on the under-reported income as increased by the maximum amount not chargeable to tax as if it were the total income;

(b) where the total income determined under clause *(a)* of subsection (1) of section 143 or assessed, reassessed or recomputed in a preceding order is a loss, the amount of tax calculated on the under-reported income as if it were the total income;

(c) in any other case, determined, in accordance with the formula—

(X-Y)

where,

X = the amount of tax calculated on the under-reported income as increased by the total income determined under clause *(a)* of sub-section (1) of section 143 or total income assessed, reassessed or recomputed in a preceding order as if it were the total income; and

Y = the amount of tax calculated on the total income determined under clause *(a)* of sub-section (1) of section 143 or total income assessed, reassessed or recomputed in a preceding order.". (41)

Page 37*, for* line 33, *substitute*—

"Assessing Officer, the Commissioner (Appeals), the Commissioner or the Principal Commissioner, as the case may be.". (42)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 96, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 96, as amended, was added to the Bill.

Clause 97 Insertion of new section 270AA

Amendments made:

Page 37, line 37, *after* "under section 276C", *insert* "or section 276CC". (43)

Page 37, line 49, *after* "under section 276C", *insert* "or section 276CC". (44)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 97, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 97, as amended, was added to the Bill.

Clauses 98 to 106 were added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80(i)

SHRI ARUN JAITLEY : Madam, I beg to move:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 45* to the Finance Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved."

HON. SPEAKER: The question is:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 45 to the Finance Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved."

The motion was adopted.

---

* Vide Amendments list No. 1 circulated on 29.4.2016.

New Clause 106A

Amendment made:

Page 40, *after* line 6, *insert*—

Amendment of section 276C.

106 A. In section 276C of the Income-tax Act, with effect from the 1st day of April, 2017, in sub-section (1), --

(a) in the opening portion, for the word "imposable", the words "imposable, or under-reports his income," shall be substituted;

(*b*) in clause (i) after the words "amount sought to be evaded", the words "or tax on under-reported income" shall be substituted.'. (45)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That new clause 106A be added to the Bill."

The motion was adopted.

New clause 106A was added to the Bill.

Clauses 107 to 111 were added to the Bill.

Clause 112 Amendment of Fourth Schedule

Amendment made:

Page 43, *omit* lines 39 and 40. (46)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 112, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 112, as amended, was added to the Bill.

Clauses 113 to 145 were added to the Bill.

Clause 146 Amendment of Section 66D

HON. SPEAKER: Shri Rabindra Kumar Jena -- Not present.

The question is:

"That clauses 146 to 191 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 146 to 191 were added to the Bill.

Clause 192 Applicability of certain provisions of Income Tax Act and of chapter V of Wealth Tax Act

Amendment made:

Page 58, line 11, *after* "and of section", *insert* "119, section 138 and section". (47)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 192, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 192, as amended, was added to the Bill.

Clauses 193 to 217 were added to the Bill.

Clause 218 Amendment of Section 2

Amendment made:

Page 64, *for* lines 27 to 30, *substitute*—

'(iv) after clause (cccc), the following clause shall be *inserted*, namely:--

'(ccccci) "Policy Rate" means the rate for repo-transactions under sub-section (12AB) of section 17;';'. (51)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 218, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 218, as amended, was added to the Bill.

Clause 219 Insertion of new Chapter 111F

Amendments made:

Page 65, *for line 25, substitute—*

"(b) Governor of the Reserve Bank of India or his representative (not below the rank of Deputy Governor) – member;". (52)

Page 65, line 30, *after* "prescribed", *insert* "by the Central Government". (53)

Page 65, line 35, *after* "prescribed", *insert* "by the Central Government". (54)

Page 67, line 45, *for* "sub-section (4)", *substitute* "sub-section 3)" (55)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 219, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 219, as amended, was added to the Bill.

Clauses 220 to 238 were added to the Bill.

The First Schedule to the Fifteenth Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

13.24 hours

RULING BY THE SPEAKER

HON. SPEAKER: Coming to the point of order raised by Shri Asaduddin Owaisi, I am giving the ruling.

Hon. Members, I agree that as per Rule 219, the primary object of a Finance Bill is to give effect to the financial proposals of the Government. At the same time, this Rule does not rule out the possibility of inclusion of non-taxation proposals. Therefore, a Finance Bill may contain non-taxation proposals also. In the past also, though rare, the Finance Bills have had non-taxation proposals. Nevertheless, the fact is that a well established practice of this House has been not to include non-taxation proposals in not only a Finance Bill but also other Bills containing taxation proposals unless it is imperative to include such proposals on constitutional or legal ground. Therefore, every effort should be made to separate taxation measures from other matters unless it is on some such unavoidable reasons to do so in a particular case.

Therefore, keeping in view the fact that Rule 219 does not specifically bar inclusion of non-taxation proposals in a Finance Bill, I rule out the point of order.

… (*Interruptions*)

13.26 hours

FINANCE BILL, 2016....Contd.

HON. SPEAKER: When I have given ruling, after that you cannot.

The Minister may now move that the Bill, as amended, be passed.

SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

HON. SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: Hon. Members, in the Finance Bill that we have just passed, three new clauses have been added.

I, therefore, direct that wherever required, the subsequent clauses and sub-clauses may be renumbered accordingly.

The House stands adjourned to meet again at 2.30 p.m.

13.26 hours

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

14.36 hours

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Six minutes past Fourteen of the Clock.

(Dr. Ratna De (Nag) *in the Chair*)

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016
(As reported by Joint Committee)

HON. CHAIRPERSON: Now we will take up Item No. 12- The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. The Minister of State in the Ministry of Finance Shri Jayant Sinha.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA): I beg to move:

> "That the Bill to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time bound manner for maximization of value of assets of such persons, to promote entrepreneurship, availability of credit and balance the interest of all the stakeholders including alteration in the order of priority of payment of Government dues and to establish an Insolvency and Bankruptcy Board of India, and for matters connected therewith or incidental thereto, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration."

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

> "That the Bill to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time bound manner for maximization of value of assets of such persons, to promote entrepreneurship, availability of credit and balance the interest of all the stakeholders including alteration in the order of priority of payment of Government dues and to establish an Insolvency and Bankruptcy Board of India, and for matters connected therewith or incidental thereto, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration."

The motion was adopted

HON. CHAIRPERSON: Shri Jayant Sinha, do you want to speak on the Bill?

SHRI JAYANT SINHA: No, Madam Chairperson.

KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): Hon. Chairperson, I am elated that I got an opportunity to be a member of this Committee, the report of which was Tabled on 28th of April. I am even happier that I have got an opportunity to speak as this Bill gets introduced. I wish the House had more Members. The reason I say this is that often the impression that goes out of the Parliament is that this Lok Sabha has seen many tumultuous times and maybe on many occasions we have been in too many adversarial positions. But as a young Parliamentarian who has been elected to the Lok Sabha for the first time, I feel I should put on record that where the debate about stalling of Parliament and slow reform is dominating public space, the same Parliament, which I am proud to be a part of, has seen constructive Bills and reforms come its way. To name a few, the historical Bill on the coal auctions was passed by both the Houses; the amendment to the MMDR Act was passed by both the Houses; we saw the capping of FDI in insurance and defence also go up in this Lok Sabha.

Today, I would say that the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 that we are now going to debate is an important reform, a reform that this nation and this economy have waited for. Often when I travel abroad and I interact with members of the business society or journalists overseas, I am asked what India's story is and where it is going.

Given the huge mandate that this Government has come with, will this country see the reforms come at a pace which the world is expecting from India? I come back to why I said that I was elated to speak on this Bill. It is because this Insolvency and Bankruptcy Code comes as a very important reform for the nation. It is not that India as a country did not have legislation or statute in place. It definitely had. It had the SARAFESI Act; it had the SICA; it had the Company Law; and other insolvency legislation that were applicable to individuals and partnerships. But what emerged over the years is, since the legislation was so

scattered and it was bound in so many different legislative pieces, the system was evolving in a way that the legal system was under a huge burden of binding legislation.

More than 5,000 companies were undergoing the process of liquidation without reaching its logical conclusion. This Government has repeatedly spoken, or as a part of their public relations exercise spent a lot of time and effort talking, about start-ups. But for an economy and for a country that is looking for more start-ups, I feel for a viable business environment just like start-ups are important, smooth and efficient methods of exits are equally important. I would like to say that today we are all aghast at what happened in the Kingfisher case. We know that way back in 2012 this airline was grounded but a secured creditor like a bank even saw a piece of property or asset was only as recently as in February 2015. Therefore, this Code in this current atmosphere when the news or the debate is revolving around the Kingfisher case becomes even more significant.

I have to say as a Member of the Committee that we had spent hours over I think almost 12 meetings in discussing and debating our Report which has been submitted. Therefore, I think, procedurally or morally I will not have the right to disagree with whatever has been placed by the Committee and accepted by the Government. Very broadly speaking, I would not like to go through every provision of the Code because the time available is short.

I think, the key word in this Code is ‘speed’. I feel the Government has given a huge emphasis on timely resolution and timely liquidation. The reason is this. If liquidation as a process becomes time-bound and predictable we can expect that the entire trend in our country where lending by banks are generally concentrated amongst a few big companies who are asset rich is likely to change. This is because if my chances of recovering from a business fails improves, I become much bold when it comes to lending.

Secondly, I would say that this Code has tried to initiate or has introduced some totally new systems and new institutions and a new genre of professionals

which only time will tell how it unfolds. I think one of them is what is called, 'Insolvency Resolution Professionals'. They may be individuals like Chartered Accountants or lawyers or even an agency which will have to be registered with the appropriate authority. Apart from that, we have the Bankruptcy Board. We are also looking at the National Company Law Tribunal which will be the appropriate authority before which the IRPs will present their resolution proposals. Over and above that, there is something very interesting. Generally, when we want information about a company, we go to the Registrar of Companies and apply for information; but this Code is actually introducing a new entity or a new system known as 'Information Utilities'. These agencies will collect financial information about various businesses and collect it in a way that if I today want some financial information about the viability of the business I can go and apply to the information utilities. So, these are primarily the new sides to this Code which I hope we will be able to succeed in actually implementing.

The reality today is that why has this Code given importance to speed, like I said, or expeditious liquidation is because on an average today in this country, the liquidation procedure despite the fact that the High Court hears it as quickly as it can, and there is an entire body of official liquidators which look into liquidation, it takes about three to ten years for a company to be completely liquidated. And, as a consequence, the biggest exposure of the people, the lenders or the creditors of that company is that invariably the value of the assets of this company depletes because of which recovery is almost negligible or nothing compare to the kind of credit they have extended to that company.

Apart from that, what I think that this Code has taken a paradigm shift is that once a company enters into a process of liquidation, which was a huge danger in the past, its management used to be retained with the owners, promoters or the Board of Directors. In this case the moment the company applies for liquidation to the appropriate authority, what happens is that the management goes into the hands of the professionals, which I think is a very important step in the right

direction because that is how we manage to keep the assets from straying of the company.

I will not spend much more time going through the various provisions because that is already a part of the Report but I will spend the last ten minutes talking about the advantages and the good side to this Insolvency, Bankruptcy Code. Madam, what I fear is will we be able to walk the talk. Today in a country like India, I do not think there is dearth of any legislation and this is yet another legislation. It is pretty clear to me that if we pass this legislation and make it the law of the land before or by the 31st May, 2016, I have no doubt that India's ranking by the World Bank about ease of business will go up by many points. And, yes, I would say as a parliamentarian, as a young representative I would like that to happen. Actually, as per the business report of the World Bank 2015, India is ranked at 136 out of 189 jurisdictions for resolving insolvencies. So, with this Code coming in before the 31st of May, which I hope it will, we will improve our ranking but Madam, my biggest fear is that because we have through this Code created a new genre of professionals, we have created I would say some new quasi judicial authorities, will my Government be in a position to put life into this policy, put life into this vision that I feel is the vision of this Code in terms of human resource and in terms of infrastructure.

I think it was in May, 2015 that the Supreme Court gave great emphasis to set up the National Company Law Boards but till today - as far as I know, the appellate body or the NCLT and the NCLAT - there are only 11 benches and probably one circuit bench of NCLT in the first phase which has not yet been established. Over and above that I have heard that in the beginning of 2016 or before 2017, the tribunals will become operational.

I am sure the hon. Minister will reply whether that has been done or not. So, I urge this Government that where we all have worked hard towards this Code in the hope that India as a nation will go towards a more vibrant economy not just *vis-à-vis* Start Ups but smooth and efficient exits. The bankruptcy should not

necessarily be a stigma like in the case of Kingfisher. It is because today if you give me ease of exit, then I can again start another business. I hope that infrastructurally and from the point of view of human resource, this Government will put in its best efforts.

As a Member of that Committee, I would hope the Government has or will take a few suggestions on board. There is a clause about recoveries and it has been seen that the Government of India and the State Government can actually recover dues up to 24 months preceding the date or commencement of liquidation. When it comes to workmen and employees, that period is just 12 months. So, the Committee has suggested that that be increased to 24 months because after all our workforce is the backbone of our country. Apart from that, another suggestion that the Committee has had and I think most of us were unanimous on it and Mahtabji has even spoken in the public domain about it is if we could cover the aspect of cross border insolvencies. We have inserted a new Section. I think it is Section 233A that where the Government of India once this Code comes into effect can actually enter into an agreement with any other nation or a country for the implementation of Code. Today, again as in the Kingfisher case, we have seen that we are going to face cross border insolvency issues.

Now I come to last point which I feel I may not be able to grasp as a Member of the Committee. It seems that the Government's vision about information utilities is that anybody can apply to the relevant Authority, register itself as an Information Utility, keep all the information and then anybody can go and apply for information. But what I would like to understand from the Government is that why can we not have one agency under the Government of India or at least under the supervision or aegis of the Government of India like we have Registrar of Companies rather than having multiplicity and especially in case of information which is trying with a aim to make it transparent so that anybody who is claiming as a creditor from the Company has the relevant information? I wonder why we are giving a facility of many people setting up an Information

Utility as opposed to a single entity under the supervision of the Government so that whatever information we get from that agency is authentic and is correct and serves the purpose it meant to.

So, with these observations I end my speech. I would again like to say Madam, that often as a young parliamentarian, I am asked as to why Congress is stalling the GST and Parliament. It is a public perception problem. Therefore, I had started my speech by saying that I am elated to be taking part in a debate for a Code or a legislation which I think is an important reform and my Party supports it. I hope it will be perceived as a constructive move by the biggest opposition party which is my Party.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Madam, I am on point of order under Rule 77(2). We are discussing the Insolvency and Bankruptcy Bill 2015 after the Joint Committee's report. Now it is 2016. So, it came in December, that is why, there is difference in the year. But the JPC report has not been made available. It was not there yesterday.

This needed at least a minimum of two days.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, I will look into it afterwards.

SHRI TATHAGATA SATPATHY: Madam, but we are discussing this. This is a very complex Bill. This is not an easy thing and we have to first read it and understand it. The JPC took a long time and we did not even get the mandatory two days. It is a huge report and the Bill is also very complex. Till yesterday it was not available. I can be overridden saying that it was available but I did not take it. That is one thing. But I have enquired. It was not there and therefore, this should have been at the counter. JPC reports probably are not sent home. It should have been available at the counter. I do not think even the hon. Member from the Congress party also does not have the Report.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): मैडम, रिपोर्ट टेबल कर दी गयी है। 28 तारीख को रिपोर्ट टेबल हो गयी है और उसके बाद वह पब्लिकेशन काउंटर से ली जा सकती थी।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member Shri Meghwal says that it was laid on the Table of the House on the 28th April, 2016.

SHRI TATHAGATA SATPATHY: It was laid. I am not taking up cudgels. Please do not misunderstand me. It takes a little bit of time to understand but that time has not been given. That is all I am saying. I am not disrupting the proceedings.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : रिपोर्ट हाउस में टेबल होने के बाद पब्लिकेशन काउंटर से ली जा सकती है। इसकी रिपोर्ट लोक सभा की साइट पर भी उपलब्ध है।

PROF. SAUGATA ROY: Madam, my point of order is with regard to rule 96 (2). This is regarding Money Bills. If a Bill other than a Money Bill passed by the House and transmitted to the Council and is passed by the Council without amendments, the message received from the Council to that effect shall be reported to the Secretary General. Please read the earlier one. The Secretary General shall certify on top of the first page of the Bill the following – provided that if it is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution, the certificate by the Speaker shall be endorsed at the end of the Bill in the following form: 'I hereby certify that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India.'

Madam, now the original Bill was placed in this House on 21st December, 2015. On 23rd December, 2015 we decided to refer it to a Select Committee of the House. The Report of the Select Committee has come and it has been available to some and it has not been available to others. But we have not been given a Bill in a new form. The title of the original Bill was Insolvency and Bankruptcy Code 2015 and now it is 2016. So, it should be Insolvency and Bankruptcy Code 2016. If it is a Money Bill, then we have not got any Bill with the Speaker's certificate because hon. Speaker is the final authority to decide on whether a Bill is a Money Bill or not. I would like to know as to where is the certificate.

15.00 hours

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I think, Prof. Saugata Roy has been preoccupied for the last three months in West Bengal.

On 21st December when it was tabled, there was a request that it may be referred to a Standing Committee. In the debate on the 23rd itself, on an objection raised by Prof. Saugata Roy supported by Shri Mahtab, I had clearly said that we are not pushing it as a Money Bill. It is not a Money Bill. So, please be content on this that it will go for approval to the other House also.

Secondly, the best evidence of that is, this is not a Select Committee of this House. This was a Joint Committee of both Houses. So, Rajya Sabha has also been involved in the drafting of it.

The third response to what you say is, a Joint Committee does not report to the Government and Government move an amendment. The Joint Committee reports the Bill to the House itself. So, the Joint Committee on the 28th that is, eight days ago, reported it to the House and while reporting it to the House, they corrected 2015 to be 2016 itself.

Since you were busy elsewhere which is quite understandable as a part of democracy, I thought that I will update you on the facts.

PROF. SAUGATA ROY : I am happy that the hon. Minister has taken note of our business with the State elections in West Bengal.

Is it the procedure now that after the Joint Committee submits its Report, the Bill will not be freshly brought incorporating the amendment? It is because today, we had the Finance Bill which was passed. What happened then? Shri Arun Jaitley, the hon. Finance Minster, brought in the amendments one-by-one. Hon. Speaker asked for permission for each of the amendments.

Now, you are bringing a Bill with many amendments. You are accepting the Joint Committee Report *in toto.*

HON. CHAIRPERSON: There is no amendment in this Bill.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : इसमें अमैंडमैन्ट नहीं दिया जा सकता, आपकी पार्टी की तरफ से कल्याण बनर्जी साहब उसके पार्ट थे। … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

… (*Interruptions*)... *

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, let me clarify that there is a difference. When a Bill goes to a Standing Committee, the Standing Committee Report tabled in the House goes to the Ministry. The Ministry may or may not accept those amendments. But when a Select Committee and a Joint Committee tables a Report, it reports to the House and the Bill as amended is brought by the Select Committee or the Joint Committee to the House. So, the Joint Committee, in this case, has submitted a Report to both Houses of Parliament in the amended form. The Government has proposed no amendment and we have accepted it *in toto.*

PROF. SAUGATA ROY: So, there are no amendments and that is the Bill. … (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, the Government may, as a technical procedure, say that we are also accepting these amendments which Governments do but if the Government has to disagree with the Select Committee, then like any ordinary Member, we will also have to propose only an amendment.

* Not recorded.

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): Madam, I thank you very much for permitting me to speak on Insolvency and Bankruptcy Code.

Earlier, this Bill was placed before the Floor of the House and was referred to the Joint Committee. After deliberation and hearing the stakeholders and experts and recording their evidence, a consensus was arrived at by the Committee and recommendations were made. A copy of the Report was placed on the Floor of the House.

I am happy that the Government has accepted the Bill in the amended form, as laid on the floor of the House, *in toto.*

Now a question arises as to what is the need of Insolvency and Bankruptcy Code. It is needed keeping in view the ranking of India in the Ease of Doing Business Report of the World Bank. According to the World Bank's Ease of Doing Business Report, out of 189 countries, India stands at 136. There is difficulty in the exit of business and the average winding up time is around four years.

There are as many 13 as enactments which deal with insolvency and bankruptcy and there is no single law in India which deals with insolvency and bankruptcy. The existing framework for insolvency and bankruptcy is inadequate, ineffective and result in undue delay in resolution on account of multiple fora, multiple enactments, conflict of law and conflict of judgements by various courts.

15.06 hours (Shri Hukum Singh *in the Chair*)

The basic objective of this Bill is to consolidate and amend the laws relating to reorganisation and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals. Basically, it supports development of credit market and it encourages entrepreneurship. It would improve ease of doing business and facilitate more investment leading to higher economic growth, development of credit market. The provisions relating to insolvency and bankruptcy for companies at present in law we can find it in the Sick Industrial

(Special Provisions) Act, 1985, the Recovery of Debt Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Securitisation and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and the Companies Act 2013. So, to deal with insolvency and bankruptcy of a company, all these laws are applicable and it is very difficult for the creditors basically to invoke and proceed against the debtor.

Not only this. Under these various laws, various fora are there, like the Board of Industrial and Financial Reconstruction, (BIFR); the Debt Recovery Tribunal, DRT; National Company Law Tribunal, (NCLT). The DRT and the (NCLT) are also having the Appellate Tribunals. The cases are not limited just to these Tribunals. In the case of liquidation matters, one has to approach the High Court also because these Tribunals do not have the jurisdiction. For individual bankruptcy and insolvency because there is no answer in these laws, we have to go back to laws enacted way back in 1999, etc. These are Presidency Towns Insolvency Act 1909, and Provincial Insolvency Act 1920. For this purpose, there is no Tribunal and the courts have to deal with these matters. So, looking at the multiplicity of law and looking at the multiplicity of fora this Act is very necessary and I fully support this Code.

In the Code, we have used one expression, that is 'adjudicating authority'. Various authorities are there under the NCLT Act, and under the DRT. The Code basically seeks to designate authorities under the NCLT and the DRT as the 'adjudicating authority'. So, a single authority is there to deal with corporate persons, firms and individuals respectively for liquidation and bankruptcy. The Code separates commercial aspect of the insolvency and the bankruptcy proceedings from the judicial aspect. The Code also seeks to provide for establishment of Insolvency and Bankruptcy Board for regulation of insolvency professional agencies and information utilities. The Code also proposes to establish a fund to be called the Insolvency and Bankruptcy Fund, whereas at present there are at least 11 laws to deal with insolvency and bankruptcy. Through

this Code, all the respective amendments have been carried out in all the 11 laws, like the Indian Partnership Act, Central Excise Act, Customs Act, Income Tax Act, the Recovery of Debt Due to Banks and Financial Institutions Act, the Securitisation and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act, 2002, the Sick Industrial (Special Provisions) Repeal Act, 2003, the Payment and Settlement System Act, 2003, the Limited Liability Partnership Act, 2008, and the Companies Act 2013.

In all the enactments under the Code, it has been clearly mentioned that notwithstanding anything contained in these Acts, the provisions contained under this Code will have an overriding effect.

A special feature of this Bill is that this is applicable to all kinds of cooperate enterprises, limited liability partnership firm and individual. The scope of this Code is insolvency, liquidation and voluntary liquidation and bankruptcy, and the objective of this Code is to preserve by providing linear, time-bound and collective process; improve the time taken to return; failure to provide clear exit option to investor; increase recovery value; bring all insolvency, bankruptcy related cases under one umbrella; and to develop other avenues of financial businesses.

In case of default, the resolution process is also clearly provided under the Code. How to deal with resolution process? In case of default and appointment of an insolvency professional, this is the first step. Then comes the moratorium period from 180 to 270 days. If 75 per cent of the creditor is to approve, and if they say, `yes', then they would implement the plan; and if they say `no', it goes into liquidation.

If we look into the entire Bill, we can come to the conclusion that the key pillars of the Bankruptcy Code is this. First is the Tribunal; second is the Regulator; then, insolvency professional, information utility and credit committee.

The problem of multiple fora. There are parallel proceedings and conflict. In a large number of court proceedings, we have seen that the cases are filed under

different Acts and for different purposes. So, there is no question of resolution. The delay is one part; there is no credibility of the institution as such. I would like to mention only a few examples wherein with respect to an issue, cases are being filed.

Now I would like to cite as to how the problem is created. If a secured creditor filed an application in DRT for debt recovery, another creditor filed a petition for winding up, another secured creditor that lend fund enter into a Memorandum of Undertaking with the bank for bank to sell the debtor property and pay the secured creditor, then initiate proceedings for invoking arbitration; then secured creditor sister concern would initiate proceedings under the SARFAESI Act; then the unsecured creditor files a civil suit. With respect to one company, this is how multiple proceedings under various fora are there. This is the reason for cause of the delay. On account of this, the credibility is not being assured and the Ease of Doing Business is not enhanced.

How does it conflict? The conflict between SICA and Debt Enforcement law; the conflict between winding up proceedings and the SARFAESI Act; and the conflict between SARFAESI and RDDBFI Act. These are the conflicting institutes. To resolve these, a single Code is there. With all this, the problem would be resolved and the Ease of Doing Business would be enhanced.

There are many reasons for causing delay – on account of interpretation, etc. If we look into the Code, the entire Code is divided into five parts. Part one deals with the preliminary things including definition; part two deals with only insolvency liquidation and resolution of corporate matters. It is not applicable for the individual and partnership firm. Basically, it is also applicable to the State of Jammu and Kashmir. So far as part three is concerned, this is an insolvency liquidation resolution and for individual and partnership firms. This is not applicable for the companies. Part four and five are applicable for all. This Code has been compartmentalised in such a way that one can easily handle, operate and so easy to deal with it.

Now, for the protection of interests of labourers, instead of 12 months, 24 months of wages have been recommended by the Committee. This has been accepted because our Prime Minister believes that basically it goes to the poorest of the poor and he should get this benefit.

So far as the punishment part is concerned, in the clauses dealing with providing the punishment, the discretion has been given to the adjudicating authority either to impose imprisonment or fine or both. It is not mandatory that he can impose both these punishments and penelities together. So, one or all can be imposed. If we see the Code, a timeline has been provided. As regards the details of clauses, pertaining to timeline, it is clear that speedy justice will be there and there will be no delay.

Now I come to Clause 140. This is very important. This clause deals with disqualification of even a Member of Parliament or a Member of State Legislature. Even an MP or an MLA can be disqualified from bankruptcy commencement day. This provides that the bankrupt shall, from the bankruptcy commencement day, be subject to disqualification mentioned in this, clause.

It is provided that the bankrupt shall, from the bankruptcy commencement date, be subject to the disqualifications mentioned in this section. In addition to any disqualification under any other law for the time being in force, a bankrupt shall be disqualified from being appointed or acting as a trustee or representative in respect of any trust, estate or settlement; or being appointed or acting as a public servant; or election. If he becomes bankrupt and election is held afterwards, this is applicable. But once election is held and he is elected and thereafter he becomes bankrupt, then this provision is not applicable. But on account of passage of time, I request the hon. Minister to add the words, ‘or for being elected’ because this is also provided in Article 102 of the Constitution of India.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI P.P. CHAUDHARY: I will conclude now.

So, this provision makes it clear that a bankrupt can be disqualified and he is not entitled to contest the election. But the analogous provision as provided in the Constitution, namely, 'for being chosen as and for being' if these words are included, then it will cover both the situation, pre-election and post-election. In case of bankruptcy before the election, he cannot contest the election and if he is a bankruptcy after the election, he will be disqualified. Therefore, this provision requires to be looked into again and my suggestion may be considered by the Government.

HON. CHAIRPERSON: I request you, please conclude now.

SHRI P.P. CHAUDHARY : Sir, I will conclude.

Sir, this Bill also provides model by-laws with respect to all the agencies and so there will be no conflicts in various by-laws enacted by them.

After this Code comes into force, it is necessary to establish sufficient number of National Company Law Tribunals, Appellate Tribunals, Debt Recovery Tribunals, Debt Recovery Appellate Tribunals etc. This is required because once this Code is implemented, then all the pending cases will be transferred to these tribunals. Besides this, if both the NCLT and DRT are located at the same place where the civil court are located, it will help the lawyers to appear in these cases and delays can be avoided.

Further, adjudicating authorities and the professionals are required to be given proper training. Awareness should be created among all the stakeholders. Then only we can we implement this Code properly.

As far as the Board is concerned, it has the power to regulate the professionals and framing of regulations. This is one of the salutary Code which need to be passed unanimously by this House. In addition, two Clauses 233A and 233B have been included in this Code by the Committee with respect to cross border insolvency, which are very much required because, these were earlier not

there. I appreciate the action of the Government that without any objection they have been included. I fully support the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

PROF. SAUGATA ROY: Sir, I rise to speak on the Insolvency and Bankruptcy Code Bill, 2016. As you know, this Bill was placed in this House and debated. We had then taken a position that it should not be directly passed. The Finance Minister was in a hurry. In the face of our objection, the Bill was referred to a Joint Committee of Parliament. On 23rd December. The Joint Committee has submitted the Report.

Sir, I will tell you just one small experience of mine. In earlier part of my life, I was involved in trade unions. In the late sixties and seventies, in Bengal we faced the problem of sickness of industries. One after another, industry used to be closed down. Some were taken over by the then Government of India under Mrs. Indira Gandhi, but there were other companies which closed down. We had to go to the High Court, to go to the liquidator to get the dues of the workers.

Then the Sick Industry Control Act (SICA) came into being. The Board of Industrial Finance and Reconstruction (BIFR) was set up and its appellate organization was also set up. Now, again BIFR did not prove to be too successful in reviving companies which were facing closure. As trade union leaders, we had to run from pillar to post to get the workers' dues. After all the fears, the problems turned from the workers dues to the problem of banks. Workers' dues are not given that much importance by any Government. But when it came to the problem of banks, the Governments were more active, as a result of which the Debt Recovery Tribunals were set up under the law called 'Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993'. So that was a way in which banks could get their debts quickly. But this problem of insolvency of companies, their bankruptcy continued to haunt the successive Government. Then we had what is the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. It is called the SARFAESI Act.

As I said, the Sick Industry Control Act gave rise to BIFR, one legal body. The Debt Recovery Act gave rise to the Debt Recovery Tribunals. Then, the SARFAESI Act gave rise to asset reconstruction companies, all in case that what

will happen if a company closes down. How will the creditors be paid? How will the workers receive their dues? So, even that has not proved satisfactory. So the Government has moved one step now; they have brought the Insolvency and Bankruptcy Code. This again speaks of setting up of a new sort of entity. These entities are called the Insolvency and Bankruptcy Board with 10 members. So, from one authority, we are setting up another authority. But the problem of sickness remains and workers are the most affected. I am thankful to Mr. P.P. Chaudhary, Sushmita Dev and other Members of the Committee. At least while forming this, finally submitting the Report, they kept the workers interest in mind.

What was not in Jaitley's original Bill has now been incorporated thanks to the Standing Committee. What is the Report of the Standing Committee? They have asked for amendment of Clauses 36(4) and 155(2). The Report says:

> "The Committee after in depth examination are of the view that provident fund, pension fund and the gratuity fund provide the social safety net to the workmen and employees and hence need to be secured in the event of liquidation of a company or bankruptcy of partnership firm. The Committee, therefore, feel that all sums due to any workman or employee from the provident fund, the pension fund and the gratuity fund should not be included in the liquidation estate assets and estate of the bankrupt."

Again, Clause 53(a), (b) and (c) has also been sought to be amended by the Committee. They said that secured creditors and workmen's dues for 24 months and then other employees' dues for 12 months will be having equal charge. This was very important so that secured creditors did not get a preference over the workmen dues. I know that in spite of this, Mr. Jaitley or Mr. Sinha may say: "We are improving the ease of business. We are creating an exit route. We are creating a good policy." But I will tell you from my experience that that sickness will not go and this closing down of factories will not stop. It is because in our country the strange thing is that only those companies will survive which have got an absolute monopoly or which require large capital investment like automobile companies. If

you observe all Government laws – we have framed many laws – then everything will become costlier. Take for instance, a brick, to build a house, costs Rs. 2. The brick kiln owners do not observe any law. If they implement all the laws in the country, the bricks will cost Rs. 4. Then, they will not sell them and then they will close down. We have to think of ways in which we can make our business viable and profitable so that they can learn. Otherwise, there can be a plethora of legislation. It will not resolve the problem of sickness.

I have asked people abroad. In America, so many companies go sick. Mr. Jayant Sinha has the degree from the Harvard Business School. But in America a strange thing was there. It was called Chapter-XI of the Bankruptcy Code. According to that, anybody could go to the Bankruptcy Board and say: "I have become insolvent." So, he could go on running his business without paying any dues. Some companies deliberately went for insolvency so that they do not have to pay their dues. We should see this. One good thing about this Bill is that it specifies the time limit. In America, there was no time limit in the Chapter-XI of their Bankruptcy Code. In our Bill 180 days time limit has been fixed and at most 90 days extra time can be given. I think, this is a good feature.

Sir, I will be very short because the Government is in a hurry. What does this Bill envisage? We will understand that. This Bill envisages that when a company is going bankrupt, it can go to any Insolvency Professional. The management of the company then be taken up by the Insolvency Professional. Now, where will the Insolvency Professional come from? They will come from insolvency professional agencies. Now, a new concept has been made that creditors will form a committee. They will sit along with the insolvency professional and decide to restructure the debt or liquidate the company. Earlier the only place for liquidation was to go to the High Court.

HON. CHAIRPERSON: Please try to conclude now.

PROF. SAUGATA ROY: I will be very short. In fact, I am compressing my speech into a few sentences.

Now, there will be the National Company Law Tribunal or DRT. An individual may go to DRT. A company will go to the National Company Law Tribunal. Then, there will be liquidation. Either reconstruction will be approved or liquidation will take place, and then priority in distribution of assets will take place. Maybe I am very doubtful whether this will end the problem altogether.

Now, this Bill leaves certain questions in my mind. I am not very clear as to the purpose of establishing the Insolvency and Bankruptcy Fund because the Government is to put money into the Insolvency and Bankruptcy Fund. What is the purpose? It has nowhere been stated as to why they are setting up such a Fund. They are saying that they will have interim regulator. In case all these Boards are not set up, then you will have interim regulator like IRDA. I do not know whether it is necessary. If this Bill is passed now and implemented in full, then interim regulator will not be necessary. So, all these bodies are to be set up. Only then this process can start.

I may inform the Minister – he must be already aware – that your DRTs are overloaded, and everybody who goes there asks for six months' time and things get delayed, here at least … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Prof. Saugata Roy, please conclude now.

प्रो. सौगत राय : सर, मैं इतना ही कहूंगा कि बिल ज्वाइंट कमेटी से आया है।

The Joint Committee had Members from all Parties. Kumari Sushmita Dev, Shri P.P. Chaudhary, Shri Kalyan Banerjee, Shri Mahtab and other Members were all in that Committee. They are thoughtful people. They are our representatives. They have given a final Report. Their Report makes the Bill better. One other addition that they have made is that off-shore companies have also been included in the purview of this Bill. Earlier, only national companies were included. But the main problem is about one issue on which we are fighting and that is NPAs of the banks. Will they decrease? Vijay Mallya goes abroad, with the Government's knowledge maybe, with Rs.9,000 crore dues. …

(*Interruptions*) He has now resigned from Rajya Sabha. He is a private citizen now.

Sir, you know, today the Finance Minister was defending the defaulting steel companies and also infrastructure companies. If a poor man takes a loan of Rs.10,000 and tries to run away, five bank officers will land at his place. Now, there are steel companies which are owing Rs.10,000 crore to the banks and their infrastructure companies are owing more. The Minister should also think of resolving this problem.

Lastly, the Minister has not clarified one point. Maybe he will clarify in the Rules as to who will be the insolvency professionals. Will they be Chartered Accountants or Cost Accountants or Company Secretaries? That point has not been dealt with in this Bill. All of them are good because they are qualified people.

Sir, I support the Bill and thank you very much.

HON. CHAIRPERSON: Shri Tathagata Satpathy ji, please conclude your speech within seven minutes.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, I will speak only a few points. I will not go into the details. Sir, as you know, the Committee Report came out on the 28th April, 2016.

Today is the 5th of May, 2016. It is not even a full week, after six or seven days. The original Bill whether of 2015 or 2016 was of about 113 pages. This JPC Report is of 100 plus pages. It took me time to understand it because I am not a financial wizard; I do not understand matters of finance and of company *heraferi*. So, this is completely to do with a lot of misdeeds.

What I understand is that there are two types of insolvency. There are two issues, we have to handle. One is, somebody who is a defaulter because of inefficiency or because of lack of knowledge of how to run a company or how to handle his corporate affairs. The other is the fraudulent one, who has consciously tried to hoodwink the system – hoodwink banks or Governments, and tried to run off with money that should ideally not have been available for him.

Sir, this Bill is trying to address insolvency but without really very clearly defining where exactly we want to take this country. First of all, what I understand is that you have to encourage entrepreneurship in this country. You cannot bring about a reservation in entrepreneurship. Reservation can only be in jobs. How many jobs can you produce? So, to counterbalance that, with your limited ability to produce jobs, whether in the private sector or in the Government, you want to encourage people who have the ability to do business, to succeed and who can create jobs. We want the job creators and not the job munchers. So, with that, you have to clearly define category A, category B – who is a cheat and who is a genuine failure. That has not been clearly spelt out in this Bill.

Sir, there are the Information Utilities, about which my previous speakers have clearly mentioned. I was never a Member of this Joint Parliamentary Committee. I am sure, my colleagues from both the Houses have definitely put in a lot of efforts and have tried their best to address the problems that have cropped

up with the original Government Bill. But as far as I could read this 100 plus pages Report of the Committee, it has not been able to deal with all the problems.

Sir, to finish it quickly, about the Information Utilities, there will be a multiple of these Information Utilities. That is very clearly spelt out here. Regarding these Information Utilities, eventually, the Indian mindset has to be taken into account. If I have some information, I am not going to volunteer that information out to you. So, I will try to silo it; I will try to hold it onto my own axis. So, when this information is siloed by this Utilities, as yet, we do not have bank computers talking to each other in India. We are in the 21st century. We heard, when these people were in power, that in the Eighties, computer age was supposed to descend on India. We bought a few laptops. But today also, our banks do not talk to each other. That is the primary difficulty arising out of that for which, a mischief monger, a mischief creator is able to take loans from various banks, various financial institutions whether as creditors or whatever other excuse. Because they do not talk amongst themselves, these individuals or these companies are able to cheat all of them.

Therefore, when you are forming these Information Utilities, you have not mentioned how they should be joined together that their information is available to anybody, who puts in a single query to one Information Utility and gets the complete picture of an individual or of a company. That is not very specific in this Bill.

So, I would like to know whether the Government can assure this House that loan shoppers' information will be entered by all the parties involved. Suppose, let us say, the State Bank of India gives a loan to a person and then that person goes to the Bank of Baroda or Andhra Bank, will the State Bank of India enter all the details? Is there any mandatory law for that? It is not spelt out very clearly. Is the platform equal for all? Will the information be available to each other? Like for credit cards, you have CIBIL. Are you contemplating that? Like the lawyers are managed by the Bar Council, doctors are managed by the Medical

Council of India, how do you plan that these information professional associations will be managed? What is the authority that is going to manage them? How many layers of command will you create that they will be managed and who will manage them?

One thing we have seen with our Indian mentality is that if I can hide some information, in this way, many senior, very top rank officials have been involved in these misdeeds. They have hidden the information by which banks have been duped by individual investors. So, what is the system you are putting into place that a certain person or a certain group of people or a certain institution will not eliminate certain data, certain information and enable another person to go ahead and create the mischief? There is no such system that you have put into place. There are several laws and institutions which regulate insolvency resolution for companies in India. There is a Sick Industrial Companies Act, Recovery of Debt due to Banks and Financial Institutions Act, SARFAESI. Then, we have the older laws Presidency Towns Insolvency Act and Prevention of Insolvency Act and all these regulate insolvency resolution for individuals.

To come to another point is the liquidation process. You have the order of priority. Here it says that secured creditors will receive their entire outstanding amount rather than up to their collateral value. This is unclear. Why are you doing that? Then, unsecured creditors have priority over trade creditors. Finally, what really bothers me that we are dealing with the tax payers' money. I have been insisting on this. We have to forget saying these are the Government funds. There is no Government fund. The Government does not have money of its own. It prints the money. You give it to me. It is my money. You are taking money from me. So, the Government dues will be repaid after all unsecured creditors are clear. Why should the Government funds not be cleared first? Why should the taxpayer bear the brunt of some criminal who is duping the banks, who is duping the institutions? Why should I as a tax payer suffer for that?

One colleague had asked about what was the insolvency fund that you had created. There are no clear guidelines as to how the fund will be funded and how the fund will be used.

Sir, you must have read in the newspapers recently that the biggest punishment that we can give in this country is that the insolvent person or somebody who has duped banks cannot contest for a public office, cannot become an MLA or an MP or a Sarpach. Does everybody who is duping banks or who is trying to run away with money, want to fight elections? So, the Government has to come out with more clarifications and before winding up, I would like to state here that there are many other points but because of paucity of time, I am cutting that short. All that I am saying is that I am extending all my respect to the Members of the JPC. I still feel that this Bill is a haphazard Bill and I am not able to support this Bill.

SHRI ANANDRAO ADSUL (AMRAVATI): Sir, I rise to support this Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

First of all, I will go to the borrowers. There are various types of borrowers. Out of them, there are corporate borrowers, partnership borrowers and individual borrowers. The money lying in the bank is of the common persons. Out of these borrowers, some of the borrowers are defaulters. There are two types of defaulters. One defaulter is natural defaulter, and another is willful defaulter. It may be corporate, partnership or, otherwise individual. They borrow money from the banks or financial institutions. Whenever the question of repayment is there, they are not repaying the money on time or, otherwise, they are not in a position to pay for ever and ever.

The first type of borrower, that is, the natural defaulter, whose industry or business collapses, is unable to repay the amount to the bankers sometimes when natural calamity comes. Sometimes, due to lack of upgradation of the machinery, his produce is not competent in the market and he goes on incurring loss. Sometimes, there is mismanagement. The other type of borrower is the willful defaulter. He is not in a position to repay but he is in a position to cheat and he manages the bank executives or the executives of the financial institutions.

I will bring to the notice of the House and the Minister that in 2002 there was NDA Government under the leadership of respected Shri Atal Bihari Vajpayee. Day by day the NPAs of the banks were increasing. Then, the Finance Minister went to the root of the problem and he had brought one solution, that is, Securitization Act and simultaneously one time settlement scheme. It was very much helpful to all the public sector banks. The NPA was reduced like anything. This is the situation today, and this Bill is definitely taking a very important part of it.

If we see all the bankruptcy and insolvency matters, there were various connecting laws numbering about 30. If I read, it will take time. Sir, you are giving me a very little time. But none of them was effective in dealing with

insolvency and bankruptcy matters. That is why, the hon. Finance Minister, Arun Jaitley Ji went to the root of the problem. This was the problem. He has brought this Code, that is, Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. Earlier it was in 2015. Now it is 2016.

This Bill was introduced in the month of December in the Winter Session. I had also got an opportunity to put my thoughts on that Bill. But our senior and well-studied Member, Mahtab Ji had requested the Government to send this Bill to the Standing Committee. Accordingly, so many Members supported this and it was sent to the Joint Committee. The Joint Committee has given so many recommendations. Out of which, important recommendations are incorporated in this Bill.

Earlier, the problem of NPA was there in our country. Today also we are facing this problem again. As I told, there are wilful defaulters in our country. I will not take their name. But, the owner of Kingfisher Airlines, the Wine King and the ex-Member of Parliament of Rajya Sabha is a big defaulter, who has cheated the banks with not Rs.1000 or Rs.2000 crore but with Rs.9400 crore.

As I initially told, there are many borrowers, who manage the bank officials or executives, declare their company or partnership firm insolvent or bankrupt and get relief out of it. But what about their companies; what about their assets? What happens to the workers? They are exploited and their families come on road. Today, if we see, we will find that there are many companies in various sectors – whether it is steel, sugar, chemical and fertilizer or any other – which are weak and are on the path of liquidation. Who is responsible for it? Workers are definitely not responsible for this.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

SHRI ANANDRAO ADSUL: Sir, I finish in just two-three minutes.

The hon. Finance Minister has taken care of the employees in the original Bill. The Standing Committee has given a few recommendations which have been added in the Bill. I would like to read it here. It says that whatever assets of the

debtor are there, first of all, the workers' provident fund, pension fund and the legal dues will be given priority. So, he has taken proper care of it and I am very much thankful to him for it. For this purpose, there is a committee, which consists of financial creditors. As per the recommendations of the Committee, the committee will take decisions in a time-bound manner. Accordingly, the liquidation of the company or partnership firm will take place. In the voting process, the professional creditors would not have the right to vote. There are many more good things which the hon. Minister has adopted in the Bill.

Due to time constraint, I would again say that the hon. Finance Minister has gone into the root of the problem and has brought this Insolvency and Bankruptcy and Code. With these words I support this Bill. Thank you very much.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Thank you, Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on this very important subject on the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

Sir, this is an extremely important piece of legislation and it could not have come at a better time than this considering the goals that this Government has and this country has for economic growth and prosperity. It certainly brings the ease of doing business and makes it much better than it has been before. Possibly after the GST this may be the most important piece of legislation for ease of doing business.

Sir, we sat, under the chairmanship of Shri Bhupendra Yadavji, for almost 11 sittings over four months to deliberate clause by clause the entire Code. I echo the sentiments of my colleague Sushmitaji who said that it was a very good atmosphere, the Chairman was very fair and gave everyone a chance to talk. I think, every Member participated quite effectively, without any major disagreements. I think, we came to some good conclusions and a good consensus on almost everything that was discussed.

Sir, I will just make a few comments in very short. The key to this Code's working is the new system and structure that is being created - right from the Insolvency Board to the insolvency resolution professionals, the agencies, the information utilities and various things that have been envisioned. I would only like to say that on paper, it looks very good, but I think, the implementation is going to be the key and quite challenging.

We are planning on starting a new class of professionals in India. In that way, it is very historic also. Just like chartered accountant or company secretary, insolvency professional will be a similar type of professional qualification that someone will have to attain to play this role. So, the first thing is creating this whole new class of professionals throughout the country. We will have to ensure the speed at which that can be done with the quality that is required because a lot rests on the shoulders of these professionals. The entire resolution process,

insolvency process depends on the capability of these individuals. So, how long will it take to create such a class of individuals to cover so many different cases is one great challenge that we are going to face? I hope, we are up to it.

Sir, there are 43,000 cases pending before DRTs and nearly Rs. 1.4 trillion are stuck as per the latest data which is of March, 2013. So, by today, it may be even higher. This is the scale of the problem that we are looking at. These are the type of things which need to be resolved at the earliest.

This Code calls basically for finding early warning signals by reviewing the finances of all the companies that are registered in India. This is what the information utilities will be doing. I think that if that system works well, then detecting difficulty early and being able to address it is going to help many companies, which otherwise might have become sick, from becoming sick also.

There is a fine line between genuine cases and fraudulent cases. I think that is one big challenge that this Code may not really address adequately at the moment. I do not remember the number and I apologise for that, but I heard that something like one-half or one-third of all the companies in India are in financial distress. If that is the scale of companies in India which are detected by early warning signal to be under financial difficulties, that is also the number of people who will have to go in and support these companies. If we do not distinguish between genuine cases and fraudulent cases, it will not help. I think, it is very easy to liquidate but very difficult to revive and very difficult to start a new company also. So, we have to ensure that the focus is on revival first before it goes into liquidation. I think, that is something which this Code does not address sufficiently. I would request the Finance Minister to look into that.

I think, one of the earlier speakers also referred to the Company Law Board. We know the experience of trying to transition to the National Company Law Tribunal since 2013 and it is still not done. I think that is another example of what we should avoid while setting up the Insolvency Board and creating these professionals.

Sir, I would like to make one point regarding personal guarantees. It is not actually part of this Code, but I think, it is related. Therefore, I would like to bring it up. When a company goes for a loan to a bank, it is very common for the bank to insist on personal guarantees of the promoters. By taking a personal guarantee, the whole idea of limited liability company is lost.

16.00 hours

If the promoter has to sign a personal guarantee then that means his entire assets are at risk aside from what he is trying to do in the business.

I would just like to give the example of a company like Tesla. When will we ever have an entrepreneur like Elon Musk to setup a company like Tesla in India if they have to provide personal guarantees? This company has been in existence for more than 10 years and I think that it has made profit only in one year. It is definitely in financial difficulty from a profit and loss point of view, but the market cap is huge and therefore it continues to survive. But such a project, which is of such importance to the society at large, the whole world if not just one country, and if the system discourages somebody to start a company like that, then I think that we need to look at the system and make sure that we correct it.

My personal experience also is that even with companies with assets and which are making profit, lately -- may be as a response to the Kingfisher issue that many people spoke about and all the NPAs in the banks -- the banks are insisting on personal guarantees. I think it goes against the very nature of entrepreneurship and discourages entrepreneurship. I would like the Minister to please look into it and see as to why are banks suddenly tightening up on promoters and insisting on personal guarantees.

SHRI JAYANT SINHA: Sir, I would just like to clarify an issue. My good friend, Jay, who was talking about Tesla as an example of risk-taking and entrepreneurship, this Bill is intended to look primarily at creditor rights, operational creditor rights, workmen's rights and so on. The kind of financing that he is talking about for Tesla is typically done by equity financing, which is the

high-risk financing that we need. Of course, we as a Government have done a whole host of things to build up the domestic venture capital industry and also to encourage risk-taking in India. So, that is an example of equity financing and not debt financing. This is primarily about debt financing.

SHRI JAYADEV GALLA: Sir, I would just like to make one more point.

HON. CHAIRPERSON: I think that it is enough now. You have raised your point and it has been answered well.

SHRI JAYADEV GALLA: Sir, I wanted to talk about accountability of banks. I think that now the entire attention on NPAs is putting the blame on promoters. I think banks also have to have some accountability. They are reviewing business plans and approving business plans. So, they have to take some share in the risk. Therefore, this personal guarantee should not be insisted on. Thank you, Sir.

HON. CHAIRPERSON: The next speaker is Shrimati Kavitha Kalvakuntla. Kindly try to conclude within five minutes as we are short of time.

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): Thank you, Sir, for allowing me to speak on such an important and very progressive legislation.

इंडिया में जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क इन्साल्वेंसी सॉल्व करने का है, ऑन एन एवरेज 4.3 साल एक कंपनी का इश्यू सॉल्व करने में लगता है। कई तो ऐसे ही 20 साल से अटके पड़े हैं। But now, this new Bill proposes to solve all these issues and probably put us on par with the global standards. I believe that this is very important because ईज़ ऑफ डुइंग बिजनेस में एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है, यह बिल पास होने के बाद अचानक वर्ल्ड बैंक रेटिंग में इंडिया का नाम ऊपर जाएगा। हमें बाहर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी मिलेगी and within the country also if an insolvency case can be solved within nine months or a year वह मनी जिस बैंक ने दिया है, वापस उस बैंक को जाएगा so that this bank can again re-loan this money to some other entrepreneur. यानी इन्टरनली देश में एन्टरप्रियोनर्स को बेनिफिट होगा और बाहर भी हमारे देश का नाम रोशन होने के चांस हैं।

I am optimistic, but a little cautious because इस बिल में दो पहलू हैं। One is mainly the very procedure of the insolvency itself, and the other one is the infrastructure that this Bill aims to create. The very procedure of insolvency is a wonderful thing. You have moved away from the age-old approach of solving these issues inside a door. You have opened it and you have now formed a Committee called the Committee of Creditors. इसमें बहुत ही अच्छी बात यह है कि इसमें एम्पलायर्स को भी चांस मिलता है to participate, although they cannot vote.

Another very very important thing about this Bill is that earlier it was only a prerogative of a creditor who could have initiated this insolvency process, but now अगर कंपनी के किसी एम्पलाई को ज्यादा दिन तक सैलरी नहीं मिलती है, then he can initiate it.

Here, I had a question and if you could answer to it. As regards the broad definition of an operational creditor you have said that it is workers, employers and suppliers. अगर किसी सप्लायर को भी ज्यादा दिनों तक पैसा नहीं मिलता है तो वह भी इस प्रोसेस को इनीशिएट कर सकता है। That is not clearly mentioned in the Bill. If that can be the case, then it will help the medium range business to quite an extent. Of course, as

आनंदराव जी ने कहा है कि वर्कर का पीएफ का जो पैसा है, उसे आपने सिक्योर किया है। क्रास बार्डर इनसोलवेंसी के बारे में मेरा एक प्रश्न है। This Bill says that cross-border insolvencies are allowed, but only with countries which also have a similar law in their country. हम अपने देश में केस देखते हैं कि बहुत-से मीडियम रेंज के बिजनेस करने वाले चाइना से बहुत सारा सामान मंगाते हैं। They go to China, see a piece, book an order and come back, but the container comes with an entirely different shipment altogether. Is there any protection for our own businessmen against duping companies from abroad? How do we address that issue? Does this Bill take care of that thing at all? क्योंकि मीडियम बिजनेस करने वालों के साथ अगर ऐसा हो जाए तो उन्हें अपना बिजनेस बंद ही करना पड़ता है। In that case, it is not the problem of the investor as he is not wilfully defaulting. So, is there any protection offered? That is another issue which the Minister may address.

16.06 hours (Shri K.H. Muniyappa *in the Chair*)

Regarding the infrastructure that you have created, majorly, you have proposed three infrastructure areas. One would be the bankruptcy and insolvency adjudicator. Of course, there is already a certain mechanism. We already have a few DRTs, but we also know that these DRTs have a host of cases pending and they are not up-to-date. They are also not manned properly. अभी नए एनसीएलटी को प्रपोज़ किया है लेकिन इसके ऊपर आपने और एक लेयर क्रिएट की है। It is bypassing the High Court. But all said and done, we can still go to the Supreme Court. Once a defaulter agrees to everything, all this process happens. एक साल के बाद फिर वह सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो what do we achieve at the end of the day is another question. Of course, there is a very urgent need to revamp the facilities of these things. Then, there is an Insolvency Regulator which you have proposed and you are creating a new set of Insolvency Personnel Agencies and Agents also. उनको कैसे मोनिटर किया जाएगा, उनका मोरल कोड आफ कंडक्ट क्या है। These are all to be definitely very sharply.

Lastly, I do have one serious apprehension about this Information Utility that you have created. Why do we need an Information Utility? You already have

the RBI. RBI is our biggest Information Utility. We are not simply giving away the information. The rest of the banks which are supposed to give away the information of the wilful defaulters, they are not doing it. Why does the RBI not give an express direction to all the banks which can probably give away this data? Why do I say this? I would like to bring to your notice that On July 15, 2014, the RBI issued a notification which is called '5:25" arrangement. In other words, it relates to flexible structuring of long term project loans. उसके तहत थोड़ी कम्पनीज ने बेनिफिट प्राप्त किया है, फिर उन कम्पनीज़ का क्या होगाi These are huge companies with Rs. 16,000 crore or Rs. 20,000 crore loans, which have restructured their loans up to 2030. What is the effect or how many companies have been benefited in that? Again, in June, 2015, there was an SDR notification which came out from the RBI, which allowed these lead banks to take up 51 per cent of the stake, but of course, these banks could not manage the business, so they had to give it back. Again, there are a few companies which have benefited from that. How do we address this issue is very important. Is this legislation retrospective? Will it at least look into issues from the time you came into power? That is very important. I hope you will address these issues.

Apart from that, मुझे एक ही बात कहनी है क्योंकि हमने अपने देश में देखा है कि एक बड़ी कम्पनी होती है, they invest in four companies at a time. Usually, the strike rate is such that तीन कम्पनी उनमें से बस्ट हो जाती हैं लेकिन एक कम्पनी फायदे में चलती है। अगर एक कम्पनी फायदे में चल रही है तो बाकी तीन कम्पनियों ने जो बैंक से लोन लिया है या कहीं मार्केट से पैसा लिया है nobody can go and take money from that profit-making company, but that is the sole case of the wilful defaulters. How do we address this issue? इस बारे में कहीं बात होती ही नहीं है। मैं गंभीरता से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि विलफुल डिफाल्टर्स के बारे में आरबीआई ने कहा है which gives away huge room to leverage allowing these wilful defaulters to get away, I would request you to kindly address that issue.

श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान (मुर्शिदाबाद) : सर, इंसोल्वेंसी एंड बैंकरप्ट्सी कोड बिल, 2016 आज इस सदन में प्रस्तुत किया गया है। यह बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में चर्चा के बाद सदन में आया है। हमारे एक प्रतिनिधि उस ज्वाइंट कमेटी में थे। इसलिए इसमें विरोध करने की बहुत कम गुंजाइश है। फिर भी इसके संबंध में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ।

Hon. Chairman, Sir, our Finance Minister just today told in this House that India has the world's fastest growing big economy. But it is a matter of great surprise that this big economy is not creating enough jobs for our crores of unemployed youth. So, it is a jobless growth.

On the other hand, non-performing assets are growing day by day. A liquor baron fled away and 17 banks are pursuing for 1.4 billion dollars owed by his collapsed Kingfisher Airlines. The same thing is going to happen in KG Basin Oil worth bank loan of Rs.20,000 crore. Till date, there are so many laws, but it is not easy to recover such huge amounts of NPA. Courts are there for taking legal action. But for some loopholes and complications of Indian laws, it is a never ending process. Finally, the lenders are frustrated going from High Court to Law Board and from BIFR to Recovery Tribunals.

There are dozens of Acts and laws to deal with insolvency and bankruptcy. Some of them are from 1909. In spite of that, there is a backlog of 70,000 liquidation cases still waiting for clearance. So, a new initiative of bankruptcy code is very necessary at this time.

There are some positive sides in this Code also. In the new Bankruptcy Code, it is a positive step that lenders do not have to wait until a loan is declared stressed. They can take action at an early stage.

There is also one other positive and huge step for banking sector that a time limit of 180 days is fixed for legislation. It will help the banks to reduce the stress on their balance sheet. The existing Debt Recovery Tribunals are not effective due to lack of expertise and staffing. They have also no time limit to dispose of the cases.

Finally, I just want to speak on Insolvency and Bankruptcy Fund. Two of our colleagues have already mentioned about this. I will conclude just by saying this. Here, it is mentioned that the deposits made in the Insolvency and Bankruptcy Fund will include grants made by the Central Government. My question is as to why the Central Government will deposit in this Fund. Why? Secondly, why will the persons be interested to deposit in this Fund? I want to know about these two questions from the Finance Minister.

With this, I conclude.

SHRIMATI BUTTA RENUKA (KURNOOL): Sir, I welcome this legislation on insolvency and bankruptcy which has been a long-overdue. After we opened up our economy and started soliciting investments from abroad, such investors have been making their investments basing on not only the returns on investments but also the statutory and legal framework for the protection and safety of their investments. The foreign investors basically looked at the ease of doing business with us.

Since I have commenced my role as a parliamentarian about two years back I have seen the sincerity and commitment with which the hon. Prime Minister and the hon. Finance Minister have initiated rneasures in doing away with number of redundant laws and in bringing in fresh legislation in the required areas which will remove the irritants and promote investments both from abroad. and within the country. This pro-activeness on the part of the Government is commendable and we look forward to more such initiatives to ensure efficiency in managing our economy.

Insolvency and Bankruptcy laws of our country have been the major bone of contention for many investors mainly because of the multiple number of laws and the time taken for the resolution of the dispute. This makes recovery of debts a cumbersome process. The multiplicity and redundancy of these laws are making mockery of our financial system. India is a capital starved country and therefore it is essential that capital is not frittered away on weak and unviable businesses. Quick resolution of bankruptcy can ensure this.

The passage of this Bill will enable quick and prompt action to be taken in the early stages of debt default by a firm, maximising the recovery amount. The creditors will not become victims of red-tape and promoters will directly become accountable for any financial lapses. Bankruptcy laws accept that business ventures can fail and allow entrepreneurs to get a fresh start.

Currently it takes, on an average, more than four years to resolve insolvency in India, according to the World Bank's Ease of Doing Business report.

The new code seeks to cut down the time to less than a year. India is ranked 136 among 189 countries in the World Bank's ease of doing business index in the category of resolving insolvency. India's overall ranking is 130. This Act and similar other Acts in the pipeline will push not only the rank up but also the image of our country.

Sir, we all know that our banks are saddled with huge amounts of NPAs thereby choking the financial system. Time has come to overhaul the laws prevalent in our country especially the laws concerning the financial sector. This legislation is meant to connect the various laws and consolidating India's insolvency and bankruptcy laws which govern bankruptcy and insolvency for all debtors, including companies, unlimited liability partnerships, limited liability partnerships, individuals and other entities. The code is aligned with the Government's initiative to make doing business in India easier, and even creditors residing outside India are included in the definition of 'creditor' .

Sir, the Insolvency and Bankruptcy Code 2015 is a welcome initiative for creditors, investors and debtors alike. The streamlining of procedures, simplification of the insolvency process and fast-tracking of recovery are hallmarks of the code which will have a positive effect on India's lending climate. The code allows investors to exit from failing projects. The failure of businesses impacts employees, shareholders, lenders, and the broader economy. In a country like India particularly because of tactics employed by company promoters to delay reorganisation or attempts to sell off assets, changes of management, or litigation that goes on and on has significant bearing on jobs, income generation and economic growth.

The major incentive for the lenders and investors is the change in the order of priority of the charges. Government taxes have been relegated to the position below the creditors and employees thus giving confidence to the lenders and investors. The government shall put in mechanism to collect taxes as and when due, instead of allowing them to be accumulated to a level for recovery through

liquidation. Another significant feature is inclusion of penal provisions in the Bill which provides for monetary penalty and jail term of up to five years for concealment of property, defrauding creditors and furnishing false information. This I hope will act as a deterrent for the potential wrong doers.

Sir, even while supporting the bill wholeheartedly I would like to express my concern and reservation on one aspect that is appeal process provided in the Bill subject to correction if any. I hope the hon. Finance Minister will give a serious thought to this aspect especially in view of the length and breadth of the country. As per the provisions of the Bill, National Company Law Tribunal and Debt Recovery Tribunal are the adjudicating authorities. There decisions could be challenged in appellate tribunals. These appellate tribunals are located in the national capital or at the most in metropolitan cities. Any further appeal can be made only to the Supreme Court of India. This will increase the cost of appeal process and will be burdensome on the people. High Courts which are there in almost every State capital have been totally left out in the scheme of arrangement. If the appeal process could be restructured to allow appeal from the National Company Law Tribunal and Debt Recovery Tribunal or even from the appellate tribunals to the High Courts and finally to the Supreme Court, it will be a great convenience and financial relief to the parties involved.

With these observations, I strongly recommend passing of this Bill and looking forward to similar enactments which will strengthen our economy.

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वह उनके द्वारा हो रहा है। इसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर असर पड़ता रहा है। मल्टीपल एक्ट्स को हम लोग इनकम डिपार्टमेंट्स में डील किया करते थे और यह भी देखते थे how the creditors are duped. हालांकि आरबीआई और बैंक का सिस्टम फॉरेंसिक ऑडिट का हुआ करता था। But we definitely lacked professionals. As on date also, we don't have professionals. But now onwards, care will be taken that professionals are created. Of course we will be pooling professionals from CAs, Stock Exchange and advocates and there will be expertise.

In Chapter 11 of the Code, the provisions of insolvency and bankruptcy are very strict, but here I find that it is easy to get away. Of course, my friends had mentioned some of the names and how they had duped banks and how they had duped the creditors. मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हूं। लेकिन हमारे सामने प्रोफेशनल्स की चुनौती आएगी कि उनको कैसे ट्रेंड किया जाएगा। But I am very confident that the country is in the hands of very safe leadership and that will also be looked into at a faster speed.

It is not connected to it directly but I have found how the profit is being siphoned off in the name of progeny and children and they start enjoying the assets and credits but the companies or individuals who are real debtors declare themselves insolvent and bankrupt. They say that they don't have anything.

A very important point was raised that in the bank also, the responsibility should be fixed on an individual, the person who is in the bank, who is responsible for advancing the credit. Otherwise, what is happening is that when the institution as a whole is held responsible, then nobody is accountable for that. To some extent, the person who surveys, who exercises his consent and finally approves for heavy loans, should be held responsible even if he has superannuated. So, I am hopeful when the rules are framed, all these things will be taken care of. लेकिन आजकल हमारे देश में यह बहुत बड़ा मेनस हो गया है कि अमीर लोग लोन लेकर के अपने आपको इंसोलवेंट और बैंकरप्ट् डिक्लेयर करके मजे मारते हैं। कुछ केसिज को छोड़कर मैंने मैक्सिमम केसिज में देखा है कि उनकी औलादें मजे मार रही हैं और उनके पास बड़ी-बड़ी सुविधाएं हैं, कोठियां हैं, उन्होंने विदेशों में पैसा साइफन

आउट कर रखा है और इंकम टैक्स की फाइल में उन्होंने अपने आपको डिक्लेयर कर रखा है कि उनके यहां सारे लॉसेज हो गये हैं। So, it is an inter-connected approach.

I am very thankful at the end that the Government has brought out this Code. Of course, it will definitely help in improving the economy.

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Thank you, hon. Chairman.

First of all, I would like to thank all those people who have played a very critical role in the formulation of this Insolvency and Bankruptcy Code. I would like to especially mention at this time the former Law Secretary Dr. T.K. Viswanathan who has done a phenomenal service through the Committee. I would like to express my gratitude to the Members of the Joint Parliamentary Committee. In a true symbol of bipartisan support for a Bill which would push forward India's economic growth, this Parliament has shown to the Indian nation that its Parliamentarians are concerned; and when we are united on ideology and in our economic philosophy, we come together.

I would like to talk about the larger purpose of this Act which is to ease bankruptcy and insolvency procedures for sick industries as well as increase the amount of debt that is recovered. Currently, it is at 20 per cent. We hope, through this Bill, the debt recovery percentage would increase to 80 per cent. But the fact that we need such a law or that such a law is so important at this point of time points to the health of our economy. Let us be honest that the current health of our economy is not as good as we make it out to be. Currently, the amount of bad loans in the country is Rs. 71,000 crore across major infrastructure sectors such as steel, coal, and real estate as well as industries which employ labour such as textiles, chemicals, and weaving. Our core industries are not doing so well. Therefore, because of bad debts, bad business models, banks have stopped lending due to the NPAs; and because banks have stopped lending, industries are not able to expand their projects. So, it is a vicious cycle that is slowing down our economy and putting obstacles to our economy.

While we congratulate the Government, all the Parliamentarians and bureaucrats for coming out with great legislation, we must also be careful that this legislation, when it talks about sick industries, is also related to labour and employment. We must introspect how much employment we have been able to generate. We talk about ease of doing business but what about the ease of getting a

job? In today's world and in today's India, it is not easy to get a job. We talk about India's growing demographic dividend but for this demographic dividend, but for this demographic dividend getting jobs in this current scenario is proving to be one of the toughest. The Government's own report says, 'In 2015, the year saw the lowest job growth since 2008.' It is a shocking fact that we must talk about and we must acknowledge. We must face it; only then can we plan forward. There were 43,000 jobs lost from April to June, 2015. The Government's own report says that till now 90 per cent of our workforce is in the unorganised sector which is outside the ambit of this law. But nonetheless it is important to point out because we are talking about the economy. It is the economy the context in which this Bill is being brought forward.

Before this legislation came, there were previous legislations as well, previous regulators as well. It was not because of the regulation that bad debt had increased. It was because of bad business decisions, bad business modelling, and bad investment decisions which led to such a bad situation. We must ask about how we can prevent bad business decisions in the future. We do not want any more Vijay Mallyas to come, take the banks for a ride, and escape the country.

So, how do we prevent bad decisions and how do we incentivise good business decisions must be clarified by the Government.

In this Bill, a new regulator has been proposed, which is the Insolvency and Bankruptcy Board of India. My question and I hope it would be clarified later on that how will this regulator be different from the previous regulator which was the Board of Industrial and Financial Reconstruction.

Thirdly, a new sector is being created. A new layer of professionals will be required. A new layer of judges would be required. Has there been any study by the Government as to how many professionals we will need, how many judges we will need and by what year will we have this vacancy completed or we will only have tribunals on paper but no judges or we will only have insolvency resolution agencies but no professionals. Has there been any labour study to say how many

jobs will be created, where will get these people from and how will they be trained.

My penultimate point is that there are a number of existing cases under the current tribunals, whether the Company Law Tribunal or the earlier debt recovery tribunals. What happen to these cases? How do you manage the transition? What are your plans? It is good to have a plan for the future but managing a transition is also a complex process. So, what happen to the existing cases? Will they be now tried under the new law or will they be tried under the existing law?

Lastly, Sir, this is the general point that I want to draw your attention to. Many public sector banks provide hardly any credit to projects in the Northeast stating the fact that they have bad debts on their book or they have already given loans to big players. But if you want to grow the economy, you have to improve the credit ratio in the Northeast and you would see from your own data that amongst the entire geography of India the Northeast gets the miniscule amount of credit from public sector banks. I wanted to draw your attention to that point.

In the end, I support this Bill. I do hope that capital flows become easier. Capital flows becoming easier will only contribute to our GDP. The GDP as of now is 7.3 per cent. But this is, as you also know, is as per the revised formula. If you go as per the revised formula, the last year of UPA was 6.9 per cent. So, I do hope that the GDP grows and the debt recovery percentage increases to 80 per cent and I support this Bill. Thank you.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : सभापति महोदया, जो बिल पेश हुआ है, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016, उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले तो माननीय वित्त मंत्री आदरणीय अरूण जेटली साहब एवं माननीय जयंत सिन्हा जी को बधाई देता हूँ कि यह बिल सामने आया है। बैंक को बैक बेंचर के लिए अधिक होना चाहिए। प्रो-पूअर होना चाहिए। फर्स्ट बैंचर के लिए कम होना चाहिए। बैंक हमेशा प्रभावकारी हो, लाभकारी हो, गरीबों के लिए होना चाहिए। लेकिन कई ढंग की परेशानिया इसमें थी, जिससे लूटकारी शक्तियां इसमें ज्यादा बढ़ कर काम करती थी। बहुत से लोग कर्ज चुकाए बिना भी देश से बाहर हैं, यह हर कोई जानता है। जैसे पानी के लिए जलाशय रिज़र्वायर होता है, यहां वैसे ही बैंक हमारा रिज़र्वायर है आर्थिक समृद्धि के लिए, आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक संसाधनों को चतुर्दिक विकास के लिए फैलाने के लिए है। यानि जहां कम पानी होता है, वहां हम पानी डालते हैं। वैसे ही छोटे-छोटे व्यापार, छोटे-छोटे उद्योग आर्थिक समृद्धि के लिए बैंक साधन और कर्जा देता है और हम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन बड़ी चालाकी से इसको बड़े-बड़े घराने और उद्योगपति अपनी तरफ खींच कर ले गए।

माननीय उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो बैड लोन है, उसे रोकना चाहिए, बैडिंग सिस्टम को बदलना चाहिए और जो अमीरों का पक्ष है, उस पक्ष पर ध्यान देकर के अमीर और गरीब के मापदण्ड में अन्तर नहीं होना चाहिए। यह हम सब लोग भी अपनी चिन्ता जाहिर कर रहे हैं। जो डिफॉल्टर हैं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका लोन रिकवर होना चाहिए, जो बिल में है। यह अच्छी बात है। इसमें कई सुधार और बहस से अच्छाईयाँ निकलकर सामने आएंगी। अगर कोई गरीब लोन लेता है तो वहाँ डुगडुगी बजाई जाती है। हजारों घरों में चर्चा हो जाती है, अखबार में फ्रंट पेज पर आ जाता है कि अमुक गरीब के घर पर आज बैंक ने पुलिस को भेजा है। उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा दाँव पर लग जाती है। वह डुगडुगी बजाकर किया जाता है। अगर उच्च उद्योगपति लोन लेता है, वह 25 साल से ढका का ढका रहा है, देहाती में कहते हैं कि ढका रहा है, वह हाथी बना हुआ है, उस पर महावत की तरह अंकुश लगाने में भारी कमियाँ रही हैं। इसलिए उस पर अंकुश लगाना, जो उच्च उद्योगपति है, उसको डर होना चाहिए कि सबसे बड़ी संसद है, सबसे बड़ा कानून है और कानून के रखवाले जो कानून बना रहे हैं, उससे उसका डर बढ़ेगा। इसलिए ऐसे हाथी पर कार्रवाई करना, ऋण लेकर जो बाहर चले जाते हैं, अपने-अपने ढ़ंग से, वह अलग बात है।...(व्यवधान) हम दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर देंगे। इसमें बोलने का जो स्कोप है, वह बहुत तरीके से है। जो बैंक से राशि लेकर हेराफेरी करते हैं, उन्हें दिवालिया घोषित करके उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो बड़े उद्योगों के नाम पर कर्ज लिया जाता है, कामगारों को परेशानी होती है, ऐसी कम्पनियाँ हैं, जिन्हें रूग्ण घोाति कर देते हैं, जिन्हें बंद कर देते हैं, सिक कर देते हैं, उससे परेशानी गरीबों को होती है। इसलिए हमें व्यवसाय को बढ़ाना है और ऐसी चीजों पर ख्याल रखना

और पेशेवर एजेंसियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करना लाजिमी है। जो उधार लेकर भाग जाते हैं, कर्ज नहीं चुकाते हैं, इस बिल से उन्हें बाँधा जाएगा। इसीलिए विद्वान वित्त मंत्री माननीय जेटली साहब इस बिल को लाए हैं, मैं इसे अच्छा मानता हूँ और सपोर्ट करता हूँ।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 का समर्थन करता हूँ। आज सुबह हमारे माननीय वित्त मंत्री जी जब वित्त विधेयक पर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भारत आज दुनिया की सबसे तीव्र गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था है और लगातार इसकी गति बनी रहे, इसमें बैंकों की बड़ी भूमिका है। अभी 15 दिसम्बर को राज्य सभा में एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें विश्व बैंक ने दिवालियेपन के समाधान के सन्दर्भ में पूछा था, सरकार ने उत्तर देते हुए बताया था कि 189 राष्ट्रों में 136वें स्थान पर भारतवर्ष था और इसी के कारण माननीय वित्त मंत्री जी दिसम्बर 2015 में बिल लाए थे। उसके बाद यह ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गया और अब यह बिल 2016 कोड के रूप में प्रस्तुत है। मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ। वास्तव में इस बिल को लाने की जरूरत इसलिए पड़ी, क्योंकि अभी दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता मामलों के निबटारे के लिए कोई एक कानून भारत में नहीं है। अलग-अलग क्षेत्रों में कई कानून हैं, लेकिन वास्तव में कोई एक कानून ऐसा नहीं है, जिससे इन चीजों से निबटा जा सके। यह जो विधेयक लाया गया है, इसका उद्देश्य निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ पेशेवर एजेंसियों और सूचना-सेवाओं के क्षेत्र कम्पनियों, गठजोड़, फर्मों और व्यक्तियों के दिवालिया होने के विषयों का नियमन किया जा सके, यह इस कानून का उद्देश्य है।

वास्तव में जिस तरीके से जीएसटी में हम सब लोगों ने देखा है कि विपक्ष के विरोध के चलते हम लोग उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भी सरकार लम्बित आर्थिक सुधारों को लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार यह बिल लेकर आई है और यह बैंकरप्सी के मामले में समयबद्ध तरीके से निपटने का एक बहुत बड़ा संसाधन बनेगा। असल में इस बिल में दिवालियेपन के क्षेत्र में काम करने वाली पेशेवर एजेंसियों के नियमन और ट्रिब्यूनल बनाने का प्रस्ताव भी किया गया है। लेकिन हम सब जानते हैं कि यह सब जो कानून हम बना रहे हैं, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य एनपीए है। वास्तव में इस समय एक बड़ी कठिन परिस्थिति से हमारे देश के बैंक गुज़र रहे हैं। उसमें भी लोग राजनीति कर रहे हैं। अभी हमारे कई वक्ताओं ने यहाँ विजय माल्या का ज़िक्र किया। लेकिन सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और उसके बावजूद लोग ऐसे उदाहरण देते हैं, इन मामलों में भी राजनीति करते हैं। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि हम सब लोग जब जाइंट पार्लियामैंट्री कमेटी के माध्यम से बिल लेकर आए हैं, और वैसे भी 2004 से 2014 के बीच में देश में ऐसी अक्षम सरकार रही जिसने दुर्बलता का परिचय दिया और दस साल में देश का बहुत नुकसान हुआ। मैं चाहता हूँ कि लोकतंत्र में एक मज़बूत विपक्ष होना चाहिए और उसकी एक भूमिका होती है। लेकिन जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है और जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि सुषमा जी और वसुंधरा जी का इस्तीफा मांगते हुए सदन को नहीं चलने दिया जा रहा था, आज ऐसी परिस्थितियाँ आ रही हैं कि अगर आप राजनीति करना चाहें तो वह अलग बात है। मैं यह मांग नहीं करता हूँ, लेकिन कहना चाहता हूँ कि

क्या आपकी नैतिकता यह नहीं कहती, आपसे यह सवाल नहीं पूछती कि जिस तरीके से आप सुषमा जी और वसुंधरा जी का इस्तीफा मांग रहे थे और आज जिस तरह से सोनिया जी, राहुल जी और मनमोहन सिंह जी का नाम उच्च न्यायालय के आदेश में आया है, क्या वह लोक सभा और राज्य सभा से इस्तीफा देंगे, अपने को साफ-सुथरा साबित करने के लिए क्या वे यह कदम उठाएँगेi लेकिन उनका उद्देश्य राजनीति करना है।

मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से एन.पी.ए. और जो फँसे हुए कर्ज़ हैं, उनके लिए देश में राजनीति हो रही है लेकिन सरकार लगातार कदम उठा रही है, हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से जो लॉफुल, विलफुल डीफाल्टर होते हैं, उनसे वसूली बहुत कठिन होती है। हम लोग केवल 12 से 15 प्रतिशत वसूली अभी तक कर पा रहे थे, जब बहुत प्रयास किये जा रहे थे। बैंकों को इससे बड़ी शिकायत है। उनकी जहाँ पर पूँजी बढ़ रही है, बट्टा खाता बढ़ रहा है। हम लोगों ने देखा है कि जो विलफुल डीफॉल्टर हैं, जो जान-बूझकर कर्ज़ नहीं लौटा रहे हैं, उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। अभी हम लोगों ने देखा है कि 2015 तक देश के बैंकों में कुल 26,95,132 करोड़ रुपये का कर्ज़ा दिया है जिसमें से 2,23,613 करोड़ रुपये, यानी लगभग 8.30 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो विलफुल डीफाल्टर हैं।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री अजय मिश्रा टेनी: मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह जो बिल आ रहा है, इससे बैंकों को बहुत बड़े अधिकार मिलने जा रहे हैं। उन अधिकारों के द्वारा जो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, मैं केवल उनकी बात करूँगा और उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त कर दूँगा। इसमें एक जो सबसे बड़ा परिवर्तन हो रहा है कि बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और निवेशकों को पैसे लेकर खुद को दीवालिया घोषित करने वाले कर्ज़दार अब विदेश में भी अपनी संपत्ति नहीं बचा पाएँगे। कर्ज़ न चुकाने वाले ऐसे दीवालिया व्यक्तियों की देश के बाहर स्थित संपत्ति दीवालियेपन एवं प्रस्तावित नए कानून के दायरे में आएगी। ऐसा होने पर दीवालिया घोषित होने वाले व्यक्ति या कंपनी की विदेश की संपत्ति को भी नियंत्रण में लिया जा सकेगा और उसके साथ-साथ अभी जो समिति ने नया उपबंध किया है ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Your time is over. The hon. Minister has to reply today.

Shri Rajesh Ranjan.

...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापति जी, गाँव-देहात में एक कहावत है कि 'चोर के लिए ताला क्या और वकील के लिए कबाला क्या।' आप जितना कानून बना लीजिए, आप अच्छे आदमी हो सकते हैं, पूरा सदन अच्छा हो सकता है, हम अच्छे होंगे, हमारी व्यवस्था कैसे अच्छी होगी और फिर बार-बार वे बातें याद आ जाती हैं अंबेडकर साहब की कि कानून और संविधान बहुत अच्छा बन सकता है लेकिन उसको चलाएगा कौन। कोर्ट बन जाए लेकिन इनवैस्टिगेशन कौन करेगाi क्या वह रवीन्द्रनाथ टैगोर के स्कूल में पढ़ा कोई नैतिक और ऊँचे मूल्य वाला व्यक्ति हैi इनवैस्टिगेशन जब अच्छा नहीं होगा तो न्यायालय से आप दंड कहाँ से दिला देंगेi पैसा लेगा इनवैस्टिगेशन करने वाला, पैसे लेंगे पप्पू यादव यहाँ बैठकर कर, न्यायालय की आलोचना हम नहीं कर सकते, लेकिन न्यायालय बहुत अच्छा है, यह भी नहीं कह सकते। आप लोगों का बिल बहुत अच्छा है, कानून बहुत अच्छा आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएँगी लेकिन मेरा बहुत ही विनम्रता के साथ आग्रह है कि दुनिया में इतनी अकूत संपत्ति पोलिटीशियन के पास होती है, क्या इस पर कोई बिल होगा या नहींi ये बाबाओं के पास इतनी अकूत संपत्ति 15 साल में कहाँ से आ जाती है, इस पर कोई बिल होगा या नहींi ब्यूरोक्रेट्स के पास इतने अरबों-खरबों रुपये घर में रहते हैं, इस पर कोई बिल आएगा कि नहीं? पत्रकारों पर कोई बिल आएगा कि नहीं? बिल पर बिल आ रहे हैं। हमारा वक्त कम हो रहा है, इसलिए हम सिर्फ सुझाव ही दे सकते हैं।

1. MSMEs should be kept out of its purview. Their bankers are already able to take possession in two to three months under SARFAESI. An even more draconian law is not required to recover from them.
2. Operations of BIFR should be continued for MSMEs with suitable amendments in SICA to enable it to deliver in a time bound manner. Enough judges should be provided on its benches for it to be able to dispose of the pending cases. At present, it is virtually not functioning since the last one and a half years for want of bench strength.
3. Right of first denial should rest with the borrower if he is willing to give better terms of settlement vis-à-vis an ARC.
4. If the proposed law is being brought as an 'Exit route', then let it be in force with prospective effect for the new companies going to be set up or for those promoters who want to exit their companies.

5. We must try to concentrate and recover the amount from wilful defaulters first instead of treating all the borrowers in the same way.

6. The protection from recovery from the date of SICA is repealed (as soon as this Bill becomes law) to the date the defaulter company gets itself registered in NCLT (the maximum period prescribed for this is 180 days) and the due adjudication starts under the new law, must continue even after reference under BIFR and AAIFR is automatically abated. Otherwise, the FIs or other Departments will take possession of the assets of the company immediately after abatement and would have already sold them by the time the adjudication by NCLT would start (which may take upto seven or eight months) rendering the entire exercise futile.

7. The FM himself has repeatedly said that the companies in steel, power, aluminium and infrastructure sectors have gone sick due to sectoral sickness and even went to the extent o exhorting the bankers to give special dispensation to these companies. This aspect must also be explored.

8. The exclusivity period of at least six months should be provided. Even Chapter 11 provides for an exclusivity period of four months. This is required to prevent hostile takeovers.

9. A panel of experts, having promoters of MSMEs also on board, should be formed to give detailed suggestions in a short time bound period.

1.14 लाख करोड़ रुपये, मैं वित्त मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि हिन्दुस्तान में कितने पैसे हैं? सिर्फ इस तरह के कानून को लाकर आप हिन्दुस्तान की प्रगति को या जी.डी.पी. को बढ़ा नहीं सकते हैं। हमारी व्यवस्था बड़े लोगों के लिए नहीं बनती है। यह सिर्फ छोटे लोगों के लिए बनती है। गरीब उस व्यवस्था में पिसे जाते हैं और अमीर हमेशा बच निकलते हैं। कानून ऐसा होना चाहिए, ताकि वह दोनों के लिए समान हो। हम किसानों के कर्ज़ पर रोते हैं, हँसते हैं और हल्ला करते हैं। लेकिन, अमीरों और बड़े लोगों के कर्ज़ पर हम कभी हल्ला नहीं करते हैं।

महोदय, मुझे कुछ और ज्यादा नहीं कहना है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि पॉलिटीशियंस के चलते यह जो हमारी व्यवस्था है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, यह खराब है। इसलिए आज आपको कानून पर कानून लाना पड़ता है। इसलिए हमें पॉलिटिकल सिस्टम और विल पावर को मज़बूत करने की जरूरत है। जब तक विल पावर मज़बूत नहीं होगा, तब तक कोई कानून आप ले आएं, आप हमारी व्यवस्था को बदल नहीं सकते।

SHRI RAM PRASAD SARMAH (TEZPUR): Mr. Chairman, Sir, thank you. The Insolvency and Bankruptcy Code, 2015, which has been amended as 2016, is a welcome step towards improving the ease of doing business and it will certainly help the Indian economy grow faster.

We are already in the track of faster growth of economy since we took over two years back. I hope this Code will help us in achieving our goal further because it will lead to a single window system. It seeks to repeal other laws like the Presidency Towns Insolvency Act, 1909 and Provincial Insolvency Act, 1920. The commendable provision in this Act is the 180 days fixed for resolution of the disputes. It will be done in a time bound manner. It will help the creditors as well as the debtors to initiate the Insolvency Resolution Process, the IRP. It also provides for punishment for those who conceal their source of income or their properties while taking loans or while being indebted to banks or financial institutions.

The process for resolution provided to two agencies will certainly fast track the process and resolve the disputes quickly so that the banks or the creditors will recover their money faster and will not lose their money. Another major step is that debtors fleeing the country or residing outside the country, like Vijay Mallya, can also be brought to book and force to face the trial under the Insolvency Act.

In North-East we have got very limited resources for development. Banks are not performing well. It is very difficult for a poor man to get any loan under the present situation there. There is no industry at all, either small or big. The growth is very slow. So, I would request the hon. Finance Minister to look into the situation that prevails in North-East in general and Assam in particular, which is one of the poorest States in India and encourage banking system in the North-East. The MUDRA loans and other loans are not percolating to the poor there. It is being reaped by the well to do families. Bank officers are to be bribed for getting the loans in the North-East. Otherwise, loans are not sanctioned. So, I would certainly expect from our Government to provide North-East with better facilities

and also to take care of cross border insolvency. This provision of 180 days is a good step.

Under Clause 180 even the legislators can be brought to book. Those who become MPs also should be brought under the law so that they can also be booked and their defaults, if any, can be looked into. Thank you for giving me time.

SHRI JAYANT SINHA: Mr. Chairman, Sir, we had a very good discussion today in the House about this legislation. As you know, the hon. Prime Minister's goal is to reform India to transform India. This legislation is one of those transformational building blocks that will actually be able to transform our economic landscape. I am very pleased as hon. Member spoke as they recognized the transformational aspect of this legislation.

The fact we have been able to bring this transformational legislation to this august House – I must say this is now `the august House', after the other House has become... *- is because of the hard work of many people who have worked on this for a long period of time, notably Shri T.K. Viswanathan, who was shepherded of putting this legislation together. Then, it was brought to the Joint Committee of Parliament where 30 Members worked very hard; there were 12 sittings; they provided many good recommendations including among them that we have to strengthen workmen's rights; we have to consider cross border insolvency; and that we also need to strengthen operational creditors. So, these very excellent recommendations came from the Joint Committee.

Many Members of the Committee are present here. I would like to really thank them for what they did. We have accepted all of their recommendations in toto. They are of course in the Report that was presented to Parliament.

We had a number of excellent speakers who spoke, highlighted many facts here. I am not going to get in my reply into most of the details of the legislation that was brought out very well by most speakers. I will take the short time that we have right now. I would just go into a few clarifications and just explain those in some detail. Before I get into that, I do want to recognize that श्री पप्पू यादव जी का एक नया रूप आज हम लोगों ने देखा। उन्होंने एक नई भूमिका दिखाई, तो हम सब लोगों को, उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस प्रकार से आज भाषण दिया। ...(व्यवधान) एक नए रूप में हम लोगों ने देखा। If this is the transformational legislation, I would just very quickly tell hon. Members

* Not recorded

what is so transformational about it. What we have done is, we have redressed the balance of power between promoters and creditors, broadly defined in putting financial creditors, operational creditors, Government, etc. We have redressed that. It is a big transformation. We have gone from a situation as many hon. Members pointed out where the winding up and resolution process would last from three to ten years, and from 180 to 190 days. We really changed that dramatically. We have gone from a situation where we had 12 laws that pertain to the bankruptcy, the default process to one where you have just one law. Some of these laws which were more than 100 years old have been replaced by a modern 21st century law which is as good as anywhere else in the world.

We hopefully with this law would be able to move up quickly in the World Bank ranking in the Ease of Doing Business - that is also a transformational step.

Finally, through the information utilities, which many hon. Members touched on, we are going to go from a situation of very fragmented information, a lack of information, and opacity about the bankruptcy and insolvency process to where there is a lot of transparency, and a lot of knowledge as to what is happening, who is in distress, and who is not in distress. In that sense, we will be also creating an industry with the Bankruptcy Board and the insolvency professionals. This is indeed a major transformation.

On to the clarifications there are five or six, I would just go through them very quickly. There was a question Prof. Saugata Roy posed about whether the promoter himself can trigger a voluntary default. That is indeed possible. They will be able to do that.

About the early warning, Shri Jayadev Galla brought up this up whether we can get an early warning signal, whether we can get revival in doing it that way with the information utilities, promoters have the ability to think about the voluntary default and then try and revive their enterprise that way.

The other thing that we have done here is we have put employees and workmen right at the top of the waterfall in terms of protection of rights. That was

brought up and that was the question several people had, but of course what we have done is, workmen and employee who have worked hard for the company, who in many cases have no other means of support are right on top of the waterfall.

There was another question that was asked is this. Why is it that the Government comes after employees in secured creditors in this waterfall?

17.00 hours

The answer to that is because we want the people to come first with secured creditors because after all it is depositors' money; it is tax payers' money as Shri Satpathy was pointing out. Obviously, employees are most dependent and most vulnerable. So, we put the most dependent and the most vulnerable tax payers' money ahead of the Government which has other ways of borrowing money and we put the Government next after these two creditors in the waterfall.

There was another point raised by Prof. Saugata Roy. He pointed out that we have seen many situations where there have been sick companies in West Bengal. It is unfortunate that West Bengal has had to go through that. I think under the leadership of his Party, West Bengal will surely do much better. But what we have done to protect workmen and employees – and this is from the suggestion that came from the Joint Committee – is to strengthen their salaries from just 12 months to 24 months. So we are really making sure that the most dependent are fully taken care of.

As far as creditor rights are concerned – this was touched upon by many hon. Members namely, Shri Galla, Shri Adsul and Shri Mahtab – of course, they are able to trigger default and because they are able to trigger default, they can then have significant leverage over promoters because obviously when the default happens, promoter comes last and this gives a lot more leverage, transfers the balance of power from promoters to creditors. In doing so, of course, this also strengthens the corporate debt market so that creditors can then issue debts with a better understanding of the risks that they have to deal with, which means a better

pricing of the risks. We also believe that this will lead to a much broader, deeper, more liquid corporate bond market as well. So, it significantly strengthens the corporate debt market.

I have already clarified Shri Galla's question as to why is that we want personal guarantees. The fact is that when you cannot enforce bankruptcy as a debt financier, you are going to want to have something like a personal guaranty to be able to enforce your creditor rights. Now, the fact that we are going to put in place this very robust bankruptcy process, hopefully it will reduce the need for personal guarantees because you know that you would be able to recover loans in the bankruptcy process. So, this deals with the problem that he has raised.

Then, several Members asked about information utilities as to why is it that we need information utilities. Shri Satpathy and Shrimati Kavitha spoke about it. The reason is, as I said earlier, we have a very fragmented, opaque insolvency and bankruptcy process that is scattered across different legislations and many adjudicating authorities. By putting in place, these well regulated information utilities and by forcing people to deliver information to these information utilities, we will have transparency in terms of who is borrowing, how much he is borrowing, what is his exposure across the system and an early warning signal to understand as to who could potentially be in distress and whether wilful default is happening. By having these information utilities, we prevent these kinds of situations. Of course, hon. Members should know that these information utilities will be regulated by the Bankruptcy Board which will have very eminent people and capable professionals. Therefore, we are quite confident that this transparency that we need in these situations will, in fact, come about.

Finally, there were a lot of Members who spoke about wilful defaulters. Shri Rajesh Ranjan, Shri Adsul, Shri Satpathy and Shrimati Kavitha spoke about it. Everybody of course, like all of us in Government, wants to avoid people operating as wilful defaulters, taking money from our banks and then either diverting it into other purposes, siphoning it away or not paying when they can

pay. These are the definitions that the Reserve Bank of India already uses for identifying wilful defaulters. So, that framework is in place right now. Wilful defaulters are being identified. Previously, while replying to a question in this august House some days ago, I explained that over 7,000 wilful defaulters have been identified, FIRs have been filed against them and the process for identifying wilful defaulters, going after them and taking criminal action against them is very well defined. It is a parallel process from the bankruptcy process and they will both continue to operate as we would like.

Finally, Mr. Gogoi wanted to know why is it that we are not able to create more jobs. We are, in fact, creating jobs. A lot of jobs are being created in the informal sector thorough initiatives such as Mudra, what we are doing in construction, in public investment and so on. But I would like to conclude by reminding Mr. Gogoi that it is precisely this type of transformational legislation, these kinds of very important building blocks of our economy which, once they are brought in, will enable the kind of creative destruction which Mr. Galla was talking about, companies to be able to get going quickly, to wind up quickly, for creditors and investors to invest fearlessly. It is that type of friction free market performance, market processes that will enable the creation of these jobs.

With that, I think, all the hon. Members will join me in supporting this legislation, this very transformational legislation. Thank you very much.

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): Thank you, Sir, for giving me the opportunity. Since I did not get time to speak for the Bill itself, I have only one question, a bit longer question. How does it address the willful but not fateful pre-planned defaulter who can use the spirit of the Bill, that is ease of doing business to ease of cheating which can result in public bankruptcy to personal aristocracy? The recent example being king of good times in bad times also, that is Mallya syndrome. Thank you, Sir.

SHRI JAYANT SINHA: Sir, I just explained the process of going after willful defaulters. It is independent of the bankruptcy process. For instance, suppose, somebody has not defaulted, but we know that they are in fact diverting their funds, they are siphoning funds away, we can immediately start to take action on them. We can file an FIR and we will pursue them through our investigative agencies and the kind of police action that we can take. They will end up in jail because of the kinds of laws that we have in place right now. So, I think, the hon. Member should be reassured to know that all of that is already under way.

श्री अजय मिश्रा टेनी : सभापति महोदय, अगर सरकार दिवालिएपन पर कानून लागू करने के लिए दूसरे देशों के साथ समझौता कर लेती है तो क्या गजट अधिसूचना द्वारा किसी भी कारपोरेट, दूसरे कर्जदार तथा उनके गारंटर को भी भारत से बाहर की सम्पत्ति को इस कानून के दायरे में ला सकेगी। यदि कम्पनी दिवालिया हो जाती है और उसकी कोई सम्पत्ति बेची जाती है तो क्या उस पर पहला हक उनके कामगारों का जो बकाया दो साल का है, उसे चुकाने पर किया जाएगा।

श्री जयंत सिन्हा : माननीय सांसद ने काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। उनका प्रश्न है कि अगर आप बैंकरप्सी प्रोसैस में हैं और कोई कम्पनी है जिसके ऐसैट्स वगैरह देश से बाहर हैं तो किस प्रकार और किस प्रक्रिया से हम उन ऐसैट्स को इस देश में ला सकते हैं। जैसे इस विधेयक में बताया गया है, इसका पूरा विवरण भी किया गया है, हमें क्रॉस बार्डर ट्रीटीज करनी पड़ेगी, अन्य देशों के साथ समझौता बनाना पड़ेगा कि इस डिफॉल्टर पर हम एक्शन ले रहे हैं। जब हमारे पास एक दुरुस्त और अच्छा कानून होगा, जैसे यह कानून है, जिसमें अन्य देश को स्पष्ट हो जाएगा कि हम कानूनी तरीके से, बाय ड्यू प्रोसैस ऑफ लॉ एक्शन ले रहे हैं। उन्हें भी विश्वास होगा और वे हमारे साथ समझौता बनाकर ऐसैट्स जो देश से बाहर हैं, वह अटैच करेंगे। हमारी अन्य देशों से बातचीत हो चुकी है। उन्होंने बताया है कि जब इस प्रकार का कानून हमारे देश

में होगा तब यह सब हमें जो कौन्फिसकेशन करना है, उसे ज्यादा सरलता से कर पाएंगे। इस कानून के तहत काफी संभावनाएं बढ़ जाती हैं।

श्री अजय मिश्रा टेनी : सभापति महोदय, वह पैसा...(व्यवधान)

श्री जयंत सिन्हा : वह बन चुका। जैसे कोई बाहर है और हमें अमरीका से किसी की प्रॉपर्टी अटैच करके उस पैसे को देश में वापस लाना है, तो जब वह पैसा वापस आता है तो वह किस तरह सबको मिलेगा, वह तय हो चुका है। अगर वर्कमैन हैं तो वे पहले आएंगे, अनसिक्योर्ड हैं तो थोड़ा बाद में आएंगे। वह वाटरफॉल के तहत आएगा।

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA: Sir, I just wanted to know whether the information utility is a real time institute. Will a particular bank know it before lending the money? It is because, people take the same property to different banks and keep getting loans repeatedly on that.

Apart from that Mahtabji never spoke on this. I thought, you are very attentively listening to all of us.

SHRI JAYANT SINHA: I stand corrected. Mahtabji did not speak on this issue. But we are so used to his advice and sage guidance. Of course, he was in the Committee. But you are right, of course, there will be this information available almost in real time. Not in real time for a loan that is going to be a new loan but it will be available in real time for all previous loans that you have taken. So, your credit history will be available for inspection and investigation. Just like when you are taking a loan right now from a credit bureau and your financial institution can look up your credit history from credit bureau in real time and then ascertain whether to give a loan or not, in the same way, when it is a large corporate borrower, their credit history will be available through these information utilities and the financial institution can look it up.

The other thing as the hon. Finance Minister is pointing out to answer the previous question is that in the waterfall you cannot actually cherry-pick. Everybody who is *pari passu* at the same level will *pro-rata* get the proceeds that are come in.

KUMARI SUSHMITA DEV : We have understood your clarifications. It is pretty clear as to why the information utilities are there. But the scheme of the legislation seems to be that someone can apply to provide that utility. For instance, we have the ROCs. There is one single agency that gives you information about a company. Like in a State you can have plenty of them. Will it not create multiplicity?

SHRI JAYANT SINHA: We do not need to be unnecessarily prescriptive here. Market forces will determine which kinds of information utilities are able to deliver and supply valuable information. If we look to the credit bureaus as an analogy, typically what we find around the world and in India as well that there are two or three credit bureaus that effectively are able to aggregate information and be able to supply it in a way that is valuable to all the players in the market. So, we suspect in this case as well what will happen and as has happened in other markets such as in the United States and in the UK and elsewhere. There will be two or three major suppliers of information that will aggregate all kinds of information from many different sources not just necessarily from the financial institutions but also from utility companies and so on so that the overall credit history and the payment record of these companies come to light. So, we will expect market forces to be able to deliver and tell us as to who is going to be able to deliver the most valuable information.

PROF. SAUGATA ROY: As has been stated by the Minister, several new institutions will come into being like Insolvency Professionals, the Insolvency Professionals' Companies, NCLT and, as he just mentioned, the information utility companies. The SARFAESI Act created a new entity called the asset reconstruction company. The asset reconstruction companies were supposed to rebuild the sick companies. We have now allowed 100 per cent FDI in asset reconstruction companies. The Finance Minister has given several concessions in his Budget. How do you see the role of the asset reconstruction companies after

this Insolvency and Bankruptcy Code is passed? Will they have the same role or will they change it?

SHRI JAYANT SINHA: The ARCs will be a valuable element of this eco-system of resolution that is being put together. Of course, they will be able to procure assets from the SARFAESI and the DRTs as well as from the Bankruptcy Board. But they are basically buyers of distressed assets. They will be able to play across the eco-system and find appropriate assets to procure at an appropriate return.

SHRI GAURAV GOGOI: Thank you hon. Chairman, Sir. Mr. Minister, I am grateful for your answers and specifically one related to jobs although your Government data shows the opposite.

My specific question is this. You are almost creating a new professional sector and people requiring new professional skills. There would be insolvency professionals and there would be bankruptcy and insolvency adjudicators as well. Has there been any sectoral study done, from the human resource point of view, as to how many jobs you are creating through this new law? What kind of skills do you require? Is our educational set up or our professional education set up geared to meet the demand for jobs that this new law will create?

SHRI JAYANT SINHA: Sir, to the best of my knowledge, I have not received a report that would try and estimate job creation potential from this legislation.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बड़े-बड़े उद्योगपति और औद्योगिक घराने, एक उद्योग के लिए कई बैंकों से विभिन्न नामों से फर्जीवाड़ा कर के ऋण लेते हैं और एक ही सम्पत्ति की गारंटी को दिखाते हैं। क्या उस पर कठोर कार्रवाई करने के लिए विशेषरूप से ध्यान दिया जा रहा है या कानून में कोई ऐसा प्रावधान किया जा रहा है?

श्री जयंत सिन्हा: माननीय सभापति महोदय, माननीय सांसद ने जो प्रश्न पूछा है, उस पर हम लोगों ने आलरेडी कार्रवाई चालू कर दी है, क्योंकि आर.बी.आई. का एक क्रिसिल डेटा बेस है, जिसमें जितने भी लार्ज कोरपोरेट बौरोअर्स हैं, उनके बारे में जानकारी रहती है तथा संपूर्ण सूची रहती है कि उन्होंने क्या-क्या गारंटी दी है, किस प्रकार से गारंटी दी है, उनकी कौन-कौन सी कंपनियां हैं, ये सब उस डेटाबेस में है। इसकी हम लोग मॉनीटरिंग अभी से कर रहे हैं। जब ये कानून लागू हो जाएगा और हम लोगों की

इन्फर्मेशन यूटीलिटीज आ जाएंगी, तो ये इन्फर्मेशन यूटीलिटीज भी इस प्रकार की सूची को एग्रीगेट कर के पारदर्शी तरीके से बाजार में जरूर बेचेंगे।

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Sir, I have one related question. In order for the information utilities to work effectively, we need to have a system of cataloguing and classifying the assets. Now, if the shares are pledged, that too listed shares, there is no problem. Once it is pledged, you cannot pledge the same. In case of other class of assets, the same assets can be pledged again because the records of classification and cataloguing of the assets are not there. For example, take the case of real estate asset. If the collateral is a real estate, then you can actually give it to multiple banks the very same piece.

SHRI JAYANT SINHA: Hon. Chairperson, Sir, as the hon. Member who is a very eminent business person himself knows well that anybody who is going to be taking loans of a certain size is going to have audited books. In these audited books, you obviously have auditors who go through and look at the value of different assets. In many cases they also look at them at fair market value and particularly, if you are borrowing a large loan and you are pledging some of your assets, typically the auditors are going to come up with what the fair market value of those assets are. Once that is done, that will be reported to the information utilities and there will be good knowledge on what collateral is being pledged and what is the actual net worth and the book value of various borrowers.

HON. CHAIRPERSON : The question is:

> "That the Bill to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time bound manner for maximization of value of assets of such persons, to promote entrepreneurship, availability of credit and balance the interest of all the stakeholders including alteration in the order of priority of payment of Government dues and to establish an Insolvency and Bankruptcy Board of India, and for matters connected therewith or incidental thereto, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 to 255 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 255 were added to the Bill.

The First Schedule to the Eleventh Schedule were added to the Bill.

Clause1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Now, the hon. Minister may move that the Bill be passed.

SHRI JAYANT SINHA: I beg to move:

"That the Bill be passed."

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

17.20 hours

DISCUSSION UNDER RULE 193
Situation arising out of drought and drinking water crisis in many states

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up Item No. 13 – Discussion under Rule 193.

Shri Jagdambika Pal.

… (*Interruptions*)

SOME HON. MEMBERS: Sir, please take up Zero Hour.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, issue of drought and drinking water crisis is more important.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: We will take up the Zero Hour after 6 o'clock.

Now, let Shri Jagdambika Pal speak.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका, अनुराग जी का, अपने सभी सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष के सहयोगियों और पप्पू जी का विशेष रूप से आभारी हूं कि कम से कम इस सम्मानित सदन के सदस्य पहले दिन से ही सूखे जैसे विषय को उठाना चाहते थे। आज हमारी लोक सभा की अध्यक्षा ने इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए समय मंजूर किया है। मैं समझता हूं कि इस चर्चा की गंभीरता यह है कि आज इस चर्चा में न केवल सदन साक्षी है, बल्कि पूरे देश के लोगों की नजरें भी लगी हुई हैं, क्योंकि सूखे की समस्या किसी एक या दो राज्य की नहीं है, उत्तर भारत या दक्षिण भारत की नहीं है, बल्कि आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक दस राज्यों के 256 जनपदों की 33 करोड़ आबादी इस सूखे से प्रभावित है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यह सदन गंभीर है, सदन के सम्मानित सदस्य गंभीर हैं। मैं अध्यक्ष महोदया का आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि उन्होंने प्रश्न काल में भी माननीय सदस्यों को सवाल पूछने का अवसर दिया। उन्होंने जीरो ऑवर में भी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया। उनके खुद के इनीशियेटिव रिसर्च सैंटर में 4 और 5 तारीख को दो दिन की कार्यशाला इस सूखे पर चल रही है, जिसमें हमारा महत्वपूर्ण पैनल आया है। उस पैनल के लोग हमें बतायेंगे कि सूखे और पेयजल के संकट का

समाधान कैसे होगा। इस सदन में हम लगातार बरसों से सूखे की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसका समाधान अभी तक नहीं निकला। आज पहली बार हम केवल सूखे की चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि सूखे से होने वाले पेयजल के संकट पर भी चर्चा कर रहे हैं। इस देश के समक्ष पहली बार ऐसी गंभीर परिस्थितियां पैदा हुई हैं कि न केवल देश में सूखा है, बल्कि सूखे के साथ-साथ पेयजल का भी संकट हो गया है।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि सूखे और ड्रिंकिंग वाटर की क्राइसेज, ये दोनों चुनौतियां देश के समक्ष आ गयी हैं। वर्ष 2014-15 में 107 जनपद सूखे से प्रभावित थे। आज यह कितनी गंभीर चिंता का विषय है कि वर्ष 2015-16 में 256 जनपद सूखे से प्रभावित हैं, यानी सूखे का प्रभाव बढ़ रहा है। आप महाराष्ट्र के लातूर की घटनाओं को रोज अखबारों और टेलीविजन पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड के बांदा जिले के नत्थू किसान की मौत को अपनी आंखों से देख रहे हैं। तेलंगाना की वह मां, जो अपने दो बच्चों को पानी पिलाने के लिए उसकी तलाश में घर से निकली, तो हीट स्ट्रोक से बेहोश हो गयी और वे दोनों बच्चे पेड़ के नीचे पानी का इंतजार करते-करते मौत के मुंह में चले गये। मैं यह कोई कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि यह हकीकत है।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि देश में इससे ज्यादा गंभीर परिस्थितियां नहीं उत्पन्न हो सकतीं। आज तेलंगाना में जल के संकट से दस और चार साल के बच्चे की मौत के साथ-साथ 257 लोगों की मौत हो चुकी है। आज देश के उन दस राज्यों में जहां सूखे और पेयजल के संकट से ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, तो निश्चित तौर से आने वाले दिनों में हमें केवल इस पर चर्चा नही करनी होगी, बल्कि इसके समाधान के लिए सोचना होगा।

सभापति महोदय, मैं उमा भारती जी को बधाई दूंगा कि कम से कम जब से हमारी सरकार बनी, इस सरकार ने नदियों को जोड़ने के प्रस्ताव के बारे में सोचा। पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने नदियों को जोड़ने का एक प्रयास शुरू किया था, लेकिन वह प्रयास बीच में रह गया। आपको याद होगा कि लगातार यह कोशिश हुई कि इंटर लिंकिंग ऑफ रिवर्स हो। इसके संबंध में वर्ष 1970 में दो प्रस्ताव आये। एक डा. के.एल.राव का प्रस्ताव आया और दूसरा, गारलैंड केनाल बाय कैप्टन दस्तूर का प्रस्ताव आया कि नैशनल वाटर ग्रिड बनाया जाये।

जिससे जिस एरिया में वाटर रिच रीज़न हो, जो डेफिसिट रीज़न हो, जहां पानी की कमी है, संकट है, अकाल की स्थिति है, वहां पानी को पहुंचा सकें, इस दिशा में प्रयास किया जाए।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई काम वर्ष 1970 के बाद से आगे नहीं बढ़ पाया है। 17 जुलाई, 1982 को नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना हुई। इसकी स्थापना के बावजूद 1982 से आज तक नदियों की इंटरलिंकिंग के संबंध में काम नहीं हुआ है। 46 प्रस्ताव आए थे। चाहे केन, बेतवा,

गोदावरी, कृष्णा या महानंदा नदी हो, देश के तमाम राज्यों की नदियों को जोड़ने का नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने अपना प्रस्ताव दिया।

17.26 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

46 प्रस्ताव नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के सामने पड़े रहे। इसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 27.2.2012 को निर्णय दिया - The hon. Supreme Court has directed that an appropriate body should be created to plan, construct and improve the interlinking of rivers programme for the benefit of the nation as a whole. यह फैसला देश की जनता के हित में था, देश के उन क्षेत्रों के हित में था जहां पानी का लैवल लगातार नीचे जा रहा है और लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। इन परिस्थितियों में देश के उच्चतम न्यायालय ने 2012 में फैसला दिया कि ऐसी बॉडी देश में क्रिएट करें जो क्षेत्रीय असंतुलन को दूर कर सके क्योंकि अगर एक जगह पानी का संकट है तो दूसरी जगह से पानी के संकट को दूर किया जा सके लेकिन तत्कालीन यूपीए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।

मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मंत्री उमा जी को बधाई देना चाहता हूं कि 23.09.2014 को सरकार ने फैसला किया और स्पेशल कमेटी फॉर द इंटरलिंकिंग आफ रिवर्स का गठन किया। इसका गठन केवल कागजों पर नहीं हुआ है। इसकी अध्यक्षता माननीय मंत्री उमा भारती जी को करनी है। दो वर्ष भी नहीं हुए हैं, इन्होंने आठ बैठकें की हैं। आने वाले समय में दुनिया में पानी का संकट होने जा रहा है, हमें उम्मीद है कि भारत सरकार पानी के संकट से एक सक्षमपूर्ण ढंग से निपटने में कामयाब होगी।

महोदया, न केवल माननीय मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनी बल्कि टास्क फोर्स 13.04.2015 भी बनाई गई ताकि जो बैठकें हो रही हैं, उनसे जो कन्कलून ड्रा करें कि नदियों को जोड़ने का काम किस तरह से कर सकते हैं। इसका गठन वास्तविकता के धरातल पर उतारने के लिए किया गया। टास्क फोर्स का गठन 13.04.2015 में हुआ है, उसकी बैठक 23.04.2015, 05.11.2015 और 28.04.2016 को हुई। देश और दुनिया में पानी का संकट पैदा हो रहा है, मैं बधाई देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी लगातार इस बात के लिए चिंतित हैं कि नदियों को जोड़ने के प्रयास को सार्थकता पर कैसे उतार सकते हैं। इस दिशा में काम आगे हो रहा है।

इंटरलिंकिंग के लिए नेशनल परस्पेक्टिव प्लान बनाया है। इसमें नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के 16 प्रोजेक्ट पेनिनसुला कम्पोनेंट के हैं, हमारी नदियों के हैं, हिमालयन रेंज के हैं, नेपाल से नदियां निकलती हैं, कोसी, गंगा, जलकुंडी आदि नदियां निकलती हैं। हिमालयन कम्पोनेंट के 14 प्रोजेक्ट हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, आप भी स्वयं इसके लिए प्रयास कर रही हैं क्योंकि लगातार पानी का संकट हो रहा है। मैं इसके लिए आपको बधाई दे रहा हूं।

महोदया, देश के माने-जाने व्यक्ति चाहे मंगला राय जी हैं, इंदिरा जी हैं या अन्य हैं, उन्हें आपने दो दिनों के लिए सांसदों के साथ बिठाया। सदन में प्रश्नकाल में इस विषय पर चर्चा हो रही है, आपने शून्यकाल में मौका दिया, इसके बावजूद भी कुछ लोग अखबारों में यह रिपोर्ट लिख रहे हैं कि लगता है कि पार्लियामेंट में इस गंभीर विषय पर चर्चा नहीं हो रही है। मैं निश्चित तौर से आपको बधाई दूंगा कि जिस तरीके से सूखे पर चर्चा सदन कर रहा है, सदन से बाहर ही चर्चा हो रही है और सांसदों को बताया जा रहा है कि वे अपने क्षेत्रों में जाकर इस समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं, ग्राउंड वाटर को रेग्यूलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं या मनरेगा के अंदर जल संचयन या वाटर रिसोर्सेस के कंजर्वेशन के लिए हम कौन-कौन से कदम उठा सकते हैं इस दिशा में भी सूखा संबंधित समस्याएं हैं, इनके समाधान की तरफ बढ़ेंगे तथा पेयजल प्रबंधन की समस्याओं के स्थायी समाधान की तरफ बढ़ेंगे। आज कृषि क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है और कृषि क्षेत्र में अगर सूखा पड़ता है तो निश्चित तौर पर कृषि को प्रभावित करता है। कृषि से आज भी 50 प्रतिशत आबादी रोजगार प्राप्त करती है। हमारी जीडीपी में कहीं न कहीं कृषि का अंश कम हुआ है, यह भी चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश के 50 जनपद सूखाग्रस्त किए गए हैं। राधा मोहन जी बैठे हैं, केंद्र सरकार ने इस विषय में पहल की है, वे मेमोरेंडम की वेट नहीं करते हैं, इस बात का इंतजार नहीं करते हैं कि राज्य हमसे मांग करे, इसके बावजूद केंद्र सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ फंड से राज्य डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए केंद्रीय अंश का पहली किश्त के रूप में 2551 करोड़ रुपए दे दिए हैं। इसे दिया जा चुका है और वर्ष 2015-16 के लिए एसडीआरएफ के लिए धनराशि का समायोजन है वह 10275 करोड़ रुपए किया है। यह पिछले सालों की तुलना में दोगुना पैसा किया है। इसके लिए सरकार को बधाई है।

अध्यक्ष महोदया, आज सरकार को जिस तरह से किसानों की चिंता है कि पहले एक मानक था कि अगर 50 प्रतिशत से कम फसल की क्षति होगी, तो उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग की भी चिंता की, उन्होंने किसानों की क्षति को देखा कि जिलों से प्रशासन की रिपोर्ट कभी भी पचास प्रतिशत की नहीं आती है। इस क्षति को पचास प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत कर दिया जिससे कि अधिक से अधिक किसानों को क्षतिपूर्ति मिल सके। आज भी किसान मानसून पर ही निर्भर करता है इसलिए जब ऐसा संकट छोटे और सीमांत किसान के सामने उत्पन्न हो जाती है तो वह इस संकट को झेल नहीं पाता है। पूरे विश्व की 17 परसेंट आबादी केवल भारत में रहती है लेकिन विश्व की कुल जमीन का केवल 2.3 परसेंट भारत के पास है और पूरी दुनिया में जो पानी की उपलब्धता है उसका केवल भारत के पास 4.2 परसेंट है। आप देख सकते हैं कि जमीन पर कितना ज्यादा

घनत्व है कि 111 के सापेक्ष 137 घनत्व है। जो 140 लाख बिलियन टन्स हम पैदा कर रहे हैं, वह आज भी पैदा कर रहे हैं। भारत में हम जो पानी यूज कर रहे हैं वह 27 परसेंट ब्लू वाटर है। चाइना में केवल 14 परसेंट है, यूएसए में 11 परसेंट है। हमारी आबादी तीन गुना बढ़ गई है। जमीन कम होती जा रही है। जमीन में जो कार्बन कंटेट पांच परसेंट होना चाहिए वह घटकर 0.25 परसेंट रह गया है। आने वाले दिनों में केवल भारत के सामने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने डिमांड के सामने सप्लाई का गैप 50 परसेंट होगा। कल मंगलवार को वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि जल संकट के कारण देशों की आर्थिक वृद्धि प्रभावित होगी। यह बात केवल भारत के लिए ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। महोदया, मैं इस विषय पर चर्चा के लिए आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आप केवल सूखे पर ही चर्चा नहीं करवा रही हैं बल्कि पेयजल के संकट की चर्चा और वॉटर रिसोर्सेस का मैनेजमेंट कैसे हो, पानी का दुरुपयोग न हो, पानी का संरक्षण हो, पानी का जल संचयन हो तभी हम आने वाले अपने लोगों को पीने का पानी दे सकते हैं।

वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में साफ तौर से कहा गया है कि दुनिया की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, उसका जो बढ़ता हुआ शहरीकरण है, उस आर्थिक वृद्धि के कारण, उससे पानी की मांग बढ़ेगी। यह भी कहा है कि जल-संकट, आर्थिक वृद्धि और विश्व की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा होगा।

इसलिए यह स्वाभाविक है कि जो जलवायु परिवर्तन और जल-संकट की समस्याएँ बढ़ रही हैं, ये न केवल एक संकट पैदा करेगा, बल्कि लोगों को पलायन के लिए मजबूर करेंगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में दुनिया में पानी के लिए संघर्ष हो, ऐसी समस्या भी पैदा हो सकती है।

आज भारत को पेयजल की चुनौती और सूखे का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि दो वर्षों से लगातार सूखा पड़ा और देश में दोनों फसलें- रबी और खरीफ सूखे से प्रभावित हुए। देश के बड़े भू-भाग जो सूखे से प्रभावित हुए, उसके कारण जिस तरीके से हमारे जिलों की 33 करोड़ आबादी प्रभावित हुई है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में जलवायु परिवर्तन पर समय रहते हुए हमने कदम नहीं उठाया तो कहीं न कहीं पूरी दुनिया के सामने स्वच्छ जल दुर्लभ हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि जो विश्व की तमाम अर्थ-व्यवस्थाएँ हैं, ये केवल हमारे देश को ही नहीं प्रभावित करेंगी, बल्कि इसका प्रभाव पश्चिम यूरोप, अमेरिका के ऊपर भी पड़ेगा। भारत और चीन जैसी उभरती हुई अर्थ-व्यवस्था के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग से गर्मी बढ़ेगी, पहाड़ों पर हिमपात कम होगा, जिससे नदियों की जलापूर्ति कम होंगी। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए एक समस्या होगी क्योंकि जब इलाके गर्म होंगे तो उससे भू-जल का स्तर और नीचे गिरेगा। आज भू-जल का स्तर ऑलरेडी 41 सेंटीमीटर गिर चुका है।

जल संसाधन के बेहतर प्रबंधन के लिए आने वाले दिनों में हम कदम उठा सकें, मैं अपनी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई दूँगा कि उन्होंने सरकार में आने के बाद सबसे

पहला कदम यह उठाया कि आज देश में जो फसल चक्र है कि कहीं गन्ने की खेती में पानी ज्यादा लगने के कारण आज महाराष्ट्र में जो परिस्थिति है, कपास में, धान के फसल में जिस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, कुछ ऐसी फसलें हैं, जिनमें जरूरत से ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए कौन-सी खेती की जाए, किसानों को इस बात की जानकारी देने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि हर किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा ताकि किसानों को उनके खेतों की मिट्टी की जानकारी हो सके कि उसकी उर्वरा क्षमता क्या है। इसमें कौन-सी फसल बोयी जाए ताकि उसका उत्पादन अच्छा हो और जिसमें जल की कम आवश्यकता पड़ें। मैं समझता हूँ कि आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक के किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड को मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में उस समय पंचायत चुनाव हो रहे थे। इसलिए यह कहा गया कि उस समय वहाँ कार्ड नहीं बांटे जाएंगे। दुर्भाग्य से आज भी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं बन पाया है।

यदि केन्द्र सरकार इस संघीय ढ़ांचे में इस बात की कोशिश कर रही है कि हर किसान के पास उसके अपने खेत के हेल्थ की जानकारी हो कि मृदा में कितनी उर्वरा क्षमता है, उसके लिए उसे क्या ट्रीटमेंट करना है, उसमें कितनी खाद डालनी है, ऐसा तभी होगा, जब किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। इसी के साथ किसानों के सामने सिंचाई का संकट है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के किसानों के प्रधानमंत्री सिंचाई योजना शुरू की, जबकि आप जानते हैं कि वाटर स्टेट सब्जेक्ट है और एग्रीकल्चर कन्करेंट सब्जेक्ट है, लेकिन हम ऐसा कहकर अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो रहे हैं। हमारी केन्द्र सरकार का पूरा फोकस इस बात के लिए है कि हम किस तरीके से किसानों को सिंचाई की सुविधा दे सकें। आज प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत "पर ड्रॉप-मोर क्रॉप" की बात कही गयी है। हम चाहते हैं कि हर किसान एक-एक बूंद पानी से अधिक से अधिक क्रॉप पैदा कर सके।

माननीय अध्यक्ष : अब आप अपनी बात समाप्त करें। बाकी सदस्य भी बोलेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल: मैडम, मुझे थोड़ा समय दें, मैं तीन-चार विषय बोलना चाहता हूं।

अभी तक राष्ट्रीय फसल बीमा थी, अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गयी है। अभी तक जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना थी, उसमें बहुत सी कठिनाइयां थीं। हम लोग अपने इलाके के किसान को कभी भी उस योजना में कवरेज नहीं दिला पाते थे। आज इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आने के बाद, इसमें मिनिमम प्रीमियम पर किसानों को बीमा का लाभ उपलब्ध होगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर खेत में खड़ी फसल का नुकसान हो गया, तभी उन्हें बीमा का लाभ मिलेगा, बल्कि अगर खेत में फसल की कटाई हो गयी, वह फसल अगर खेत में कटकर पड़ी हुई है और उसमें भी कोई जोखिम हो गया, उसमें आग लग गयी, तो उसका भी मुआवजा मिलेगा। जिस प्रकार कई दिनों से यह सवाल उठा कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में लोग अपने खेत की फसल कटने के बाद उसका डंठल जला देते हैं, उसकी वजह से जिस

खेत में फसल खड़ी है, उसके भी जलने से नुकसान होता है, जिस तरह से राष्ट्रीय नुकसान होता है और जिस तरह से उस जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, उसमें जो किसान-मित्र जीव जैसे केचुआ वगैरह रहते थे, वे मर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज उस जोखिम को भी इसमें कवर करने की कोशिश की गयी है और बहुत व्यापक रूप से वह इसमें कवर होगा।

अध्यक्ष महोदया, कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे आपने अभी देखा कि बुंदेलखण्ड में जालौन के एक नत्थू किसान की मौत हो गयी। चार दिनों से उनके घर में फाकाकसी चल रही थी, मैंने उस घटना को देखा, अखबारों में पढ़ा, टेलीविजन पर देखा, मैं उससे मर्माहत हूं। मैं बहुत भारी मन से इस विषय को कह रहा हूं। नत्थू किसान के छः बच्चे हैं, उसके घर में चार दिन से फाकाकसी चल रही थी, जब उसे मालूम हुआ के पास के कैला गांव में समाजवादी राशन का पैकेट मिलेगा। उसके लिए चार दिन का वह भूखा किसान जब घर से निकला और घर से निकलने के बाद रास्ते में उसे एक नल दिखाई दिया, वहां वह पानी पीने के लिए गया और वहीं उसकी मौत हो गयी। उसके बाद केवल वहां के खाद्य-रसद अधिकारी का तबादला हो गया। क्या उस अधिकारी के तबादले से नत्थू किसान वापस आ जाएगाi क्या उसके छः बच्चे, जो अनाथ हो गए हैं, उनको पिता का साया मिल जाएगाi जिस तरीके से तेलंगाना की घटना हुई, लातूर में आप देख रहे होंगे कि अगर वहां एक टैंकर पानी जाता है तो किस तरीके से लोग पानी वहां लेते हैं। बुंदेलखण्ड में चार वर्षों से बारिश नहीं हो रही है, वहां भयंकर पेयजल संकट है। राज्य सरकार लोगों को पानी नहीं दे पा रही है और केन्द्र सरकार की ओर से रेल मंत्रालय ने वहां पानी की एक ट्रेन भेजी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और उसके प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि हमें बुंदेलखण्ड में पानी की जरूरत नहीं है। वह ट्रेन वहां खड़ी है। जब दैवी आपदा आती है तो दुनिया के दूसरे देश भी सहायता करते हैं, हम पाकिस्तान की करते हैं, नेपाल की सहायता हमने की, इसी तरह अन्य देश हमारी मदद करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में बुंदेलखण्ड में लोग पानी की कमी से मौत के मुहं में जा रहे हैं। केन्द्र सरकार ने लातूर की तरह ही वहां भी रेलगाड़ी से पानी भेज रहे हैं। मैं समझता हूं कि सभी जानते है कि बुंदेलखण्ड में पानी की कमी है और वहां ट्रेन पानी लेकर खड़ी है, उसका पानी लिया नहीं जा रहा है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा अनुचित कोई बात नहीं हो सकती है कि एक तरफ पानी का संकट हो और दूसरी तरफ राज्य सरकार का पानी उतर गया हो कि पानी की ट्रेन मौजूद हो, उसके बावजूद पानी नहीं ले रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अभी माननीय सदस्य और मुलायम सिंह यादव जी मिलकर कान में बात कर रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस में आपकी ऐसी फोटो है।...(व्यवधान) अगर उस समय कान में यह बात बोल देते तो बुंदेलखण्ड का सवाल ही नहीं होता।

श्री जगदम्बिका पाल : जब आप खड़े होंगे तो आपके साथ भी मेरी फोटो आएगी। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि बुंदेलखण्ड की घटना वही है जैसे..(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : खड़गे जी, आप क्यों खड़े हो गए, ये इन दोनों के बीच का मामला था। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जगदम्बिका पाल जी, आपस में चर्चा मत कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल: महोदया, मैं क्षमा चाहता हूं।

महोदया, आज जो पेयजल का संकट है, उसी के संबंध में हम कहेंगे। आज बुंदेलखण्ड की स्थिति ऐसी है कि जैसे एक पथिक जा रहा था। एक पेड़ में सूखे के कारण आग लगी हुई थी। उस पेड़ पर पक्षी बैठे हुए थे। पत्तियां जल रही थीं। उस पथिक ने कहा- 'आग लगी है उस वृक्ष में, जलते इसके पात, तुम क्यों जलते पंछियों जब पंख तुम्हारे पास।' यह सवाल महत्वपूर्ण नहीं है कि जब पथिक ने पूछा कि जब पेड़ की पत्तियां जल रही हैं तो तुम्हारे पास पंख होने के बावजूद भी उस पर उड़ क्यों नहीं रहे होi उन पंछियों ने पथिक से कहा-'फल खाए इस वृक्ष के, बीट लथड़े पात, अब यही हमारा धर्म है जलें इसी के साथ।' बुंदेलखण्ड के लोग ऐसे ही संवेदनशील हैं, जो आज भी पलायन नहीं कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : प्लीज कनक्लूड कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल: महोदया, पांच मिनट दे दीजिए।

ग्राउण्ड वॉटर लाइफ लाइन है। 67 परसेंट ग्राउण्ड वॉटर से हम सिंचाई का काम कर रहे हैं, पानी पीने का भी काम कर रहे हैं। ग्राउण्ड वॉटर पर कल भी चिंता व्यक्त की गयी कि उसमें आर्सेनिक पाया जा रहा है, फ्लोराइड भी पाया जा रहा है। कहीं न कहीं हमें सर्फेस वॉटर का संरक्षण करना होगा। ग्राउण्ड वॉटर के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा मनरेगा में सबसे ज्यादा धन दिया गया है। साथ ही साथ वॉटर मैनेजमेंट, कंजर्वेशन और ईरीगेशन पर किया गया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में 4323 केवल वॉटर कंजर्वेशन के लिए किया है, वॉटर शेड मैनेजमेंट के लिए 647 और ईरीगेशन के प्रोजेक्ट्स के लिए 3137 किया है। इस तरीके से सरकार ने चिंता की है।

मैं चाहूंगा कि कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं जब वह जवाब देंगे कि आप जो निधि आबंटित करते हैं, वह चाहे आप एसडीआरएफ में कर रहे हैं या हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी मनरेगा में कर रहे हैं, उन निधियों का उपयोग जल संरक्षण के लिए हो रहा है या नहीं, क्योंकि यह एक चिंता का विषय है। अगर जल संरक्षण नहीं हुआ। आज गांवों में तालाब सूख रहे हैं, उनका अतिक्रमण हो रहा है। जिस तरह से कुएं अब गांवों से लुप्त हो रहे हैं। कहीं एक-आध कुआं ही बचा है। हमारी सरकार ने मनरेगा के तहत कुएं और तालाब खोदने और गहरे खोदे जाएं, क्योंकि वॉटर तभी रिचार्ज हो सकता है, जब तालाब गहरा हो। आपने

देखा होगा कि नेपाल की फुलहिल्स 1475 किलोमीटर है जो टनकपुर से रक्सौल तक है। उत्तराखण्ड, यूपी और बिहार की जो सीमा नेपाल से मिलती है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर या बस्ती इत्यादि जनपदों में नेपाल नदियों का सिल्ट आ रहा है। रावती हो, बूढ़ी रावती हो, करनाली हो, बाणगंगा हो या कोसी हो। इन सारी नदियों का रिवर बैड जिस तरह से ऊपर आ रहा है, जब पानी बरसात में आता है तो हम उसका कंजर्वेशन नहीं कर पाते हैं और वह पानी इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है। यह भी एक चिंता का विषय है कि हम सर्फेस वाटर को भविष्य में कैसे रेगुलेट करें तथा जो ग्राउंड वाटर है, उस वाटर को हम कैसे रेगुलेट करें, उस दिशा में हमें निश्चित तौर से एक प्लान बनाना होगा कि गांव का पानी गांव में रहे और खेत का पानी खेत में रहे। आज खेतों की मेड़बंदी नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि हमारे पैनल ने जिस तरह से उन बातों को कहा, उससे कितना लाभ है कि आज उसकी स्थिति यह है कि अगर हर किसान...

माननीय अध्यक्ष : आप आप समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल: महोदया, मैं दो मिनट और बोलूंगा। आज हर खेत की मेड़बंदी हो और अगर हर खेत के पानी को हम खेत में ही कंजर्व करेंगे तो यह काम बहुत अच्छे तरीके से होगा। मानसून के समय अब हमें इस बात के लिए विचार करना होगा कि वाटर हार्वेस्टिंग कैसे हो, इसके लिए आने वाले दिनों में हमें कानून भी बनाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी जल का दुरुपयोग हो रहा है, आपने पिछले दिनों उन घटनाओं को देखा, मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन आज प्रत्येक गांव में चाहे बाउली, तालाब, कूंए या नाले हों, हमें इन सबका संरक्षण करना होगा, इन सभी ढांचों का निर्माण करना होगा और नालों का संरक्षण करके इनके उपयोग के लिए योजना बनानी होगी।

इसके अलावा एलोकेशन ऑफ वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी हमें राष्ट्रीय जल नीति की प्राथमिकता तय करनी चाहिए, जिससे हम राष्ट्रीय जल नीति के अंतर्गत कहां कितने पानी की आवश्यकता है और कहां कितने वाटरशेड की जरूरत है, उस वाटरशेड के हिसाब से हम काम करें। हम पहले मुहावरा सुनते थे कि जल ही जीवन है, आज हम देखते हैं कि वाकई जल जीवन है, जब हम देखते हैं कि दुनिया या भारत के क्षेत्रों में सुनते हैं कि केवल जल के कारण या पेयजल के कारण मौतें हो गईं, किसानों ने आत्महत्या कर ली या बच्चे पानी के अभाव में मर गये। यह आज एक गंभीर चिंता का विषय है, उस दिशा में आज हमारी इस लोक सभा में बुंदेलखंड के हमारे सम्मानित सदस्य चाहे उत्तर प्रदेश के हों या मध्य प्रदेश के हो, वे कल नीति आयोग के वाइस-चेयरमैन से मिले, वहां उन्होंने चर्चा की, वहां खुद सुश्री उमा भारती जी गईं और उससे पहले बैठक हुई। आज कहीं न कहीं हम इस बात के लिए संवेदनशील हैं। लेकिन इस संघीय ढांचे में आज इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज अगर केन्द्र सरकार डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए पैसा दे रही है, हमने किसानों के पचास जिले सूखाग्रस्त घोषित कर दिये, उसके बावजूद भी उस पैसे

का वितरण न हो, अगर पानी भरकर पूरी ट्रेन जा रही हो, उसका ठीक से वितरण न हो तो यह उचित नहीं है। पहले केन्द्र सरकार के द्वारा सहयोग नहीं दिया जाता था, बार-बार मेमोरेंडम भेजा जाता था, रिमाइंडर आता था। लेकिन यहां केन्द्र सरकार इस बात के लिए खुद प्रयास कर रही है कि आप मेमोरेंडम भेजिये और यहां तक कि आपने देखा कि खुद प्रधान मंत्री जी केरल में गये, जम्मू-कश्मीर में गये, दैवीय आपदाओं में कितने ही राज्यों में खुद प्रधान मंत्री जी गये, उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को भेजा और उन मिनिस्टर्स ने जिस तरीके से उस क्षति का आकलन किया और डिजास्टर रिलीफ फंड से पैसा दिया। लेकिन यह कोई स्थायी समाधान नहीं है कि हम रिलीफ देते जाएं, समाधान तो यह होगा कि आने वाले दिनों में हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, नदियों को जोड़कर देश की 125 करोड़ जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप पानी पहुंचा सकें, उस दिन हमारा लक्ष्य पूरा होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदया मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण (नांदेड़) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आज देश में सूखे और पेयजल के संकट के विषय पर सदन में चर्चा हो रही है। आज हालात सिर्फ सूखे के नहीं हैं, बल्कि पूरे देश में इतने भयंकर हालात हैं कि सूखे से ज्यादा देश के दस से भी ज्यादा राज्यों में अकाल की परिस्थिति निर्माण हुई है। केन्द्र और राज्य शासन जहां-जहां है, यदि वे इस विषय को बहुत गंभीरता से भी लें तो भी इसका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है, ऐसी स्थिति आज निर्माण हुई है।

महोदया, जिन दस राज्यों के बारे में मैं यहां जिक्र करूंगा, उनके 240 जिलों की बात है, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा अन्य भी कई राज्य हैं, जो धीरे-धीरे इस सूखे के लपेटे में आकर इतनी भयंकर स्थिति में पहुंच गये हैं कि अब वे अकाल की ओर बढ़ते जा रहे हैं।

जहां तक महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के आठ जिलों का सवाल है, वहां के जो रिज़र्वायर्स हैं, डैम्स हैं, वहां सिर्फ आज के दिन में तीन प्रतिशत पानी की उपलब्धता रह गई है और आने वाले डेढ़ महीने हमें और निकालने हैं। पूरे राज्य का अगर ब्यौरा लिया जाए तो महाराष्ट्र के पूरे रिज़र्वायर्स में सिर्फ 19 प्रतिशत पानी आज उपलब्ध है। यह विषय इतना गंभीर है। आज मैं आपका आभारी हूँ कि आज इस चर्चा के लिए आपने विस्तृत तौर पर समय दिया है। अच्छा होता कि कृषि मंत्री के साथ-साथ वित्त मंत्री और गृह मंत्री अगर सदन में मौजूद रहते तो शायद इस पर और भी चर्चा हो सकती थी, क्योंकि यह विभिन्न डिपार्टमेंट्स से संबंधित विषय है। एनडीआरएफ से इसका संबंध आएगा तो गृह मंत्री उससे संबंधित है। कृषि मंत्री और वित्त विभाग संबंधित हैं। इन तीनों विभागों को मिलाकर अगर इस अकाल का हम लोग मुकाबला करेंगे, तब भी हम इसमें कहां तक कामयाब होंगे, इस पर जरूर शंका है।

महोदया, मैं पहले ही कृषि मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि इस विषय पर राजनीतिक तरीके से पेश आने की हमारी भूमिका बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी दो या तीन बार सदन में कई प्रश्नों द्वारा इस विषय को उठाया गया है। आपने इस पर जवाब दिया है, परंतु ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। आत्महत्याओं पर चर्चा हुई, जब आपने हमारे कहने से आपत्ति जताई परंतु आज आप खुद कबूल कर रहे हैं कि कितनी आत्महत्याएं पूरे देश में बढ़ गई हैं। हमारी बातों से भी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के जो रीसैंट जजमेंट्स अकाल के बारे में आए हैं, उन्होंने तो इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से ले कर यह भी कहा कि केंद्र सरकार इस चीज़ को इतना कैज़ुअली कैसे ले रही है और दस ही राज्यों के अकाल के बारे में आपने क्या किया है। बार-बार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में जिक्र किया है। हाई कोर्ट में भी कई बार इसका जिक्र हुआ है। पूरे देश का 35 प्रतिशत एरिया सूखे की लपेट में आ गया है। जगदंबिका पाल जी ने जो जिक्र किया, वह तो लॉन्ग टर्म मेज़र्स हैं, मैं नहीं कहूंगा कि उन्होंने गलत कहा है। आज इमिजेट जरूरत है कि इस सूखे से निपटने के लिए तुरंत इंतजाम क्या करते हैं। राहत देने के लिए क्या करते हैं। लॉन्ग टर्म मेज़र्स

तो जरूरी ही है, लेकिन इसमें तुरंत क्या फैसला करने की आवश्यकता है, उस पर कितना अमल होता है, यह जरूरी है।

महोदया, महाराष्ट्र के लिए सूखा कोई नई बात नहीं है। सन् 1972 का जो सूखा है, जो अकाल की हालत थी, वह आज से भी भयानक थी। उस सयम भी पानी लाने के लिए बहुत दिक्कत थी, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। साधनों के बावजूद भी उस वक्त प्रॉपर प्लानिंग और अच्छा नियोजन करने के बाद अकाल से सामना करने में आसानी हुई। उस वक्त खाने के लिए सुखड़ी और पानी ही मिलता था। ऐसे ही बुरे हाल में सन् 1972 का अकाल महाराष्ट्र ने बहुत करीब से महसूस किया है। मैं नहीं कहूंगा कि आज के हालात सन् 1972 जैसे हैं। परंतु अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा और महीने-डेढ़ महीने में अगर बारिश नहीं आती है तो इससे भी बुरा हाल निश्चित तौर पर हो सकता है। हमें केंद्र शासन से यह उम्मीद है कि एक कॉम्प्रिहैंसिव स्टेटमेंट भारत सरकार से आना चाहिए। इस बारे में एक वाइट पेपर आना चाहिए कि क्या हालात हैं और हम क्या करने जा रहे हैं। हमने आज तक क्या किया है, उसके ऊपर एक प्रकाश डालने वाली बात बहुत जरूरी है। इसमें कोई राजनीतिक मामला नहीं है, परंतु मैं समझता हूँ कि सदन के सभी सदस्य, आज जो शुरूआत हुई है तो आप देखेंगे कि सभी लोगों के अपने-अपने राज्यों में जो हालात हैं, वह यही बुरे हाल हैं कि लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर निश्चित तौर पर कोई ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रखते हुए लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक योजना अमल में लानी चाहिए।

मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण इसलिए देना चाहूंगा कि ग्राउंड रियलिटी के बारे में एक-दो बार अभी आपके सामने मैंने जिक्र किया है, महाराष्ट्र शासन ने कुछ दिनों पहले जितने भी गांव सूखे से पीड़ित थे, उनकी एक सूची घोषित की है। लोगों ने कहा कि यह सच नहीं है। आपके राजस्व विभाग ने जो अनाउंसमेंट की है, जो लिस्ट पेश की है, वह गलत है। इससे भी ज्यादा गांवों की हालत खराब है। उनकी संख्या ज्यादा है। उनके मना करने के बाद जब हाईकोर्ट के सामने यह मामला गया तो हाईकोर्ट ने ग्राउंड की पूरी सच्चाई की, पूरे पेपर्स मंगवाए और उसके बाद में तकरीबन 16 हज़ार गांव नए सिरे से सूखा पीड़ित होने की घोषणा शासन को करनी पड़ी।

18.00 hours

यह सच्चाई हाई कोर्ट में जाने के बाद लोगों ने उसको महसूस किया है। बोलने का मतलब यह है कि ग्राउंड रिएलिटी जो है, वह कुछ और है और गवर्नमेंट की ओर से जो भी फैसले होते हैं, वे ग्राउंड रिएलिटी को बगल में रखते हुए होते हैं।

माननीय अध्यक्ष : अशोक जी, कृपया एक मिनट रूकिए। अगर हाउस की सहमति हो तो सभा का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाता है।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदया, इसके बाद जीरो ऑवर भी ले लीजिए।

माननीय अध्यक्ष : जीरो ऑवर भी ले लेंगे।

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण: महोदया, हम लोगों ने बार-बार राज्य के मुख्यमंत्री जी से भी कहा, आपसे भी हमारी यह विनती रहेगी कि सभी पक्षीय एक बैठक बुलाई जाए। स्टेट के गवर्नर से भी हम लोग मिले और हमने कहा कि इसमें कोई राजनीतिक मामला नहीं है, पर अगर इन्टरैक्शन नहीं होता है, बातचीत नहीं होती है, क्या करना है, उसके बारे में कोई प्रोग्राम तय नहीं होता है, उसके अमल के बारे में एक मानीटरिंग नहीं होती है तो अगर सिर्फ अफसरों के भरोसे के ऊपर हम रहते हैं तो आज जो लातूर में हालात हम लोग देख रहे हैं, अन्य जिलों में भी हालात देख रहे हैं, अगर शुरू से, पहले से ही इसका नियोजन किया जाता तो लातूर को पानी ट्रेन से आने की नौबत नहीं आती। हमारी आज भी आपसे विनती है कि उसकी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। हर स्टेट में बुलाएं। दिल्ली में सभी स्टेट्स की बैठक बुलाना मुंमकिन नहीं है, लेकिन अगर सभी राज्यों में सर्वदलीय बैठक बुलाकर गंभीरता से इसके ऊपर चर्चा की जाए तो मेरे ख्याल से इसमें निश्चित तौर पर फायदा होगा। आपको अचम्भा इस बात का होगा कि कई जिलों के लोग माइग्रेशन करके मुम्बई की ओर जा रहे हैं। इस बात में तो सच्चाई है। लातूर के लोग तो जा ही रहे हैं, बीड के लोग जा रहे हैं, नांदेड़ के लोग जा रहे हैं, मराठवाड़ा के आठ जिलों के लोग जा रहे हैं, परभनी के लोग हैं, बाकी जिलों के लोग भी हैं, जो मुम्बई माइग्रेट हो रहे हैं। सरकार ने असेम्बली में जो बयान किया है कि ऐसा कोई माइग्रेशन मुम्बई की ओर नहीं हो रहा है।

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : इस सरकार को कितने दिन हुए हैंi आपने कितने दिन शासन कियाi छह महीने में सब इस सरकार ने कर दिया।

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण: मैं इसी बात पर आ रहा हूँ।

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : आप एक साल से पानी नहीं दे पा रहे हैं।

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण : महोदया, आपसे मैंने पहले ही कहा था कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। अकाल कोई पॉलिटिकली मोटिवेटिड इश्यू नहीं है कि राजनीति के कारण या सरकार आने के कारण ऐसा हुआ है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा यह कहना है कि क्यों नहीं हम सब मिलकर इसका मुकाबला करके जो ग्राउंड रिएलिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए तुरन्त फैसलें करें। यह हमारी माँग है। सरकार किसी की भी हो, हमारी सरकार रहती तो भी हम आज यही कहते।

श्री निशिकान्त दुबे : आप 15 साल रहे।

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण: कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि इस सरकार को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। माइग्रेशन की बात पर सरकार ने असेम्बली में कहा कि माइग्रेशन नहीं हो रहा है। पिछले दिनों हमारे शिव सेना के एकनाथ शिंदे ने ठाणे में, वे वहाँ के पालक मंत्री हैं, गार्डिअन मिनिस्टर हैं,

उन्होंने खुद बयान किया कि मैंने ठाणे में कैम्प्स खोले हैं और कैम्प्स में हम लोगों को मदद कर रहे हैं, वहाँ वे लोगों को खाना खिला रहे हैं। बात यह है कि ग्राउंड रिएलिटी कुछ और है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदया, खास तौर पर हमारी माँग इस सरकार से है कि जो फैसले तुरन्त करने की आवश्यकता है, जो ऋण लिया गया है, जो कर्जा किसानों ने लिया है, उस कर्जे को तुरन्त माफ करने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से हमने कई बार रिक्वेस्ट की कि बैंकों को आप इंस्ट्रक्शंस दें। स्टेट गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट की। आप बात करते हैं कि पुनःर्गठन करेंगे, रीशेड्यूल्डिंग करेंगे। आपको पता है कि पिछले तीन साल से लगातार सूखा इस देश के कई राज्यों में है। सूखे के कारण जब उसकी आमदनी ही कुछ नहीं है तो रीशेड्यूल करने के बाद में वह पैसा कैसे वापस करेगा, यह अहम सवाल मंत्री जी मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगा। मैं बार-बार गंभीरता से इस बात को कह रहा हूँ कि अगर इस ऋण को माफ किया जाएगा तो उसका पूरा कर्जा हट जाएगा। उसके ऊपर जो ब्याज लग रहा है, वह भी खत्म हो जाएगा और आने वाले खरीफ सीजन में अगर उसको सीड्स और फर्टिलाइजर हम मुफ्त में दे दें तो आने वाले सीजन से एक नई शुरूआत वह अपनी जिन्दगी की कर सकता है। वरना आप तो देख ही रहे हैं कि आत्महत्याओं का प्रमाण जो है, तीन हजार से भी ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है। इतनी आत्महत्याएं जब एक राज्य में होती हैं तो गंभीरता होनी चाहिए, आपने तो शुरू में इन्कार कर दिया था कि इतनी आत्महत्या नहीं हुई हैं। बाद में आपकी खुद स्टेटमेंट है कि रोज 9 लोग राज्य में आत्महत्या कर रहे हैं। जब 9 लोग रोज आत्महत्या कर रहे हैं तो एक साल, वर्ष 2015 में तीन हजार से भी ज्यादा लोग जब आत्महत्या कर रहे हैं तो आप उसकी गंभीरता समझ सकते हैं। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि यह जो कर्जा लिया गया है, अगर उसे हम माफ कर देंगे, हम तो उसके मरने के बाद लाख रूपए उसके परिवार को देते हैं, मेरी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि जिन्दा रहते हुए उसका ऋण तो माफ कीजिए ताकि वह जिन्दा रह सके और लाख रूपए मरने के बाद मिलने से ज्यादा जिन्दा होते हुए अगर पैसे मिलते हैं तो उसको फायदा होगा। यह मेरी आप सबसे, सरकार से दरख्वास्त है।

मेरी रिक्वैस्ट है कि इसको आप गंभीरता से लीजिए। आज जो पैसा आप खर्च करेंगे, आज इतना पैसा करोड़ों में खर्च हो रहा है, उससे अच्छा है कि यह कर देंगे तो उससे निश्चित तौर पर किसानों को राहत मिलेगी। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सुसाइड्ज़ कंप्लीटली बंद हो जाएँगे, ऐसा मेरा दावा नहीं है। पर वह जो फिगर है, वह कहीं न कहीं कम हो जाएगी और एक नई शुरूआत करने के लिए उसका फायदा होगा। आपने 3000 करोड़ रुपये महाराष्ट्र के एन.डी.आर.एफ से दिये। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पर मैं यह भी कहूँगा कि यह सबसे ज्यादा राशि नहीं है। इससे पहले भी, हमारी सरकार के वक्त भी इससे भी ज्यादा राशि दी गई है। मैं कंपैरिज़न नहीं कर रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि जब ज़रूरी होता है

तो करना पड़ता है। पर मेरा यह कहना है कि पैट्रोल और डीज़ल के ऊपर जब स्टेट गवर्नमैंट ने अकाल की स्थिति से निपटने के लिए दो रुपये प्रति लीटर ज्यादा पैसे लगाए, पैसा इकट्ठा करने के लिए प्रति लीटर दो रुपये पैट्रोल और डीज़ल पर जब लगाया जाता है, जब क्रूड आइल के प्राइसेज़ देश में गिर जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस देश में राशि की कोई कमी नहीं होनी चाहिए अकाल से वारफुटिंग पर निपटने के लिए। इसलिए पैसे के ऊपर आप इसमें यह मत रखिए कि 4000 रुपये दिए या 3000 रुपये दिए। जितना ज्यादा पैसे की आवश्यकता हो, उसके पूरे अधिकार डिस्ट्रिक्ट के कलैक्टर्स को अगर आप डैलीगेट करते हैं, आज क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट के कलैक्टर के पास कुछ अधिकार नहीं हैं। स्टेट गवर्नमैंट जब पैसा देगी, तब भी आता है। मनरेगा के काम के बारे में मैं ज़िक्र करूँगा। मनरेगा के काम में आज जितनी संख्या होनी चाहिए, मैं फिगर्स लेकर आया हूँ कि आज मनरेगा के जो काम स्टेट में हो रहे हैं, तकरीबन 53 हजार लोग मनरेगा पर आज इस मराठवाड़ा के आठ जिलों में काम कर रहे हैं। यह आज की लेबर की अटैन्डैंस है जो काम हो रहा है। अध्यक्ष महोदया, यह फिगर मैंने इसलिए बयान किया कि बहुत कम फिगर है। एक-एक जिले में 50-50 हजार लोग मनरेगा के ऊपर काम में आते हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, कोई आमदनी नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। वे रोज़गार की तलाश में हैं, पर मामला यह है कि ज़िले का कोई भी अफसर आज मनरेगा में सैंक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। वह डर रहा है कि मैं अगर सैंक्शन करूँगा तो 156(3) के तहत मेरे ऊपर मुकदमा चालू हो जाएगा, क्योंकि इसमें नॉर्म्स रिलैक्स करने की आवश्यकता है। मनरेगा के कामों में जितने ज्यादा ऐसी अकाल की परिस्थितियों को मंज़ूर करेंगे, ज्यादा लेबर अटैंडेंस बढ़ेगी। मराठवाड़ा के आठ जिलों की अटैंडैंस 53000, यह बहुत कम है। मेरी गुज़ारिश है कि आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। आप उसकी मॉनीटरिंग कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हर जिले में 50 हजार लोग मिलेंगे, चाहे वह बीड हो, लातूर हो, उस्मानाबाद हो। सबसे बड़ा सूखे से प्रभावित जो क्षेत्र है, एक-एक जिले में 50-50 हजार लोग कम से कम वहाँ आ जाएँगे। पूरे आठ ज़िलों में 50 हज़ार। इसका मतलब यह है कि गवर्नमैंट की यंत्रणा में नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी इसमें काम करने की इच्छा नहीं है। कई अफसर तो छुट्टी पर चले गए, काम नहीं करना चाहते हैं, डर के मारे नहीं करना चाहते हैं। ब्यूरोक्रेसी को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, उनसे काम लेना पड़ेगा और उनको हिम्मत देनी पड़ेगी कि आप काम कीजिए हम आपके साथ हैं। यह मैंने ज़रूरी समझा इसलिए इस बात के ऊपर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया।

सभापति महोदया, टैंकर की स्थिति यह है कि तकरीबन 3000 टैंकर आज मराठवाड़ा के क्षेत्र में चल रहे हैं। टैंकर की कोई कमी नहीं है, टैंकर की उपलब्धि है। सवाल यह है कि कितने टैंकर सही इस काम में लगे हुए हैं, कहीं टैंकर माफिया तो इसका फायदा नहीं उठा रहा है। पैसा तो मिल रहा है, टैंकर चल रहे हैं, पर कई राज्यों में यह चल रहा है कि टैंकर का माफिया इसमें उतरा हुआ है। जीपीएस सिस्टम

नहीं होने के कारण एक टैंकर ने कितना ट्रिप लगाया, इसका हिसाब किसी के पास नहीं है और जितना पैसा आ रहा है, क्या वह लोगों तक पहुँच रहा हैi 144 तक लग चुकी है। हमारे कई दोस्तों ने ज़िक्र किया कि टैंकर जहाँ जा रहा है, वहाँ झगड़ा हो रहा है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ एक-एक टैंकर के पीछे पाँच-पाँच हज़ार लोग इकट्ठा हो रहे हैं। पानी भी वहाँ पर देना मुश्किल हो गया है। ऐसी हालत में वहाँ धारा 144 लगाने की पुलिस को जब नौबत आती है तो आप हालात समझ सकते हैं कि वहाँ के हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। टैंकर माफिया पूरे देश के हर जिले में कहीं न कहीं लगा हुआ है जो इस अकाल की परिस्थिति का फायदा उठाकर पैसे निकलवाने में लगा हुआ है। मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि इस पर ध्यान देने की ज़रूर आवश्यकता है जिसकी वजह से जो दिया हुआ पैसा है, उसका कहीं पर गलत इस्तेमाल न करें और उसका फायदा हमको लोगों को पहुँचाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, राहत पहुँचाने के लिए कुछ चीज़ें करना ज़रूरी है। हम देखते हैं कि लातूर की एक स्वाति टिकले नाम की बच्ची बस का पास नहीं होने के कारण स्कूल या कालेज में नहीं जा पाई और 260 रुपये नहीं होने के कारण उसके द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया। यह बड़ी ट्रैजिक बात है, स्कूल के विद्यार्थी, कालेज के विद्यार्थी ऐसी हालत में भी स्कूल-कालेज में जाते हैं, घर के हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि बस का पास भी बनवा सकें। मेरी आपसे यह गुजारिश है कि कम से कम इस पूरे साल भर में बच्चों की एजुकेशनल फीस को पूरा माफ करने की आवश्यकता है। एग्जामिनेशन की फीस हम माफ कर रहे हैं, पर मैं कहूंगा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए जो बच्चे जा रहे हैं, उनकी फीस इन जिलों में, जहां-जहां सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, उनकी पूरी फीस माफ करने की आवश्यकता है। एजुकेशनल फीस को माफ करके ऐसी कोई बच्ची स्वाति के जैसी न हो, जिसको ऐसी नौबत आये।

सवाल किसानों की आज की जो आमदनी है, उसके बारे में आपकी सरकार ने कहा कि किसानों को हम उनके कास्ट्स के ऊपर उसका 50 प्रतिशत फायदा होना चाहिए, उसके ऊपर उसको प्रोफिट होना चाहिए, यह हमारी उम्मीद है, हम इस काम में लगे हुए हैं। इस विषय पर सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, खास करके ऐसे हालात में, जब तीन साल लगातार सूखे की चपेट में पूरे देश के दस राज्य जा रहे हैं, तब किसान की आमदनी किस तरीके से बढ़ाई जायेगी, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो एफीडेविट सरकार की ओर से दिया गया है, उसमें यह कहा गया है कि हम यह नहीं कर पाएंगे। यह सुप्रीम कोर्ट में आपने बयान किया है। आपका घोषणा-पत्र एक है, सरकार ने जो एफीडेविट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में दिया है, वह कुछ अलग है तो हम मंत्री जी से जानना चाहेंगे...(व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : समर्थन मूल्य एक अलग विषय है और हमारी सरकार ने और हमारी पार्टी ने भी चुनाव के पहले किसान की आमदनी को 50 फीसदी बढ़ाने की बात की

थी, उस पर आज भी कायम हैं और आज तो हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि आय दूनी की जाये। किसानों की आय बढ़ाना और समर्थन मूल्य बढ़ाना दोनों दो विषय हैं। ...(व्यवधान)

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण : ठीक है, मैं आभारी हूं। आप जवाब में बोलिये, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो खाली आपको याद दिला रहा हूं।...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह: कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट का एफीडेविट दूसरा विषय है और किसानों की आय बढ़ाना, लागत कम करना, 50 फीसदी कि दोगुना, ये दोनों अलग विषय हैं।

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण : मंत्री जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर मेरा बयान गलत होगा तो बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा। सवाल सरकार के अमल करने का है, अगर वे कर सकते हैं तो हमें इसमें खुशी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

मनरेगा की बात मैंने पहले की, 12 हजार करोड़ रुपये भारत सरकार ने मनरेगा के लिए रिलीज़ किया। मैं माननीय मंत्री जी को खास तौर पर यह बताना चाहूंगा कि मनरेगा के काम और भी ज्यादा होने के लिए सवाल यह है कि स्किल्ड, अनस्किल्ड का जो पैसा लोगों को मिलना है, अभी कई राज्यों में पैसा नहीं मिला है। 12 हजार करोड़ रुपये में से आठ हजार करोड़ रुपये तो पुराने बिल्स चुकाने में लगे हैं तो आज जो काम मनरेगा में हो रहे हैं, लेबर को काम देने के बाद में अगर उसको उसका लेबर पेमेण्ट नहीं होगा तो मनरेगा का काम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं होगा, यह खास करके मंत्री जी का ध्यान मैं इसलिए उसके ऊपर आकर्षित कर रहा हूं कि मनरेगा का पेमेण्ट अगर वक्त पर होता है तो उसका फायदा निश्चित तौर पर किसानों को होगा, यह मैं खास तौर पर बताना चाहूंगा।

अगर पूरे क्रॉप कंडीशंस का जायजा लिया जाये तो खरीफ और रबी मिलाकर तकरीबन 20 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा नुकसान पूरे भारतवर्ष में हुआ है। इतना नुकसान रबी और खरीफ सीजन का हुआ है तो यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको ध्यान में रखते हुए किसानों को राहत देने के बारे में क्या हम निश्चित तौर पर कदम उठा सकते हैं, इसके बारे में तुरन्त यह फैसला करने की आवश्यकता है।

मंत्री जी के एक बयान पर हमें जरूर आपत्ति है, मैं इसका जिक्र यहां पर खास तौर पर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि सूखे का कारण महाराष्ट्र का जो है, इसके लिए जिम्मेदार शुगर प्लांट्स हैं। मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री जी बहुत जिम्मेदार हैं और उनकी ओर से ऐसा स्टेटमेंट आना बिल्कुल उचित नहीं है। हम इसे व्यक्तिगत तौर पर मैं इसलिए कहता हूं कि इसे पर्सनली न लें, मेरी आपसे यह रिक्वैस्ट है।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप इसे समझ लीजिए।

श्री राधा मोहन सिंह: मेरा विषय आ गया, मेरा बयान है। मैंने राज्य सभा में भी कहा है और यहां भी कहा है और अभी जगदम्बिका पाल जी भी बोल रहे थे कि पानी की ज्यादा खपत इसमें होती है। अखबारों में बहुत

समाचार आये। हमने इसी हाउस में कहा है कि इस सम्बन्ध में मराठवाड़ा पर अलग चर्चा होनी चाहिए, चूंकि इस प्रकार के समाचार बहुत आ रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, आप अपना अनुभव बताएं। आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या बात है, वह आप बताइए। अगर आपको लगता है कि यह सुगरकेन के कारण नहीं हो रहा है तो आप वैसी बात बताएं।

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण: अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र में सुगरकेन प्लांट्स ज्यादातर को-ऑपरेटिव सेक्टर में है। सुगरकेन एक कैश क्रॉप है। कॉटन एक कैश क्रॉप है। खासकर, मराठवाड़े के क्षेत्र में सुगरकेन के ज़रिए किसानों को अच्छा पैसा मिलता है और वह मिलता आ रहा है। सरकार ने एफ.आर.पी. देने के लिए बहुत ज़ोर लगाया है। हमारा यह कहना है कि सिंचाई की जो सुविधा है, उससे सुगर फैक्ट्रीज को पानी नहीं मिलता है, बल्कि किसानों को पानी मिलता है। किसानों के खेतों में जो गन्ना होता है, उसे किसान फैक्ट्रियों में बेचते हैं और इसके ज़रिए जो पैसा आता है, वह किसानों को मिलता है। यह सिर्फ फैक्ट्रीज को ही नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर उससे रोज़गार मिलते हैं। सिर्फ सुगर प्लांट्स ही नहीं, बल्कि वहां जो बाकी के प्लांट्स हैं, उनमें भी पानी लगता है। सुगर प्लांट्स महाराष्ट्र में चल रहे हैं, इसलिए सिर्फ महाराष्ट्र में सूखा है क्याi मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में क्या हाल हैi अगर अकाल का कारण सुगर प्लांट्स हैं, तो क्या यह लॉजिक सिर्फ महाराष्ट्र के लिए लागू होता हैi मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हर जगह सुगर प्लांट्स हैं। यह जो आपका लॉजिक है, वह सही नहीं है। आपके बयान से पूरे देश में गलत मैसेज जा रहा है। यह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। यह मैसेज नहीं जाना चाहिए। यह मेरी आपसे गुजारिश है।

अध्यक्ष महोदया, जहां तक इस सूखे के कैस्केडिंग इफेक्ट का सवाल है, तो वह क्रॉप कंडीशंस पर तो ज्यादा हो ही गया है और जो प्राइसेस है, उसके ऊपर भी हो गया है। आम आदमी के जीवन पर हो गया है। आपने देखा कि अरहर दाल, उड़द दाल, चना दाल जैसी जीवनावश्यक चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी तकरीबन 150% से 200% तक हुई है। इसे भी कंट्रोल में रखने की आवश्यकता है। आप इम्पोर्ट कीजिए या आप जो भी करना चाहें, आप जरूर कीजिए। इसका असर जो आज हमारे मुल्क में हुआ है और यह राइजिंग प्राइसेस का जो मामला है, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदया, मैं तीन-चार चीज़ों की अपेक्षा मंत्री जी से करना चाहूंगा। आज प्रश्न काल में डि-सैलिनेशन प्लांट का ज़िक्र हुआ। यह हमारे लौंग टर्म की आवश्यकता है। हम सोचते हैं कि अभी बारिश हो जाएगी और हम सब भूल जाएंगे कि अकाल में क्या करना चाहिए। सरकार शायद इंतज़ार ही कर रही है कि महीने भर के बाद बारिश आ जाएगी और फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी कोस्टल स्टेट्स हैं, उनमें अगर डि-सैलिनेशन प्लांट्स लगाए जाएं तो अच्छा होगा। यह इंवेस्टमेंट है। सरकार को इसमें कुछ मदद करनी होगा। तमिलनाडु में और अन्य जगह ये लगे हुए हैं। पूरे भारतवर्ष में जो कोस्टल

स्टेट्स हैं, जिनके पास समुद्र का किनारा है, वहां हम लोगों को डि-सैलिनेशन प्लांट्स बड़े पैमाने पर देना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने नदी जोड़ो प्रकल्प का ज़िक्र किया। राजेन्द्र सिंह जी, जो इस मामले के एक्सपर्ट हैं, उनका बयान आज सबेरे ही मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि उसके लिए रिवर कनेक्टिविटी कोई इलाज नहीं है।

इसमें दो चीज़ें हैं। इसे समझने की जरूरत है। कहीं पर पानी को लेकर अन्तर्राज्यीय झगड़े शुरू हो गए। आंध्र प्रदेश और महाराट्र में बावली प्रोजेक्ट के ऊपर झगड़ा हो गया। महाराष्ट्र के नांदेड़, परभनी में प्रॉब्लम हो गया है। जायकवाड़ी प्रकल्प को लेकर मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र और पश्चिम महाराष्ट्र में झगड़ा शुरू हो गया है। मेरी गुज़ारिश यह है कि इसका फैसला करने से पहले वहां पानी की उपलब्धता क्या है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, वरना हर एक स्टेट में पानी के ऊपर झगड़ा हो जाएगा। वाटर रेगुलेटरी कमीशन काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पॉलिटीकल डिसीजन कह कर इसे सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए। पर, यह मामला पॉलिटीकल नहीं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव है। पानी की उपलब्धता किन-किन राज्यों में है और उसे ध्यान में रखकर इसे करना क्या वाएबल है, फिजीबल है या नहीं है, इसे सोचकर ही इसके ऊपर फैसला करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदया, मनरेगा का काम ज्यादा से ज्यादा मंज़ूर कीजिए। आत्महत्याग्रस्त जो भी कुटुम्ब हैं, उन्हें सरकार एक लाख रुपए देती है। इसे बढ़ाकर पांच लाख रुपए करने की आवश्यकता है। यह एक लाख रुपए का नॉर्म बहुत पुराना है। मैं समझता हूं कि उसे आज की हालात में रिवाइज करने की आवश्यकता है। अगर उन्हें पांच लाख रुपए की राशि मिलती है, तो अच्छा होगा। उनकी जो फैमिली है, उसे पेंशन देने की आवश्यकता है। जैसे कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने उनके परिवारों के लिए दो हजार रुपए की पेंशन शुरू की है। हमारा रिक्वेस्ट है कि इस पर विचार करें।

खाद, फर्टिलाइजर्स और सीड्स को आने वाली खरीफ सीजन के लिए अगर आप बिना मूल्य देते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारी जो कर्ज़ माफी की मांग है, जिस पर मैं निश्चित तौर पर अभी भी कायम हूं, उस पर आप गौर करें। यही मेरी आपसे अपेक्षा है।

माननीय अध्यक्ष : यह जो चर्चा है, इसे कल कांटीन्यू करेंगे। अभी हम जीरो ऑवर प्रारम्भ कर लेते हैं। We will continue it tomorrow.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदया, सुरक्षा एजेंसियां देश के लिए बहुत महत्पवूर्ण होती हैं, क्योंकि अंदरूनी और बाहर की जितनी जानकारी हमें आई.बी., रॉ ये सब एजेंसीज देती हैं, उसके आधार पर केन्द्र राज्य को पूरी जानकारी देता है अगर कोई आतंकवादी घटना होने वाली है। पूर्व की यूपीए सरकार के समय पूरा प्रयास किया गया कि जितनी एजेंसी थीं, उनका मनोबल भी तोड़ दिया जाए और जितने ईमानदार व्यक्ति थे, उनको भी खत्म करने का पूरा प्रयास किया गया तो पूर्व की यूपीए सरकार के समय किया गया। उस समय के गृह मंत्री ने, जो एक समय पर वित्त मंत्री भी रहे, निशीकान्त जी ने एक दिन अपने भाषण में भी कहा कि वे देश के खातों को संभालने के बजाए ...* अपने बेटे के खातों को संभालने में लगे रहे। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नाम किसी का नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैडम, यह तो रिकार्ड पर है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो नेम।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : यह क्या हैi ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बोल दिया है मैंने, नो नेम।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : जीरो ऑवर में ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, खासकर कांग्रेस को डीफेम करने के लिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अनुराग जी, अपनी बात कहिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing would go on record.

... (*Interruptions*)... *

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : केवल अनुराग सिंह ठाकुर जी की बात रिकार्ड में जाएगी। आपस में ऐसा नहीं जाएगा।

… (*Interruptions*)…*

माननीय अध्यक्ष : नाम नहीं लेना है, आपको मालूम है।

…(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैडम, देश की सुरक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो ईमानदार अधिकारी उस समय काम कर रहे थे, उनको प्रताड़ित करके दबाने का प्रयास किया गया और सुरक्षा एजेंसियों को जो जानकारी मिली …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप कहना क्या चाहते हैंi

…(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैडम, यह इसलिए जरूरी है कि वर्ष 2004 से लेकर 2016 हो गया, 12 साल हो गए, आज भी अगर हम देखें तो जो ईमानदार अधिकारी थे, आज भी उनको न्याय नहीं मिल पाया। जो लोग इसमें इनवॉल्व थे, क्या उनके खिलाफ आज की सरकार ने कोई कार्रवाई की हैंi

इशरत जहां केस में पूर्व की यूपीए सरकार अपने समय यह कहती थी कि इशरत जहां आतंकवादी नहीं थी। जब उन्होंने कहा, साथ ही साथ लश्करे तोइबा की वेबसाइट ने भी उसको अपना शहीद घोषित करने के बजाए उसको कह दिया कि हमारी जेहादी नहीं थी।

माननीय अध्यक्ष : यह पहले उठ चुका है। आप नई बात बताइए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : इसका मतलब जिस तरह से कांग्रेस निर्णय लेती थी, उसी तरह से लश्करे तोइबा भी साथ के साथ निर्णय किया करती थी। मैडम, मुझे आपके माध्यम से पूछना है, दो बार इस पर चर्चा हुई। …(व्यवधान) क्या कहाi …(व्यवधान) मैडम, यह रिकार्ड पर है कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने, उस समय की यूपीए सरकार ने कहा, एफिडेविट में बदलाव किया, उसी दिन बदलाव उनकी वेबसाइट पर भी हुआ। …(व्यवधान) यह किसी से छिपा नहीं है। इसी हाउस में इसकी चर्चा हुई। मुझे आपके माध्यम से केवल गृह मंत्री से इतना पूछना है, वे बार-बार स्टेटमेंट बाहर देते हैं, कमेटी को पूछा गया कि जो फाइल्स मिसिंग थीं, क्या वे फाइल्स वापस मिल पाई हैंi …* के समय, जो फाइल्स उन्होंने कहा कि मैंने एफिडेविट साइन नहीं किया, उन्होंने एक ट्वीट करके कहा,

> "As Minister, when it was brought to my notice that the first affidavit was ambiguous which was filed without my approval, it

* Not recorded.

was being misinterpreted and it was my duty to correct the first affidavit. So, we filed a supplementary affidavit after consulting the Home Secretary, the Director of Intelligence Bureau and other officers."

मैडम, इससे स्पष्ट पता चलता है कि उन्होंने पहला एफिडेविट चेंज किया, लेकिन अब उन्होंने बाद में कह दिया कि मुझे यह याद नहीं कि मेरे उसमें हस्ताक्षर थे या नहीं। क्या केन्द्र सरकार फारेंसिक लैब को भेजकर यह पता करवाएगी कि उन्होंने पहले पर साइन किए या नहींi केन्द्र सरकार ने उनके ऊपर क्या कार्रवाई की और कांग्रेस पार्टी ने भी पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई की हैi जो अफजल को कहते हैं कि उनकी फांसी समय से पहले हो गई, तो क्या कांग्रेस उनसे सहमत हैi जो यह कहते हैं कि इशरत आतंकवादी नहीं थी, तो क्या आप मानते हैं कि इशरत आतंकवादी नहीं थीi इसका पता लगना चाहिए और केन्द्र सरकार ने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की हैi

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.पी.चौधरी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री शरद त्रिपाठी, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री रमेश बिधूड़ी और श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि अगर जीरो अवर की यह परंपरा हुई तो हम विपक्ष में बैठे हैं, हर जीरो अवर में आप के खिलाफ ही मैटर शुरू हो जाएगा, हर जीरो अ आवर में यही प्वाइंट उठाना शुरू कर देंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिए।

श्रीमती रंजीत रंजन : मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि मध्याह्न भोजन के रसोइया होते हैं, आशा महिलाओं को प्रसूति में अस्पताल लेकर जाती हैं और आंगवाड़ी की सहायिका और सेविकाओं के दर्द को रखना चाहूंगी।

मध्याह्न भोजन में रसोइया, जो महिलाएं भी होती हैं और पुरुष भी होते हैं, जो खाना बनाते हैं, उनको मात्र साढ़े बारह सौ रुपये मिलते हैं। यह कहां का न्याय है कि एक दिन काम के 50 रुपये भी, 1500 रुपये भी उनको नहीं दिए जाते हैं। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करूंगी कि इस महंगाई को देखते हुए, आप महंगाई कम नहीं कर पाये, रसोइया को कम से कम डेली 200 रुपये मिलना चाहिए, कम से कम उन्हें 3000 रुपये महीना मिलना चाहिए।

'आशा' जिनका कोई मानदेय तय नहीं किया होता है, वे प्रेगनैंट विमेन को लगातार नौ महीने तक अपने ऑब्जर्वेशन में रखती हैं, तीन बार अस्पताल ले कर जाती हैं, फिर उनको हफ्ते में पोलियो के ड्रॉप और इंजैक्शन लगवाएंगी, उनको छः सौ रुपये मिलते हैं और खिलाने-पिलाने में मात्र ढ़ाई सौ रुपये मिलते

हैं। वह अपने बच्चों को किस तरह से पालेंगी। उनसे इलैक्शन में काम लिया जाता है, उनसे पोलियो ड्रॉप पिलाने का भी काम लिया जाता है तो क्या यह गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया जाता है कि उनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए वह छः सौ रुपये के लिए काम करती हैं। इतना ही नहीं अगर वह महिला को अस्पताल में लेकर आती है और वह खुद बाथरूम या शौचालय चली गयी, उसके न रहते हुए बच्चा हो जाता है तो उसको उस छः सौ रुपये से भी अलग कर दिया जाता है, नहीं दिया जाता है कि 'आशा' वहां पर उपस्थित नहीं थी।

जो सहायिका और सेविकाएं हैं, हम लोगों ने बहुत कहा तो मानदेय 3000 रुपये से 3750 रुपये हो गया और सहायिका के मानदेय 2240 रुपया हो गया। उन्हें 21 रजिस्टरों में पंजीकृत किया जाता है, उन्हें ब्लॉक में हर हफ्ते बुलाया जाता है, जिसका किराया भी नहीं दिया जाता है और अन्य 50 कार्य उनसे कराये जाते हैं।

मैं फिर आपके माध्यम से कहूंगी कि केन्द्र सरकार को इन तीनों पर, उनकी गरीबी के साथ मजाक हो रहा है, इन तीनों का मानदेय बढ़ाना चाहिए और 'आशा' को परमानैंट करना चाहिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री राजीव सातव, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री अश्विनी कुमार चौबे, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और श्री हरिओम सिंह राठौड़ को श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Madam Speaker, we have seen how Shaktiman, the police horse in Dehradun succumbed to injuries recently. It is not just Shaktiman, but there are hundreds and thousands of animals which are subjected to cruelty day-in-and-day-out and people either go scot-free or come out freely by paying a paltry penalty of Rs. 50 prescribed under Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960.

There are organizations working in the area protecting animals and Blue Cross of Hyderabad is one such organization which is working in the area of animal welfare for the last more than two decades. This organization and similar such organizations are receiving complaints of animal cruelty – from acid attacks, brutal stoning, hunting, beating, illegal transport and even poisoning – everyday. It is happening in spite of the fact that our Constitution says that it is the Fundamental Duty of every citizen to be compassionate to all living creatures. Secondly, animals are one of the most important components, other than plants

and microbes, of our ecosystem. So, protection of animals is all the more important for survival and existence of humankind.

Penalty imposed for abuse of animals under Prevention of Cruelty Act is too meagre. Hence, law enforcement agencies, animal welfare organizations and activists have been demanding for increasing the penalty to deter cruelty against animals. It is pertinent to mention that Wildlife Protection Act has been amended to strengthen penal provisions, but not the PCA.

In view of this, I request the Ministry of Environment and Forests to take steps to amend the Prevention of Cruelty to Animals Act and increase stringent penalties for abuse of animals.

माननीय अध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री जैदेव गल्ला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदया, दिल्ली एनसीआर समेत सभी छोटे-बड़े जिलों में, आपकी जानकारी में है कि आज देश चाहे वह भुनेश्वर हो, जबलपुर हो या भोपाल हो, एक सौ शहरों में कम से कम 50 लाख से ज्यादा फ्लैट्स खाली हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक 1,47,00,000 घर गरीबों को चाहिए। 30-35 करोड़ लोगों के पास न जमीन है और न ही मकान है। 17,550 प्रोजैक्ट्स लॉंच किए गए। इस देश में 17,000 बिल्डर्स हैं और अफसर, राजनीतिज्ञों और कुछ दलालों की मिलिभगत से किस कदर, लगातार एबीपी न्यूज और आज तक न्यूज चैनल, एबीपी न्यूज ने तो 14,500 लोगों के बारे में बताया है। किस तरह पैसा वापस नहीं किया जा रहा है। लोग पूरी जिंदगी नौकरी का एक-एक पैसा एकत्र कर सेवानिवृत हो गए। फिर भी उनके पास छत नहीं है। ऑपरेशन गृह में जेपी, सुपरटैक, गौड़, आम्रपाली जैसे बिल्डर, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा, मैडम, आप यादव सिंह के बारे में जानती हैं। इंडिया बुल्स का मालिक श्री गहलोत, हीरानंदानी के निरंजन हीरानंदानी, लोधा ग्रुप के मंगल प्रभात, ओबराय रियल्टी के विकास ओबराय, पारवंत के प्रदीप कुमार जैन, युनीटैक, गोदरेज, जेपी इन्फ्राटैक, डीबी रियल्टी, ओमैक्स, शोभा डैवलपर, एचडीआईएल, टाटा हाउसिंग, रहेजा कंस्ट्रक्शन, महिन्द्रा लाइफ, पेनिंसुएला लैंड पिरामल्स, प्रेस्टिज इस्टे के रजाक सत्तार, अंसल हाउसिंग के लाला चिरंजीलाल अंसल, मंटी रियल्टी के सुशील मंत्री।

18.31 hours (Shri Pralhad Joshi *in the Chair*)

सभापति महोदय, किस तरह रियल एस्टेट का जाल बिछा हुआ है। बिल्डरों द्वारा 5 से 10 साल तक मकान नहीं दिया जाना, रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। परिणामस्वरूप लोग अपने ही मकान में अवैध तरीके से रह रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि रियल एस्टेट और दलालों का असर जीडीपी पर पड़ता है।

पटना से गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और छोटे शहर, आज जमीन दलाल, मैं न्यायिक जांच के साथ सीबीआई जांच की मांग करता हूं। हिन्दुस्तान में बिल्डर इस सरकार से मिलीभगत करके, पूंजीपतियों के साथ मिलीभगत करके, पॉलिटिशियन्स से मिलीभगत करके आम जनता, गरीबों को कैसे सता रहे हैं।...(व्यवधान) इस पर इन्क्वारी हो और बिल्डरों को जेल भेजा जाए। जिसके साथ सांठ-गांठ है, उसकी इन्क्वारी करके राजनीतिज्ञों को जेल भेजा जाए। यह बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं।

माननीय सभापति : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राजेश रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): श्रीमन्, उत्तराखंड, हिमालय देश के लिए सामरिक दृष्टि से हो, देश की एकता-अखंडता की दृष्टि से हो, पर्यावरण की दृष्टि से हो, विविधता की दृष्टि से हो, गंगा की दृष्टि से हो, चार धाम योजना की दृष्टि से हो, हर दृष्टि से देश और दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिमालय सबसे बड़ा युवा पर्वत, बिल्कुल यंग सात लाख वर्ष पुराना, बहुत संवेदनशील है। इस हिमालय को भारत भाल भी कहते हैं और देव आत्मा हिमालय भी कहते हैं। यह भारत का गौरव है, सीमाओं का प्रहरी है। यह एशिया का वाटर टावर है। इससे न केवल आधा एशिया पेयजल लेता है बल्कि अन्न का उत्पादन भी होता है। मै समझता हूं कि हिमालय के क्षेत्र केवल पर्वत श्रृंखला नहीं हैं बल्कि यहां रहने वाले लोग देश के लिए एक पूंजी हैं। यहां के पशु-पक्षी हों चाहे वन पर्यावरण हो, नदी हो, हिमनद हो, प्राकृतिक सौन्दर्य का विषय हो, ये सब संकट में हैं। इसलिए आपने देखा है कि वनों में वनाग्नि लगने से अरबों-खरबों रुपये की सम्पत्ति ही नष्ट नहीं हुई बल्कि जैव विविधता को बहुत बड़ा संकट हुआ है। पशु-पक्षी हजारों की तादाद में राख में मिल गए। धरती की ऊष्णता बढ़ी है तो ग्लेशियर पिघल कर पीछे जा रहे हैं। इससे संकट होगा। इसी का परिणाम है कि यहां भूकम्प आता है, भूस्खलन भी आता है। 1991 के भूकम्प और भूस्खलन में चमोली जिला हो, उत्तरकाशी जिला हो, सैंकड़ों लोग हताहत हुए थे। केदारनाथ जैसी आपदा में 24 राज्यों के हजारों लोग हताहत हुए। ऐसी ही आपदा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से लेकर नेपाल तक गई है। हिमालय की टोटल बैल्ट बहुत ही अस्थिर है। यह देश और दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि हिमालय जो दुनिया के लिए अमूल्य निधि है, इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, लोगों की रक्षा बहुत जरूरी है। यह पर्यावरण की दुनिया की पहली पाठशाला है और इसमें दुनिया के लोगों के तन और मन को ठीक करने का भी मादा है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपदा संभावित विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पूर्व चेतावनी नेटवर्क की तत्काल स्थापना करे जिसके तहत डॉप्लर रडार हो, लाइटनिंग सेंसर हों, रेनफॉल मोनिटरिंग सेंसर हो, इसके अतिरिक्त आपदा के कार्यक्रमों और क्रियान्वयन करने के

लिए अत्याधुनिक तकनीक हो, विशेषज्ञतायुक्त सरकारी और गैर-सरकारी संगठन हो जिसमें चाहे पुलिस हो या आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, सेना हो, वायु सेना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हों, आपदा संस्थाएं प्राधिकरण हो, सभी में समन्वय होना चाहिए। समय रहते इनका काम नहीं हो पाता। पूरी दुनिया में उत्तराखंड में में साढ़े बारह हजार वन ग्राम पंचायतें हैं, डेढ़ लाख से भी अधिक लोग अपने प्राणों को हथेली पर रखकर वनों की रक्षा करते हैं। इनको ट्रेंड होना चाहिए। आईटीबीपी के साथ समन्वय आना चाहिए। इस पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनना चाहिए जिससे पूरे हिमालय की रक्षा हो सके।

माननीय सभापति : श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सुधीर गुप्ता, श्री शरद त्रिपाठी और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Mr. Chairman, Sir, cotton is a rain-fed crop and it used to be a low investment one. But now with bio-technology and other technologies and companies like Monsanto coming in, it has become a very high investment crop. Most of the farmers who commit suicides are cotton farmers. In Telangana, one crore acres of cultivation is there, of which 42 per cent is cotton cultivation.

My specific point is this. The WTO agreement is impacting the cotton farmers. The WTO agreement signed in Nairobi in December 2015 was intended to remove trade distorting subsidies to ensure wider market access to developing countries. However, India got a raw deal. The WTO Ministerial Decision on Cotton mandates developed countries to eliminate export subsidies on cotton from the adoption date of the decision; and developing countries, including India, by January, 2017. Just six months away we have to remove it.

We have not listed out all the direct and indirect subsidies in other countries like the United States, the Europe and Australia.

HON. CHAIRPERSON: What is your demand? You place your demand before the Government.

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY: I think we need to re-look at what we have negotiated in the World Trade Agreement. We request the Government to look into the matter of the subsidies that the other countries are offering. In fact,

we have to look at the subsidies that the other countries are offering to cotton, soaybean, wheat and corn farmers. If they do not grow anything on their land, they get subsidy. … (*Interruptions*)

In Telangana, in Rangareddy District, in Chevella, Vikrabad, Pargi, Tandur, huge cotton farming is taking place. They are taking the burden of this commitment that we have made in the WTO.

I would urge the Government to put in place protective measures for our cotton farmers. Further, in the next WTO Ministerial Conference India should stand the ground and enter into agreement only if it protects the interests of our cotton farmers. Thank you.

श्री निशिकान्त दुबे : सभापति महोदय, मैं जिस राज्य से आता हूं वहां का इलाका संथाल परगणा है आज वह पर साइबर क्राइम की गिरफ्त में है। आप हमारे यहां का अखबार निकालेंगे और फ्रंट पेज छह जिले में साइबर क्राइम के बारे खबरें मिलेगी। संथाल परगना साइबर क्राममम का सबसे बड़ा अड्डा हो गया है। जय प्रकाश जी भी बगल में बैठे हैं। मैं 2007 की एक रिपोर्ट देख रहा था, 20 मई, 2007 की रिपोर्ट है, यह उस समय यूपीए की ही सरकार थी। In West Bengal, police arrested Mohammed Sayeed from Jandara district in the State of Jharkhand in connection with the May 18 Mecca Masjid Blast in Hyderbad, Capital of Andhra Pradesh. मलियाचक के बाद यह दूसरा न्यूज है, मालदा की घटना के बाद नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का एक रिपोर्ट है वह कह रहा है कि Narcotic money is at the heart of lawlessness in Malda bordering Bangladesh. Police say a large portion of this drug money goes into buying sophisticated weapons, smuggled through the porous Bangladesh border and running hundreds of unrecognised Madrasas in the district border areas like Gopalganj, Baliganga, Kalichak, Mohabbatpur, Motihari and Danga are now the epicentre of anti-national activities.

सभापति महोदय, मैं जो मुद्दा उठा रहा हूं, वह कोई हिन्दू और मुसलमान का नहीं है। मैं बार-बार यह मुद्दा उठाता हूं और पूरे सदन से आग्रह करता हूं कि यह मुद्दा है बांग्लादेश के घुसपैठियों का और हिन्दुस्तान में रहने वाले लोगों का। हिन्दुस्तान में रहने वाले लोग हिन्दू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, सभी का यह देश है। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, लेकिन जो लोग बांग्लादेश से आते हैं या पाकिस्तान

से आते हैं, वे घुसपैठिए हैं, वे देशद्रोही हैं। यह समझने की बात और इसमें वोट बैंक की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।

महोदय, पाकिस्तान का ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का सपना अधूरा रह गया था। यह खुलासा, जब श्री एस.के. सिन्हा, असम के गवर्नर थे, तब उन्होंने एक 42 पेज की रिपोर्ट दी थी, उससे होता है। उन्होंने रिपोर्ट में कोट किया था कि उस वक्त यदि बारदोलई साहब नहीं होते, तो 1947 में ही असम, ईस्ट बंगाल का पार्ट होता, मतलब बांग्लादेश का पार्ट होता। इसी कारण से पूरी की पूरी डेमोग्राफी है, फिर चाहे वह असम की, उसके प्रत्येक जिले की, सारे के सारे जिलों की, फिर चाहे बंगाल से सटा हुआ जिला हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड, जहां से मैं आता हूं, वह हो। वहां प्रत्येक 25 साल में 77 प्रतिशत मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ जाती है जबकि हिन्दू पॉपुलेशन केवल 42 परसेंट बढ़ती है। इस कारण से वहां का पूरा का पूरा माहौल बिगड़ा हुआ है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से दो आग्रह करना चाहता हूं कि जो इंदिरा-मुजीबुर्रहमान पैक्ट हुआ था, उसके कारण समस्या है। दूसरा श्री राजीव गांधी साहब ने 1985 में एक असम-एकॉर्ड किया था, जो अब आउट डेटेड हो गया है। उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी खत्म कर दिया है। इसलिए मेरी मांग है कि जितने भी बांग्लादेशी माइग्रेंट हैं, उन्हें बाहर करने के लिए भारत सरकार कोई न कोई कानून बनाए और कम से कम इन दोनों एक्ट्स को रीविजिट करे। मेरा आपके माध्यम से सिर्फ यही आग्रह है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, श्री निशिकान्त दुबे द्वारा सदन में उठाए गए मुद्दे से सर्वश्री चन्द्र प्रकाश जोशी, सुधीर गुप्ता, भैरोंप्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, पी.पी. चौधरी एवं श्री शरद त्रिपाठी अपने आपको सम्बद्ध करते हैं।

माननीय सभापति: श्री हुक्मदेव नारायण यादव - उपस्थित नहीं।

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : माननीय सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र राजस्थान का चुरू है, जहां हमेशा सूखे की मार पड़ती है। किसान बहुत मेहनत कर के खेती करता है। जो मेरा क्षेत्र है वह अधिकतर वर्षा पर निर्भर रहता है।

महोदय, आज की तारीख में, एक बहुत बड़ी समस्या जो गांवों में नजर आती है और जिसके बारे में किसान हमेशा बात करते हैं, वह आवारा पशुओं की है। यह ऐसी समस्या बन गई है कि जब दिसम्बर में ठंड पड़ती है, तो चुरू में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है और उस टेम्परेचर में किसान एक खेत से दूसरे खेत में पशुओं को निकालने का ही कार्य करता है। हर गांव में 200 से 250 तक की संख्या में आवारा पशु इकट्ठे हो चुके हैं। इससे गांव में सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट होता है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि गांवों के अंदर जहां गोचर भूमि हो, उन गोचर भूमियों की तारबन्दी करा कर, वहीं पर उनकी कोई न कोई व्यवस्था की जाए और पंचायत को पैसा देकर उन्हीं को उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए अन्यथा किसानों के लिए सब्सीडाइज्ड रेट्स पर तारबन्दी की व्यवस्था की जाए, ताकि बरसात में जो किसान अपनी फसल बो रहे हैं, वे उसे सुरक्षित कर सकें। समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, श्री राहुल कास्वां द्वारा सदन में उठाए गए विषय से सर्वश्री चन्द्र प्रकाश जोशी, सुधीर गुप्ता, भैरोंप्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, पी.पी. चौधरी एवं श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत अपने आपको सम्बद्ध करते हैं।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ के अंदर ओरछा पर्यटन केन्द्र की ओर आपका ध्यान आकार्षित करना चाहता हूं। ओरछा वह नगरी है, जहां पर राम राजा सरकार का मंदिर होने के साथ ही साथ पर्यटन केन्द्र के रूप में प्राकृतिक सौदर्य बिखरा पड़ा है।

आदरणीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने ओरछा के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में मन की बात कार्यक्रम में भी उल्लेख किया था। वहां स्थित ऐतिहासिक मंदिर और किले कारण देशी पर्यटकों के साथ ही विदेशी पर्यटक भी बहुत बड़ी संख्या में ओरछा आते हैं और रिवर राफ्टिंग करते हैं। वे वहां बिखरे प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के साइकिल लेकर जंगलों में चले जाते हैं।

सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ इस स्थान पर, हमारे देश के अमर शहीद श्री चन्द्र शेखर आजाद जी, गुप्त वास के दौरान, साधुवेश में, सातार नदी के तट पर, हनुमान मंदिर के किनारे रहे थे। वहां उन्होंने एक बावड़ी अपने हाथों से खोदी थी। वह बावड़ी आज भी वहां पर है। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां के युवा आज भी प्रतिवर्ष् 27 फरवरी को मशाल लेकर ग्वालियर आते हैं।

महोदय, ऐसे ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व रखने वाले पर्यटन स्थल पर फिल्मी दुनिया के बड़े-बड़े प्रोड्यूसर फिल्मों की शूटिंग करने के लिए आते हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि श्री चन्द्र शेखर आजाद जी द्वारा खोदी गई बावड़ी को संरक्षित कर के, ओरछा को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने के लिए तुलसी एक्सप्रैस, उदयपुर-वाराणसी एक्सप्रैस और बुन्देलखंड एक्सप्रैस ट्रेनों का स्टॉपेज दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ, वहां के लिए, देश के विभिन्न भागों से हवाई सेवाएं प्रारम्भ की जाएं, ताकि देशी और विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आ सकें।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री वीरेन्द्र कुमार जी द्वारा सदन में प्रस्तुत किए गए विषय से सर्वश्री शरद त्रिपाठी, सुधीर गुप्ता, भैरोंप्रसाद मिश्र, चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल अपने आपको सम्बद्ध करते हैं।

SHRI B. SRIRAMULU (BELLARY): Mr. Chairman, Sir, I represent Bellary Parliamentary Constituency of Karnataka. I would like to bring to the attention of the Government that there is no drinking water facility in Morarji Desai Residential School which is situated in Yerragudi village in Bellary Taluk which falls under my Lok Sabha Constituency. This village borders Alur Taluk of Andhra Pradesh. In this village, Morarji Desai Residential School had 535 students when this school started three years ago. There is no drinking water facility to this school though the water source of Tungabhadra Canal is within three kilometres from the school. A local youth, who has a mobile water tanker, provides water to the school free of cost as part of his social service. This is the position till today since the school started functioning three years ago. If any student manages to get a tumbler of water, others snatch it from him. This is the plight of the students there.

Sir, there is research evident that links the availability of permanent classrooms, textbooks, desks, libraries, and running water which is essential to take up education in rural areas. A child's attention cannot be focused on learning every day in open air when there are hundreds of distractions in the fields and villages that surround classrooms. Learning is not possible in deplorable conditions as classrooms need major repairing. The classrooms are so dark and airless that students can hardly see the black board. So, adequate drinking water, shade, proper lighting, ventilation and proper spaces in classrooms are all aspects of classroom design which can contribute to a better and conducive learning environment.

There is also a need to focus on the use of other elements of school infrastructure such as latrines and separate latrines for girls are very important. That is why I requested the State Government to direct the District Administration to prepare the line estimate so that the scheme could be executed and children are provided with drinking water in their school. There are various schemes to provide drinking water under Border Area Development Fund, Scarcity Relief Fund for

which the Deputy Commissioner is the Chairperson of Rajiv Gandhi Technology Mission, MPLAD Fund and MLA Grants.

So, I demand that the Government should take necessary steps to provide drinking water facility to students in Morarji Desai Residential School situated in my Bellary constituency.

HON. CHAIRPERSON: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri B. Sriramulu.

श्री मानशंकर निनामा (बांसवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा संसंदीय क्षेत्र बांसवाड़ा-डुंगरपुर वन और पहाड़ वाला इलाका है। यहां गर्मी के महीने शुरू होते ही पानी की जबरदस्त किल्लत हो जाती है। कई स्थानों पर पानी लाने के लिए लोगों को कोसों दूर जाना पड़ता है। ऐसे में वहां के लोग, विशेषकर महिलाओं का जीवन भी संकट में रहता है।

सभापति महोदय, यहां पानी के स्त्रोत नदी-नालों के रूप में उपलब्ध हैं, लेकिन छिछला ताल होने के कारण वह पानी बह जाता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि ऐसे प्राकृतिक जल के स्त्रोतों को एनिकट से रुकवाया जाये उसका शुद्धिकरण करके पीने योग्य बनाया जाये, ताकि लोगों को जल के संकट से तत्काल राहत मिल सके।

माननीय सभापति : श्री सी.पी. जोशी और श्री सुधीर गुप्ता को श्री मानशंकर निनामा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI RADHESHYAM BISWAS (KARIMGANJ): Thank you, Chairman, Sir. I want to draw your kind attention to a burning, sensitive and continuous problem of my constituency Karimganj which I have already mentioned in the Parliament from time to time. NH 6, NH 8 and NH 154 pass through my constituency which provide connectivity to my neighbouring States like Meghalaya, Manipur, Mizoram, Tripura and to the rest of India. Now the incessant rain has made the stretch almost unusable. So many trucks and other vehicles are meeting with accidents daily and are facing other troubles and movement of essential commodities is disrupted due to miserable condition of the road. The residents of Barak Valley as well as of other States like Tripura are expressing high displeasure and are repeatedly demanding immediate improvement of the National Highways especially in spots like Panchgram, Srigaury to Churaibari *via* Chargula

and Katlicherra to Bairabi. On road repair issue, the National Highway Division of PWD, Assam has totally failed to maintain the roads. The Deputy Commissioners of Karimganj and Hailakandi were facing daily agitations over the extremely bad condition of the roads of the Barak Valley. The unchanged bad road condition since 2014 has become a regular headache for us.

Through this august House, I would request the Union Government to immediately send a technical team to see the condition of the roads. I would also request for allocation of sufficient funds for maintenance works to keep the roads in usable condition. Thank you, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Shri Jitendra Chaudhury, Shri Sankar Prasad Datta, Shri Md. Badaruddoza khan and Shri Sirajuddin Ajmal are permitted to associate with the issue raised by Shri Radheshyam Biswas.

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : माननीय सभापति जी, मैं आदरणीय जल प्रबंधन मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अम्बाला में 100 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के साथ लगता है। यमुना नगर जिले में जिस प्रकार से पांच राज्यों ने मिलकर हथिनी कुंड बैराज बनाया हुआ है, अगर इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में रेणका और कसाऊ नदी पर बांधों का निर्माण कर दिया जाता है और हरियाणा में यमुना और सहायक नदियों पर बांधों का निर्माण कर दिया जाता है तो हरियाणा, राजस्थान व दिल्ली सहित कई राज्यों की जल समस्या का समाधान हो सकता है। वर्षा का 85 प्रतिशत से अधिक जल बेकार चला जाता है, हम उस जल का संचय करके हाइड्रो पावर का निर्माण भी कर सकते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि उपरोक्त बांधों के अतिरिक्त मेरे लोकसभा क्षेत्र के साथ लगती नदियों में आ रहे वर्षा के जल प्रबंधन के लिए भी छोटे डैम बनाए जाएं ताकि हम अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री सी.पी. जोशी, श्री पी.पी. चौधरी, श्री दीपेन्द्र हुड्डा और श्री सुधीर गुप्ता को श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सांसदों को विकास के लिए सांसद निधि आबंटित की जाती है, उसे खर्च करने की समय सीमा होती है कि इतने दिनों में कार्य का निस्तारण करा दिया जाए। किंतु होता यह है कि

हमारे प्रस्ताव देने के बाद भी संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा उपेक्षात्मक रवैया अपनाने के कारण कभी समाचार पत्रों में छपता है कि सांसद निधि को खर्च करने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। जबकि वास्तविकता यह होती है कि हम प्रस्ताव समय से दे देते हैं लेकिन संबंधित अधिकारी के कमीशन का रेट तय करने में समय गंवा देते हैं और समय सीमा बढ़ जाती है। इससे विकास प्रभावित होता है। सांसदों को प्रति वर्ष पांच करोड़ रुपए मिलते हैं। मैं विशेषकर अपने जनपद की बात बताना चाहता हूं, इसमें न्यूनतम 20-25 प्रतिशत केवल यह तय करने में जाता है कि किस विभाग द्वारा काम कराया जाएगा। चाहे इसे कमीशन कह लीजिए या प्रशासनिक व्यय कह लीजिए, इसमें खर्च होता है। विकास निधि पर वार्षिक रूप में 3.5 से चार करोड़ रुपए ही खर्च हो पाता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस पर कठोर पारदर्शी नियम बनाते हुए समय सीमा सुनिश्चित करके, मानिटरिंग कराकर जवाबदेही सुनिश्चित करें।

माननीय अध्यक्ष: श्री जगदम्बिका पाल, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्रीमती अंजु बाला, श्रीमती रेखा वर्मा, श्रीमती वीणा देवी, श्री सी.पी. जोशी और श्री उदित राज को श्री शरद त्रिपाठी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : माननीय सभापति जी, मैं सदन में आपके माध्यम से अपनी पार्लियामेंटरी कांस्टीटुएंसी का एक महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूं। हम दिनांक 14 अप्रैल से लगातार 24 अप्रैल तक माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेा अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने ग्रामोदय से भारत उदय कार्यक्रम दिया। यह कार्यक्रम बाबासाहेब की 125वीं जयंती से प्रारंभ हुआ और 24 अप्रैल तक चला। इस कार्यक्रम के अंदर समरसता, किसान गोठी और ग्राम सभाओं को आयोजित किया गया था। मैं अपने संसदीय क्षेत्र के बहुत-से गांवों में और दूसरी जगहों पर भी गया। वहां सभी लोगों ने एक कार्यक्रम की ज्यादा सराहना की कि इस बार मनरेगा के अंदर साठ प्रतिशत खर्चा एग्रीकल्चर के लिए रिजर्व रखा गया और कृषि कार्यों में काफी काम हुआ। प्रधानमंत्री और भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए लोगों ने दो मुश्किलों का भी जिक्र किया जिन्हें मैं आपके माध्यम से माननीय ग्रामीण विकास मंत्री को बताना चाहता हूं। उनका कहना था कि जिन किसानों के पास दो हैक्टेयर जमीन है, उन किसानों को मनरेगा स्कीम के अंतर्गत फायदा मिलता। इस सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए अन्यथा जिसमें 12 लाख लीटर पानी रिजर्व रखते हैं, वह उन लोगों को दिया जाए जिनके पास सात, आठ या दस बीघा जमीन हो। जो केटेगिरीज हैं एससी, एसटी, लघु काश्तकार और सीमांत काश्तकार कोई भी हो, जिनकी कैपेसिटी है और जिनके पास 7, 8, 9 बीघा जमीन है और वे इसे बनना चाहते हैं, ऐसे किसानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इनकी एक मांग और थी कि भारत सरकार ने इस वर्ष लेबर कम्पोनेंट का पैसा रिलीज कर दिया है लेकिन मनरेगा के मैटीरियल कम्पोनेंट का पैसा नहीं मिला है। मैं 24 अप्रैल तक वहां था और लोगों ने बताया कि यह पैसा नहीं मिला है। यह पैसा 31 मार्च तक रिलीज हो जाना चाहिए था।

माननीय सभापति: श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री सी.पी. जोशी, श्री सुधीर गुप्ता और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री सी.आर. चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कुँवर पुपेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): महोदय, मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूं। पूरे हिंदुस्तान में इस समय पेयजल का संकट है। हमारे क्षेत्र में हम विशेष संकट के दौर से गुजर रहे हैं और उसका मुख्य कारण बारिश कम होना है। हमारे क्षेत्र में औसत से 60 प्रतिशत से कम बारिश हुई है और इस वजह से वहां तालाब, बांध सब खाली हैं।

माननीय सभापति: पेयजल और सूखे के विषय पर सदन में चर्चा चल रही है। आप अपनी स्पेसिफिक डिमांड मेंशन कीजिए।

कुँवर पुपेन्द्र सिंह चन्देल : महोदय, मैं इसी महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात कहना चाहता हूं। मेरे यहां पानी की कमी का मुख्य कारण अवैध खनन भी है। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में नदियों से रेत निकालने के लिए पूरा माफिया एक्टिव है और प्रदेश सरकार से उनका जो गठजोड़ है इसके कारण उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) के माध्यम से जब उनसे बात की गई तो राज्य के अधिकारी रिपोर्ट भेजते हैं कि यहां कोई खनन कार्य नहीं चल रहा है। एनजीटी ने हैलीकाप्टर भेज कर वहां की फोटोग्राफी कराई। मैं बताना चाहता हूं यह शर्म की बात है कि जब वहां हैलीकाप्टर पहुंचा तो उन खनन माफियाओं को पहले से जानकारी प्राप्त थी कि आज इतने समय पर हैलीकाप्टर के द्वारा फोटोग्राफी की जाएगी। मेरे पास प्रमाण है कि बुंदेलखंड के चार-पांच जिलाधिकारियों ने वहां के जो पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं, उन्हें फोन किया और कहा कि किसी भी नदी पर और किसी भी रास्ते पर कोई भी ट्रक नहीं मिलना चाहिए क्योंकि आज एनजीटी की टीम आ रही है।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि भले ही यह स्टेट मैटर है लेकिन राज्य सरकार जब वहां स्वयं अवैध खनन करवा रही है। जब श्रीश्री रवि शंकर जी का विश्व सांस्कृतिक महोत्सव दिल्ली में होता है तब यमुना गंदी होने के नाम पर उन पर पैनल्टी लगाई जाती है लेकिन क्या इस विषय पर एनजीटी लाचार है जो अवैध खनन करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। हमारे क्षेत्र के लोग प्यासे मरने के लिए मजबूर हैं। वहां जो लिफ्ट कैनाल सिस्टम लगा है, इस तरफ से वहां खनन हो रहा है कि पूरा पानी एक तरफ चला गया है। मैंने रेल मंत्री जी से वहां पानी की ट्रेन भेजने की बात कही थी। रेल मंत्री जी ने वहां पानी की ट्रेन भेजी और वह पानी की ट्रेन झांसी में खड़ी है लेकिन यूपी सरकार ने उसे मेरे संसदीय क्षेत्र में

भेजने नहीं दिया। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि भारत सरकार इस विषय में सख्त से सख्त कार्यवाही करे और मेरे क्षेत्रवासियों का पानी देने का काम करे।

माननीय सभापति : श्री सी.पी. जोशी, श्री सुधीर गुप्ता और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

19.00 hours

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति महोदय, हम ऋषि परम्परा राष्ट्र हैं। श्रेष्ठ आर्य संस्कृति के समुच्चय आर्यावर्त में सतयुग (कृतयुग), त्रेता, द्वापर, कलियुग में समय-समय पर अवतारों ने जन्म लिया, ऋषि-मुनियों ने लोक का नेतृत्व कर जन-गण को साधा। इन्हीं अन्वेषक ऋाषियों के ज्ञान, तप, अन्वेषणों से भारत विश्व गुरु कहलाया। आर्य संस्कृति के प्रसार से "वसुधैव कुटुम्बकम् " का स्वप्न साकार किया जा सकता है। आर्य संस्कृति के ध्वज-वाहक अवतारों, प्रचेताओं, ऋषियों की स्मृति को अक्षुण्ण बनाने के लिये महान भारतीय संसद ने कई शुभ संकल्प पारित किये हैं। स्मृति स्वरूप डाक टिकट जारी करना, जयन्ती पर अवकाश घोषित करना, ऐसे दिव्य आत्माओं को समर्पित संस्थाओं का गठन, इनकी मूर्तियों का अनावरण आदि ।

"कृणन्तो विश्वमार्यम् " का घोष दसो दिगन्त में गुंजाने वाले महाऋषि जामदास्य श्री परशुराम जी का जन्म दिवस अक्षय तृतीया अभी इस गौरव से वंचित है। सम्पूर्ण विश्व के लगभग करोड़ों लोगों के आद्यदेव भगवान श्री परशुराम जी के जनम दिवस अक्षय तृतीया पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अवकाश घोषित होना चाहिए क्योंकि-

जामदास्य श्री परशुराम, मरीची, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, दक्ष, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज ऋषियों की परम्परा के ध्वजवाहक हैं।

दसम् अवतार के रूप में जामदास्य राम का अवतरण हुआ। धर्म की स्थापना व अधर्म के नाश हेतु उन्होंने अपने नाम को चरितार्थ किया।

आर्यावर्त का सर्वप्रथम राजनीतिक, सांस्कृतिक एकीकरण जामदस्य श्री परशुराम जी ने ही किया। तत्कालीन अवन्ती, विदर्भ, शंबर क्षेत्र, असम, अरूणाचल, कैलाश ब्रह्मानद, गांगेय, कान्यकुन्ज, यमुनाक्षेत्र, सारस्वत क्षेत्र, कुंभा, आदिस्थान, वाल्मिकी, कश्यप देश, मुजारत, गिरीद्वार, बल्ज, कपिशा, कंदहार, परशुपुर, रूस, अटक, बलूचिस्तान, ईरान, शकस्थान, बृजिस्थान, पार्थिया, परसुदेश एवं कश्यप सागर आदि दुर्गम क्षेत्रों में स्वयं जाकर आर्य-अनार्य जनों का राजनीतिक-सांस्कृतिक एकीकरण करने का काम किया।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि 9 तारीख को अक्षय तृतीया है, करोड़ों जनों के आद्य देव भगवान परशुराम जी के दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए।

HON. CHAIRPERSON: Shri Ravindra Kumar Pandey, Shri Sharad Tripathi, Shri P.P. Chaudhary, Shri Sudhir Gupta, are permitted to associate with the issue raised by Shri C.P. Joshi.

DR. PRABHAS KUMAR SINGH (BARGARH): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me an opportunity to raise a very important issue of my State relating to agriculturists.

Sir, I hail from Bargarh parliamentary constituency, where more than 70 per cent of people are farmers. Bargarh will now become a trial balloon for politicians of national importance. Nobody is going to address the real problems of farmers.

I want to appeal through you, Sir, to our hon. Agriculture Minister to give some subsidy to farmers.

Now-a-days, combine harvester is gaining popularity among the farmers of Odisha. The Government of India has devised the subsidy pattern of different agricultural machinery and implements except combine harvester for individual farmers. The most vital part of paddy cultivation happens to be harvesting which is not only cumbersome but also time and labour consuming. As per estimates, a sum of Rs.17,500 is spent on an average for harvesting one hectare of land by traditional method while only Rs.6,250 is spent when combine harvester is used. Besides, farmers can save a lot of time and utilize it for other purposes.

In this backdrop, I would like to impress upon the Government of India, through you, Sir, for the consideration of making a provision of 50 per cent subsidy limited to Rs.10 lakh for an individual ownership for the purchase of machine.

Thank you.

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

आपको जानकारी होनी चाहिए कि अभी हाल में ही केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री द्वारा यह घोषणा की गयी है कि वर्ष 2009 के पहले देश में पीएचडी हेतु रजिस्ट्रेशन प्राप्त अभ्यर्थियों को नेट परीक्षा में छूट

दी जाएगी। नेट में छूट देने की बात की घोषणा केन्द्र सरकार ने की है। बिहार के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में पीएचडी हेतु यूजीसी नियमावली को वर्ष 2009 में लागू नहीं कर, उसे वर्ष 2015 में लागू किया गया। इसके कारण वर्ष 2009 से 2015 के बीच लगभग 5,000 से भी ज्यादा छात्र पीएचडी किए हुए एवं रजिस्ट्रेशन प्राप्त ऐसे लोग भटक रहे हैं, जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। आपको आश्चर्य होगा कि इनमें से अधिकांश लोग कमजोर आय वर्ग के हैं। बिहार सरकार बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में यूजीसी नियमावली लागू कराने में पूर्णतः असफल रही है। बिहार सरकार के उदासीन रवैया के कारण विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षा का वातावरण पूर्णतः ध्वस्त हो गया है। इस कारण कई छात्र आत्महत्या करने को विवश हैं एवं बेरोजगारी के संकट से भी जूझ रहे हैं। हजारों छात्र बिहार से दिल्ली एवं अन्य राज्यों में पठन-पाठन हेतु पलायन करने को विवश हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप अपनी डिमाण्ड बोल दीजिए।

श्री अश्विनी कुमार चौबे: महोदय, एक मिनट समय दीजिए।

एक समय था जब बिहार के प्राचीन विक्रमशिला एवं नालन्दा विश्वविद्यालय में देश और दुनिया के लोग अध्ययन हेतु आते थे और वह शिक्षा का केन्द्र था।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : यह जीरो ऑवर है। आप अपनी डिमाण्ड मेंशन कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अश्विनी कुमार चौबे: महोदय, आज वहां से हजारों छात्र पलायन कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि जो उन्होंने वर्ष 2009 की बात कही है, वर्ष 2009 से 2015 के बीच जो भी छात्र पीएचडी रजिस्टर्ड हैं या जिन छात्रों ने उपाधि लिया हो या रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया हो, उनको नेट की छूट दी जाए। साथ ही, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में नालन्दा की तर्ज पर विकसित किया जाए। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : धन्यवाद।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री शरद त्रिपाठी, श्री सुधीर गुप्ता एवं श्री चन्द्र प्रकाश जोशी को श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

I have to tell you one thing. Now, we have completed the 'Zero Hour' list which contains the names of 20 people. I am going to allow almost all the

Members who are sitting here who wants to raise an issue. I would like to remind you one thing that you have to complete it within one minute.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): It is a very important issue. I wanted to raise it in the morning but luckily or unfortunately, I am not getting. Whenever I am putting in the draw, my name is not coming. This is the third day.

Sir, the United Nations General Assembly explicitly recognized the human right to water and sanitation and acknowledged that clean drinking water and sanitation are essential to the realisation of all human rights.

Safe drinking water is one of the most crucial problems of our country. The nation is reeling under unprecedented drought and drinking water crisis which is worsening day by day owing to an extended drought and depletion of groundwater.

Hubli-Dharwad cities in Karnataka and other villages enroute have been facing an acute drinking water problem for a long time. To solve this problem, Karnataka State had requested for diversion of 7.56 TMC water from Mahadayi river by undertaking the Kalasa Banduri Nala Project.

The Mahadayi river travels 35 kilometres in Karnataka and 82 kilometres in Goa before joining Arabian sea. Out of the total catchment area of 2.032 square kilometres catchment area in Karnataka is 375 square kilometres. As per the Central Water Commission in 2003, the yield in the Mahadayi river basin is 220 TMC. According to Karnataka's Water Resource Development Organisation, the yield in Karnataka basin is 44.15 TMC. Mahadayi's yield in Goa is 175 TMC. Karnataka's intended use of water for the Kalasa-Banduri project is only 7.56 TMC.

In principle, clearance for the project was accorded by the Union Ministry of Water Resources in its letter dated 30.04.2002 and the same was kept in abeyance by the Ministry in its letter dated 19.09.2002. The project ran into trouble when the then Government of Goa raised objections to the project claiming that the project would harm Goa's flora and fauna.

The Ministry of Water Resources constituted the Mahadayi Water Disputes Tribunal on 16.11.2010. The claim of the State of Karnataka for its share of around 37 TMC is pending before the Tribunal. Intervention of the hon. Prime Minister is requested to resolve the acute drinking water problem of the people of Hubli-Dharwad cities and other villages, and request the Karnataka State for diversion of 7.56 TMC water from Mahadayi river by undertaking the Kalasa Banduri Nala Project, may be agreed to, in interim.

In August, 2015 there was an all-Party delegation led by the Chief Minister to the Prime Minister on this issue to intervene and resolve the matter. There have been continuous protests by farmers' organizations for faster implementation of this project. Agitation by the people has been still continuing and delay in resolution of the problem may turn into a law and order problem for the State.

Therefore, I request that the hon. Prime Minister to intervene because such situation also arose earlier.… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri S.P. Muddahanume Gowda, Shri R. Dhruvanarayana, Shri B.N. Chandrappa, Shri B.V. Naik and Shri Abhijit Mukherjee are permitted to associate with the issue raised by Shri Mallikarjun Kharge.

श्री ओम बिरला (कोटा) : सभापति महोदय, सऊदी अरब में सऊदी-बिन-लादेन निर्माण कम्पनी के अंदर भारतीय मूल के 70 हजार कामगारों को उस कम्पनी ने छंटनी करके निकाल दिया है। इन 70 हजार कामगारों को पिछले आठ महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण उनके बच्चों की फीस, खाने की रोटी और रहने का इंतजाम नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं इन कामगारों को एग्जिट वीज़ा भी दे दिया गया है। मेरी सरकार से मांग है कि भारत सरकार के सऊदी अरब में जो काउंसलर हैं, वह सऊदी अरब में जाकर मिलें, उन कामगारों को वेतन दिलाने का काम करें और उस कम्पनी के खिलाफ वहां की सरकार के नियमों के तहत कार्रवाई करें क्योंकि उन 70 हजार कामगारों में से 25 हजार राजस्थान के हैं और राजस्थान के एक प्रमुख अखबार में यह खबर छपी है और यह बहुत ही चिंता की बात है कि किस तरीके से विदेशों में हमारे कामगारों के साथ अनजस्टिस किया जाता है और अवांछित और गलत तरीके से छंटनी करके एग्जिट वीजा दिया जाता है। इस सब की जांच होनी चाहिए और वहां की सरकार के कानून के तहत कार्रवाई की जाए।

HON. CHAIRPERSON: The hon. Minister wants to respond.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री सुधीर गुप्ता, श्री पी.पी. चौधरी, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री जगदम्बिका पाल, श्री शरद त्रिपाठी को श्री ओम बिरला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, इस विषय के बारे में कई माननीय सांसदों ने भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और कई सारे मेल्स इस बारे में माननीय सांसदों के पास आ रहे हैं, जो इस प्रकार की घटनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। श्री ओम बिरला, जो कोटा, राजस्थान से सांसद हैं, ने वेतनभोगी कामगारों की जो चर्चा की है, इस पूरे विषय के बारे में मैं विदेश मंत्रालय के पास जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजूंगा और जो भी इस बारे में आवश्यक कार्रवाई होगी, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मामला है और सऊदी अरब की सरकार से संबंधित है। इसलिए संबंधित मंत्रालय से बात करके जो भी उचित कदम होगा, हम उसको उठाने का प्रयास करेंगे।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The Government of India first issued and then withdrew a visa to Chinese dissident leader, Dolkun Isa. This *faux pas* only brought into focus the need to calibrate relations with Beijing. It is a conundrum with several equations to be resolved. Bandung Conference was held in 1956 which laid the foundation for Non-Aligned Movement. Subsequent flight of the Dalai Lama in 1959 to India led to bitter fall out in 1962 which has left the festering wound of a border dispute. Isa was invited for a conference at Dharamshala, the abode of Tibetan Government in exile and you cannot expect China to take it kindly. It calls him a terrorist, though he is a pro-democracy leader.

Sir, later Lu Jinghua, the well-known Tiananmen activist, who was about to board a flight from New York, was told that her Indian visa was off. Would China have behaved in this fashion? China has good relations with America despite US promoting democracy in China. When India has become a strategic ally of the United States, why is this flip-flop with China?

Beijing blocked India's attempt to declare Masood Azhar as an international terrorist at the UN and said that it is a bilateral one between India and

Pakistan. Why are we demonstrating our helplessness in dealing with China? There is a clear China-Pakistan coalition. We need a clear-cut China policy today, keeping in mind the Pakistan axis, uncertainties in the US and threats to India's economic welfare. One may say it is algebra of 21st century geo-politics. But algebraic problem is solved also by clarity. Thank you.

HON. CHAIRPERSON: S/Shri Bhairon Prasad Mishra, P.P. Chaudhary and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Bhartruhari Mahtab.

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं, जहां की आबादी लगभग 21 करोड़ है। उत्तर प्रदेश की सरकारों द्वारा 18 से 20 घंटे बिजली देने की घोषणा की जाती है, लेकिन वहां मात्र चार घंटे ही बिजली आती है। जिससे किसान भी बेहाल हैं, क्योंकि इतनी कम बिजली से खेतों में पानी भी नहीं लग पाता है। मेरा लोक सभा क्षेत्र मिश्रिख है, जिसकी दशा और भी ज्यादा दयनीय है। आज के समय में बिजली हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली न मिल पाने के कारण क्षेत्रों के विकास एवं रोजगार में बाधा उत्पन्न होती है।

अतः क्षेत्र में बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तथा क्षेत्र के विकास एंव रोजगार सृजन हेतु मेरा ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र मिश्रिख के अंतर्गत कस्बा गौसगंज, तहसील संडीला जनपद हरदोई के पास जो लखनऊ से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहां एक अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजैक्ट की स्थापना की जाए। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: S/Shri Sharad Tripathi, Jagdambika Pal and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Anju Bala.

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): Hon. Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to raise a very important issue. Human trafficking – forcing a person to sexual exploitation – is the largest growing criminal industry in India. There are approximately 1.2 million child sex slaves in India. The girls at an average age of 14 are the main victims of human trafficking.

These girls are sold, tortured, raped, drugged and exposed to pregnancy, abortions, HIV/ AIDS and other sexual diseases.

The National Crime Records Bureau data says that in our country human trafficking has increased by 65 per cent and more than 8,099 people were reported to be trafficked in 2014. The various modes of trafficking are – false job promises, kidnapping, begging, fraudulent marriages, sale of children, drug trafficking, etc.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please raise you demand.

SHRIMATI APARUPA PODDAR : Though the Home Ministry has Anti-Trafficking Nodal Cell in addition to Anti-Human Trafficking Units, which operate in 335 police districts, the Ministry of Women and Child Development is also implementing a programme called UJJAWALA to rescue and rehabilitate the victims of human trafficking.

I request the Central Government to direct the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Women and Child Development to take strict judicial actions on those involved in human trafficking to save the women and children from the sufferings. Thank you, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Gajendra Singh Shekhawat are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Aparupa Poddar.

श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा) : सभापति महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। देश की सभी शिक्षक कल्याणकारी समितियों द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है कि अप्रैल, 2005 के पश्चात शिक्षकों एवं शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई है, जिससे शिक्षकों एवं कर्मचारियों में भारी असंतोष व्याप्त है। उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा पेंशन ही होती है, इसलिए पेंशन को आगे जारी रखने की आवश्यकता है।

अतः मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि देश में सभी शिक्षकों एवं शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को पुनः पेंशन की सुविधा बहाल की जाए। धन्यवाद।

HON.CHAIRPERSON: Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Rekha Verma.

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR): Sir, I want to raise an important issue regarding lack of funding to technical institutions which come under the Ministry of Chemicals and Fertilisers.

There are two institutions. One is called CIPET – Central Institute for Plastic Engineering and Technology and another one is NIPER – National Institute for Pharmaceutical Education and Research.

CIPET has its centres at Vijaywada, Bhopal and Valsad. These centres do not have academic building, hostel building and technical infrastructure. So, they are functioning out of rented building.

For CIPET, the enrolment during 2014-15 was of 12,629 students for long-term training, but only 2,340 students completed it.

HON. CHAIRPERSON: Please mention your demand.

SHRI R. DHRUVANARAYANA: Yes, Sir.

Sir, NIPER has its centres at Ahmedabad, Guwahati, Raibareilly and Madurai. They also do not have any infrastructure.

So, I would urge upon the Union Government, especially the Ministry of Finance, to provide adequate funds to these centres so that they may develop their infrastructure.

HON. CHAIRPERSON : Shri Sankar Prasad Datta is permitted to associate with the issue raised by Shri R. Dhruvanarayana.

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : सभापति महोदय, मेरा मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों के स्वास्थ के प्रति बढ़ते खतरे से है। बागपत, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, सराहनपुर, गाजियाबाद जिलों से बहती हुई काली, कृष्णा और हिंडन नदियों के पानी में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि वहां इनके पानी में पशु-पक्षी भी पदार्पण नहीं करते हैं। वहीं लगभग 40-50 गांवों में भूमिगत जल भी अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। गांवों में प्रदूषि्त पानी से कैंसर, हैपाटाइटिस, शारीरिक विकृत्तियों आदि भयंकर बीमारियां नागरिको में बढ़ रही है। बागपत के गांगनौली, तमेलागढ़ी जैसे गांवों में दर्जनों लोग कैंसर से मर चुके हैं और लगभग सौ से ज्यादा लोग कैंसर से ग्रस्त हैं। नदियों के किनारे चलने वाली चीनी मिल, पेपर मिल एवं बूचड़खानों से निकलने वाले अपशिष्ट और गंदगी से इन नदियों का व आसपास के नालों का पानी अत्यंत प्रदूषित हो चुका है। मलकपुर शुगर मिल के पास बहने वाला नाला इतना गंदा है कि उसकी बदबू दूर-दूर तक वातावरण को

प्रभावित करती है। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग व नैशनल इंफॉर्मेटिक के जी.आई.एस. डिविजन तथा रिमोट सेंसिंग से पता चला है कि नदियों व नालों का पानी अत्यंत दूषित व खेती के काम का नहीं है। जमीन के नीचे का पानी भी अत्यंत प्रदूषित हो गया है और उसको ठीक करने में दशकों का समय लगेगा।

सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार एवं उसके राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की आपराधिक उपेक्षा एवं भ्रष्टाचार के कारण हजारों लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हैं तथा लाखों नागरिकों एवं पशुओं का स्वास्थ्य खतरे में हैं।

मैंने इस समस्या के बारे में सरकार को चिट्ठी लिखी थी। मेरा कहना इतना है कि नैशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के आदेश के बावजूद भी वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार का पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहा है। मेरा पर्यावरण मंत्री जी से यह आग्रह है कि जल्दी से जल्दी इस विषय में कार्यवाही की जाए।

HON. CHAIRPERSON: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Sudheer Gupta and Shri Chandra Prakash Joshi are permitted to associate with the issue raised by Dr. Satya Pal Singh.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Sir, our hon. Chief Minister, Shri Chandrasekhar Rao, has met the Prime Minister and has also written a letter raising the necessity to formulate a scheme to assist metropolitan cities in India to transform themselves into global cities. He cited the example of GHMC which is one of the fastest growing A-1 cities in the country. The CM said that unlike the other Metros like Mumbai, Hyderabad city is witnessing rapid horizontal growth in its peripheral areas. This requires huge infrastructural investment to extend infra facilities to peripheral areas.

The CM has also reminded the formula conceived by Dr. Isher Judge Ahluwalia Committee in 2011, where it was mentioned that Hyderabad requires Rs. 30,370 crore of investment in core services, apart from Rs. 1,264 crore *per annum* towards O&M costs. As per the detailed project reports, the GHMC needs about Rs.15,000 crore of investment to provide an acceptable level of services in water supply and sewerage alone to its citizens. Whereas its requirement for

signal-free corridors, under its much acclaimed Strategic Road Development Project (SRDP), worked out to be Rs. 20,661 crore.

In view of this, our CM has requested to devise a scheme for significant funding to the expanding A-1 cities like Hyderabad to revamp their infrastructure needs, especially in water supply, drainage, transportation, SWM etc. The CM, making a point, said that unless the Government of India devises a new scheme to fund the requirements of big metros like Hyderabad, it would be difficult for the Government of Telangana to fund the growing requirements of Hyderabad City.

Against the above backdrop, the CM has requested that the Government of India should consider giving at least Rs. 500 crore to Rs. 600 crore per year for each of the six major metropolitan cities of India, including Hyderabad instead of clubbing them for a Comprehensive Development of Hyderabad Urban Agglomeration besides declaration of six metropolitan cities as global cities. Thank you very much, Sir.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम सबको आपने जो किस्मत ने अवसर नहीं दिया, ऐसा अवसर देने की कृपा की है।

महोदय, मैं पिछले दस दिन से इस महत्वपूर्ण विषय को सदन के संज्ञान में लाने के लिए प्रयास कर रहा था। यह विषय बंधुआ और बाल मजदूरों की मुक्ति और उनके पुनर्वास के सम्बन्ध में है। एक आस्ट्रेलियन एनजीओ ने अभी सर्वे किया और यह बताया है कि हिन्दुस्तान में अभी भी परम्परागत रूप से सामाजिक और आर्थिक कारणों से अनेक बच्चे और अनेक लोग बंधुआ मजदूर के रूप में काम करते हैं। कालीन के उद्योग में, ईंट-भट्टे के उद्योग में, कृषि के क्षेत्र में, आर्गनाइज्ड प्रास्टिटूशन और फोर्स्ड प्रास्टिटूशन के क्षेत्र में या आर्गनाइज्ड बैगरी के क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे लोग पीड़ित और शोषित हैं।

महोदय, देश की सरकार ने वर्ष 1975 में पहली बार बीस सूत्रीय कार्यक्रम में इनकी मुक्ति और पुनर्वास को हाथ में लिया था, इसको प्राथमिकता देकर काम शुरू किया था। उसके बाद में ऐसे पुनर्वास के लिए चार हजार रूपए का प्रावधान किया गया था, जिसको भारत सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों मिलकर 50:50 कान्ट्रिब्यूट करती थीं। चार हजार के बाद में साढ़े छह हजार हुआ, दस हजार हुआ, बीस हजार हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत की सरकार को कि वर्तमान सरकार ने इस पैकेज को बढ़ाकर एक लाख रूपए जरनल के लिए, गर्ल्स चाइल्ड के लिए और जो स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए दो लाख रूपए और दिव्यांगों के लिए तीन लाख रूपए पुनर्वास का प्रावधान किया है। इस प्रावधान के कारण

बाद में एक समस्या जनित हुई है, वह यह है कि भारत सरकार के इस नए प्रावधान के बाद में पुनर्वास का पैसा उसको उस समय मिलता है, जब पहली बात तो यह कि पुनर्वास के लिए सरकार ने जो, जिसका पुनर्वास किया गया है, उसका क्या पुनर्वास हुआ और किस तरह से हुआ है, इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। दूसरा, जो पर्पेट्रेटर है, उसको सजा दे दी गई है, इसका प्रावधान हो जाए और कितनी सजा दी गई है, यह तय हो जाए, इसके बाद ही भारत सरकार पैसा रिलीज करती है। भारत सरकार ने उसके लिए एक नियम बनाया है कि पाँच लाख रूपए का कॉर्पस फंड हर कलेक्टर के पास में बनेगा। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह इन नियमों में रिलैक्सेशन करे और साथ ही देश भर के कलेक्टर्स से इस बात की रिपोर्ट मँगाई जाए कि किसने वह कॉर्पस फंड बनाया है ताकि उनका पुनर्वास सुनिश्चित हो सके।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सुधीर गुप्ता और श्री पी.पी. चौधरी को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): Chairman, Sir, I would like to mention here about a very unfortunate incident.

We all know that the Allahabad University is one of the Central Universities. In all the Universities, registration for entrance is allowed both online and offline, but in the Allahabad University the students are not allowed to register their entrance offline. There, the students were protesting against the decision of the University. On 2nd May, under the order of the Administration, brutal lathicharge has been organized upon the students. Further, the President of the Union, Ms. Richa Singh, was also injured. This way, the VC is not giving any audience to the elected Students Union there.

So, my categorical demand is that the students may be allowed offline registration for their entrance like in other Central Universities. Secondly, due cognizance should be given to the elected Students Union. Thirdly, an inquiry should be instituted against this incident. Thank you.

HON. CHAIRPERSON: Shri Md. Badaruddoza Khan, Shri Sankar Prasad Datta, Shri Sharad Tripathi and Shri Jagdambika Pal are permitted to associate with the issue raised by Shri Jitendra Chaudhury.

श्री रामस्वरूप शर्मा (मंडी) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं आभारी हूँ माननीय भूतल परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को 3 फोरलेन, 8 नेशनल हाईवे व सुरंगों के निर्माण हेतु धनराशि जारी की तथा फोरलेन, हाईवे, सुरंगों के काफी कार्य आरंभ हुए। इन निर्माण कार्यों से विस्थापित हो रहे प्रदेश के किसानों, बागवानों व विस्थापितों को 4 गुना मुआवज़ा देने की घोषणा की व राशि भी जारी कर दी है जिसके लिए पूरा प्रदेश माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी व श्री नितिन गडकरी जी का आभारी है।

माननीय सभापति जी, इन निर्माण कार्यों से हज़ारों लोग विस्थापित हो रहे हैं। उनकी दुकानें, घर व अनमोल ज़मीनें उजड़ रही हैं, लेकिन हिमाचल की सरकार आँखें मूँदकर बैठी है व किसानों, बागवानों व विस्थापितों को 4 गुना मुआवज़ा नहीं दे रही है।

माननीय सभापति जी, आज़ादी मिलने के बाद भारत का जो नव निर्माण होना चाहिए था, वह 60 वर्षों के शासन के बाद कांग्रेस नहीं कर पाई। जब हमारी सरकार किसानों के हितार्थ भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाई तो कांग्रेस व इनके सहयोगी दलों ने संसद की कार्यवाही रोक दी। कांग्रेसी तथाकथित नेता कंधे पर हल लेकर प्रदर्शन करने लगे थे। माननीय सभापति महोदय, हिमाचल सरकार विस्थापितों को निर्धारित मुआवज़ा नहीं दे रही है। कांग्रेस व इनके सहयोगी दलों ने संसद रोककर जो ड्रामा किसानों के हितों के लिए किया था, अब उसकी पोल हिमाचल प्रदेश में खुल रही है। हिमाचल की सरकार प्रदेश के किसानों व बागवानों के साथ जो अन्याय कर रही है, मेरी आपसे विनती है कि ये तथाकथित नेता जो संसद रोककर किसानों के हित की बात करते थे, उन्हें हिमाचल प्रदेश भिजवाइए ताकि वहाँ जाकर धरना प्रदर्शन करें ताकि वीरभद्र सरकार किसानों को मुआवज़ा दे और चार गुना मुआवज़ा किसानों को मिल सके।

माननीय सभापति : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रामस्वरूप शर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : सभापति जी, मेरे रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले में बहुत बड़ा समुद्री क्षेत्र है और वहाँ समुद्री क्षेत्र में कई जगह मछुआरे फिशिंग करने का काम करते हैं। सिंधुदुर्ग जिले में देवगढ़ तहसील में आनंदवाड़ी नाम का बंदरगाह सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। एक सुरक्षित बंदरगाह का विकास करने के लिए वहाँ फिशरीज़ हार्बर बनाने का एक प्रस्ताव महाराष्ट्र शासन की तरफ से बनाया गया। केन्द्र सरकार के कृषि और किसान कल्याण केन्द्र के माध्यम से यह फिशरीज़ हार्बर बनाने का काम करने वाले हैं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 2015 को केन्द्र सरकार के कृषि और किसान कल्याण केन्द्र विभाग के पास यह प्रस्ताव आया है, लेकिन आज तक उस पर निर्णय नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि मछुआरों के हित के लिए आनंदवाड़ी प्रकल्प जो देवगढ़ में सिंधुदुर्ग जिले में है, उसे तुरंत मान्यता दें और मछुआरों की मदद करें।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : सभापति जी, मैंने पाँच बार यह मामला डाला लेकिन आज नंबर आया है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप एक मिनट में कंप्लीट करें।

श्री रमेश बिधूड़ी : सर प्लीज़, यह बहुत सैंसिटिव विषय है।

माननीय सभापति : आप जो कुछ भी बताते हैं, सैंसिटिव ही होता है।

श्री रमेश बिधूड़ी : महोदय, मैं दिल्ली फायर सर्विसेज़ के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। दिल्ली आग के गोले पर बैठी हुई है। दिल्ली सरकार के मुख्य मंत्री ...* करते रहते हैं। दिल्ली फायर सर्विस उनके अंडर आती है। उसकी तरफ सवा साल से उन्होंने चिन्ता नहीं की। अभी कुछ दिन पहले फिक्की हाउस में आग लग गई। दिल्ली में पिछले साल 23200 आग लगने की घटनाएँ हुई थीं, जो इस साल 27000 हो गई हैं। वे दिल्ली पुलिस की डिमांड करते हैं, वे हायर एजुकेशन की डिमांड करते हैं, लेकिन जो उनके अंडर ड्यूटीज़ हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली में फायर सर्विस के काम करने के तरीके पर स्पट रूप से उनकी कमी को दर्शाया है और कहा है कि यह सर्विस जो दिल्ली सरकार के अधीन आती है, वहाँ पर उनकी जो रिक्रुटमैंट है, वहाँ पर 3600 लोगों की रिक्रुटमैंट है काम करने की। केवल 322 ड्राइवर हैं और ऑड-इवन के नाम से अनेक लोग डैप्यूट कर दिए गए और उनको तनख्वाह दी गई, यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली के मुख्य मंत्री को बार-बार निवेदन करने के बाद भी जिस तरह बरसात से पहले नालियाँ साफ करने की व्यवस्था होती है, उसी प्रकार से बिल्डिंगों की जाँच होनी चाहिए, उसका स्टाफ नहीं है। उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लैफ्टिनैंट गवर्नर दिल्ली सरकार के हैड होते हैं। Just listen to me sir. ...(व्यवधान) वह ...* करते हैं कि प्रधान मंत्री मेरे काम में अड़ंगा डाल रहे हैं, इसलिए एल.जी. साहब डर जाते होंगे, लेकिन एन.सी.टी के पूर्ण रूप से हैड एल.जी. होते हैं। एल.जी. इसमें इंटरफियरैन्स करें और जो दिल्ली सरकार के काम हैं, उन पर ध्यान दें। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री को कहना चाहता हूँ कि वे एल.जी. को कहें कि वे घबराएँ नहीं इस बात को लेकर, वे दिल्ली के हैड हैं।

महोदय, दिल्ली फायर के अंदर 15 नंबर गली में एक मकान में आग लग गई। एक माता अपने छोटे बच्चे को ताला बंद करके सोता हुआ छोड़कर सब्ज़ी लेने चली गई। बच्चे ने किचन खोल दिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। गली में मकान 400 मीटर अंदर था लेकिन फायर सर्विस का 200 मीटर का पाइप था। वहाँ पर 13 साल का बच्चा मर गया। जिस प्रकार की सैंसिटिव सरकार होनी चाहिए, वैसा काम वह

* Expunged as ordered by the Chair.

नहीं कर रही है। इसलिए केन्द्र सरकार बगैर चिन्ता किए हुए लैफ्टिनैंट गवर्नर को ऑर्डर करके वहाँ पर उनको बचाने के लिए दखलंदाज़ी करे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सुधीर गुप्ता को श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the distressing drought situation in several States, including Andhra Pradesh and Telangana.

Due to scanty rainfall and consecutive droughts for the past three years, States are reeling under drought situation. According to Press reports, the Centre has released Rs. 4,000 crore for seven drought-hit States from the National Disaster Relief Fund (NDRF), and Andhra Pradesh has received Rs. 280.19 crore. I do not know how much other States have got. I would request you to please release more funds for drought and drinking water.

The water table has come down deeply. Villagers are walking a few kilometres from their homes to fetch drinking water every day. They are taking bath once in ten days. There is migration of villagers from rural areas to urban areas in search of livelihood, mainly heading towards construction work.

In order to discourage migration of villagers from rural areas to urban areas, I would suggest that additional days of work under MGNREGA to households in drought affected areas be provided immediately. There is a severe fodder shortage for animals. That means higher production costs for producing milk particularly in Rayalaseema area. Our State Government has released Rs.3 crore.

Therefore, what is required to be done is long term solution. The Government should encourage rain water harvesting; rather it should be made mandatory. The Government should not allow private contractors for digging bore wells but only certified contractors should be allowed. In every rainy season the Government should finance and motivate citizens to plant more and more trees. At the same time, the rain water should not be released into the sea. It should be

stored in tanks, ponds and dams. The allocation of budget for irrigation should be enhanced considerably.

I hope that the Government will pay attention to my suggestions and tackle the drought situation under the able leadership of the hon. Prime Minister.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं एक अत्यन्त लोक महत्व और तात्कालिक विषय की तरफ, जो अविलम्बनीय भी है, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

देश में अपने संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार और डायरैक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्वों के तहत देश की जनता को मौलिक अधिकार और उनको सुविधाएं मिलती हैं। हमारी सरकार ने राइट टू एजुकेशन के अन्तर्गत 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन के लिए पूरे देश के संघीय ढांचे में राज्यों की मदद की है और राज्यों से अपेक्षा करती है कि हर ब्लॉक लेविल पर एक मॉडल स्कूल हो और जिसमें 6 वां से 14 वां के बच्चों को, जिस तरह से अच्छे स्कूलों में, सी.बी.एस.ई. के स्कूलों में उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती है, उसी तरह से गांव में रहने वाले ग्रामीण बच्चों का भी एक हक और हुकूक बने कि उन्हें भी कम से कम देश की प्रतिस्पर्धा में, बराबरी में खड़ा होने का मौका मिले।

मैं आपसे एक मांग करता हूं। आपने मांग के लिए तो हमसे कहा ही नहीं, सबसे तो आप मांग के लिए कह रहे थे।

माननीय सभापति: आप तो इतने सीनियर हैं, आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं मांग करता हूं कि जो उन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो अनुदेशक के रूप में हैं, उन अनुदेशकों को कई महीनों से मानदेय नहीं मिल रहा है, जबकि वे शिक्षकों की तरह से काम करते हैं और हमारी सरकार ने फैसला किया है कि समान काम के लिए समान वेतन हो तो जो उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुदेशक के रूप में उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं या देश में काम कर रहे हैं, उनको शिक्षक के रूप में उनकी तनख्वाह दी जाये।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री शरद त्रिपाठी, श्री सुधीर गुप्ता, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री पुष्पेन्द्र कुमार चन्देल को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाये गये विषय पर सम्बद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): Hon. Chairman, Sir, I thank you very much for giving me an opportunity. My specific demand is for setting up three planetariums, one at Gopalpur, second at Baripada and third at Jeypore in Odisha.

The Government of Odisha in 2015 had written a letter to the Central Government for setting up three planetariums and demanding for some allocations. But no step has been taken so far for this allocation. My request is, through you, to urge upon the Minister to consider the proposal and to take necessary action to provide required financial assistance to the Odisha Government for the proposed setting up of the planetariums at the earliest.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): माननीय सभापति जी, मेरठ में बंगला नम्बर 210बी, वैस्टर्न रोड, मेरठ कैण्ट में स्थित ओल्ड ग्राण्ट भूमि है। इस बंगले को फ्री होल्ड की रजिस्ट्री द्वारा अपने स्वामित्व में बताते हुए एक निजी बिल्डर ने वर्ष 1992 से 1995 के बीच प्लाट बनाकर 96 व्यक्तियों को बेच दिया। जीवन भर की कमाई लगाकर इन क्रेताओं में से 50 ने अपने मकान तथा 46 ने अपनी दुकान बना लिये। निर्माण का यह कार्य वर्ष 1992 से 2005 के बीच लगभग 13 वर्ष तक चलता रहा। स्वाभाविक है कि भूमि निर्माण का इतना बड़ा कार्य अधिकारियों की अनुमति तथा संरक्षण के बिना सम्भव नहीं था। अब माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सभी निर्माणों के ध्वस्तीकरण के आदेश कर दिये हैं, जिसके कारण बंगला नम्बर 210बी के निवासी अत्यधिक तनाव में हैं तथा जीवन भर की कमाई से निर्मित अपने आशियानों के छिन जाने की आशंका से भयभीत हैं। ...(व्यवधान) मैंने बहुत छोटा कर दिया है, बस थोड़ा समय दीजिए।

मुम्बई के विक्रोली में 1957 की विवादित जमीन पर बनाये गये निर्माणों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के अनुरोध पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने 30 जनवरी, 2014 को दिये गये निर्णय में कहा है कि दशकों तक सोती रही सरकार की गलती का खामियाजा वे लोग क्यों भुगतें, जिन्होंने अनजाने में किसी विवादित जमीन पर बने निर्माणों में अपनी जीवन भर की कमाई लगा दी हो। कैण्ट एक्ट, 2006 की धारा 248 की बिल्डिंग रैगुलेशन स्कीम के अधीन इन सभी निर्माणों को कम्पाउण्डिंग करतें हुए नियमित किया जा सकता है। मेरा आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री से अनुरोध है कि इस मामले में वे हस्तक्षेप करें तथा नियमानुसार कम्पाउण्डिंग इत्यादि कराते हुए बंगला नम्बर 210बी में बने निर्माणों को बचाने के आदेश देने की कृपा करें तथा जिन अधिकारियों के रहते हुए उपरोक्त निर्माण किये गये, उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई करें।

माननीय सभापति : श्री सुधीर गुप्ता और श्री पुष्पेन्द्र कुमार चन्देल को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाये गये विषय पर सम्बद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

I would like to tell you that there are still more than 20 Members. You have to complete it within one minute. After that, I will call the next Member.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। आपको पता है कि वर्ष 1975 से लेकर वर्ष 1977 के बीच देश में इमरजेंसी लगी थी और बहुत सारे लोगों को मीसा एक्ट के तहत जेलों में बंद किया गया था। इसमें बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गयी थी और बहुत सारे लोगों का धंधा और कारोबार बिगड़ गया था। इन सारे लोगों की केन्द्र सरकार से मांग थी कि उनकी ओर से उन्हें एक पहचान-पत्र दी जाए और उन्हें कुछ मानदेय दिया जाए। मुझे इस बात की खुशी है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखण्ड जैसे राज्यों में उन्हें 10,000 रुपए से 25,000 रुपए की राशि प्रति माह दिया जा रहा है।

मेरी सरकार से मांग है कि देश के सारे ऐसे लोगों को यह राशि मिलनी चाहिए और उनकी एक संयुक्त पुस्तिका बनाई जाए। उन दिनों में इसमें प्रिंट मीडिया के लोगों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था। उनका भी नाम इसमें लिया जाए। केन्द्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को इसके लिए मैचिंग ग्रांट दिया जाए, क्योंकि राज्य सरकारों के ऊपर इसका बहुत ज्यादा लोड आ रहा है। इसलिए केन्द्र सरकार को इसके लिए राज्यों को देना चाहिए। यही मेरी मांग है।

HON. CHAIRPERSON : Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Bhairon Prasad Mishra and Shri Sudheer Gupta are permitted to associate with the issue raised by Shri Gopal Shetty.

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Hon. Chairman, Sir, I would like to draw the attention of the House to an important subject that hampered the honour of this august House. On 23rd April in a press conference, one photoshopped picture was shown superimposing the face of CPI(M) Politburo member and former General Secretary Shri Prakash Karat on the face of hon. Prime Minister standing with hon. Home Minister by a sitting Member of Parliament to malign the image of CPI(M) Party and its leader. Showing this picture, that MP told the press that this was his most favourite picture. After this press conference, the picture became viral in social media. After coming to know of the facts, everybody condemned such false propaganda. It is an ill attempt which hampered the clean image of CPI(M) Party and its top veteran leader. Not only that, it also damaged the honour and dignity of this House as both the hon. Prime Minister and hon. Home Minister are sitting Members of this House.

I urge upon the Speaker that being the custodian of this House to protect the dignity and honour of this House and please take appropriate action against that Member of Parliament. He is a Member of the Upper House.

HON. CHAIRPERSON : Shri Sankar Prasad Datta and Shri Jitendra Chaudhury are permitted to associate with the issue raised by Shri Md. Badaruddoza Khan.

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण (दिंडोरी) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्याज की प्राइस की बर्निंग इश्यू के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे संसदीय क्षेत्र दिंडोरी में प्याज एक मुख्य कैश क्रॉप है। इस साल कम बरसात होने के कारण ऐसा लग रहा था कि इस बार प्याज के भाव काफी बढ़ जाएंगे। परन्तु, यह देखा गया है कि फरवरी के बाद आने वाली प्याज की फसल उम्मीद से ज्यादा हुई। मेरे संसदीय क्षेत्र दिंडोरी में स्थित प्याज एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव में है। आज लासलगांव में प्याज 600-700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में मिल रहा है, जबकि बिजली, उर्वरक की कीमत और मज़दूरी में बढ़ोतरी होने से आज प्याज की उत्पादन कीमत कम से कम 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से भी ज्यादा हो गयी है, जिसके कारण प्याज उत्पादन करने वाले किसानों को उत्पादन लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर, न्यूनतम निर्यात मूल्य का निर्धारण न होने से गल्फ देशों को प्याज का निर्यात दूसरे देश कर रहे हैं। कल सरकार ने सदन में प्याज खरीदने की बात की है। किसानों से यह प्याज दो हजार रुपए प्रति क्विंटल की कीमत में लिए जाने की मांग मैं सरकार से करता हूं। तभी किसानों को न्याय मिल सकता है।

HON. CHAIRPERSON: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Harishchanda Chavan.

श्री छोटेलाल (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में हमारे संसदीय क्षेत्र राबर्ट्सगंज में एक नहीं, बल्कि चार-चार हत्याएं हुई हैं। वह हत्या एक ही जगह हुई है, एक ही जगह मारा गया और फूंका गया। इससे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र में बने नवनिर्मित फ्लाईओवर पर तीन विद्यार्थी छात्र व एक युवती की हत्या कर जला दिया गया है। तीनों छात्र व एक युवती को इतने बुरे तरीके से जलाया गया, उनके ऊपर पेट्रोल-डीज़ल को इतनी भारी मात्रा में गिराया गया था कि वे बुरी तरह से जल गए थे। पुलिस कोतवाली, राबर्ट्सगंज ने हत्या का मुकदमा दर्ज़ नहीं किया। सपा के नेताओं के दबाव में आकर पुलिस उसे एक्सीडेंट बता रही है और मृतकों के अभिभावकों द्वारा लिखित तहरीर देने के बावजूद भी ऐसा नहीं कर रही है।

मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसकी सी.बी.आई. जांच कराई जाए और सच्चाई सामने लाई जाए।

HON. CHAIRPERSON : Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Chhotelal.

SHRI ABHIJIT MUKHERJEE (JANGIPUR): Mr. Chairman, Sir, through you I would like to draw the attention of Government of India particularly of the Ministry of External Affairs to a matter of urgent public importance. Indo-Bangladesh Water Sharing Treaty through Farakka Barrage has to be relooked. Recently due to the low level of water in the reservoir there and lack of water in the intake channel of NTPC, an NTPC plant was shut down for almost ten days. There is an agreement between the Government of India as well Bangladesh to supply power to Bangladesh and NTPC produces the same power.

My demand is that it has to be renegotiated so that the minimum water level is maintained in the reservoir and the intake channel as well as the level of downstream to the Ganges right from Jangipur to Gangasagar is maintained. Right now, it is ten feet low. Thank you.

HON. CHAIRPERSON: Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Abhijit Mukherjee.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि इस भयानक सुखाड़ में रेल के द्वारा पीने के पानी को भिजवाने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि झारखंड प्रदेश में हमारे गिरिडीह लोक सभा क्षेत्र में सीसीएल और भारत कोकिंग कोल का करोड़ों लीटर पानी, करोड़ों गैलन पानी अंडर ग्राउंड में पड़ा हुआ है। हम लोगों ने माननीय मंत्री से बात की, चेयरमैन साहब से बात की कि यहां से डी-वाटरिंग करके अगल-बगल के गांवों में तालाब में या पाइपलाइन द्वारा भी हम जलापूर्ति कर सकते हैं। आज की तारीख में नदी सूख रही हैं, बाकी जो बचा हुआ पानी है, अगर हम उसे नदी में निकाल देते हैं तो नदी का भी वाटर लेवल बढ़ेगा और जितने चापानल पानी के बगैर खराब पड़े हुए हैं, उनमें भी वाटर लेवल उठेगा।

सभापति महोदय, दुर्भाग्य है कि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके माध्यम से हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि अविलम्ब कोयला मंत्री जी को आदेश दिया जाए कि वहां की डी-वाटरिंग करवा कर वहां के ग्रामीणों को पानी दिया। यही आपसे निवेदन है।

HON. CHAIRPERSON: Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Ravindra Kumar Pandey.

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : सभापति महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा सूखा राहत गतिविधियों के लिए 10,537 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता के लिए भारत सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसके विरूद्ध केवल 1,193 करोड़ रुपए ही स्वीकृत हुए। इसके अलावा पशु संरक्षण गतिविधियों के लिए 1,043 करोड़ रुपए की मांग की गई थी जिसके विपरीत भारत सरकार द्वारा पशु संरक्षण गतिविधियों के लिए कोई भी राशि स्वीकृत नहीं की गई।

अतः आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को सहायता शीघ्र उपलब्ध करवाए।

HON. CHAIRPERSON: Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Bhairon Prasad Mishra and Shri Sudhir Gupta are permitted to associate with the issue raised by Shri P.P. Chaudhary.

SHRI BHEEMRAO B. PATIL (ZAHEERABAD): Hon. Chairperson, I am glad to know that the Government is setting up new AIIMS hospitals in a phased manner in various States under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana.

In this regard, I would like to bring to your kind notice that Telangana is a backward State and newly formed. At present, health services are very poor in Telangana and there is need to set up an AIIMS-like hospital without further delay.

It is a known fact that there is a need to balance the health atmosphere in Telangana for which AIIMS-like hospital will cater to the needs of the Telangana people. In this Budget session, it was not taken up. I request the hon. Minister of Health and Family Welfare and the Minister of Finance to consider setting up an AIIMS-like hospital-cum-teaching institute in Telangana in the next Budget session so that the people of Telangana can avail medical services and medical education.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में लखनऊ (ऐशबाग) से पीलीभीत तक अमान परिवर्तन का कार्य हो रहा है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लखीमपुर-रजवहा मार्ग पर खीरी टाउन और लखीमपुर रेलवे स्टेशन के मध्य रेलवे लाइन कि0मी0 132/ 10-11 पर स्थित मानव रहित समपार सं0

119/सी को रेलवे द्वारा मानव युक्त कर दिया गया है। इस समपार में लगा बैरियर जिसकी लम्बाई 8.90 मीटर है, जिसके कारण मार्ग के एक ही भाग में यातायात चल पा रहा है।

महोदय, इसका प्रमुख कारण रेलवे बोर्ड द्वारा 09.01.2012 को जारी दिशा-निर्देश के अनुसार (पत्र सं0 2006/1) के द्वारा नए समपार बनाना प्रतिबन्धित है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से दिनांक 09.01.2012 को जारी दिशा-निर्देश को रद्द करके रजवहा के दोनों तरफ के मार्गों को एक ही तरफ मार्ग करके 23 मीटर का एक बैरियर अथवा मार्ग के दूसरी तरफ 8.90 मीटर का दूसरा बैरियर लगाकर नया समपार मार्ग प्रारम्भ करने की मांग करता हूं।

HON. CHAIRPERSON: Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Sudhir Gupta are permitted to associate with the issue raised by Shri Ajay Misra Teni.

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : सभापति महोदय, 28 अप्रैल, शाम को पांच बजे कोचीन में ....*लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसे चाकुओं से बहुत ज्यादा गोदा गया, काटा गया कि उसकी अंतड़ी भी बाहर आ गई। वर्ा 2012 के निर्भया वाले कांड से भी कहीं ज्यादा वीभत्स यह कांड है। यह ऐसे दौर में हो रहा है, जब केरल में चुनाव हो रहा है। केरल में मूलतः कांग्रेस और वहां का लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का डॉमिनेशन रहा। खास तौर से, उसमें एक विशेष पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट बनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी, आज जे. पी. नड्डा जी और रूड़ी जी के नेतृत्व में हम लोग इलेक्शन कमीशन से मिले और उनसे आग्रह किया कि पैरामिलिट्री फोर्सेज की निगरानी में वहां पर चुनाव किया जाना चाहिए। इस तरह से केरल में दलितों के ऊपर अत्याचार केरल में हो करके उनको डराया जा रहा है। अभी हाल में मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने आरक्षण पर कुठाराघात किया। इस तरह से उन लोगों को पर चारो तरफ से कुठाराघात हो रहा है।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री उदित राज द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): Hon. Chairman, Sir, drastic cut in interest on small savings affects millions of widows, girl children, retired persons and VRS retirees who are dependent on interest income to meet their day to day expenses. These people do not get DA-linked pension and hence their interest income is fixed. Every year, due to inflation, they have to adjust their

* Not recorded.

expenses or have to increase their investments. Now, with the reduction in interest rates, they will find it difficult to meet regular expenses and hence I request the intervention of Finance Minister to restore old interest rates for all the schemes. As we see, even in Sukanya Samridhi Yojana for girl children the interest rates came down to 8.6 per cent from 9.3 per cent. In the senior citizen savings schemes, interest rates have come down to 8.6 per cent from 9.3 per cent. My specific demand to the Finance Minister is that all the interest rates should be restored as earlier.

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा) : सभापति महोदय, रीवा जिले के नेशनल हाइवे क्रमांक से 27 से मझगांवां से चाक के बीच फोर लाइन के निर्माण का कार्य चल रहा है। उस निर्माण एजेंसी और कॉन्ट्रैक्टर के बीच विवाद की वजह से निर्माण कार्य रूका हुआ है। अगर अभी वहां निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया तो बरसात में वह मार्ग अवरुद्ध हो जायेगा क्योंकि पहले वाले मार्ग को पूरी तरह से खोद डाला गया है और दूसरा को वैकल्पिक मार्ग नहीं है।

मेरा केन्द्र सरकार और परिवहन मंत्रालय से अनुरोध है कि बरसात के पहले उस मार्ग का निर्माण कार्य कम से कम इतना का दिया जाये कि वह चलने लायक हो सके। अगल-बगल प्रधानमंत्री योजना की जिन सड़कों को बर्बाद किया गया है, उन सड़कों का भी निर्माण केन्द्र सरकार करे। जयहिन्द।

श्री राम टहल चौधरी (राँची) : सभापति महोदय, मैं रांची निर्वाचन क्षेत्र से चुन कर आया हूं और आपके माध्यम से सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण लोक महत्व का प्रश्न रखना चाहता हूं। रेलवे मंत्री रांची गये थे, उनके प्रवास के समय में वहां के लोगों ने मांग किया था कि रांची से अर्नाकुलम भाया चेन्नई और भेल्लोर होते हुए एक रेल गाड़ी चालाई जाये। उन्होंने इसके लिए आश्वासन भी दिया था। अखबार में उसके लिए टाइमिंग भी आ गया कि ट्रेन इतना समय से इतना समय तक चलेगी। लेकिन, दुर्भाग्य है कि आज छः महीने बीत जाने के बाद भी यह आश्वासन पूरा नहीं किया गया। वहां के यात्रियों की टिकट महीनों भर वेटिंग लिस्ट में रहती है, एक गाड़ी चलती है।

मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि रेल मंत्री जी जो घोषणा की है, उसे पूरा किया जाये। खासकर, बीमार लोग, विद्यार्थी एवं अन्य तरह के लोगों का आना-जाना है। हमारा आपसे आग्रह है कि रेलवे मंत्री जी ने जो घोषणा की है, उसे अविलंब पूरा करें, वहां शीघ्र रेल चलाई जाये। धन्यवाद।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जनपद बांदा के ऐला ग्राम पंचायत के मुंगु मजनार में रहने वाले दलित परिवार के सदस्य श्री नत्थू की मृत्यु कई दिनों से उसके घर में राशन नहीं होने के कारण, खाली पेट रहने से हो गई है। उसके घर में कई दिनों से राशन नहीं था। उसके छः बच्चे हैं।

उसकी उम्र 40 वार्तष् थी, वह भूमिहीन था। उसका निजी मकान भी नहीं था। वह रिस्तेदारों के दिए गऐ कच्चे खपरैल मकान में रह रहा था। उसकी मृत्यु का मुख्य कारण उसको समय से राशन नहीं मिल पाना है। क्योंकि राट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत मिलने वाले राशन व अन्य राहत सामग्री प्रदेश में काबिज सत्ता पार्टी के नेता बांटते हैं। जब तक उसके दल के पदाधिकारी फोटो नहीं खींचवा लेते तब तक राशन नहीं मिलता है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस विषय को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार से बात कर उस मृतक परिवार को आर्थिक सहायता कम से कम 20 लाख रुपये तथा उसके परिवार के भरण-पोाण करने के पर्याप्त निर्देश देने की कृपा करें।...(व्यवधान) ऐसी घटना की पुनरावृति न हो, इसके लिए समुचित उपाय किए जाएं तथा अभी तक जो राहत राशि सबको नहीं बंटी है, वह शीघ्र उपलब्ध कराई जाए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: कुंवर पुष्पेंद्र चंदेल को श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री भगवंत खुबा (बीदर): सभापति महोदय, मैं आपको दो बार धन्यवाद करता हूं। मुझे कम से कम तीन मिनट बोलने दीजिए क्योंकि बहुत कम बार बोलने का मौका मिलता है। ऋषियों और महापुरुषों को स्मरण करना हमारे देश की परम्परा रही है। महापुरुा महात्मा बसवेश्वर जी का आने वाली 9 तारीख अक्षय तृतीय में जन्म दिवस है। उस दिन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जयन्तोत्सव का आचरण करना चाहिए। पार्लियामैंट के अंदर उनकी जो मूर्ति लगी हुई है, स्पीकर महोदया द्वारा उसका आचरण करना चाहिए क्योंकि महात्मा बसवेश्वर जी ने जिस वक्त जाति के बारे में बहुत ऊपर-नीचे हो रहा था, अस्पृश्यता, अंधकार और स्त्री-पुरुाों के बीच अंतर की दृष्टि से दुनिया देखती थी, स्त्री और पुरुषों को समानता दी। 12वीं शताब्दी में अनुभव मंडप द्वारा आज विश्व में जो पार्लियामैंट है, उसके जनक अनुभव मंडप है। अनुभव मंडप में सभी जाति, धर्म और व्यवसाय के लोग 770 सदस्यों के साथ अल्लम प्रभु जी स्पीकर के नाते वहां काम करते थे। इसीलिए उन महापुरुष की जयन्ती का आचरण करना चाहिए, मेरी यह विनती और मांग है।

माननीय सभापति: श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को श्री भगवंत खुबा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): सभापति महोदय, मेरे जमशेदपुर लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग हजारों छोटे-बड़े उद्योग हैं। उनमें हजारों मजदूर कार्यरत हैं। वहां एकमात्र ईएसआईसी है जिसमें लगभग एक लाख 70 हजार मजदूरों का रजिस्ट्रेशन आईपी है। अगर देखा जाए तो उनके परिवारों की संख्या लगभग आठ लाख हो जाती है। वह मात्र 50 बैड का अस्पताल है। पिछले दिनों वहां माननीय मंत्री जी गए थे और उन्होंने 100 बैड का शिलान्यास किया। लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से मांग

करता हूं कि वहां लगभग ढाई सौ बैड का अस्पताल बनाया जाए ताकि मजदूरों की चिकित्सा ठीक रूप से हो सके।

माननीय सभापति: श्री सुधीर गुप्ता और कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को श्री विद्युत वरन महतो द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): सभापति महोदय, मेरा लोक सभा क्षेत्र उदयपुर दक्षिणी राजस्थान का संभाग मुख्यालय है। यह जनजाति बाहुल्य संभाग है जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद प्रमुख जिले हैं। यहां 70 से 75 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। यह क्षेत्र भारत सरकार द्वारा शैडयूल्ड -V टीएसपी एरिया घोषित है। यहां के गरीब आदिवासियों को अपने न्याय एवं हक के लिए जोधपुर हाई कोर्ट जाना पड़ता है जो बांसवाड़ा से लगभग चार सौ, साढ़े चार सौ किलोमीटर दूर पड़ता है। गरीब आदिवासी, सरकारी कर्मचारी और आम जनता को अपने न्याय के लिए जोधपुर तक न जाना पड़े। उन्हें समय और धन अधिक खर्च करना पड़ता है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि गरीब आदिवासी, सरकारी कर्मचारियों और आम जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय मिल सके, इसके लिए उदयपुर संभाग मुख्यालय पर हाई कोर्ट बैंच खोली जाए।

माननीय सभापति : श्री सुधीर गुप्ता को श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र जो हमारा लोक सभा क्षेत्र जालौन-गिरौटा-भोगनीपुर है, के अंतर्गत खेतों और नहरों की पट्टी पर, खाली पड़ी जगहों पर गाजर घास जैसा एक पौधा खेतों में उग रहा है। वह किसानों की फसल दबा देता है। वह खेतों में खरपतवार के नाम से उग रहा है। विशेा तौर से इस गाजर घास से जो पेड़ उग रहा है, उसके फूल लाखों में उड़कर खेत में जाकर गिरते हैं। वहां जब पानी मिलता है, यह पौधा उग आता है।

20.00 hours

पूरे क्षेत्र में फसल कम दिखाई देती है ज्यादा गाजर घास दिखाई देता है। इसमें दिक्कत क्या है, अगर किसान उस पेड़ को उखाड़ना चाहे तो खुजली जैसी बीमारी हो जाती है, उससे फुल उड़ते हैं जो छोटे-छोटे बच्चे हैं जो गांवों में खेलते हैं उनकी सांस लेने के दौरान ये फूल अंदर प्रवेश कर जाता है उससे दमा जैसी बीमारी पैदा हो रही है। मैं केन्द्र सरकार से मांग कर रहा हूं कि कृषि विज्ञान की तरफ से कोई टीम जाए और जांच करके गाजर घास को समाप्त करने की कोशिश करे।

माननीय सभापति : श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुधीर गुप्ता (मंदसौर) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मंदसौर एवं चितौड़गढ़ में अफीम का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है, ओपियम से जीवन रक्षक आवश्यक मेडिसीन का निर्माण होता है इसमें उपयोग अल्कोलाइड के निर्माण के लिए एक बड़ी फैक्ट्री भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के नियंणाधीन संचालित होती है। उक्त फैक्ट्री में कोडिन, मारफीन, फाल्कोडिन थिबेन अल्कोलाईड का उत्पादन होता है मगर पच्चीस से अधिक अल्कोलाईड का उत्पादन किया जा सकता है इस हेतु अनुसंधान की आवश्यकता है। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि अल्कोलाईड उत्पादन हेतु एक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की जाए या अनुसंधान कार्यक्रम को संचालित किया ताकि भारत मेक इन इंडिया पर अन्य देशों पर निर्भरता कम हो।

माननीय सभापति : श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री सुधीर गुप्ता द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

*SHRI RAMESWAR TELI (DIBRUGARH): Hon. Chairman Sir, on 28th April, 2016, an incident of bomb blast took place in Tinsukia town in upper Assam under my constituency Dibrugarh in which at least 11 persons including a woman and a child were seriously injured. According to the report, the blast which occurred in Devipukhuri Panchali area was triggered by suspected ULFA militants after one of its dreaded cadres was gunned down by the security force a few days back.

This incident was preceded by a grenade blast in the wee hours of the same day i.e. on 28.04.2016 at Guijan near Tinsukia. The series of bomb blasts raise serious questions about the overall law and order situation in the state. I personally visited the site on Saturday and Sunday and met the injured people in the hospital. I strongly condemn this dastardly act of violence perpetrated by the extremist elements operating in the state. I also would like to urge upon the people of the state to come together to condemn this horrific violence against civil society. The incident once again brings to the fore the inability of the State Government to contain militancy in the state and its failure to protect the lives of common people. I request the Government to conduct a high level inquiry into the blasts to bring the culprits to justice. Moreover I wish to request the Central Government to take appropriate measures to provide adequate central forces so as to ensure safety and security of the people.

* English translation of the Speech originally delivered in Assamese.

SHRI SURESH C. ANGADI (BELAGAVI): Sir, thank you very much for allowing me to speak from here. This is a very important subject with regard to my constituency because there is a railway bridge in Belgaum which was constructed during the British regime. Today morning the people of Belgaum noticed some damage caused to the bridge which is around 150 years old.

Sir, I would like you to kindly direct the Railway Ministry and also the authorities concerned to go and inspect the bridge. It should not cause any damage to the people of Belgaum. It is the only one over-bridge in the area. The other bridges are under construction. The Railway office is in Dharwar which is in your Parliamentary constituency. So, I would like to request you also to kindly talk to the General Manger of the region to take up the matter seriously so that it does not cause any problem to the people of the region.

Thank you.

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet again at 11 a.m. tomorrow.

20.04 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, May 6, 2016/Vaisakha 16, 1938 (Saka).